स्वच्छता का समाजशास्त्र

SOCIOLOGY OF SANITATION

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

तीनपानी बाईपास मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे, हल्द्वानी-263139

नैनीताल, (उत्तराखण्ड़)

फोन न0- 05946- 261122, 061123

Toll free No. : 18001804025

Email: info@uou.ac.in Website: https://uou.ac.in

अध्ययन मण्डल

अध्यक्ष
कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

संयोजक
निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा

अध्ययन मण्डल के सदस्यों के नाम

1. **प्रो. जे. पी. पचौरी,** (सदस्य) कुलपति, हिमालयन, विश्वविद्यालय, जीवनवाला, देहरादून
2. **प्रो. सी. सी. एस. ठाकुर,** (सदस्य) प्रो. (से.नि.), रानी दुर्गावती, विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश
3. **प्रो. रबीन्द्र कुमार,** (सदस्य) इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली
4. **प्रो. रेनू प्रकाश,** (सदस्य) समन्वयक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
5. **डॉ. भावना डोभाल,** (मनोनीत सदस्य) असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
6. **डॉ. गोपाल सिंह गौनिया,** (मनोनीत सदस्य) असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पाठ्यक्रम समन्वयक

प्रो. रेनू प्रकाश, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

इकाई लेखक	इकाई संख्या
प्रो. रेनू प्रकाश, प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	**1**
डॉ. भावना डोभाल, सहायक प्राध्यापक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	**4,7**
डॉ. गोपाल सिंह गौनिया, सहायक प्राध्यापक, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	**9, 14**
श्रीमती शैलजा, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी	**5**
डॉ. अरूणिमा पाण्डे, हरि ओम सरस्वती पी.जी. कालेज धनौरी, हरिद्वार	**2, 3**
डॉ. प्रभदीप सिंह, सहायक प्राध्यापक, रा. स्ना. महाविद्यालय, रामनगर	**10**
डॉ. उर्वशी पाण्डे, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र, एम. बी.पी.जी. कॉलेज, हल्द्वानी	**8, 11**
डॉ. योगेश मैनाली, सहायक प्राध्यापक, एस.एस.जे. विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा	**6,12,13**

सम्पादक मंडल

इकाई संयोजन एवं आंतरिक विशेषज्ञ

प्रो. रेनू प्रकाश
समन्वयक
उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

डॉ. गोपाल सिंह गौनिया
असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी), समाजशास्त्र
उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

बाह्य विशेषज्ञ

प्रो. (डॉ.) अनिल वाघेला
समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष, एम. के. भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर (गुजरात)

आई.एस.बी.एन. :

प्रकाशन पूर्व प्रतियां

कापीराइट: उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, 263139

प्रकाशक: उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, 263139

नोट: इस पुस्तक की समस्त इकाईयों के लेखन तथा कॉपीराईट संबंधी किसी भी मामले के लिए संबंधित इकाई लेखक जिम्मेदार होगा। इस प्रकाशन का कोई भी अंश उत्तराखण्ड़ मुक्त विश्वविद्यालय, की लिखित अनुमति के बिना मिमियोग्राफी चक्रमुद्रण द्वारा या किसी अन्य साधन से पुन: प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

मुद्रित प्रतियाँ-

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

चतुर्थ सेमेस्टर (Fourth Semester) BASO (N) 221 4 CREDITS

स्वच्छता का समाजशास्त्र
(Sociology of Sanitation)

इकाई संख्या	अनुक्रमणिका	पृष्ठ संख्या
	खण्ड- 1 स्वच्छता का परिचय (Introduction to Sanitation)	
इकाई-1	स्वच्छता का समाजशास्त्र- अर्थ, उत्पत्ति एवं अध्ययन क्षेत्र (Sociology of Sanitation: Meaning, Origin and Scope)	1-18
इकाई-2	स्वच्छता और अन्य सम्बद्ध आयामों के साथ इसका सम्बन्ध: सार्वजानिक स्वास्थ्य और महिलाएं (Sanitation and Its Relationship with Other Related Dimensions: Public Health and Women)	19-34
इकाई-3	स्वच्छता और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ इसका सम्बन्ध (Sanitation and its relation with other social institutions)	35-46
	खण्ड- 2 स्वच्छता का ऐतिहासिक विकास (Historical Development of Sanitation)	
इकाई-4	भारत में स्वच्छता का इतिहास (History of Sanitation in India)	47-54
इकाई-5	अस्पृश्यता (Untouchability)	55-70
इकाई-6	स्वच्छता से संबंधित चुनौतियां (Challenges related to Sanitation)	71-83
	खण्ड- 3 स्वास्थ्य और स्वच्छता (Health and Ssanitation)	
इकाई-7	स्वच्छता: साफ सफाई और स्वास्थ्य (Sanitation : Hygiene and Health)	84-99
इकाई-8	सफाई कार्य (Scavenging)	100-123
इकाई-9	गरीबी और जनसंख्या (Poverty and Population)	124-139
इकाई-10	अपशिष्ट: सार्वजनिक और निजी स्थान (Waste: Public and Private Space)	140-157
	खण्ड- 4 भारत में राज्य और स्वच्छता (State and sanitation in India)	
इकाई-11	मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास (Liberation and Rehabilitation of Manual Scavengers)	158-176
इकाई-12	स्वच्छता की नीतियां और कार्यक्रम (Sanitation Policies and Programmes)	177-193
इकाई-13	स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन और उपयोग (Implementation and use of Sanitation Programmes)	194-207
इकाई-14	भारत में स्वच्छता आंदोलन : सुलभ इंटरनेशनल आंदोलन (Sanitation Movement in India: Sulabh International Movement)	208-222

इकाई- 01 स्वच्छता का समाजशास्त्र : अर्थ, उत्पत्ति एवं अध्ययन क्षेत्र

Sociology of Sanitation: Meaning, Origin and Scope

इकाई की रूपरेखा

1.0 प्रस्तावना

1.1 उद्देश्य

1.2 स्वच्छता का समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा

1.3 स्वच्छता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति

1.4 स्वच्छता के समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र

1.5 सारांश

1.6 परिभाषिक शब्दावली

1.7 बोध प्रश्न के उत्तर

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1.10 लघु उत्तरीय प्रश्न

1.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1.0 प्रस्तावना (Introduction)

शिक्षार्थियों आप सब जानते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सम्पूर्ण समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है, इस प्रकार समाजशास्त्र एक ऐसा नवीन विज्ञान है जो समाजिक सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन के साथ-साथ समाजिक अन्तक्रियाओं, सामाजिक मूल्यों एवं अनेक समाजिक समस्याओं का भी अध्ययन करता है, यह सर्वविदित

है परिवर्तन प्रकृति का नियम है तथा समाज भी इससे अछूता नहीं है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में समाज के स्वरूप में भी अनेकानेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, जो सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी, अतः आवश्यक है कि समाज को सन्तुलित एवं व्यवस्थित रखने के लिए अनेक प्रयास किये जाये। जैसा कि आप जानते हैं मानव समूह को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए स्वच्छ परिवेश एवं स्वस्थ जीवन की आवश्यकता होती है। तभी मनुष्य तथा समाज दोनों ही विकास एवं प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। इसी उददे्श्य को ध्यान में रखकर स्वच्छता के समाजशास्त्र का उदय हुआ। इस संदर्भ में ''प्रो0 बिन्देश्वर पाठक, सुलभ स्वच्छता, सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य और मानवाधिकार आंदोलन के संस्थापक, जिन्होने भारत के विश्वविद्यालयों और दुनियाभर शिक्षण और अनुसंधान के लिए समाजशास्त्र के सार्वभौमिक ज्ञान क्षेत्र में एक नए ''स्वच्छता के समाजशास्त्र'' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।[1] प्रो0 पाठक जी का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज में विकास एवं गति दे सकते हैं। स्वच्छता वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो न केवल व्यक्ति विशेष के विकास में सहायक होगा वरन् समाज व देश की प्रगति एवं विकास में भी सहायक होगा, प्रस्तुत इकाई में आप जानेंगे कि स्वच्छता क्या है तथा स्वच्छता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, साथ ही स्वच्छता के समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी।

1.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आपके द्वारा सम्भव होगा-

1. स्वच्छता के समाजशास्त्र के अर्थ को समझना
2. स्वच्छता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई
3. स्वच्छता के समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को समझना

1.2 स्वच्छता के समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Sociology of Sanitation)

जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगस्त कॉम्ट सर्वप्रथम एक ऐसे सामाजिक विचारक है। जिन्होने सामाजिक घटनाओं एवं समाज को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, अगस्त कॉम्ट ने निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण के आधार पर समाज के विषय में यर्थाथ एवं वैज्ञानिक चिन्तन को प्राथमिकता दी, इस प्रकार कहा जा सकता है समाजशास्त्र एक ऐसा नवीन सामाजिक विज्ञान है जिसने सम्पूर्ण समाज को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास

किया, कॉम्ट के अनुसार, ''समाजशास्त्र समाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है।[2] इस सन्दर्भ में रवीन्द्र नाथ मुकर्जी ने अपनी पुस्तक ''सामाजिक विचारधारा'' में स्पष्ट किया है कि ''कॉम्ट एक ऐसे नए विज्ञान का सृजन करना चाहते थे जो कि उस समय प्रचलित धार्मिक तथा तात्विक विचारों से पूर्णतया विमुक्त हो और जोकि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढ़ग से करे।[3]

इस प्रकार समाजशास्त्र एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसकी कई शाखाये है इन्ही शाखाओं में एक नवनिर्मित शाखा है, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' स्वच्छता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति के सन्दर्भ में समाजशास्त्री डा0 अनिल वाद्येला जी ने अपनी पुस्तक ''स्वच्छता के समाजशास्त्र'' में लिखा है कि ''समाजशास्त्र एक विज्ञान है। जैसे एक पेड़ की अनेक डालिया होती है, इन तमाम डालियों के लक्षण व विशेषताएॅ एक समान ही माना जा सकता है। ठीक ऐसे ही समाजशास्त्र की भी कई शाखाएॅ है। जैसे कि उद्योगलक्षी, समाजशास्त्र, समाजलक्षी, मनोविज्ञान, पर्यावरण लक्षी समाजशास्त्र, विकास का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, लैगिकता का समाजशास्त्र, ग्राम्य एवं नगरीय समाजशास्त्र आदि। इन शाखाओं में एक नव पल्लवित समाजशास्त्रीय शाखा का उद्धव हुआ है- ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' इस समाजशास्त्र का सर्वप्रथम विचार डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक जी ने 28 जनवरी 2013 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रस्तुत किया, फलतः उन्हें स्वच्छता के समाजशास्त्र का प्रणेता माना जा सकता है।[4]

आप सबको यह विदित है कि शाब्दिक रूप से समाजशास्त्र ''Sociology" शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द Socius है जो लेटिन भाषा से लिया गया है तथा दूसरा शब्द logus है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन शब्दो का अर्थ क्रमशः समाज और शास्त्र से है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र का अर्थ समाज के विज्ञान से है। स्वच्छता के समाजशास्त्र के अर्थ को यदि स्पष्ट करें तो यह ''एवं समाजशास्त्र'' दो शब्दों के योग से बनता है। अर्थात स्वच्छता से सम्बन्धित समाजशास्त्र। समाजशास्त्री अनिल वाद्येला जी ने भी अपनी पुस्तक में इसके अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, ''स्वच्छता और समाजशास्त्र दोनों शब्दों का योग स्वच्छता का समाजशास्त्र शब्द का निर्माण करता है, अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के समाज-जीवन में स्वच्छता, स्वच्छता संबंधित सामूहिक अंतर-क्रियाएँ, उनके अंतर संबंध, पारस्परिक प्रभावों का अभ्यास करने वाला शास्त्र स्वच्छता का समाजशास्त्र है। साथ ही आपने स्वास्थ्य के शाब्दिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्वच्छता शब्द लैटिन भाषा के "Sanitas" से अवतरित शब्द है जिससे स्वास्थ्य का तात्पर्य प्रकट होता है। इसके आधार पर अर्थात स्वच्छता की सभाल का अर्थ प्राप्त होता है।[5]

यह सर्वविदित है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वच्छ परिवेश तथा स्वच्छ वातावरण ही हमारे सर्वांगीय विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। कहने का आशय है कि जब हम स्वच्छ एवं स्वच्छ पर्यायवरण में निवास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी स्वच्छ होता है। स्वच्छ एवं स्वस्थ विचारों के संचरण के साथ-साथ हमारे मस्तिष्क में भी, स्वस्थ व्यवहार में भी, एक स्वच्छ एवं स्वस्थ दृष्टिकोण दृष्टिगत होने लगता है। हम सब जानते है कि सदैव से ही हमारी संस्कृति एवं सभ्यता में स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से लेकर हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं परम्पराओं व प्रथाओं में स्वच्छता का गुण प्राधान्य रहा है, अर्थात हमारे जीवन का प्रत्येक परिप्रेक्ष्य स्वच्छता से जुड़ा हुआ होता है। प्रो0 बी0के0 नागला जी ने अपनी पुस्तक ''स्वच्छता के समाजशास्त्र'' में स्पष्ट किया है कि, ''स्वच्छता समाज और संस्कृति'' से सम्बन्धित आयाम है। जहॉ स्वच्छता होगी वहॉ के लोग समाज के प्रतिमान और सांस्कृतिक मूल्यों का पालन करने वाले होंगे, लोगों के जीवन में स्वच्छता के भावों का संतुलन रहेगा और सांस्कृतिक तत्वों में स्वच्छता की प्रभावोत्पादक रहेगी।''[6] इस सम्बन्ध में महात्मा गॉधी जी का मानना था कि ''स्वच्छता मानव-समाज की जीवन रेखा है। यह मानव सभ्यता के निर्माण का मूल आधार है। हमारा स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए स्वच्छता से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। यह एक सार्वभौमिक तथ्य है कि जो राष्ट्र स्वच्छता के महत्व को समझते हुए उसे स्वीकार करता है। उनमें विकास की गति होती है, बजाए उन देशों के जो इसे नजरअंदाज करते हैं।''[7]

इस प्रकार कहा जा सकता है स्वच्छ रहना या स्वच्छता की आदतों को अपने दैनिक जीवन में सम्मलित करके शारिरिक, मानसिक, समाजिक एवं बौद्धिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है। इन्हीं सब दृष्टिकोणों के आधार पर ''स्वच्छता के समाजशास्त्र'' का उदय हुआ, स्वच्छता के समाजशास्त्र की संकल्पना सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन नामक गैर-सरकारी संस्थान के संस्थापक डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक जी ने की जो ''स्वच्छता के समाजशास्त्र के संस्थापक भी है।''[8]

इस प्रकार ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में स्वच्छता व सफाई से सम्बन्धित है, जिसमें मुख्य रूप से स्वच्छता, स्वच्छता केन्द्रित परिवर्तन, जलवायु एवं पर्यावरण स्वच्छता, पानी, स्वास्थ्य, गरीबी, लैगिक समानता, कल्याण एवं सतत विकास आदि अध्ययन से सम्बन्धित है।

अलग-अलग विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत है-

1. डॉ.0 पाठक के अनुसार- ''स्वच्छता के संबंध में समाज की समस्याओं को हल करने के लिए स्वच्छता का समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके द्वारा हम समाज में फैली हुई समस्याओं जैसे-स्वच्छता, सामाजिक

अभाव, जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, गरीबी, लैगिक समानता, बच्चों के कल्याण और सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाने के संबंध में और दूसरों के जीवन में बदलाव लाने एवं सुखी जीवन जीने के लिए दार्शनिक और अध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा दूर कर सकते हैं।''[9]

2. प्रो0 बी0के0 नागला, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र स्वच्छता के पारस्परिक सम्बन्धों का सामाजिक विज्ञान है अर्थात स्वच्छता का समाजशास्त्र, स्वच्छता, स्वच्छता व समाज के बीच आन्तरिक सम्बन्धों का अभ्यास करने वाला शास्त्र है, जिसमें मनुष्य और समाज के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।''[10]

3. दुर्खीमवादी रूपरेखा के अनुसार, ''स्वच्छता के समाजशास्त्र को अपवित्र से पवित्र की ओर स्थानान्तरण के रूप में देखा जाता है।''[11]

4. एम0एन0 श्रीनावास, ''आपने शुद्धता और अशुद्धता की बात की है, जिसे जाति सम्बन्धित अन्तः क्रिया में देख सकते हैं। उनके संस्कृतिकरण की अवधारणा में, निम्न जाति सदस्यों के लिए दार्शनिक रूप से, स्वच्छता के मुद्दे की बात करे तो, यह ज्ञात होता है कि धर्म निरपेक्षीकरण एवं स्वस्थ समाज में अन्य धर्मो के प्रति धार्मिक असहिष्णुता में हतास और समायोजन मिश्रित व्यवहारों को देख सकते हैं।''[12]

5. टाल बोट के अनुसार, ''जैसे-जैसे समय बीता, स्वच्छता के अर्न्तगत व्यापक कर्त्तव्यों को स्वीकार किया गया है और यह सिद्ध हुआ कि सैनिटरी सुधार केवल मानव के भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मानव जीव होने के नाते उसकी समस्त क्रियाओं को प्रभावित करता है।''[13]

6. Richard Pais के अनुसार, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। जिसमें व्यक्ति, समाज, संस्कृति आदि शामिल हैं, समुदाय और सार्वजनिक नीतियों, पर्यावरण में स्वच्छता उपायों की बेहतरी के लिए, इसमें घर, सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर स्वच्छता के उपाय शामिल है। स्वच्छता का समाजशास्त्र जाति, लिंग और स्वच्छता और मैनुअल मैला ढ़ोने वालों की सामाजिक स्थिति के साथ स्वच्छता के संबंध का अध्ययन करता है। कुल मिलाकर, यह स्वच्छता की संस्कृति का अध्ययन करता है, इसमें स्कूल या शैक्षिक क्षेत्र में स्वच्छता शामिल है। यह अनिवार्य रूप से कचरे के निपटान से जुड़ा हुआ है। यह स्वच्छता और गैर-सरकारी संगठनों की सार्वजनिक नीतियों का अध्ययन करता है।''[14]

7. डॉ.0 अनिल वाघेला के मतानुसार, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र अर्थात व्यक्ति व स्वच्छता के पारस्परिक संबंधों का सामाजिक विज्ञान, स्वच्छता का समाजशास्त्र, स्वच्छता व समाज के बीच के आंतरिक संबंधों का अभ्यास करने वाला शास्त्र है, जिससे मनुष्य और समाज के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है1''[15]

8. श्रीमती इंदिरा गाँधी के मतानुसार ''Sanitation in India is not only about cleanliness, it is also to end the humiliation and miseries of scavengers who carry human excreta on their head" अर्थात ''भारत में सेनिटेशन केवल स्वच्छता नहीं है, किन्तु वह इन्सान के मल-मूत्रों को अपने मस्तक पर वहन करने की प्रथा का अंत है।''[16]

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि स्वच्छता का समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो स्वच्छता एवं समाज के मध्य सामाजिक क्रिया, समाजिक सम्बन्ध एवं मानव तथा समाज के पारस्परिक प्रभाव का अध्ययन करता है। साथ ही समाजिक समस्याओं जैसे स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्याये, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण सम्बन्धित समस्याओं, गरीबी, लैगिक समानता, कल्याण एवं सतत् विकास की अवधारणा व समाज में स्वच्छता की स्थितियों के आकलन से सम्बन्धित है।

स्वच्छता के समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट हो गया कि वास्तव में स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज एवं मानव की स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। वास्तव में स्वच्छता अथवा एक स्वच्छ परिवेश मानव के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। साथ ही एक स्वच्छ समाज या समुदाय ही विकास एवं प्रगति में सहायक होकर राष्ट्र को विकास की ओर अग्रसर कर सकता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में यदि बात करे तो स्वच्छता सम्बन्धी संकट आज एक वैश्विक संकट या चुनौति के रूप में हमारे समक्ष उभर कर आ रहा है। एक समाज के लिए स्वच्छता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्वयं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी जी स्वच्छता के पक्षधर थे, गॉधी जी सदैव मानते थे कि देश में स्वतन्त्रता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता ''महात्मा गाधी जी ने बाहरी स्वच्छता के साथ-साथ मन की स्वच्छता का भी पूर्ण समर्थन किया है। अपनी पुस्तक यंग इण्डिया में आपने स्पष्ट किया है कि ''आन्तरिक स्वच्छता पहली वस्तु है जिसे पढ़ाया जाना चाहिए, अन्य बातें प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाठ सम्पन्न होने के बाद लागू की जानी चाहिये, आपका मानना था कि एक पवित्र आत्मा के लिए एक स्वच्छ शरीर उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि किसी स्थान, शहर, राज्य और देश के लिए स्वच्छ रहना जरूरी होता है, ताकि इसमें रहने वाले लोग स्वच्छ और इमानदार हो।''[17]

यहाँ पर यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि समाज और स्वच्छता दोनों का एक घनिष्ट सम्बन्ध है तथा मानव समूह तथा समाज स्वच्छता के पूरक है। प्राचीन काल से ही अनेक समाज सुधारकों द्वारा समाज एवं राष्ट्र को स्वच्छ रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अनेक स्वच्छता सम्बन्धी आन्दोलन चलाये गये, जिसमें मुख्य रूप से महात्मा गाँधी, डॉ.0 अम्बेडकर, सूर्यकान्त परीख, संत गाडसे का नाम महत्वपूर्ण है इस सम्बन्ध में गाधी जी का मानना था कि ''शायद मेरा पुर्नजन्म न हो, अगर मेरा पुनर्जन्म होता है तो मेरा जन्म एक वाल्मिकी परिवार में हो, जिससे में अमानवीय, स्वास्थ्य अहितकर सिर पर मानव मल उठाने जैसी घृणित प्रथा को जड़ से समाप्त कर सकूं।''[18]

बोध प्रश्न - 01

1. स्वच्छता के समाजशास्त्र की संकल्पना किनके द्वारा की गई।
2. स्वच्छता का समाजशास्त्र किससे संबंधित है।
3. दुखीमवादी रूपरेखा के अनुसार स्वच्छता के समाजशास्त्र को किसके स्थानन्तरण के रूप में देखा जाता है।

1.3 स्वच्छता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति (Origins of the Sociology of Hygiene)

स्वच्छता के समाजशास्त्र के उद्भव या उत्पत्ति के सन्दर्भ में यदि बात करें तो सर्वप्रथम 1940 में अमेरिका में स्वच्छता के समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, इसके उद्भव के सन्दर्भ में अपनी पुस्तक में डॉ.0 वाद्येला द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ''सन् 1940 में अमेरिका में स्वच्छता के समाजशास्त्र का उद्भव हुआ, उसे चिकित्साशास्त्र की एक प्रशाखा के रूप में माना जाता था। सामाजिक स्थितियों को स्वास्थ्य व बीमारी के कारणरूप देखा जाता था। इस कारण पश्चिमी समाज में स्वच्छता व स्वास्थ्य सुधारने हेतु इस शास्त्र ने प्रेरित किया।''[19]

भारत के सन्दर्भ में यदि बात करे तो स्वच्छता से सम्बन्धित समाजशास्त्र की परिकल्पना सर्वप्रथम डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक जी द्वारा जी किया गया। स्वच्छता के समाजशास्त्र की उभरती शाखा की उत्पत्ति का पता बिन्देश्वर पाठक द्वारा 1985 में पटना विश्वविद्यालय को प्रस्तुत डॉ.क्टरेट थीसिस ''बिहार में कम लागत वाली स्वच्छता के माध्यम से मैला ढ़ोने वालों का उदारीकरण से लगाया जा सकता है। 1991 में, डॉ.क्टरेट थीसिस को अद्यतन, संशोधित और एक नए शीर्षक रोड़ टू फ्रीडमः ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑन द एबोलिशन ऑफ स्केवेंजिग इन इंडिया के साथ मुद्रित किया गया था।''[20]

वास्तव में स्वच्छता का समाजशास्त्र, समाज और स्वच्छता सम्बन्धित अध्ययन है। यह एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो स्वच्छता से सम्बन्धित समाज के प्रत्येक पहलुओं से जुड़े हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्यों जैसे-सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण सम्बन्धित, राजनीतिक, तकनीकि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिस्थितिकी, समानता तथा कल्याण एवं सतत विकास के साथ चिकित्सकीय पहलुओं के अध्ययन से सम्बन्धित है। स्वच्छता से सम्बन्धित इन्ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन नामक एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य उद्देश्य मानवअधिकार, पर्यावरण स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामाजिक सुधार के लिए कार्य करना है। इस संस्था के माध्यम से शुष्क शौचालय को कम लागत वाले फलश शौचालयों में भी बदलाव करना था। इस संगठन ने सफाई कर्मियों के उस वर्ग की मुक्ति का कार्य करने मे अपना पूर्ण सहयोग दिया जो अपने परम्परागत पेशे मानव मल को हाथ से साफ करने तथा सिर पर मानव मल ढ़ोने का कार्य करते थे। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर सन् 1974 में ''भुगतान एवं उपयोग के आधार पर प्रचलन में लाया गया ''सुलभ सार्वजनिक ''शौचालय'' ने पहले बिहार तथा बाद में अन्य राज्यों में सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई एवं जनसुविधा की उपलब्धता के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका अदा की।[21]

इस सन्दर्भ में प्रो0 नागला जी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट किया है कि डॉ.0 बाबा साहेब अम्बेडकर ने सदैव लोगों को स्वच्छ परिधान धारण करने घर की स्वच्छता एवं स्वच्छ कार्यों के लिए प्रेरित किया, संत गाडसे बाबा महाराष्ट्र सहित समग्र भारत में सामाजिक एवं शारिरिक विकास हेतु जन-जन को जाग्रत करते रहे, वह सामाजिक समरता, राष्ट्रीय एकता, जन जागरण एवं सामाजिक क्रान्ति के निरंतर स्त्रोत के उद्वाहक के रूप में जाने जाते हैं। सार्वजनिक शास्त्रों की सफाई, ''पे ऐड यूज सुविधायें'' आदि के लिए सुर्यकान्त पारीख कार्यशील थे। डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक ने मानव अपशिष्ट के सुरक्षित और स्वच्छ निपटान के लिए सीवरेज और जल निकासी प्रदान करके खुले में शौच और मानव-मल को ढ़ोने जैसे घृणित कार्यों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया।[22]

स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्पूर्ण भारत वर्ष को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के लिए कई स्वच्छता अभियान चलाए हैं। जैसे- निर्मल भारत अभियान, टोटल सेनिटेशन केम्पेन (टी0एस0सी0) ग्लोबल सेनिटेशन प्रोग्राम, नेशनल-रूरल हैल्थ मिशन इत्यादि, जिसका उद्देश्य निजी/व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छता, सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच की समस्या को कम करना या समाप्त करना था। शौचालय निर्माण का प्रचार-प्रसार गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है।[23]

2014 में गॉधी जी के जन्म-दिवस के अवसर पर मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की थी। इस यज्ञ में सभी को योगदान देने का उन्होंने आहवान किया, केन्द्र सरकार से लेकर पंचायत तक और नागरिक समाज भी जिसके अन्तर्गत गैर-सरकारी संस्थान, कॉर्पोरेट घराने एवं देश के सभी जन-साधारण शामिल किए गये थे।[24]

सन् 2008 में 16 से 29 नवंबर के दौरान दिल्ली में तृतीय दक्षिण एशिया वार्ता का स्वच्छता विषय पर सम्मेलन आयोजित हुआ, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, भारत, मालद्वीप, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान आदि देशों के शिष्टमण्डल ने एक घोषणा पत्र जारी किया जो निम्नांकित है।[25]

1. स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसे एक अधिकार के रूप में राष्ट्र की प्राथमिक जरूरत के रूप में देखा जाए।

2. स्वच्छता के लिए निश्चित राष्ट्रीय लक्ष्यों को सभी सहभागी देशों के साथ निश्चित अवधि में परिपूर्ण करने की घोषणा।

3. साथ ही इस बात को निश्चित करता है कि अपने-अपने देशों में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदायों में 2003 में होने वाले सकोसेन-1 और इस्लामाबाद में 2006 में होने वाले सकोसेन-2 में निर्धारित लक्ष्यों को सम्बद्ध देश कितना प्राप्त कर सके है पर विमर्श हो।

4. हमें स्वच्छता से सम्बन्धित सिद्धान्तों व विषय के पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। संकल्पों को याद कर उनको परिवार, स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित कर स्वच्छता प्राप्ति के लक्ष्यों को साकार करना है।

बोध प्रश्न- 02

1. 1940 में स्वच्छता के समाजशास्त्र का उद्भव कहा हुआ।

2. स्वच्छता के समाजशास्त्र की उभरती शाखा की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किनके द्वारा लगाया गया।

3. 1985 ई0 में पटना विश्वविद्यालय में प्रस्तुत डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक जी द्वारा प्रस्तुत डाक्टरेट थीसिस का शीर्षक क्या था।

4. 1991 में डाक्टरेट थीसिस का संशोधित एवं नया शीर्षक कौन सा है।

1.4 स्वच्छता के समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र (Scope of Sociology of Sanitation)

स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज में स्वच्छता से सम्बन्धित विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का अध्ययन करना है। वास्तव में स्वच्छता का समाजशास्त्र मानव तथा मानव समूह की वह प्रक्रियाये है, जो मानव, उनके सामाजिक जीवन, बातचीत और व्यवहार के तरीकों में स्वच्छता की स्थितियों के सन्दर्भ में अध्ययन करता है। स्वच्छता का समाजशास्त्र मानव के सामान्य जीवन से सम्बन्धित विभिन्न स्थितियों से लेकर विश्व स्तर की समाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन तक विस्तृत है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वच्छता का समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है, जो वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से समाज में स्वच्छता की स्थितियों को बेहतर तरीकों से समझने में सहायक होता है।

इस सम्बन्ध में समाजशास्त्री वाघेला जी का मानना है कि सन् 1838 में समाजशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अविभार्व हुआ, जिसमें अनेक सिद्धान्तों को स्थान प्राप्त हुआ, सिद्धान्तों कि वृद्धि साथ-साथ समाजशास्त्र की विविध प्रशाखाएॅ उद्भवित होने लगी। उसकी आवश्यकता पैदा हुई। आज समाजशास्त्र में कई उपशाखाएॅ है। जिनके अपने-अपने कार्यक्षेत्र हैं।[26]

वाघेला जी ने स्वच्छता के समाजशास्त्र को 12 कार्यक्षेत्रों में विभक्त किया है, जो निम्नाकित है।[27]

1. स्वच्छता और सामाजिक छुआछुत
2. स्वच्छता और पर्यावरण
3. स्वच्छता और स्वास्थ्य
4. स्वच्छता और शिक्षा
5. स्वच्छता और विविध मानदंड़
6. स्वच्छता और सरकार
7. स्वच्छता और गन्दे निवास
8. स्वच्छता और पंचायती राज
9. स्वच्छता और पेय जल

10. स्वच्छता और बाल कल्याण

11. स्वच्छता और ग्राम्य-नगरीय समुदाय

12. स्वच्छता और मजदूर

Sanjay Kumar Mishra and Prabhleen kaur Pabla ने अपनी पुस्तक "Sociology Sanitation" में स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक सम्बन्धों के व्यवस्थित अध्ययन और सामाजिक संरचना और व्यक्तियों तथा समूहो के व्यवहार के बीच बातचीत से सम्बन्धित है। स्वच्छता का समाजशास्त्र स्वच्छता, जल, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिस्थिति की, पर्यावरण, सामाजिक अभाव, गरीबी, लैगिक समानता, बच्चों के कल्याण और सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाने के संबंध में समाज की समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन से सम्बन्धित है। स्वच्छता को कभी-कभी शौचालय के संदर्भ में सकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाता है, लेकिन हम यहॉ इसे अधिक व्यापक संदर्भ में उपयोग करेंगे। इस प्रकार स्वच्छता में न केवल शौचालय बल्कि सामाजिक अभाव, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिस्थिति की और पर्यावरण भी शामिल है।[28]

प्रो0 बी0के0 नागला जी ने इसके कार्यक्षेत्र को निम्नांकित आधार पर विभक्त किया है- [29]

1. सार्वजनिक स्थान

2. घर-समुदायों के कचरे का निष्कासन

3. स्वास्थ्य सम्बन्धि प्रवृत्तियॉ

4. सफाई कर्मियों की भूमिका

5. परिवेश-पर्यावरण सम्बन्धि चर्चा व वैचारिकी

इसी प्रकार संजय कुमार मिश्रा तथा प्रभलीन कौर द्वारा स्वच्छता के समाजशास्त्र के क्षेत्र को निम्नांकित आधार पर स्पष्ट किया है।[30]

1. ऐतिहासिक, संरचनात्मक, कार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से स्वच्छता की अवधारणा का विश्लेषण।

2. पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के दृष्टिकोण से कूड़ा-कचरा, गन्दगी एवं अपशिष्ट का अध्ययन।

3. सामाजिक अभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सतत विकास का विश्लेषण।

4. पश्चिमी, व्यक्तिगत और सामाजिक केन्द्रक के रूप में निजी और सार्वजनिक स्थान का विश्लेषण और स्वच्छता के प्रयोग और अनुभव केन्द्रित अवधारणा।

5. सामाजिक अनुभव, ज्ञान और स्वच्छता के इतिहास के बीच जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण।

6. स्वच्छता, स्वच्छता और जाति व्यवस्था, लिंग, धर्म, परिवार, समुदाय आदि सामाजिक संस्थाओं के बीच जटिल सम्बन्धों का विश्लेषण।

अनेक समाजशास्त्रियों के अध्ययन के आधार पर स्वच्छता के समाजशास्त्र को निम्नांकित अध्ययन क्षेत्र के आधार पर विभक्त किया जा सकता है।

1- स्वच्छता का परिचय

1. स्वच्छता के समाजशास्त्र का परिचय एवं परिचयात्मक विमर्श
2. स्वच्छता, समाज एवं सांस्कृति से सम्बन्धित विभिन्न आयामों का अध्ययन।
3. स्वच्छता एवं अन्य सम्बन्धित विभिन्न आयामों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित अध्ययन।
4. स्वच्छता और अन्य सामाजिक संस्थाओं जैसे - धर्म एवं जाति व्यवस्था तथा आर्थिक, राजनैतिक, वैधानिक एवं धार्मिक संस्थाओं के अध्ययन से सम्बन्धित अध्ययन।

2- स्वच्छता का ऐतिहासिक विकास

1. भारत में स्वच्छता का उद्भव एवं विकास से सम्बन्धित अध्ययन।
2. भारत में स्वच्छता के इतिहास से सम्बन्धित अध्ययन।
3. अस्पृश्यता एवं स्वच्छता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित।
4. भारत में स्वच्छता आन्दोलन से सम्बन्धित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
5. स्वच्छता से सम्बन्धित विभिन्न चुनौतियों का अध्ययन।

3- स्वास्थ्य और स्वच्छता

1. साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित स्वच्छता का अध्ययन।
2. सफाई कार्य एवं सफाई कर्मियों के उद्भव एवं उनकी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन।
3. गरीबी एवं जनसंख्या से सम्बन्धित अध्ययन।
4. पर्यावरणीय स्वच्छता से सम्बन्धित अध्ययन।
5. सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से सम्बन्धित अपशिष्टों के अध्ययन से सम्बन्धित।

4- भारत में राज्य और स्वच्छता एवं स्वच्छता कार्यक्रम

1. स्वच्छता की नीतियों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन।
2. स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और उपयोग से सम्बन्धित अध्ययन।
3. मैला ढ़ोने वाले कर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास से सम्बन्धित अध्ययन।
4. भारत में स्वच्छता आन्दोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
5. सुलभ इंटरनेशनल आन्दोलन का अध्ययन।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कहा जा सकता है कि स्वच्छता के समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु के अन्तगर्त लगभग सभी प्रमुख विषयों का सम्मिलित कर लिया गया है, वास्तव में स्वच्छता का समाजशास्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छता के विविध आयामों से सम्बन्धित होता है, जिसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ-साथ समाज एवं राष्ट्र में स्वच्छता, सामाजिक अभाव, जल, पारिस्थितिकी, पर्यावरण, गरीबी, लैगिक समानता, महिलाओं एवं बच्चों के सतत विकास के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

1.5 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात् आप अब तक समझ चुके होगे कि स्वच्छता का समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, साथ ही भारत में स्वच्छता के समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, वास्तव में स्वच्छता एक सफल एवं सुखी जीवन के आधार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक स्वस्थ्य जीवन एवं जीवन शैली के लिए हमें आन्तरिक एंव बाह्य दोनो रूपों से स्वच्छ एवं स्वस्थ्य होना आवश्यक है, तभी हम अपना सर्वागीण विकास करते हुए एक बेहतर जीवन को प्राप्त कर पायेंगे, सम्पूर्ण इकाई के अध्ययन के पश्चात् सारांश रूप में कहा जा सकता है कि स्वच्छता का समाजशास्त्र स्वच्छता से सम्बन्धित समाज में व्याप्त विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित एक वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जिसके अध्ययन के पश्चात् स्वच्छता, सामाजिक अभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं जल से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं को समझने में हमें मदद करेगा, साथ ही पारिस्थितिकी, पर्यावरण लैगिक समानता एवं समाज में निवासरत महिलाओं एवं बच्चों के सतत विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित ज्ञान को प्राप्त करने में हमें सहयोग प्रदान करेगा। इसी प्रकार आप इस तथ्य को भी समझ पाये होगे कि भारत में स्वच्छता की क्या ऐतिहासिक पृष्ठाभूमि क्या है।

1.6 परिभाषिक शब्दावली (Glossary of Terms)

1. **स्वच्छता-** स्वच्छता का तात्पर्य होता है, कि शरीर, मन एवं अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखना, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता, शारिरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमुख है।

2. **समाजशास्त्र-** समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी शब्द Sociology का रूपान्तरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है Socio और logy जिनका क्रमशः अर्थ है समाज एवं शास्त्र इस प्रकार Sociology का शाब्दिक अर्थ समाज के शास्त्र से सम्बन्धित है, वास्तव में सोशियोलॉजी Sociology शब्द लैटिन Latin भाषा के Socius तथा ग्रीक भाषा logas शब्दों से निर्मित है।

3. **स्वच्छता का समाजशास्त्र-** स्वच्छता का समाजशास्त्र, स्वच्छता एवं इससे सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय समस्याये, गरीबी, लैगिक समानता, विकास एवं कल्याण से सम्बन्धित वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, जो स्वच्छता एवं समाज से सम्बन्धित है।

1.7 बोध प्रश्न के उत्तर (Answers to Comprehension Questions)

1. बोध प्रश्न 01 के उत्तर

1- डॉ.0 बिन्द्रेश्वर पाठक

2- स्वच्छता से

3- अपवित्र और पवित्र की ओर

2. बोध प्रश्न 02 के उत्तर

1. अमेरिका में
2. डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक जी द्वारा
3. बिहार में कम लागत वाली स्वच्छता के माध्यम से मैला ढ़ोने वाली का उदारीकरण
4. ''रोड़ टू फ्रीडम: ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑन द एबोलिशन ऑफ स्केवेजिग इन इंडिया''

1.8 सन्दर्भ ग्रन्थ (References)

1. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023 ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023 ''रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पे0न0 - 04

2. मुकर्जी, रवीन्द्र नाथ, ''सामाजिक विचारधारा'' (कॉम्ट से मुकर्जी तक), 2009, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, पे0न0-60

3. उपरोक्त- पे0न0-59

4. वाघेला, अनिल, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2015 कल्पाज पब्लिकेशन्स, सत्यवती नगर, दिल्ली पे0न0-15

5. उपरोक्त- पे0न0-16

6. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, 2023 ‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पे0न0- 21

7. गॉधी, महात्मा,‘‘स्वच्छता एवं पर्यावरण, उद्वधत नागला बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र - 2023 ‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पे0न0 - 33

8. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, 2023 ‘‘रावतपब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, उपरोक्त पे0न0-19

9. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023, ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, ‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, उपरोक्त पे0न0-19

10. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, ‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, उपरोक्त पे0न0-21

11. नागला बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’,‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, उपरोक्त पे0न0-84

12. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, ‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, उपरोक्त पे0न0-84

13. नागला, बी0के (सम्पादन), 2023 ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, ‘‘रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, उपरोक्त पे0न0-84

14. Pais, Richard Valedictory Address National Conference on Sociology of Sanitation April 02-05-2023 New Delhi, (Proceeding Page no–795)

15. वाद्येला, अनिल, ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, 2015, कल्पाज पब्लिकेशन्स, सत्यवती नगर, दिल्ली, पे0न0- 17

16. वाद्येला, अनिल, ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’, 2015 कल्पाज पब्लिकेशन्स, सत्यवती नगर, दिल्ली, पे0न0- 17

17. यंग इण्डिया, 22 जनवरी 1930 उद्धत कुमारी अजिता, स्वच्छता और महात्मा गाधी (शोधपत्र Shiksha Sanshodhan: Journal of Arts, Humanities and social sciences, ISSN: 2581-6241 Vol-3, Issue-5, Sept-oct 2020, Peer-reviewed, Refereed Indexed journal Page No.- 06

18. नागला, बी.के., ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0-16

19. वाघेला, अनिल, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2015, कल्पाज, पब्लिकेशन्स दिल्ली, पे0न0-14

20. Pathak, Bindeshwar, Road to freedom: A Sociological study on the Abolition of Scavenging in India, extreme office Aids Pvt Ltd, New Delhi, 2004

21. नागला, बी.के. ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स, पे0न0 26

22. नागला, बी.के., ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0-16

23. नागला, बी.के., ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0-16-17

24. नागला, बी.के., ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0-17

25. नागला, बी.के., ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0-18-19

26. वाघेला, अनिल, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2015, कल्पाज पब्लिकेशन्स दिल्ली, पे0न0-19

27. वाघेला, अनिल, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2015, कल्पाज पब्लिकेशन्स दिल्ली, पे0न0-19-20

28. Mishra, Sanjay Kumar, Pabla Prabhleen Kaur– 2023, Rawat Publication, page no-17

29. नागला, बी.के., ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'', 2023, रावत पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पे0न0-20

30. Mishra Sanjay Kumar, Pabla Prabhleen Kaur, "Sociology of Sanitation 2023, Rawat Publication Jaipur page no–18-19

1.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful/Useful Reading Materials)

1. ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' - 2015, कल्पाज पब्लिकेशन्स

2. नागला, बी0के, '' स्वच्छता का समाजशास्त्र '' - 2023 रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

3. Sanjay kumar Mishra, Prabhleen kaur Pabla, "Sociology of Sanitation" – 2023 Rawat Publications Jaipur

4. Bindeshwar Pathak (1991) Road to freedom, xtreme prem pvt. Ltd Delhi,

5. डॉ.0 बिन्देश्वर पाठक (2013) '' स्वच्छता का समाजशास्त्र'' सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑगेनाइजेशन, नई दिल्ली।

1.10 लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. स्वच्छता के समाजशास्त्र का क्या अर्थ है?
2. विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दिये गये परिभाषाओं को स्पष्ट किजिए?
3. स्वच्छता के समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट किजिए?
4. स्वच्छता के समाजशास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट किजिए?

1.11 निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Question)

1. स्वच्छता के समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसके अध्ययन क्षेत्र को स्पष्ट किजिए?
2. स्वच्छता के समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास का वर्णन किजिए?

इकाई- 2 स्वच्छता और अन्य सम्बद्ध आयामों के साथ इसका सम्बन्धः सार्वजानिक स्वास्थ्य और महिलाएं

Sanitation and Its Relationship with Other Related Dimensions: Public Health and Women

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 स्वच्छता के विभिन्न आयाम

2.3 स्वच्छता और अन्य सम्बद्ध आयामों के साथ इसका सम्बन्ध

2.4 सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं महिलाएं

2.5 स्वच्छता का महिलाओं पर प्रभाव

2.6 सारांश

2.7 शब्दावली

2.8 अभ्यास प्रश्न

2.9 सन्दर्भ सूची

2.0 उद्देश्य (Objective)

1. इस इकाई के माध्यम से आप स्वच्छता के विविध आयामों से परिचित हो सकेंगे।

2. इस इकाई में स्वच्छता एवं इसके विविध आयामों के साथ इसका सम्बन्ध जान सकेंगे।

3. इस इकाई में हम सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं महिलाओं की स्थिति के बारे में जान सकेंगे।

4. इस इकाई के माध्यम से स्वच्छता के विविध आयामों के विषय में समग्र दृष्टिकोण को समझ सकेंगे।

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

स्वच्छता एक महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी विषय है, जो जीवन के कई पक्षों को प्रभावित करता है एवं प्रभावित होता है। जिसमें जल स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। स्वच्छता सामुदायिक स्वास्थ्य का आधार है और इसकी प्राप्ति स्वच्छता जागृति पर निर्भर करती है। इस अध्ययन का उद्देश्य स्वच्छता के विभिन्न आयामों का गहराई से विश्लेषण करना और उनके प्रभावों को समझना है, ताकि हम एक समग्र दृष्टिकोण प्राप्त कर सके सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार ला सके।

जल की स्वच्छता, स्वच्छता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। साफ और सुरक्षित पानी का अभाव स्वास्थ्य समस्याओं की एक प्रमुख वजह है। विशेषकर, विकासशील देशों में, जहां पानी की स्वच्छता की सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं, वहां लोग अक्सर पानी जनित रोगों का शिकार होते हैं। महिलाओं के लिए, जो प्रायः घरेलू पानी के प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाती हैं, पानी की स्वच्छता से संबंधित समस्याएं उनके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। महिलाएं जब सुरक्षित पानी की खोज में लंबी दूरी तय करती हैं, तो यह उनकी शारीरिक थकावट को बढ़ाता है और उनके समय की बर्बादी का कारण बनता है, जो कि उनके सामाजिक और आर्थिक अवसरों को सीमित करता है।

घरेलू स्वच्छता भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह घर के अंदर के स्वच्छता मानकों, जैसे कि स्वच्छता की आदतें, उचित सफाई सामग्री, और स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखने से संबंधित है। खराब घरेलू स्वच्छता के कारण, जैसे कि गंदे बर्तन, कचरा, और अस्वच्छ बाथरूम, स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि संक्रमण और एलर्जी। महिलाओं के लिए, जो अक्सर घरेलू स्वच्छता की जिम्मेदारी संभालती हैं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता की कमी के कारण, महिलाओं को अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण आयाम है, जो स्वच्छता को प्रभावित करता है। अपशिष्ट का उचित प्रबंधन न केवल पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। असंवेदनशील कचरा प्रबंधन, जैसे कि खुले में कचरा फेंकना या अपशिष्ट को सही तरीके से नष्ट नहीं करना, स्वास्थ्य

समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिसमें कीटाणुओं और विषाणुओं का प्रसार शामिल है। महिलाओं के लिए अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण स्वास्थ्य जोखिम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से विकासशील क्षेत्रों में, जहां अपशिष्ट प्रबंधन के संसाधन सीमित होते हैं, महिलाओं को इस समस्या का अधिक सामना करना पड़ता है।

स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता का भी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता सुविधाओं में टॉयलेट, स्वच्छता सेवाएं और महिलाओं हेतु सुरक्षित मासिक धर्म प्रबंधन के उपकरण शामिल हैं। उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी से महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर असुविधा और स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान यदि स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं तो महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ-साथ सामाजिक असुविधा का भी सामना करना पड़ सकता है। इन समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और संगठनों को स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

स्वच्छता के इन सभी आयामों का महिलाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव होता है। स्वच्छता की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, उनकी सामाजिक स्थिति को चुनौती देती हैं, और उनके आर्थिक अवसरों को सीमित करती हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इन समस्याओं का प्रभाव न केवल महिलाओं बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। स्वास्थ्य समस्याओं का फैलाव, आर्थिक बोझ और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं सभी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

2.2 स्वच्छता के विभिन्न आयाम (Different Dimensions of Sanitation)

स्वच्छता के आयामों का गहराई से विश्लेषण करने के लिए हमें जल स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इन सभी आयामों का मानव जीवन की गुणवत्ता पर, महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता के महत्त्वपूर्ण आयामों को हम मुख्य रूप में तीन मुख्य भागों में स्पष्ट कर सकते हैं-

2.2.1 व्यक्तिगत स्वच्छता (Individual Sanitation)

2.2.2. घरेलू स्वच्छता (Domestic Sanitation)

2.2.3 सामुदायिक स्वच्छता (Community Sanitation)

2.2.1 व्यक्तिगत स्वच्छता (Individual Sanitation)

व्यक्तिगत स्वच्छता का स्थान सभी प्रकार की स्वच्छता में सर्वप्रमुख है, क्योंकि किसी भी प्रकार का सुधार सर्वप्रथम स्वयं से शुरू होता है। स्वच्छता के प्रतिमानों का नियमित तौर पर पालन व्यक्ति को स्वच्छता हेतु सजग बनता है। जब व्यक्तित्व में स्वच्छता के प्रतिमान शामिल हो जाते हैं तो अधिकांश तौर पर वह अपने आस पास की स्वच्छता के लिए भी जागरूक रहता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामुदायिक स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता एक मजबूत आधार प्रदान करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत नियमित तौर पर दांतों की सफाई, स्नान, बालों की साफ़-सफाई, भली प्रकार शारीरिक अंगों की सफाई, नाखूनों को काटना, बाहर से आने पर, शौच के बाद हाथ पैर को साबुन/राख/मिट्टी/हैण्डवाश लिक्विड से भली प्रकार धुलना, भोजन करने के पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धुलना आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू सम्मिलित हैं।

व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा व्यक्ति को हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यक्तिगत स्वच्छता से व्यक्ति निरोगी और मानसिक रूप में सुदृढ़ रखती है। यह पूर्व मान्य तथ्य है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। व्यक्तिगत स्वच्छता से रोगों की रोकथाम, उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक सौन्दर्य एवं सुदृढ़ता, रोग प्रतिरोधक क्षमता आदि में वृद्धि पायी गई है। स्वस्थ व्यक्तित्व वाले लोगों का योगदान समाज के विकास एवं समृद्धि में सापेक्षिक रूप अधिक योगदान होता है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वच्छता का सम्बन्ध सामाजिक विकास से भी होता है।

2.2.2. घरेलू स्वच्छता (Domestic Sanitation)

घरेलू स्वच्छता में घर के आंतरिक और बाह्य स्वच्छता को शामिल किया जाता है। इसमें साफ-सफाई का स्तर, कीटाणु नियंत्रण, और पर्यावरणीय स्वच्छता शामिल हैं। घरेलू स्वच्छता की स्थिति पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। विशेषकर उन देशों में जहां स्वच्छता की कमी से स्वास्थ्य समस्याएँ अधिक होती हैं, वहाँ यह प्रभाव और भी गंभीर हो सकता है। घरेलू स्वच्छता में गंदे बर्तन, अव्यवस्थित कचरा, अस्वच्छ शौच-घर तथा स्नानघर शामिल हैं, जो कि संक्रमण और एलर्जी जैसे स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। महिलाएं अक्सर घर की साफ-सफाई और स्वच्छता के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालती हैं, और जब इस प्रक्रिया में कमी होती है, तो वे खुद स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं। इसके अलावा, अस्वच्छ घरेलू वातावरण से उत्पन्न समस्याएँ पारिवारिक

सदस्यों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर उनके कार्य क्षमता में कमी ला सकती हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

इस प्रकार घरेलू स्वच्छता हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। घरेलू स्वच्छता का सीधा सम्बन्ध हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य दशाओं, जीवन शैली आदि से होता है। घरेलू स्वच्छता में हम निम्नलिखित उपशीर्षकों को समाहित कर सकते हैं-

(क)- पेयजल स्वच्छता (Drinking Water Hygiene)

पेयजल स्वच्छता का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वच्छ जल की उपलब्धता और उपयोग से जलजनित बीमारियों का जोखिम कम होता है, जिसमें हैजा, दस्त, और अन्य संक्रमण शामिल हैं। स्वच्छ जल न केवल एक आवश्यक पोषण तत्व है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन जीने के लिए आधारभूत है। परिवार के साथ साथ महिलाओं के लिए, जो अक्सर परिवार के जल प्रबंधन की जिम्मेदारी उठाती हैं, यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता से न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। यदि जल स्वच्छता की स्थिति खराब हो, पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके दैनिक जीवन में व्यक्तिगत एवं कार्यस्थल के कार्य को कुप्रभावित करता है। इसके अलावा, स्वच्छ जल की कमी के कारण लोगों के अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनके सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक अवसरों को सीमित करता है।

(ख)- भोजन और खाद्य-पदार्थों की स्वच्छता (Food and Food Hygiene)

भोजन एवं खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को उर्जा एवं स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। भोजन और खाद्य पदार्थों के की स्वच्छता के नियमों के पालन करना भी स्वच्छता के अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। भोजन सम्बन्धी स्वच्छता में भोजन निर्माण की तयारी में साफ़ सफाई का ध्यान, भोजन को उचित विधि से पकाना और परोसने की विधियों को शामिल किया जा सकता है। खाद्य-पदार्थों को उचित विधि से धुल कर सफाई से प्रयोग में लाना, बाहर से किसी सब्जी या फल को बिना धुले घर के भीतर या रसोई तक न ले जाना, कीड़ायुक्त हरी सब्जियों एवं फलों के प्रयोग से बचना, भोजन निर्माण विधि में स्वच्छता का ध्यान रखना, भोजन परोसने में बर्तनों, भोजन करने के स्थान की स्वच्छता का ध्यान रखना, भोजन करने से पहले और बाद में अपने हाथों की अच्छे से सफाई करना, ताजा भोजन ग्रहण करने की

आदत का विकास एवं बासी बचा हुआ भोजन खाने से बचना आदि भोजन और खाद्य पदार्थों की स्वच्छता के अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

(ग)- वस्त्र एवं आवास की स्वच्छता (Cleanliness of clothing and Housing)

हम जहाँ भी कुछ हद तक स्थायी रूप से निवास करते हैं, उस आवास की स्वच्छता हमारे स्वस्थ्य एवं उच्च जीवनशैली को सुनिश्चित करने में महती भूमिका निभाते हैं। वस्त्रों की स्वच्छता व्यक्ति के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दोनों पर प्रभाव डालती है। जब भी लोग किसी गंदे और संक्रमित व्यक्ति या स्थान के संपर्क में आते हैं तो गन्दगी, और रोगजनित बैक्टीरिया उसके और उसके परिवार वालों को खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा दैनिक रूप से प्रयोग किये जाने वाले कपड़ों की स्वच्छता का अनिवार्य रूप ध्यान रखा जाना जरुरी है। कपड़ों की स्वच्छता के लिए नियमित रूप से और उचित विधि से धुलाई, और पर्याप्त धूप में उनको सुखाना जरुरी है। आवास सम्बन्धी स्वच्छता घर के भीतर के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करते हैं। इसमें घर के अन्दर नियमित रूप से झाडू लगाना कच्चे एवं पक्के मकानों की लिपाई-पुताई, पक्के मकानों में फिनायल युक्त पानी से पोछा, धुल इत्यादि को झाड़ना आदि शामिल है।

(घ)- घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन (Household Waste Management)

अपशिष्ट प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण स्वच्छता आयाम है, जो पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों पर प्रभाव डालता है। सही अपशिष्ट प्रबंधन से कचरा, गंदगी, और अन्य हानिकारक तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं और पर्यावरणीय संकटों की संभावना कम होती है। महिलाओं को अक्सर घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां संसाधन सीमित होते हैं। रसोईघर से निकलने वाले एवं अन्य घरेलू अपशिष्ट पदार्थों के उचित प्रबंधन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएँ, जैसे कि खुले में कचरा फेंकना और असंवेदनशील अपशिष्ट निपटान, गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरणीय संकटों को जन्म देती हैं। पारिवारिक सदस्यों को इन समस्याओं के कारण प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव, जैसे कि संक्रमण और गंदगी से जुड़ी बीमारियाँ, का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से उत्पन्न होने वाली गंदगी और दूषित वातावरण पारिवारिक सदस्यों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

2.2.3 सामुदायिक स्वच्छता (Community Sanitation)

सामुदायिक स्वच्छता को किसी भी समाज की प्रगति का आधार माना जा सकता है। सामुदायिक स्वच्छता एक दूसरे के निकट रहने वाले लोगों के समूह में बेहतर स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं रोगमुक्त वातावरण को बनाये रखने के

लिए किया गया सहयोगात्मक प्रयास है। सामुयादिक स्वच्छता में ग्राम/नगर के गली मोहल्ले के सार्वजानिक स्थलों जैसे सड़कों, नालियों की सफाई, समय समय पर बैक्टीरिया वायरस आदि के विनिष्टीकरण हेतु छिडकाव, सामुदायिक पेयजल का शुद्धिकरण, समुदाय के सार्वजानिक स्थलों पर अपशिष्ट आदि का उचित निपटान आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।

इस प्रकार सामुदायिक स्वच्छता हमारे समुदाय और सामाजिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है। सामुदायिक स्वच्छता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध हमारे सामुदायिक वातावरण, स्वास्थ्य दशाओं, जीवन शैली आदि से होता है किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में सामुदायिक स्वच्छता व्यक्तिगत एवं पारिवारिक स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करता है। जीवन शैली घरेलू स्वच्छता में हम निम्नलिखित उपशीर्षकों को समाहित कर सकते हैं-

(क)- सामुदायिक साफ़-सफाई (Community Cleanliness)

सामुदायिक स्वच्छता में समुदाय के तालाब, कुओं नदी नालों एवं सड़कों की नियमित रूप से साफ़ सफाई आती है। इसके माध्यम से समुदाय में जहाँ धूल, मिट्टी आदि पर नियंत्रण मिलेगा वहीं तालाब, कुओं, नदी, नालों-नालियों आदि की नियमित अथवा आवश्यकतानुसार सफाई से दुर्गन्धयुक्त वातावरण से मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण समुदाय हों या नगरीय समुदाय हों सामुदायिक साफ़-सफाई समुदाय में बेहतर पर्यावरण की सुनिश्चितता को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ख)- सामुदायिक पेयजल का उचित प्रबंधन (Proper Management of Community Drinking Water)

भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को नल के जल की सुविधा प्रदान करने को संकल्पित है। इस मिशन (जेजेएम) ने 19 अगस्त 2022 तक 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है । गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, पुडूचेरी, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली एवं अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। जल जीवन मिशन माताओं एवं बहनों के लिए वरदान जैसी योजना है जहाँ जल की सुलभ पहुँच से उनके समय शक्ति तथा श्रम सभी की बचत होती है। वस्तुतः सामुदायिक पेयजल के प्रबंधन में परिवारों की जलापूर्ति की सुनिश्चितता के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र, सामुदायिक स्कूल आदि में भी स्वच्छ जल की सुनिश्चितता आती है। इसमें भी जेजेएम योजना ने

महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8.72 लाख से अधिक स्कूलों, 9.02 लाख आँगनबाड़ी केन्द्रों पर नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

(ग)- सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन (Community Waste Management)

सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन पूरे समुदाय के स्वच्छता, स्वास्थ्य और आरोग्य को निर्धारित करने में महती भूमिका निभाता है। भारत जैसे सघन जनसँख्या वाले देश में अपशिष्ट प्रबंधन एक बड़ा उत्तरदायित्व का कार्य बन गया है। ठोस, तरल तथा शुष्क अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन- बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को वर्गीकृत करके जो भी अपशिष्ट पुनर्चक्रित हो सकता हो उसका पुनर्चक्रण निर्धारित करना साथ ही शेष अपशिष्ट का सामुदायिक आबादी क्षेत्र से दूर उचित निस्तारण सामुदायिक निकायों के लिए महत्त्वपूर्ण किन्तु चुनौती भरा कार्य है।

2.3 स्वच्छता और अन्य सम्बद्ध आयामों के साथ इसका सम्बन्ध (Sanitation and Its Relation with Other Related Dimensions)

स्वच्छता का अन्य सम्बद्ध आयामों के साथ गहरा सम्बन्ध पाया जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता एवं सामुदायिक स्वच्छता परस्पर सम्बंधित हैं और ये सभी एक दूसरे पर प्रभाव डालते है साथ ही एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। स्वच्छता सुविधाएँ जैसे कि शौचालय, स्वच्छता के लिए स्वास्थ्य केंद्र, और हाथ धोने की सुविधाएं, जन मानस के जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी से लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे व्यक्तिगत, घरेलू एवं सामुदायिक स्वच्छता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा व्यक्ति में स्वच्छ और स्वस्थ आदतों का विकास होता है। जो भी व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरूक होगा वह अपने घरेलू एवं आस-पास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने के लिए तत्पर रहता है। स्वच्छ वातावरण में रहने वाले लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छता के प्रति सजग लोग सामुदायिक स्वच्छता को बढ़ने और बनाये रखने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत जो भी व्यक्ति स्वयं की और घरेलू स्वच्छता को लेकर सचेत नहीं रहते उनमें बीमारियों की अधिकता और प्रतिरोधक क्षमता की कमी पाई जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वच्छता के सभी आयाम एक दूसरे से सम्बंधित है।

2.4 सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महिलाएं (Public Health and Women)

स्वच्छता के आयामों का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जब स्वच्छता की स्थिति उत्तम होती है, तो यह संपूर्ण जनसंख्या के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जबकि स्वच्छता की कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। स्वच्छता की कमी के कारण बीमारियों का प्रसार, स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि, और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट देखी जाती है, जो कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए गंभीर समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि वे अक्सर परिवार की प्राथमिक देखभाल, पोषण, और घर के स्वास्थ्य को संभालती हैं।

महिला जल स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता में सुधार से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो सकती है और स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना कम हो सकती है। इन आयामों का प्रभाव समझने से हमें यह स्पष्ट होता है कि स्वच्छता के इन पहलुओं में सुधार कैसे महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। इसके लिए, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करते समय इन सभी आयामों को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि जन-सामान्य के साथ महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बंधित प्रभावी समाधान प्रदान किया जा सके।

मासिक धर्म के दौरान उचित सुविधाओं की कमी से महिलाओं को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो उनकी स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कार्यस्थल, बस-स्टॉप, रेलवे स्टेशन एवं ट्रेन के भीतर बने शौचालयों में महिलाओं की विशिष्ट और स्वच्छता सम्बन्धी जरूरतों को पूर्ण करने वाली सुविधाओं का होना अति आवश्यक है, ताकि महिलाओं को किसी भी अतिरिक्त संक्रमण से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाओं की कमी से आम जन एवं महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, और सामाजिक सहभागिता प्रभावित होती है।

जब जल, भोजन, और पर्यावरण स्वच्छ नहीं होते, तो बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। जलजनित बीमारियाँ जैसे हैजा, दस्त, और टाइफॉयड आमतौर पर गंदे पानी और अस्वच्छ परिस्थितियों से फैलती हैं। ये बीमारियाँ न केवल महिलाओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि पूरे समुदाय के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव डालती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से, इन बीमारियों की महामारी फैलने से बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और उपचार के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। महिलाओं के लिए, जिनकी भूमिका परिवार की देखभाल और घर के स्वास्थ्य को संभालने में होती है, स्वच्छता की कमी से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएँ उनकी जीवन की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावित करती हैं। अस्वच्छ परिस्थितियों

से उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे कि संक्रमण, एलर्जी, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ महिलाओं की उत्पादकता को कम करती हैं और उनके सामाजिक और अर्थोपार्जन के अवसरों को सीमित करती हैं।

स्वच्छता के इन सभी आयामों का विभिन्न तरीकों से अध्ययन करके यह स्पष्ट होता है कि स्वच्छता में सुधार से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य में, बल्कि समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। स्वच्छता की स्थितियों को सुधारने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना आवश्यक है, ताकि बीमारियों का प्रसार कम हो, स्वास्थ्य खर्च कम हो, और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए स्वच्छता को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि संपूर्ण समुदाय की भलाई और स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके।

2.5 स्वच्छता का महिलाओं पर प्रभाव (Impact of Sanitation on Women)

स्वच्छता का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव होता है, जिसमें स्वास्थ्य, सामाजिक स्थिति, और आर्थिक प्रभाव शामिल हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि स्वच्छता की कमी से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है और उन्हें सुधार की दिशा में कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इन्हें निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है-

2.5.1 स्वच्छता एवं महिलाओं का स्वास्थ्य (Sanitation and Health of Women)

स्वच्छता की कमी महिलाओं को अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दा संक्रमण है, जो अस्वच्छ परिस्थितियों और स्वच्छता की कमी के कारण उत्पन्न हो सकता है। अस्वच्छ जल और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी से महिलाएं अक्सर यूटीआई (यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन), त्वचा संक्रमण, और अन्य बीमारियों का शिकार होती हैं। इसके अलावा, गर्भावस्था के दौरान स्वच्छता की कमी जटिलताओं को जन्म दे सकती है, जैसे कि इन्फेक्शन, प्री-मैच्योर डिलीवरी, और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता सुविधाओं की अनुपस्थिति से महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मासिक धर्म के दौरान अस्वच्छ परिस्थितियों में रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी उत्पन्न कर सकता है। स्वच्छता की कमी से महिलाएं अक्सर खुद को अस्वस्थ और असुरक्षित महसूस करती हैं, जो उनके समग्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

स्वच्छता की कमी का प्रभाव गर्भवती महिलाओं और माताओं पर भी गंभीर हो सकता है। सुरक्षित और स्वच्छ माहौल की कमी से गर्भावस्था की जटिलताएँ बढ़ सकती हैं, जैसे कि संक्रमण और गर्भधारण में कठिनाइयाँ।

अस्वच्छ वातावरण और सुविधाओं की कमी मातृत्व के दौरान भी समस्याएँ उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे नवजात शिशुओं को भी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

2.5.2 स्वच्छता एवं महिलाओं की सामाजिक स्थिति (Sanitation and Social Status of Women)

स्वच्छता की कमी महिलाओं की सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। स्वच्छता सुविधाओं की अनुपस्थिति से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की संभावनाएँ सीमित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक शौचालयों की कमी से महिलाओं को स्कूल या कार्यस्थल पर नियमित रूप से जाने में कठिनाई होती है, जिससे उनकी शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रभावित होते हैं। इससे उनकी सामाजिक स्थिति और सशक्तिकरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

स्वच्छता की कमी से महिलाओं को सामाजिक गतिविधियों और सार्वजनिक स्थानों पर भाग लेने में असुविधा होती है। उदाहरण के लिए, मासिक धर्म के दौरान यदि स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं, तो महिलाएं सार्वजनिक गतिविधियों से पीछे हट सकती हैं, जिससे उनकी सामाजिक सहभागिता और सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति को कमजोर करता है और उन्हें सामाजिक रूप से अलग-थलग कर देता है। इसके अतिरिक्त स्वच्छता की कमी सामाजिक भेदभाव और असमानता को भी जन्म देती है। विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, जहां स्वच्छता सुविधाएं सीमित होती हैं, महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर असुविधा का सामना करना पड़ता है, जो उनके सामाजिक सम्मान और स्थिति को प्रभावित करता है।

2.5.3 स्वच्छता एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति (Sanitation and Economic Status of Women)

स्वच्छता की कमी से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएँ महिलाओं के आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर प्रभाव डालती हैं। जब बीमारियाँ फैलती हैं, तो चिकित्सा खर्च बढ़ जाता है, और इसके साथ ही कामकाजी दिनों की संख्या भी घटती है। महिलाओं के लिए, जो परिवार के वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, यह आर्थिक दबाव को और बढ़ा सकता है। चिकित्सा खर्च की वृद्धि और कामकाजी दिन घटने से महिलाओं के परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण कामकाजी क्षमताओं में कमी से महिलाओं की आय प्रभावित होती है, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर नकारा त्मक प्रभाव पड़ता है।

स्वच्छता की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के आर्थिक प्रभाव को समझकर, यह स्पष्ट होता है कि स्वच्छता के सुधार से न केवल स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सकता है, बल्कि आर्थिक स्थिरता में

भी वृद्धि हो सकती है। नीतियों और कार्यक्रमों को बनाते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है, ताकि महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

2.5.4 स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार (Expansion of Sanitation Facilities)

स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार महिलाओं के स्वास्थ्य और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। स्वच्छता सुविधाओं में शौचालय, मासिक धर्म प्रबंधन के उपकरण, और स्वच्छता के लिए स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। इन सुविधाओं के न होने से महिलाओं को दैनिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें स्वास्थ्य समस्याएँ, सामाजिक असुविधा और शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों की कमी शामिल हैं।

स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिकता होनी चाहिए, जहां सुविधाओं की कमी अधिक होती है। सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शौचालयों की स्थापना, मासिक धर्म प्रबंधन के लिए उपयुक्त साधनों की उपलब्धता, और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना से महिलाओं को स्वच्छता से संबंधित समस्याओं का सामना करने में सहायता मिल सकती है। इसके अलावा, स्वच्छता सुविधाओं की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी और सुधार योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।

स्वच्छता सुविधाओं के विस्तार में समुदाय की भागीदारी भी आवश्यक है। स्थानीय लोगों को स्वच्छता सुविधाओं के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, स्वच्छता सुविधाओं के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दे सकता है। इसके लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों और योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, जो स्थानीय जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखें।

2.6 सारांश (Conclusion)

स्वच्छता एक ऐसा बुनियादी पहलू है जो केवल स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह जन-सामान्य के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव डालता है। स्वच्छता के विभिन्न आयामों, जैसे जल स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन, और स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता, का समाज एवं सामुदायिक स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव होता है। इन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने एवं आम जन जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। स्वच्छता के अनेक आयामों को इस इकाई में मुख्य रूप से तीन भागों में समझने-समझाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता एवं

सामुदायिक स्वच्छता महत्त्वपूर्ण हैं। यह भी बताया गया है कि कैसे स्वच्छता के विभिन्न आयाम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वच्छता के मुख्य आयामों में विभिन्न उप-आयामों का विश्लेषण शामिल किया गया है।

सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयत्न किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार स्वच्छता महिलाओं के जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपना स्पष्ट प्रभाव डालती है। सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं महिलाओं की स्थिति को समझने का प्रयत्न किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार स्वच्छता स्वच्छता का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। स्वच्छ जल, साफ-सुथरे घर, और उचित अपशिष्ट प्रबंधन से बीमारियों की संभावना कम होती है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है। अस्वच्छता की स्थिति से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ, जैसे जलजनित संक्रमण, त्वचा रोग, और गर्भावस्था संबंधित जटिलताएँ, महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। स्वच्छता की सुविधाओं की कमी, विशेषकर मासिक धर्म के दौरान, महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इससे केवल उनके स्वास्थ्य पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि उनके सामाजिक जीवन और मानसिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता का महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वच्छता सुविधाओं की कमी से महिलाओं की शिक्षा और रोजगार की संभावनाएँ सीमित होती हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक शौचालयों की अनुपस्थिति और मासिक धर्म प्रबंधन की सुविधाओं की कमी से महिलाएं शिक्षा और कार्यस्थलों पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो पातीं, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। स्वच्छता की सुविधाएँ महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति देती हैं, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और वे सामाजिक रूप से सशक्त हो पाती हैं।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता के आयामों पर ध्यान देना और सुधारात्मक कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता, और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की नीतियाँ लागू करके हम महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, समुदायों, और अन्य स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से ठोस योजनाएँ और कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। स्वच्छता केवल एक स्वास्थ्य मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समाज के लोगों की जीवन शैली, महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक व्यापक पहलू है। महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं का सुधार न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, बल्कि समाज के समग्र

स्वास्थ्य और विकास में भी योगदान देगा। स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सुधारात्मक कदम उठाकर हम आम जन जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और समाज को एक स्वस्थ और समृद्ध दिशा में ले जा सकते हैं।

2.7 शब्दावली (Glossary)

- अपशिष्ट- किसी पदार्थ के प्राथमिक उपयोग के बाद शेष अवांछित एवं वर्ज्य पदार्थ।
- जेजेएम- जल जीवन मिशन।
- बायोडिग्रेडेबल- वह पदार्थ जो इस प्रकार प्राकृतिक रूप में पृथ्वी तत्वों में घुल मिल जाते हैं, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं होती है।
- नॉन- बायोडिग्रेडेबल- ऐसे पदार्थ जो अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि तक पृथ्वी पर मौजूद रहता है और पर्यावरण के लिए सर्वथा हानिकारक है।

2.8 निबंधात्मक प्रश्न (Essay questions)

1. स्वच्छता के विभिन्न आयामों की विस्तृत व्याख्या कीजिये।
2. स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? स्वच्छता का विभिन्न आयामों के साथ सम्बन्ध बताइए।
3. सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं महिलाएं विषय पर एक संक्षिप्त लेख लिखें।
4. स्वच्छता का सार्वजानिक स्वास्थ्य एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिये।

2.9 संदर्भ-सूची (Reference-list)

1. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्यः एक समग्र दृष्टिकोण स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. महिलाओं के स्वास्थ्य पर स्वच्छता का प्रभाव, जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, भारत, 2021।
3. स्वच्छता की कमी और महिलाओं की सामाजिक स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) रिपोर्ट, 2020।
4. जल स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्यः एक विश्लेषण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वॉटर रिसोर्सेज, 2019।

5. घरेलू स्वच्छता और महिलाओं का स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रिपोर्ट, भारत सरकार, 2022।

6. अपशिष्ट प्रबंधन और महिलाएंः नीतिगत सिफारिशें, यूनेस्को की रिपोर्ट, 2021।

7. स्वच्छता सुविधाओं का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव, ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता विभाग, भारत, 2022।

8. स्वास्थ्य शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, भारतीय जनस्वास्थ्य शोध पत्रिका, 2018।

9. स्वच्छता और जनस्वास्थ्यः एक वैश्विक दृष्टिकोण, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), 2019।

10. महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्वच्छता के उपाय, सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआई), 2021।

11. स्वच्छता और स्वास्थ्य संकटः महिलाओं पर प्रभाव लैंसेट, पब्लिक हेल्थ जर्नल, 2020।

12. सार्वजनिक स्वच्छता और महिला सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2022।

13. स्वच्छता सुविधाओं की अनुपस्थिति और महिलाओं के अधिकार, मानवाधिकार रिपोर्ट, 2020।

14. स्वच्छता के सामाजिक और आर्थिक प्रभावः एक अध्ययन, इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 2019।

15. स्वच्छता और स्वास्थ्य खर्चः महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से, भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2021।

16. स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानता, ग्लोबल हेल्थ जर्नल, 2022।

17. स्वच्छता के संदर्भ में महिला स्वास्थ्य की चुनौतियाँ, इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, 2018।

18. महिलाओं के लिए स्वच्छताः नीतिगत दृष्टिकोण, स्वास्थ्य और स्वच्छता नीति रिपोर्ट, 2021।

19. स्वच्छता की कमी और गर्भावस्था से संबंधित समस्याएँ, भारतीय स्त्री रोग और प्रसूति जर्नल, 2020।

20. स्वच्छता के प्रभाव और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) रिपोर्ट, 2022।

21. नागला, भूपेन्द्र कुमार- स्वच्छता का समाजशास्त्रः एक परिचयात्मक विमर्श, भारतीय समाजशास्त्रीय समीक्षा, 2016-17

22. वाघेला, अनिल- स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज़ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली 2023।

इकाई-3 स्वच्छता और अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ इसका सम्बन्ध

Sanitation and its relation with other social institutions

इकाई की रूपरेखाः

3.0 प्रस्तावना

3.1 उद्देश्य

3.2 स्वच्छता एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ इसका सम्बन्ध

3.3 सारांश

3.4 पारिभाषिक शब्दावली

3.5 सन्दर्भ सूची

3.6 लघु उत्तरीय प्रश्न

3.7 **दीर्घ उत्तरीय प्रश्न**

3.0 प्रस्तावना (Introduction)

स्वच्छता का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए किए गए प्रयास मनुष्य के पारिवारिक एवं सामाजिक दोनों ही संस्थाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। स्वच्छता प्रत्येक दशा में मनुष्य एवं उसके पर्यावरण के लिए हितकर है। स्वच्छ वातावरण से ग्रामीण एवं शहरी स्थायित्व तथा व्यवस्था को समर्थन मिलता है तथा सामाजिक संतुलन, आर्थिक विकास जन सेवाओं को सुनिश्चित करने का कार्य में स्वच्छता एक महत्त्वपूर्ण सहायक कारक है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वच्छता, विकासात्मक मुद्दों, पर्यावरण संपोषण, संधारणीय विकास, तथा विकासात्मक मुद्दों का महत्वपूर्ण घटक है। अपर्याप्त स्वच्छता इन सभी के स्थायित्व में बाधा पहुँचाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वच्छता विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है।

स्वच्छता सुविधाओं की कमी विश्व में जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियों उत्पन्न करती है। वास्तव में मनुष्य के स्वास्थ्य एवं उच्च जीवन शैली को निर्धारित करने में स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, कचरे तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उचित निस्तारण अति महत्त्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति की परिभाषा के अनुसार, 'स्वच्छता मानव मल को सुरक्षित प्रबंधन है, जिससे उसका सुरक्षित परिरोध, उपचार, निपटान और संबंधित स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी आचरण सम्मिलित है। इस प्रकार देखा जाये तो स्वच्छता का समाज के अनेक संस्थाओं और संगठनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पाया जाता है। इस अध्ययय में इन्ही संबंधों के विषय में और विस्तार से समझेंगे।

भारत में स्वच्छता (Sanitation)

स्वच्छता का महत्त्व भारत में बहुत पहले से ही अनुभव किया जाने लगा था। महात्मा गाँधी ने कहा कि स्वच्छता राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में आदि काल से ही स्वच्छता मानकों की प्राप्ति पर बल दिया जाता रहा है। प्राचीन ग्रंथों में जैसे वेद, पुराण, उपनिषद् आदि जैसे में दैनिक स्नान ध्यान, घर और आस पास के परिसर की साफ़ सफाई, नदियों से स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति, वायु की शुद्धता और स्वच्छता की प्राप्ति हेतु यज्ञ एवं हवन का अनुष्ठान आदि जैसी क्रियाओं को अत्यधिक आवश्यक बताया गया है। आदि से लेकर अद्यतन स्वच्छता प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों से निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, समुदाय के आस-पड़ोस की सफाई, शुद्ध जल एवं पेयजल की प्राप्ति, कूड़ा और कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था, दुर्गन्धयुक्त वातावरण से मुक्ति, शौचालयों की व्यवस्था आदि के लिए सभी काल खण्डों में यथेष्ट प्रयत्न हुए हैं। क्योंकि स्वच्छता प्रत्येक समाज की आवश्यक शर्त है।

भारत में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों के समग्र नीति निर्माण, योजना, वित्त पोषण और सामंजस्य स्थापित करने की जिम्मेदारी इन मंत्रालयों पर ही होती है। स्वच्छता को संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद से स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी स्वच्छता के मामले में अधिक हो गई है। महात्मा गाँधी के आदर्शों को साकार रूप देने के लिए वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गयी थी। इस मिशन का लक्ष्य 2 अक्टूबर तक प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता कवरेज हासिल करना था। यह फ्लैगशिप कार्यक्रम संभवतः विश्व में अभी तक का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान और स्वच्छता के प्रति लोगों की आदतों में बदलाव लाने के लिए एक गंभीर प्रयत्न रहा। भारत की आजादी के 67 साल बाद भी 2014 में भारत में लाखों ग्रामीण और शहरी परिवारों के पास स्वच्छ शौचालय नहीं

था। पूरे देश की लगभग आधी आबादी अर्थात 564 मिलियन लोग अभी तक खुले में शौच जाते थे। अक्टूबर 2014 में देशभर में 9.5,00,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 55658 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। ग्रामीण स्वच्छता का जो कवरेज वर्ष 2014 में 39 प्रतिशत था वह 2019 में बढ़कर 100 प्रतिशत हो गया और 36 राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाये गए। दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता श्रेय चार Ps को दिया गया है- Political Leadership (राजनीतिक नेतृत्व), Public Financing (सार्वजानिक वित्तपोषण), Partnerships (साझेदारी), People`s Participation (जन-भागीदारी) इन चरों के संयुक्त प्रयासों से स्वच्छ भारत अभियान वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा और सफल अभियान बन कर उभरा है। स्वास्थ्य पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव को रेखांकित करने के लिए यह नया साक्ष्य उपलब्ध कराया गया कि स्वच्छ भारत मिशन से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया और मलेरिया मृतजन्म और इस समय कम भार में कमी लाने में मदद मिली है। यद्यपि स्वच्छता के संबंध में भारत ने स्वच्छ भारत अभियान 2014 के बाद नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं किंतु आज भी भारत को स्वच्छ राज्य बनाने हेतु स्वच्छता संबंधित चेतना के प्रति जनसामान्य को जागरूकता एवं संवेगात्मक स्तर पर संवेदनशील करने की आवश्यकता आज भी बनी हुई है।

3.1 उद्देश्य (Objective)

1. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता की अवधारणा को और बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।
2. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता का परिवार व्यवस्था के साथ सम्बन्ध समझ सकेंगे।
3. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता का शैक्षिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध समझ सकेंगे।
4. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता का आर्थिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध समझ सकेंगे।
5. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता का राजनैतिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध समझ सकेंगे।
6. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता का धार्मिक संस्थाओं के साथ सम्बन्ध समझ सकेंगे।
7. इस अध्ययन के बाद आप स्वच्छता का स्वास्थ्य संस्थाओं के साथ सम्बन्ध समझ सकेंगे।

3.2 स्वच्छता एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ इसका सम्बन्ध (Sanitation and its relation with other social sciences)

स्वच्छता मानव जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। संकुचित अर्थ में स्वच्छता का तात्पर्य शारीरिक एवं आस पड़ोस की साफ़ सफाई से है, किन्तु व्यापक अर्थ में स्वच्छता का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है, जिसमें किसी समाज में उसके आवश्यकता एवं मूल्यों के अनुसार शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक स्वच्छता और शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है, जिससे उस समाज के लोगों का शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक स्वास्थ्य उत्तम रहे और समाज का पर्यावरण आदि उन्नत हों। जीवन को व्यवस्थित करने के क्रम में मानव के द्वारा अनेक संस्थाओं का निर्माण किया गया है। इनमें से बहुत सारी संस्थाएं मानव के ऐतिहासिक विकास के क्रम में स्वतः जन्मी हैं, तो कई संस्थानों का निर्माण मानव के द्वारा सचेत रूप से किया गया है। संस्थाएँ मनुष्य के जीवन में भिन्न-भिन्न मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इन सामाजिक संस्थाओं का स्वच्छता के साथ गहरा संबंध पाया जाता है। स्वच्छता के बिना स्वास्थ्य के मानक को प्राप्त करना संभव नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वच्छता का आयाम अपनी विशिष्ट भूमिका रखता है। इसी क्रम में स्वच्छता का संबंध विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़ता जाता है। इसे हम निम्नलिखित रूप में और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं-

स्वच्छता एवं सामाजिक संस्थाएँ स्वच्छता का सामाजिक संस्थाओं के साथ गहरा सम्बन्ध है। यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं में दो महत्त्वपूर्ण संस्थाएं परिवार एवं जाति के बारे में चर्चा की जा रही है-

स्वच्छता एवं परिवार-संस्था (Sanitation and family institution)

परिवार के विषय में कहा जाये कि सभी सामाजिक संस्थाओं में परिवार मानव के लिए सबसे प्रमुख और आधारभूत संस्था है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। परिवार में ही प्रथम बार व्यक्ति का समाजीकरण होता है। कई मनोवैज्ञानिक और विचारक इस बात से सहमत हैं कि स्वच्छता का प्रथम पाठ बालक स्वयं के घर में शौच आचरण के रूप में सीखता है। किसी को भी कैसे रहना है? कैसे खाना है? क्या खाना है? क्या पहनना है? यह सारे मूल्य और आचरण मानव सबसे पहले परिवार में ही सीखता है। स्वच्छता सम्बन्धी आदतों का परिवार के मूल्यों से गहरा सम्बन्ध होता है। स्वच्छता का प्रथम पाठ बालक अपने घर में अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है। शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूकता, जैसे स्नान और शौचादि आचरण, स्वच्छ कपडे पहनना, बालों, दांतों और नाखूनों आदि की सफाई के प्रति जागरूकता और मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत बड़ों का आदर छोटों से प्रेम, सत्य

वादन, अहिंसा नैतिक मूल्यों आदि के पाठ के लिए परिवार ही व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। इस प्रकार स्वच्छता का परिवार-संस्था से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के मानकों और चुनौतियों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। संक्षेप में इसे निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है-

स्वच्छता एवं ग्रामीण परिवार (Sanitation and rural Families)

ग्रामीण समाज में जनसंख्या कम होती है और आम तौर पर परिवारों की संख्या भी कम पाई जाती है। खुले मैदान, तुलनात्मक रूप से बड़े मकान और अधिकांश संयुक्त परिवार आदि ग्रामीण परिवारों की विशेषताएं हैं। ग्रामीण परिवारों की स्वच्छता संबंधी चुनौतियां शहरी परिवारों से कुछ भिन्न है। ग्रामीण समुदाय में दैनिक रूप से कूड़े का निस्तारण नाली, मल मूत्र इत्यादि का उचित प्रबंधन और स्वच्छ पेयजल की प्राप्ति आदि ग्रामीण स्वच्छता की चुनौतियां हैं। ग्रामीण स्वच्छता के मानकों में खुले में शौच की समस्या बाधक है। इन सभी के उचित निस्तारण से ग्रामीण परिवारों में स्वच्छता की चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

स्वच्छता एवं नगरीय परिवार (Sanitation and Urban Families)

ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज में जन घनत्व अधिक पाया जाता है। अर्थात गांव में जहाँ जनसंख्या कम होती है वहीं शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। यद्यपि स्वच्छता के लिए नगर निगम और अन्य सहायक संस्थान कर्तव्यपूर्वक समर्पित रहते हैं, तथापि छोटे मकान, कचरे का उचित निस्तारण, सीवर की व्यवस्था, जल की व्यवस्था इत्यादि शहरी स्वच्छता की महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान करके शहरी परिवार स्वच्छता मानकों की प्राप्ति कर सकते हैं। आमतौर पर नगरीय समाज में स्वच्छता हेतु सरकारी निकाय और अन्य सहायक अभिकरण औपचारिक रूप से कार्य करते हैं, किंतु शहरों में और नियोजित तरीके से बसे हुए मोहल्ले, झुग्गी झोपड़पट्टियाँ और स्लम्स के परिवारों की स्थिति स्वच्छता के मामले में संतोषजनक नहीं होती, इनके आसपास का वातावरण भी अस्वच्छ होता है इनके उचित निपटान से शहरी परिवारों की स्वच्छता की समस्या से मुक्ति मिल सकती है।

स्वच्छता एवं जाति (Sanitation and Caste)

जातियों को विद्वानों ने एक बंद वर्ग के रूप में माना है। 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन समय से अस्तित्व रखने वाली जातियां भारत के सामाजिक व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण विशेषता रहीं हैं। जाति के संरचना और स्वरुप की तुलना हम आदिकालीन सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से कर सकते हैं क्योंकि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था

दोनों का सम्बन्ध व्यवसाय के चुनाव से है, किन्तु जातियों में व्यवसाय वंशानुगत हो जाता है, व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी जाति को बदल नहीं सकता और प्राचीन वर्ण व्यवस्था में व्यवसाय का चुनाव व्यक्ति के कर्म पर आधारित था जिसमें व्यक्ति इच्छा के अनुसार अपना वर्ण बदल सकता था। समाज में जिस प्रकार के कार्यों की आवश्यकता थी, उसी क्रम में जातियों का निर्माण होते गया।

स्वच्छता एक ऐसी अवधारणा है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक जाति में रही। जातियों के कुछ प्रकार पूरे समाज की स्वच्छता से विशेष रूप से सम्बंधित थे। यहाँ परंपरागत रूप में ब्राह्मण जातियों का कार्य नैतिक और धार्मिक स्वच्छता पर ध्यान देना था, क्षत्रिय जातियों का कार्य राज्य में अराजकता और अपराध पर नियंत्रण कर सामाजिक और नैतिक स्वच्छता में योगदान करना था, सामाजिक स्वच्छता के कार्यों से जुड़ी जातियों के कार्य जैसे- धोबी जाति का कपड़ों की स्वच्छता का कार्य, भंगी, मेहतर, डोम आदि जातियों का सार्वजनिक अपशिष्ट निस्तारण एवं साफ़-सफाई का कार्य, माली जाति का बाग़वानी इत्यादि का कार्य, नाई जाति का लोगों के बालों को काटने आदि का कार्य इत्यादि। यद्यपि सामाजिक व्यवस्था में छोटे बड़े सारे कार्य महत्त्वपूर्ण होते हैं, किन्तु कालांतर में परंपरागत रूप से स्वच्छता पेशे से सम्बंधित इनमें से कुछ जातियों के साथ छुआछूत जैसी विडम्बना जुड़ गई। इस छुआछूत जैसी धारणा से इन जातियों की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी गई। आदि से अद्यतन भारत की सामाजिक संरचना में जाति-व्यवस्था की गहरी पैठ है।

स्वच्छता एवं शैक्षिक संस्थाएँ (Sanitation and Educational Institute)

समाज में शिक्षा एवं स्वच्छता का न केवन घनिष्ठ सम्बन्ध होता है वरन ये दोनों एक दूसरे को सुदृढ़ भी बनाते हैं। मानव जीवन में व्यक्ति जब द्वितीयक संस्थाओं में प्रवेश करता है तो उसके जीवन की प्रथम औपचारिक पाठशाला उसका प्राथमिक स्कूल होता है। जो अच्छी शिक्षा बालक को घर में मिलती है उनको सुदृढ़ बनाने का कार्य विद्यालय के शिक्षक ही करते हैं। इस प्रकार बालक के जीवन में स्वच्छता सम्बन्धी जिन आदतों का माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य विकास करते हैं, उसको स्थायित्व देने का कार्य विद्यालय ही करता है। जैसे- दैनिक स्नान की आदत का विकास, शारीरिक स्वच्छता में नाखून एवं बालों की सफाई, स्वच्छ कपड़े पहन कर स्कूल आना, शौचालय का उचित तरीके से प्रयोग करना और प्रयोग के बाद अच्छी तरह हाथ धुलना, खाने के पहले और बाद में हाथ धुलना आदि। विद्यार्थियों के मानसिक स्वच्छता की आदतों के विकास और स्थायित्व में भी विद्यालयों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है जैसे- सत्य बोलना, दूसरों की सहायता करना, किसी को हानि न पहुँचना, स्वस्थ रहने हेतु व्यायाम करना एवं खेलकूद में भाग लेना आदि। यह सभी अवधारणाएं विद्यार्थियों में स्वच्छता सम्बन्धी जागरूकता लाने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण हैं।

इसके साथ ही शैक्षिक संस्थानों में विद्यालय परिसर एवं खेल परिसर में स्वच्छता का उचित प्रबंधन अनिवार्य है। नैतिक उच्चता और स्वच्छता के लिए स्कूलों की दीवारों पर स्वच्छता संबंधी चित्र, महान विभूतियों के विचारों आदि को अंकित करना चाहिए। यहाँ यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि छात्र और छात्राओं के लिए सुसंगत सुविधाओं के साथ शौचालयों की अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए और इनकी नियमित सफाई होनी चाहिए। जिससे विद्यार्थी शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वच्छ तथा स्वस्थ रह सकें। इस कार्य में विद्यार्थी, स्कूल एवं सामुदायिक प्रशासन की सजग भागीदारी महत्वपूर्ण है। समय-समय पर स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास एवं स्थायित्व के लिए स्वच्छता विषयक कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक, रैली आदि का आयोजन होना चाहिए। इन आयोजनों से विद्यार्थियों के साथ ही सामाजिक के अन्य लोगों में स्वच्छता संबंधी आदतों का उचित विकास हो सकेगा।

स्वच्छता एवं आर्थिक संस्थाएँ (Sanitation and Economic Institutions)

अर्थव्यवस्था किसी भी राष्ट्र को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अच्छी अर्थव्यवस्था को किसी राष्ट्र के विकास का सर्व प्रमुख संकेतक माना जाता है। स्वच्छता और आर्थिक संस्थाओं का विभिन्न आयामों के आधार पर घनिष्ठ संबंध है। बिना स्वच्छता के मानकों को प्राप्त किए आर्थिक समृद्धि एवं विकास को प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। यह आवश्यक है कि आर्थिक संस्थानों में स्वच्छता के विभिन्न आयामों जैसे कर्मचारियों की व्यक्तिगत शारीरिक और मानसिक स्वच्छता, संस्थान में विभिन्न जैविक एवं रासायनिक अपशिष्टों के उचित निस्तारण, समय समय पर स्वच्छता संबंधी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन, संस्थानों द्वारा न्यूनतम प्रदूषण एवं अधिकतम पर्यावरणीय तथा संधारणीय विकास के मानकों की प्राप्ति आदि पर बल दिया जाए। जिससे स्वच्छता बाधाओं के कारण संस्थान के उत्पादन, गुणवत्ता, और कर्मचारियों तथा ग्राहकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

आर्थिक संस्थाओं के कार्पोरेट क्षेत्र में संस्थान द्वारा कर्मचारियों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। कार्पोरेट सेक्टर के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों शौचालयों शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था होनी चाहिये। कार्पोरेट सेक्टर अपने इन प्रयासों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत पुल का कार्य कर सकते हैं। यहाँ यह भी आवश्यक है कि आर्थिक संस्थानों द्वारा विभिन्न संसाधनों के पुनर्चक्रण को प्राथमिकता दी जाए और वेस्ट मैनेजमेंट पर प्रभावी कार्य किया जाए। इन सभी से स्वच्छता की मानकों की तो प्राप्ति होगी ही इसके साथ ही संधारणीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और प्राकृतिक संसाधनों की खपत घटेगी।

स्वच्छता एवं राजनीतिक संस्थाएँ (Sanitation and Political Institutions)

स्वच्छता का समाज के राजनीतिक संस्थाओं से गहरा संबंध पाया जाता है। जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति में जनमानस और समाज असफल होने लगे, सामाजिक व्यवस्था को हानि पहुंचे तब राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। यह बात स्वच्छता मानकों के प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। वस्तुतः किसी भी विकासशील देश के द्वारा स्वच्छता की मानकों की प्राप्ति एक कठिन कार्य है। भारत जैसे देश जहाँ, सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, वहाँ स्वच्छता संबंधी मानकों की प्राप्ति और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में राजनीतिक संस्थानों और प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के आवश्यक मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर का अभियान बनाने की क्षमता रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा वर्ष 2014 में महात्मा गाँधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर पर, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत इस बात का संकेत है कि देश में स्वच्छता की प्राप्ति एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस अभियान का उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को स्वच्छ तथा गंदगी रहित रखना है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण करवाकर, प्रधानमंत्री के साथ विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा खुली सड़कों पर झाड़ू लगा कर, और स्वच्छ रहने के प्रति देश के नागरिको को भाषण संदेश के द्वारा जागरूक करना इत्यादि स्वच्छता संबंधी मानकों का राजनीतिक संस्थाओं के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। इस अभियान ने भारत की जनता में स्वच्छता के लिए वैचारिक क्रांति को जन्म दिया है। अब लोग अपने गांव और शहर को स्वच्छ रखने में स्वयं के योगदान को महत्वपूर्ण मान रहे हैं।

राष्ट्र के संसाधन एवं नागरिको के हित में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लिए स्वच्छता संबंधी नीतियों का निर्माण करना और उन्हें अनिवार्य तौर पर लागू कराने में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वच्छता एवं राजनीतिक संस्थाओं का संबंध बहुत गहरा है। सरकार एवं अन्य राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा स्वच्छता संबंधी नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन, स्वच्छता की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन आदि जैसी क्रियाएं स्वच्छता की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

स्वच्छता एवं धार्मिक संस्था (Sanitation and Religious Institution)

स्वच्छता और धर्म एक दूसरे से संबंधित है। भारत धार्मिक विविधताओँ वाला देश है यहाँ पर सभी प्रमुख धर्म पाए जाते हैं, किंतु यहाँ की जो केंद्रीय संस्कृति है वह सनातनी है और यहाँ पर हिंदू धर्म का बाहुल्य है। परंपरागत रूप में हिंदू धर्म में स्वच्छता को विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रतिदिन स्नान करना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, घर और मंदिर

इत्यादि की नियमित साफ सफाई करना इसके बाद पूजा में भाग लेना यह सभी हिंदू धर्म के दैनिक अनुष्ठानों का अनिवार्य अंग है। शास्त्रों में स्वच्छता को शुद्ध और अशुद्ध तथा पवित्रता एवं पवित्रता के आधार पर जांचा परखा गया है। यहाँ पर शुद्ध और पवित्र की अवधारणा उन वस्तुओं और क्रियाओं से संबंधित है, जो किसी विशेष समय और अनुष्ठान हेतु उपयुक्त होती है। अधिकांश मामलों में अशुद्ध और अपवित्र की अवधारणा किसी विशेष अनुष्ठान और क्रिया के लिए निषिद्ध समझी जाती है।

सनातन शास्त्रों में स्वच्छता अथवा शुद्धता के जितने प्रकार बताए गए हैं, उसमें व्यक्तिगत स्वच्छता को प्रमुख रूप से पांच प्रकार में विभाजित किया जा सकता है- प्रथम भौतिक शरीर की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, चरित्र की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक स्वच्छता में पर्यावरणीय स्वच्छता को महत्त्व दिया गया है। इसके साथ ही सामाजिक सौहार्द एवं परोपकार को सामाजिक स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। स्वच्छता मनुष्य के अंतःकरण को उदार और कल्याणकारक भावों से युक्त बनाता है, स्वच्छता रूपी क्रिया के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने मानवता की उस भूमि पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसे समस्त विश्व कुटुम्ब जैसा प्रतीत होता है। स्वच्छता निरंतर चलने वाला एक सतत अभ्यास है, जिसके प्रयोग से हम आंतरिक शुद्धि के द्वारा पवित्रता के मार्ग पर आरूढ़ होने का प्रयत्न करते हैं। वेदों में भी जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश आदि के संतुलन का महत्त्व दर्शाया गया है। यह संतुलन स्वच्छता को बढ़ाता है और बनाए रखता है। अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में जल की शुद्धता पर बलि देते हुए कहा गया है कि शुद्ध जल स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक है। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की अधिकांश दैनिक और सामाजिक क्रियाएं व्यापक स्तर पर स्वच्छता और शुद्धता से प्रेरित होती है, जिनमे घर मंदिर और आस-पास के परिसर की साफ-सफाई स्नान, ध्यान, योगाभ्यास, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, आदि महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अन्य धर्मों में स्वच्छता संबंधी कतिपय मानक पाए जाते हैं। कम या अधिक मात्रा में स्वच्छता का संबंध भारत और विश्व में विद्यमान सभी धर्मों एवं धार्मिक संस्कृतियों से है।

स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संस्थाएँ (Sanitation and Health Institutions)

स्वच्छता और स्वास्थ्य को एक दूसरे का पूरक कहा जा सकता है। यदि स्वच्छता का अभाव है तो स्वास्थ्य की प्राप्ति और निश्चितता अत्यंत कठिन हो जाती है। इसीलिए स्वच्छता और स्वास्थ्य एक दूसरे के परिचायक हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों के उचित देखभाल एवं स्वास्थ्य पुनप्र्राप्ति हेतु स्वच्छता की मानकों का ध्यान रखने की विशेष आवश्यकता है। चिकित्सालयों में कचरे का उचित निस्तारण, जैविक एवं रासायनिक अपशिष्टों का विनिष्टिकरण चिकित्सालयों में स्वच्छता के आवश्यक मानक है। रोगियों के लिए स्वच्छ बिस्तर, स्वच्छ कमरे, स्वच्छ जल, स्वच्छ

भोजन के साथ ही अन्य भौतिक संसाधन जैसे धूप एवं हवा का उचित प्रबंध, शौचालयों का उचित प्रबंध एवं उनकी नियमित सफाई आदि जैसे बुनियादी उद्देश्यों की प्राप्ति आवश्यक है। इन सभी संयुक्त प्रयास से रोगों की संक्रामकता एवं भयावहता को कम किया जा सकता है और स्वास्थ्य की पुनःप्राप्ति की सुनिश्चितता बढ़ायी जा सकती है। यहाँ आवश्यक है कि मरीज एवं उनके परिवार के लोग स्वच्छता के मानकों प्राप्ति हेतु अस्पताल प्रशासन को समुचित सहयोग प्रदान करें।

समय-समय पर स्वास्थ्य संस्थानों के द्वारा सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए छोटे बड़े क्लिनिक, अस्पताल, प्रयोगशालाओं के द्वारा स्वच्छता संबंधी अभियान चलाया जाए, जिससे समाज में स्वच्छता के प्रति सजग चेतना का विकास हो। अस्पताल कर्मचारी एवं प्रशासन, मरीज एवं संबंधित व्यक्ति तथा समाज के संयुक्त प्रयासों से स्वच्छता संबंधी मानकों की प्राप्ति हो सकती है, जिससे स्वस्थ्य समाज का निर्माण संभव हो सकेगा।

3.3 सारांश (Conclusion)

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि स्वच्छता का समाज और इसकी संस्थाओं से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बिना स्वच्छता मानकों की प्राप्ति के सामाजिक संस्थाएं अपना कार्य उचित तरीक़े से नहीं कर सकती है और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग के बिना स्वच्छता को समाज में स्थापित करना एक दिवास्वप्न जैसी कोरी कल्पना होगी। सामाजिक संस्थाएं स्वच्छता हेतु विभिन्न आयामों जैसे शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, नैतिक स्वच्छता, पास पड़ोस की स्वच्छता, कार्यालयी स्वच्छता एवं पर्यावरणीय स्वच्छता के इत्यादि पर कार्य करती हैं। समाज में सभी संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से स्वच्छता संबंधी मानकों की स्थापना हो पाती है और यह स्वच्छता संबंधी मानक स्थापित होने के बाद सामाजिक संस्थाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करके इन्हें सुदृढ़ बनाने का कार्य करते हैं।

स्वच्छता का पहला पाठ बालक परिवार में सीखता है, इसलिए परिवार स्वच्छता के लिए आधारभूत संस्था का कार्य करता है। स्वच्छता का गहरा सम्बन्ध परिवार व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था से है। स्वच्छता शैक्षिक संस्थाओं से भी गहरा संबंध रखती है क्योंकि अस्वच्छता शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधक कारक है। स्वच्छता का संबंध आर्थिक संस्थाओं से भी होता है, क्योंकि आर्थिक संस्थाएँ किसी भी समाज में विकास के मानकों की प्राप्ति हेतु प्रमुख संस्था के रूप में कार्य करती है। स्वच्छता राजनीतिक संस्थाओं से भी घनिष्ठ संबंध रखती है क्योंकि राजनीतिक इच्छाशक्ति सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वच्छता का संबंध समाज की महत्वपूर्ण संस्था धार्मिक संस्था से भी है धार्मिक अनुष्ठान क्रिया कलाप आदि में स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है और ये धार्मिक क्रियाकलाप

और अनुष्ठान संबंधी मानक दैनिक और सामाजिक जीवन में स्वच्छता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य संस्थाओं के संबंधों का इतना महत्व है कि वे स्वच्छता के बिना स्वास्थ्य की प्राप्ति असंभव कल्पना है। परम्परागत रूप में कुछ रुग्णता में जैसे चेचक, खसरा इत्यादि में स्वच्छता संबंधी मानकों के शत-प्रतिशत पालन के लिए इनको धर्म से जोड़ा गया। कई सारे धार्मिक निषेधों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता संबंधी मानकों का शत प्रतिशत का पालन कराना है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वच्छता संबंधी मानकों की प्राप्ति के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं अपनी भूमिका निभाती है क्योंकि बिना स्वच्छता कि प्राप्ति के सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना असंभव है। इस प्रकार स्वच्छता, सामाजिक संरचना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है जिससे सामाजिक संस्थाओं और संरचना को सुदृढ़ बनाने में सहयोग मिलता है।

3.4 शब्दावली (Glossary)

- स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के चार Ps & Political Leadership (राजनीतिक नेतृत्व), Public Financing (सार्वजानिक वित्तपोषण), Partnerships (साझेदारी) People`s Participation (जन-भागीदारी)
- यथेष्ट- जितना चाहिए, उतना।
- आधारभूत- किसी समाज या उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूलभूत भौतिक या संगठनात्मक अधो-संरचना।

3.5 सन्दर्भ सूची (Reference)

1. जल स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्यः एक विश्लेषण, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वॅाटर रिसोर्सेज, 2019

2. स्वच्छता, स्वास्थ्य और सामाजिक असमानता, ग्लोबल हेल्थ जर्नल, 2022,

3. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्यः एक समग्र दृष्टिकोण, स्वास्थ्य और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार

4. सुलभ इंडिया, (जर्नल), इशू-11, वोल्यूम-24, नवम्बर 2012,

5. स्वच्छता और जनस्वास्थ्यः एक वैश्विक दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), 2019

6. हितोपदेश II. 3.71 श्री नारायण राम आचार्य (संपादक), चैखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली, 1894

7. अथर्ववेद XII-.1,

8. स्वच्छता पखवाड़ा, मिनिस्ट्री ऑफ़ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 2022,

9. स्वच्छता और स्वास्थ्य संकटः महिलाओं पर प्रभाव, लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल, 2020,

10. स्वच्छता के सामाजिक और आर्थिक प्रभावः एक अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 2019

11. नागला, बी. के. - स्वच्छता का समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2023

12. वाघेला, अनिल- स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज़ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2023

13. वाघेला, अनिल- स्वच्छता का समाजशास्त्र, कल्पाज़ पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2015

3.6 लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

- स्वच्छता एवं परिवार व्यवस्था से संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिये।
- स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- स्वच्छता का शिक्षा से क्या सम्बन्ध है?
- स्वच्छता का राजनीतिक संस्था से क्या सम्बन्ध है?
- स्वच्छता एवं धर्म के संबंधों को समझाइये।

3.7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- स्वच्छता का अन्य सामाजिक संस्थाओं के साथ संबंधों की विवेचना कीजिये।
- भारत में स्वच्छता के स्थिति स्पष्ट करते हुए सामाजिक संस्थाओं के साथ इसके संबंधों की चर्चा कीजिये।

इकाई- 04 भारत में स्वच्छता का इतिहास

History of Sanitation in India

इकाई की रुपरेखा

4.0 प्रस्तावना
4.1 उद्देश्य
4.2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की स्वच्छता सुविधा
4.3 महात्मा गांधी व स्वच्छता आन्दोलन
4.4 डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और स्वच्छता आंदोलन
4.5 संत गाडगे बाबा महाराज और स्वछता आंदोलन
4.6 डॉ. बिन्देश्वर पाठक
4.7 सूर्यकांत परीख और स्वच्छता आंदोलन
4.8 केंद्र सरकार और स्वच्छता आंदोलन
4.9 स्वच्छ भारत अभियान
4.10 सारांश
4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.12 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
4.13 निबंधात्मक प्रश्न

4.0 प्रस्तावना (Introduction)

प्रत्येक देश की स्वास्थ्य संबंधी नीतियों में स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुरक्षा व स्वच्छता को प्रधानता में रखा जाता है। सभी देश व देश के राज्यों की प्रगति का आधार उनके नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर है। अपने नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधित चिंता राष्ट्र का दायित्व है एवं इस संदर्भ में विभिन्न नीतियां, परियोजनाएं समयांतर में लागू की

जाती है। और उन योजनाओं में परिवर्तन भी किया जाता है। योजनाओं को बेहतर बनाने हेतु उनका मूल्यांकन व निरीक्षण किया जाता है। राष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण वह अन्वेषक प्रयत्नशील कार्यशील होने एवं स्वास्थ्यवर्धन की प्रक्रिया सहज निर्मित होती है। ऐसे लोगों से ही समग्र राष्ट्र-राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। समग्र राष्ट्र एवं स्वास्थ्य व तेजस्वी राष्ट्र का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इस बात की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज की आधुनिकता-भौतिकता की अंधी दौड़ में समग्र विश्व की आबादी के 2.4 बिलियन लोग स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। 1.1 बिलियन लोगों को वर्तमान समय में भी शुद्ध पेयजल से वंचित रहना पड़ रहा है।

भारत का इतिहास गवाह है कि कई समाज सुधारकों के द्वारा स्वच्छतालक्षी आंदोलन चलाए गए हैं। मुख्यतः महात्मा गांधी जी, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, संत गाड़से बाबा व सूर्यकांत परीख उल्लेखनीय है। इन लोगों ने स्वच्छता व स्वास्थ्य सुधार शौचालय के गंदेपन का निकास, शौचालय व स्नानगृह की सफाई आदि के लिए जन-जागृति की मुहिम छेड़ी है। गांधीजी ने स्वच्छता व अस्पृश्यता निवारण को स्वतंत्रता संग्राम प्रवृत्ति का एक हिस्सा बनाया था। स्वच्छ परिधान, घर की स्वच्छता, स्वच्छ कार्यो के लिए डॉ. बाबासाहेब प्रेरक रहे हैं। ग्रामीण प्रांतों में सफाई, शौचालय सुविधा का प्रयोग व सार्वजनिक स्वच्छता के लिए संत गाड़से बाबा ने जनजागृति फैलाई थी। सार्वजनिक रास्तों की सफाई, पे एण्ड यूज़ सुविधाएं आदि के लिए सूर्यकांत परीख कार्यशील थे। डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने निम्न जाति के लोगों की गंदगी उठाने के कार्य का विरोध किया है। शौचालय के नवीनीकरण की प्रेरणा दी है। सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करने की सफल कोशिश की गई है। सामाजिक उत्थान, मानव अधिकार के संदर्भ में डॉ. पाठक सदैव कार्यरत रहे है। स्वतंत्रता के पश्चात् केंद्र एवं राज्य सरकारों ने भी कई अभियान चलाए है। निर्मल भारत, टोटल सेनिटेशन, केमपेन (टी.एस.टी.), ग्लोबल सेनिटेशन एण्ड प्रोग्राम, नेशनल-सरल हेल्प मिशन-वास्मो आदि के द्वारा वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वस्छता, शौचालय संबंधी जागृति व शौचालय निमार्ण का प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस प्रकार में कई आंदोलन शौचालय एवं स्वच्छता संदर्भ में सफल परिणाम के द्योतक रहे है।

4.1 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का पढ़ने के पश्चात् आपके द्वारा यह समझना संभव होगा-

- भारत में स्वच्छता के इतिहास को जान सकेगें।
- स्वच्छता में महात्मा गांधीजी के योगदान का समझ सकेगें।
- केंद्र सरकार और स्वच्छता आंदोलन को इस इकाई में अध्ययन कर पाएगें।

4.2 हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर की स्वच्छता सुविधा (Sanitation facilities in Harappa and Mohenjo-Daro cities)

मोहनजोदड़ो के निवासियों ने स्वच्छता संदर्भ में जिस जागृति का परिचय दिया कदाचित ही किसी अन्य संस्कृति में ऐसी जागृति का उदाहरण प्राप्त हो। इस संस्कृति में शौचालय व उसके स्वच्छता संबंध के विचार क्रांतिकारी रहे हैं। सुनियंत्रित व पूर्ण विचार विमर्श की फलश्रुति का अनुभव संस्कृति में होता है। घर में स्नानागार, शौचालय का विशेष प्रबंध देखा गया है। स्वच्छता संदर्भित कई अवशेष इस संस्कृति के संशोधनों में पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं।

4.3 महात्मा गांधी व स्वच्छता आन्दोलन (Mahatma Gandhi and the Cleanliness Movement)

भारत की सफाईकर्मियों, अस्पृश्यता, स्वच्छता समस्याओं हेतु चिंतित होने वाले सर्वप्रथम भारतीय गांधीजी थे। गांधीजी ने सफाईकर्मियों को अस्पृश्यों को ’हरिजन’ शब्द से संबोधित किया। अस्पृश्यों व सफाईकर्मियों की बदहालत देख गांधीजी अत्यंत व्यथित हुआ करते थे। गांधीजी ने जीवन पर्यंत प्रयास करते हुए इन लोगों के लिए पीड़ा मुक्ति का आंदोलन भी चलाया लेकिन उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त न हुई। गंदगी उठाने की प्रथा में कोई बदलाव नही आया।

अस्पृश्यता को गांधीजी पाप मानते थे। मानवता के लिए उसे खतरा मानते थे, हिंदू धर्म के कलंक के रूप में मानते थे। अस्पृश्यता निवारण को स्वतंत्रता की लड़ाई की एक आवश्यक क्रिया बताया गया है।

वैयक्तिक स्वच्छता गांधीजी की विशेषता थी। साथ ही साथ सामाजिक सार्वजनिक स्वच्छता, मानवगरिमा के वे पक्षधर थे। गांधी जी का कहना था कि ’स्वतंत्रता से स्वच्छता विशेष महत्वपूर्ण है।’ 1920 में गांधीजी ने स्वच्छता आंदोलन प्रारंभ किया। उनका लक्ष्य गंदगी उठाने वाले की यातना से मुक्ति था। स्थानीय क्षेत्र से उपलब्ध सामग्री जैसे कि सुलभ शौचालय हेतु ईट, पत्थर, पानी, लकड़ी आदि का उपयोग करता है। पर्यावरणीय स्वच्छता भी गांधीजी के विचार थे। गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में शौचालय संबंधित प्रयोग किए थे। अस्पृश्यता निवारण, सफाईकर्मियों के सम्मान आदि का प्रयास गांधीजी ने किया था।

4.4 डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और स्वच्छता आंदोलन (डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर और स्वच्छता आंदोलन)

डॉ. अंबेडकर महर जाति के महान नेता थे। उनके खान-पान, रहन-सहन, परिधान आदि के लिए वे मार्गदर्शक बने। डॉ. अंबेडकर ने अस्पृश्य लोगों के कल्याण व उत्कर्ष हेतु विशिष्ट कार्य किए थे। कई किताबों के द्वारा उन्होंने अपने

विचार प्रकट किए। अस्पृश्यों के लिए गांधीजी के कार्यों के विवरण का उल्लेख अपनी किताब में 1925 में लिखा है। 1943 में गांधीजी और अस्पृश्यता मुक्ति, 1946 में अस्पृश्यों के उद्भव में वर्तमान स्थिति का परिचय व्यक्त करने वाली किताब लिखी है। उनके विचारों में स्पृश्य-अस्पृश्य के उद्भव, उनकी विडम्बनाएं, उनका सामाजिक, सांस्कृतिक पिछड़ापन, अस्पृश्यों के द्वारा उन पर होने वाले दमन आदि के प्रति डॉ. अंबेडकर ने विचार व्यक्त किए हैं। अस्पृश्यों के शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने का भी प्रयास किया गया। उन्हें राजनैतिक दर्जा प्राप्त करवाने का उनका ध्येय था। स्वच्छ, पोशक, पेयजल का अधिकार जातिगत असमानता, निम्न शिक्षास्तर, कमजोर स्वास्थ्य, गंदे निवास, शौचालय, सफाई कार्य आदि पर उनकी लड़ाई देखी गई है। महर सत्याग्रह, स्वमानरक्षण, जातिप्रथा विरोधी मुहिर आदि अंबेडकर के कार्य थे।

4.5 संत गाडगे बाबा महाराज और स्वछता आंदोलन (Sant Gadge Baba Maharaj and cleanliness movement)

19वीं सदी में महाराष्ट्र के गांव में ग्रामीण स्वच्छता की महिम छेड़ने वाले संत गाडगे बाबा का कार्य उल्लेखनीय रहा है। पर्यावरणीय जागृति, रास्तों की स्वच्छता, ऊर्जा बचत की महिमा बीमारी संबंधित अंधश्रद्धा, चिकित्सालय निर्माण आदि क्षेत्रों में बाबा गाडगे की सक्रिय भूमिका रही है।

ग्रामीण समूहों में निम्न सामाजिक रिवाज, धार्मिक और अंधश्रद्धा, भेदभाव, महिलाओं से अन्याय, गरीबों का परावलंबन, गंदगी आदि को लेकर गाडगे बाबा ने विरोध प्रदर्शित किया। स्वच्छता आंदोलन चलाया। ग्राम समस्याओं के समाधान में उपाय खोजें। कीर्तनों के माध्यम से अंधकार में रहने वाली जनता को उम्मीद की नई किरण का अनुभव कराया। मानवता-धार्मिकता व अच्छे जीवन की सीख देते हुए सामाजिक परिवर्तन का प्रयास किया। लोगों के योगदान से रास्तों की सफाई, शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सालय, धर्मशालाएं, पशुओं के लिए आश्रयस्थानों का निर्माण किया करवाया।

पशुबलि का विरोध किया, शराब की आदतों की निंदा की, मेहनतकश जीवन जीने का बोध दिया। समाज के उच्च वर्गों को निम्न वर्ग की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार ने 2000-2001 में 'गाडगें बाबा-स्वच्छता अभियान' स्वच्छता कार्यक्रम का गठन करते हुए ग्राम्य स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया। ग्राम्य स्वच्छता संबंध में अवार्ड घोषित हुआ। महाराष्ट्र की अमरावती यूनिवर्सिटी को संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हुए संत गाडगे बाबा का सम्मान किया गया है।

4.6 डॉ. बिन्देश्वर पाठक (Dr. Bindeshwar Pathak)

डॉ. बिन्देश्वर पाठक का जन्म 2 अप्रैल, 1943 को बिहार के वैशाली जिले के रामपुर बाधेल नायक गांव की रुढ़िगत मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। डॉ. बिन्देश्वर को बचपन में ही शुद्धीकरण हेतु उनकी दादी मां ने गाय के गोबर का उपला खिलाया था गंगाजल पिलाया था। कारण सिर्फ यही था कि वह अपने घर की 'अस्पृश्य' कामवाली को गलती से स्पष्ट कर गए थे।

1970 में डॉ.क्टर पाठक ने स्वछता आंदोलन को प्रभावित बनाने हेतु 'सुलभ स्वच्छता स्वच्छता' की स्थापना की। इसका मूल उद्देश्य सफाई कर्मी और अस्पृश्य लोगों को यातना मुक्त करना था। इन लोगों की पुनर्वासन, प्रशिक्षण व सामाजिक दरजे की प्राप्ति का प्रयास किया। ग्रामीण व नगरीय लोगों में स्वच्छता व शौचालय संदर्भ में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया। सुलभ टेक्नोलॉजी के द्वारा पर्यावरणीय सुविधा संरक्षण पैदा किया।

डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने स्वच्छता सुलभ आंदोलन के द्वारा भारत व विश्व में विविध देशों में स्वच्छता हुआ स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांति पैदा की। इस संस्थान के द्वारा देश के प्रतिष्ठित स्थानों में 8000 से अधिक सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। 'पे एण्ड यूज' की पद्धति का आविष्कार किया। इस सुविधा का तकरीबन दैनिक उपयोग डेढ़ सौ करोड़ करते है जिसमें 200 शौचालयों को बायोगैस प्लांट से जोड़ा गया है। जिससे बिजली पैदा की जाती है सड़कों की बिजली खाद का उत्पादन बढ़ाने हेतु बिजली का उपयोग किया जाता है। स्वच्छता आंदोलन के द्वारा देश के 13 लाख पारंपरिक शौचालयों को सुलभ शौचालयों में तब्दील कर दिया गया है। 10 लाख से अधिक सफाई कर्मियों को गंदे कार्य से मुक्ति मिली है। डॉ. बिन्देश्वर पाठक और सुलभ इंटरनेशनल कर्मियों को बिहार या भारत ही नहीं किंतु वैश्विक फलक पर स्वच्छता के विशेश स्थान को अंकित करने का प्रयास करने पर अभिनंदन किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण व नगरीय इलाकों में सुलभ शौचालय है वह सार्वजनिक शौचालय द्वारा लोगों को फायदा हो रहा है।

4.7 सूर्यकांत परीख और स्वच्छता आंदोलन (Suryakant Parikh and cleanliness movement)

अपनी 86 वर्ष की उम्र में सूर्यकांत परीख ने स्वच्छता हेतु सफाई वह स्वच्छता अभियान चलाया है। सुलभ इंटरनेशनल से प्रेरित होकर 1988 में न फायदे न नुकसान की नीति से 'नासा' फाउंडेशन की स्थापना की। पालिताण, अंबाजी, सोमनाथ आदि तीर्थ स्थानों से कुम्भ मेले तक नासा फाउंडेशन के कर्मियों ने 'पे एण्ड यूज' के रूप में सामूहिक शौचालयों का निर्माण किया। 1988 में श्री परीख ने मित्रों की मदद से 'नेशनल सैनिटेशन एंड एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट

फाउंडेशन' की स्थापना की सार्वजनिक शौचालय निर्माण को उनके रखरखाव की जिम्मेदारी 'नासा' ने उठाई है। विविध तीर्थ स्थानो, अस्पतालों, सरकारी स्कूलों, आश्रमों आदि में सार्वजनिक शौचालयों व स्नानागारों का निर्माण किया है।

शौचालय ही सेवा करने का माध्यम क्यों बनाया? यह प्रश्न पूछने पर सूर्यकांत परीख ने बताया कि जीवन की यह अनिवार्यता होने पर भी लोग खुलेआम चर्चा नहीं कर सकते। शौचालय की बातों से ही लोग चिड़ते हैं। ईश्वर की देन है कि मैं ऐसे कार्य की और खींचना चला गया। 1982-85 के दौरान गुजरात ऊर्जा विकास संस्थान के वे एक सदस्य थे। उन्होंने ऊर्जा के पारंपरिक अभ्यास किया। उन्होंने ऊर्जा का पारंपरिक अभ्यास किया मल मूत्र से बायोगैस की उन्हें पहचान थी। सुलभ का उन्होंने बिहार जाकर अनुभव प्राप्त किया था। सुलभ ने गुजरात में भी बायोगैस का प्लांट निर्मित किया जिसकी बागडोर सूर्यकांत परीख को दी गई। चार साल में सुलह के द्वारा उन्हें गुजरात विभाग का अध्यक्ष बनाया गया था। शौचालय व स्नानागरों से परीख का प्रत्यक्ष संबंध था।

अहमदाबाद में अस्पताल, बस अड्डे, उद्यान आदि 26 स्थानों पर आधुनिक शौचालय निर्माण किए गए। सत्ताधार, सोमनाथ, अंबाजी आदि तीर्थ स्थानों पर स्वच्छता शौचालयों का निर्माण किया। नंदीग्राम के पास से आदिवासी गांवों के कई घरों में शौचालय बनाए गए। वर्तमान समय में शौचालय के अभाव से बुजुर्गों व महिलाओं को जो आपत्ति उठानी पड़ रही थी, इसमें अब सुधार हुआ है।

4.8 केंद्र सरकार और स्वच्छता आंदोलन (Central Government and Cleanliness Movement)

केंद्र सरकार के द्वारा 1947 के बाद सफाई कर्मियों की स्थिति में सुधार हेतु कुछ कदम उठाए गए हैं। स्वच्छता, सफाईकर्मियों की मुक्ति, सामाजिक-धार्मिक सुधार, मानवाधिकार आदि हेतु समितियों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय-अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आदि संगठन कार्यरत है। भारत सरकार के जनकल्याण मंत्रालय (सामाजिक न्याय व अधिकारी) (सशक्तिकरण मंत्रालय) ने कुछ जनकल्याण संबंधित कार्यक्रमों को प्रारंभ किए हैं। सन् 1991-92 में सफाई कर्मी व आश्रितों की मुक्ति की राष्ट्रीय योजना, बच्चों की मैट्रिक पूर्व की स्कॉलरशिप, मैट्रिक पश्चात् की स्कॉलरशिप, उच्च शिक्षा की स्कॉलरशिप, राजीव गांधी राष्ट्रीय स्कॉलरशिप हेतु केंद्र संचालित योजना तैयार की गई है। परंपरागत शौचालयों को सुलभ शौचालयों में तबदील करने की योजना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारणः अधिनियम) तथा लोगों की शिक्षण हेतु वह रोजगार हेतु आरक्षण नीति का नियम लागू किया गया है। सन 1993 में सरकार ने के द्वारा परंपरागत शौचालय की सफाई हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है। इन तमाम प्रयासों से सफाईकर्मियों को निसंदेह फायदा प्राप्त होने लगा है। विविध अभियान, कार्यक्रम, योजनाओं के द्वारा केंद्र सरकार

अस्पृश्यता निवारण व सफाईकर्मियों के लाभ हेतु प्रयास कर रही है। तथापि सत्य यह है कि वे लोग अभी भी पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं। आज भी दूरदराज प्रांतों में पुरानी परंपराएं कार्यान्वित हैं।

केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने हेतु भारत निर्मल अभियान, टोटल सैनिटेशन कैंपेन, वॉटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन आदि परियोजनाएं लागू की गई है। यूनेस्को के 'मिशन सैनिटेशन अभियान द्वारा स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरणी आदि क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्य हुए हैं।

4.9 स्वच्छ भारत अभियान (Swachh Bharat Abhiyan)

स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ-सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर, 2014 को आरम्भ किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने देश को दासता से मुक्त कराया, परन्तु 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने सम्बन्धी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट सन्देश दिया।

4.10 सांराश (Summary)

स्वच्छता को कायम रखने की जरुरत है हम सभी को मिलकर इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकारी हो या निजि संगठन सभी स्वच्छता के प्रति जागरुक होने की जरुरत है। हमें ये समझने की जरुरत है कि प्रकृति के इस असीमित भण्डार का सदियों से होता दोहन अब संकट का कारण बन रहा है। इसके प्रति सभी को आगे आने की जरुरत होगी। अगर हम अब भी गम्भीर नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी को घातक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। एवं स्वच्छ भारत के निर्माण में हम सभी को आगे आना पड़ेगा।

4.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Bibliography)

1. चकले, एम.एम., हेल्थ वर्कर के लिए पाठ्य पुस्तक, एन.आर. ब्रदर्स, इन्दौर (2002)
2. ओमवेट गेल, दलित और प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, रावत पब्लिकेशन, जयपुर (2009)
3. सुलभ स्वच्छता आन्दोलन, सुलभ इन्टरनेशनल सोशल सर्विस ओर्गेनाइजेशन।
4. नागला, बी.के., (2023) स्वच्छता का समाजशास्त्र

4.12 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful Reading Material)

1. वाघेला, अनिल, (2023) स्वच्छता का समाजशास्त्र
2. नागला, बी.के., (2023) स्वच्छता का समाजशास्त्र

4.13 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Question)

1. भारत में स्वच्छता के इतिहास का वर्णन कीजिए।
2. भारत में स्वच्छता आन्दोलन का स्पष्ट कीजिए।

इकाई- 05 अस्पृश्यता

Untouchability

इकाई की रूपरेखा

5.0 प्रस्तावना

5.1 उद्देश्य

5.2 अस्पृश्यता का अर्थ एवं परिभाषा

5.3 अस्पृश्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

5.4 अस्पृश्यता के मूल कारण

5.5 अस्पृश्य समुदाय की निर्योग्यता

5.6 अस्पृश्यता एवं समाज सुधारक

5.7 अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास

5.7.1 अस्पृश्यता उन्मूलन के कानूनी प्रावधान

5.7.2 अस्पृश्यता उन्मूलन के संवैधानिक प्रावधान

5.8 सारांश

5.9 परिभाषिक शब्दावली

5.10 बोध प्रश्न के उत्तर

5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

5.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

5.13 लघु उत्तरीय प्रश्न

5.14 निबन्धात्मक प्रश्न

5.0 प्रस्तावना (Introduction)

अस्पृश्य शब्द का उपयोग उन समुदायों के लिए किया जाता है जिन्हें पारंपरिक भारतीय जाति व्यवस्था में "अपवित्र" (अछूत) माना गया था। इस समुदाय के लोगों को जाति व्यवस्था में "निम्न जाति" में रखा गया है। इन्हें

हजारों सालों तक सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। अस्पृश्यता की अवधारणा, भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संरचनाओं की गहराई से जुड़ी हुई हैं। अस्पृश्यता न केवल समाज में व्याप्त सामाजिक असमानताओं को दिखाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे जातिगत व्यवस्था और अस्पृश्यता को पवित्रता-अपवित्रता के साथ जोड़ा गया। समानता का अधिकार मानव जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है, जो व्यक्ति के समाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में अस्पृश्यता एक जटिल सामाजिक समस्या के रूप में उभरी, जिसने जाति और वर्गीकरण के आधार पर समाज में असमानता को जन्म दिया है। शिक्षार्थीयों इस इकाई में हम अस्पृश्यता के ऐतिहासिक, सामाजिक, और वर्तमान पहलुओं एवं इसके उन्मूलन के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों को समझने का प्रयत्न करेंगे।

5.1 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आपके द्वारा सम्भव होगा -

1. अस्पृश्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना।
2. अस्पृश्यता के सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं को समझना।
3. अस्पृश्यता एवं प्रमुख समाज सुधारको के विचार को समझना।
4. अस्पृश्य समुदाय की निर्योग्यता को समझना।

5.2 अस्पृश्यता का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Untouchability)

अस्पृश्यता का अर्थ है समाज के एक वर्ग को इतना तुच्छ मानना कि उनके संपर्क में आना भी अशुद्धता समझा जाए। यह प्रथा दलितों और पिछड़ी जातियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार के रूप में प्रकट हुई। अस्पृश्यता के कारण न केवल लाखों लोगों को सामाजिक और आर्थिक विकास से वंचित किया गया, बल्कि यह राष्ट्रीय एकता के लिए भी बाधक रही है। देखा जाये तो अस्पृश्यता एक सामाजिक प्रथा है, इसके अन्तर्गत कुछ वर्गों को अशुद्ध या अपवित्र मानकर सामाजिक दूरी या सामाजिक भेद भाव किया जाता है। भारतीय जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और शूद्र के अलावा "अस्पृश्य" कहे जाने वाले लोगों को समाज के बाहर रखा गया। इन्हें कई अधिकारों से वंचित रखा गया और समाज में निम्नतम स्थान पर रखा गया। समाज में समानता और अस्पृश्य जातियों के विकास और उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा सन् 1935 में एक अनुसूची तैयार की गयी। जिसमें लगभग 429 अस्पृश्य जातियों को सम्मिलित किया गया। इस सूची में सम्मिलित अस्पृश्य जातियों को अनुसूचित जाति कहा जाता है। अस्पृश्य लोगों के लिए अनुसूचित जाति शब्द को प्रयोग सर्वप्रथम साइमन कमीशन ने 1935 में 'गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट' मे किया था।

प्रो. अनिल वाघेला जी के अनुसार, ''सन् 1847 में राय द्वारा संकेत किया गया था कि शूद्र अर्थात् सफाई कर्मियों की जाति''[1]

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्य जातियों को भग्न जाति या बाहय पुरूष कहा है। अंग्रेजों ने इन्हे दलित वर्ग के रूप में सम्बोधित किया था। सन् 1931 की जनगणना में अस्पृश्य जाति को बाहरी जाति के रूप में वर्गीकृत किया था।

डॉ. डी. एन. मजूमदार, अस्पृश्य (अनुसूचित जातियों) का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि, "दलित या अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जो अनेक सामाजिक और राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार हैं, इनमें से अनेक निर्योग्यताएँ उच्च जातियों द्वारा परम्परागत तौर पर निर्धारित और सामाजिक तौर पर लागू की गई हैं।"[2]

बी. के नागला अपनी पुस्तक भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तन में बताते हैं कि ''सामान्य जनों की चर्चा में इन समूहों को दबे हुए वर्ग के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। ये सब अस्पृश्य जातियाँ थीं। गांधीजी ने इन्हें हरिजन या (देवता के मनुष्य) नाम से भी सम्बोधित किया था। यह शब्द गांधी जी ने स्वयं निर्मित नहीं किया था। 17वीं शताब्दी के भक्ति संत नरसी मेहता की रचनाओं से उन्होंने यह शब्द लिया था। पारम्परिक रूप में हिन्दू विधि के अनुसार भारत के अलग-अलग भागों में इनके अलग-अलग नाम थे। उन्हें शूद्र, प्रतिशूद्र, चाण्डाल, अंत्याज पारिहास, ढेड़, पंचम, अर्वण नाम शूद्र, अस्पृश्य आदि नामों से पुकारा जाता था। हिन्दी, मराठी, गुजराती और कई भाषाओं में यह समान रूप से प्रयुक्त शब्द है। इसका अर्थ है गरीब और दबे हुए लोग''[3]

इसी प्रकार प्रो. अनिल वाघेला जी अपनी पुस्तक स्वच्छता का समाजशास्त्र में लिखते हैं कि ''प्राचीन समय में अस्पृश्यता की स्थिति बहुत ही विकट थी। आज इस मान्यता में परिवर्तन हुआ है। संविधान के सन्दर्भ में सरकार के प्रयासों से अस्पृश्यता समाप्त हो गई है, तथापि कुछ निजी संदर्भो में अस्पृश्यता की स्थिति द्रष्टव्य है।''[4]

5.3 अस्पृश्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical background of untouchability)

वैदिक काल में जाति व्यवस्था का आधार वर्ण-व्यवस्था (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) में निहित था। शूद्रों से नीचे के समूहों को "अस्पृश्य" माना गया। जिनके साथ छुआछूत, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध और धार्मिक अनुष्ठानों में भागीदारी निषेध थी। प्रो. **अनिल वाघेला जी अपनी पुस्तक 'स्वच्छता का समाजशास्त्र' में लिखते हैं कि,** ''वेदकालीन समाजव्यवस्था चार वर्णों में विभाजित थी। इन चार वर्णों में सामाजिक भूमिकाओं का प्रचलन था। उसी के अनुसार श्रम विभाजन था, जिसमें चौथा वर्ण शूद्र था। हमारे समाज ने एक नए वर्ण की संकल्पना की है, वह है

'पंचमवर्ण' इन दोनों वर्णों की भूमिका सफाई का कार्य थी। वास्तव में स्वच्छता का कार्य महत्त्वपूर्ण है किंतु यह कार्य निम्न और मेहनतकश तथा गंदा माना जाने लगा। अस्पृश्यता व छुआछूत के भाव पैदा होने लगे। एक विशेष वर्ग की मान्यता पैदा होने लगी। आज भी 21वीं सदी में ग्रामीण समुदायों में यह ख्याल प्रवर्तित है।''[5] अत: प्रारंभिक वैदिक काल में समाज, श्रम विभाजन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) पर आधारित था। कालांतर में यह जन्माधारित जाति व्यवस्था में बदल गया।

मध्यकाल में कबीर और रविदास जैसे संतों ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया। आध्यात्मिकता और समानता पर बल दिया। इन सूफी संतों ने सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश देकर अस्पृश्यता की आलोचना की। इन आंदोलनों ने व्यवस्था को चुनौती तो दी, परन्तु जातिगत व्यवस्था बनी रही। मध्यकाल में सामाजिक संरचना में जातिगत नियमों को कठोर बनाया। अस्पृश्य समुदायों को मैला ढोने, मृत पशुओं का चमड़ा उतारने जैसे "अपवित्र" कार्यों तक सीमित कर दिया गया।

औपनिवेशिक काल में अस्पृश्यता की प्रथा भारतीय समाज में गहराई से जड़ जमाए हुए थी। अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन के दौरान सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया, लेकिन अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अंग्रेजों ने जनगणना के माध्यम से जाति को प्रशासनिक पहचान दी। जिससे जातिगत विभाजन और गहराया। अंग्रेजों ने कुछ शैक्षणिक और सामाजिक सुधारों को प्रोत्साहित किया, जैसे शिक्षा का प्रसार और नौकरियों में समान अवसर, लेकिन उनकी नीतियाँ मुख्य रूप से प्रशासनिक और आर्थिक हितों पर केंद्रित थीं। 19वीं और 20वीं सदी में सामाजिक सुधारकों ने अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई और इसे समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाए।

स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय समाज में अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। संविधान निर्माताओं ने इस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए कड़े प्रावधान बनाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

हालांकि, कानूनी प्रावधानों के बावजूद, अस्पृश्यता की प्रथा आज भी कुछ हद तक समाज में मौजूद है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। अस्पृश्य समुदाय द्वारा जीविकोपार्जन के लिए सार्वजनिक स्थानों की सफाई (स्वच्छता), मल-मूत्र एवं मृत पशु को उठाने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता था। स्वच्छ भारत अभियान (2014) में मशीनीकरण के बावजूद आज भी कुछ हद तक अस्पृश्य समुदाय की मैनुअल स्कैवेंजर में सक्रिय

भागीदारी है। सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और सरकारी प्रयासों के माध्यम से इस प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयास जारी हैं। अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी बदलावों से नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाकर ही जीती जा सकती है।

5.4 अस्पृश्यता के प्रमुख कारण (Main causes of untouchability)

भारतीय समाज में अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है "छूने योग्य नहीं" जैसा की आप लोग जानते हैं, कि यह एक सामाजिक प्रथा है, जिसमें कुछ समुदायों को निम्न और अशुद्ध मानकर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस प्रथा का मूल कारण जाति व्यवस्था पर आधारित है। प्रिय शिक्षार्थियों, जाति व्यवस्था के अतिरिक्त समाजशास्त्रीयों द्वारा अस्पृश्यता के पीछे प्रजातीय, धार्मिक तथा सामाजिक कारणों को भी सम्मिलित किया गया हैं। अस्पृश्यता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है-

(1) जाति प्रथा- अस्पृश्य जातियाँ हिंदू समाज में सबसे निचले स्तर की मानी जाती हैं। जाति-प्रथा के साथ ऊँच-नीच की भावना जुड़ी हुई है, जो अस्पृश्यता का मुख्य कारण है। इसके अलावा, जाति-प्रथा में कई सामाजिक निषेध (Taboos) भी हैं, जैसे उच्च जातियों का निचली जातियों के साथ विवाह, खानपान या उठने-बैठने से परहेज। इसी तरह इन जातियों को छूने या देखने तक से बचा जाता है, जिससे ये "अस्पृश्य" या "अछूत" कहलाने लगीं। इस प्रकार, भारत में अस्पृश्यता जाति-भेद-भाव, ऊँच-नीच की भावना और सामाजिक निषेधों का परिणाम है।

'क्लास एंड कास्ट इन' इंडिया में जी एस घुर्ये लिखते हैं कि ''पूना में मराठों के शासन काल में अस्पृश्य जातियाँ महार और माँग शहर के दरवाजों के भीतर शाम के तीन बजे से सवेरे के नौ बजे तक प्रविष्ट नहीं हो सकती थीं, क्योंकि इस समय छाया बहुत लम्बी पड़ती है और उससे उच्च ब्राह्मणों के दूषित होने का भय था। महाराष्ट्र के महार अपने गले में लटके एक मिट्टी के पात्र में थूक सकते थे, क्योंकि सड़कों पर थूकने से वह किसी सवर्ण हिन्दू के पैर में लगकर उसे कलुषित कर सकता था। कई बार ब्राह्मण के महार वाले रास्ते से गुजरने पर महारों को काँटेदार पेड़ की टहनी से अपने पाँव के निशान मिटाकर दूर लेट जाना पड़ता था ताकि उनकी छाया ब्राह्मणों पर न पड़ सके। मालाबार के शानार को ब्राह्मण से 24 पग, तिया को 36 पग और सुलयन को 96 पग से अधिक दूरी पर रहना पड़ता था।''[6]

अत: स्पष्ट है कि आर्थिक असमानता और जाति-प्रथा में प्रचलित अनेक निषेध व छूआछूत का परिणाम अस्पृश्यता है। जे. एच. हट्टन अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इंडिया' में लिखते हैं कि ''बाहरी जातियों की स्थिति की उत्पत्ति

अंशत: प्रजातीय, अंशत: धार्मिक और अंशत: सामाजिक प्रथा का विषय है।''[7] इस प्रकार हट्टन ने अस्पृश्यता के निम्न कारण बतायें है:

(1) प्रजातीय कारक- प्रजातीय कारक अस्पृश्यता के मूल कारणों में से एक है। विजयी प्रजाति हमेशा विजित प्रजाति को अपने से निम्न समझती है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में आर्यों ने स्थानीय अनार्य जातियों को दास, दस्यु जैसे निन्दित नाम दिए और उन्हें अस्पृश्य माना। उदाहरण के तौर पर, आसाम में नागा जाति की आओ (Ao) शाखा को दोनों भुजाओं पर हाथी दाँत के आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है। जे. एच. हट्टन के अनुसार, ''यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया क्योंकि आओ लोग प्रजातीय रूप से अन्य नागा जातियों से भिन्न हैं। इसी प्रकार, उत्तराखण्ड के गढ़वाल में निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा वाली जातियाँ, जैसे शिल्पकार और हरिजन, को विवाह के अवसर पर घोड़े या पालकी की सवारी करने का अधिकार नहीं था। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च वर्ण की जातियाँ मैदानी क्षेत्रों से आई हैं, जबकि शिल्पकार और हरिजन स्थानीय आदिवासी हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रजातीय भेदभाव का अस्पृश्यता की प्रथा के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।''

(2) धार्मिक कारक- धार्मिक कारक, अस्पृश्यता के मुख्य कारणों में से एक हैं। धर्म में पवित्रता और शुद्धता को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके कारण, अशुद्ध या दूषित माने जाने वाले व्यवसायों से जुड़े लोगों से दूर रहना आवश्यक समझा गया। डॉ.० घुरिये के अनुसार, "पवित्रता का विचार, चाहे वह व्यवसाय से जुड़ा हो या संस्कार से, अस्पृश्यता के विचार और व्यवहार का मूल है।" इसी भावना के कारण हिंदू समाज में भंगी, मेहतर और चमार जैसे समुदायों को अस्पृश्य माना जाता है।

इसके अलावा, वर्जनाएँ (Taboo) भी अस्पृश्यता का एक धार्मिक कारण हैं। जनजातियों में अंतर्विवाह, टोटम से जुड़े प्राणियों या वस्तुओं को खाना या नुकसान पहुँचाना वर्जित है। इसी तरह, धोबियों को न छूने की प्रथा है, क्योंकि वे स्त्रियों के मासिक धर्म के दूषित कपड़े धोते हैं। हट्टन के अनुसार, "अस्पृश्यता का विचार वर्जनाओं से उत्पन्न होता है।"

(3) सामाजिक प्रथा- सामाजिक प्रथा भी अस्पृश्यता के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं ने धार्मिक और प्रजातीय कारकों से उत्पन्न अस्पृश्यता को स्थिर बनाए रखने में योगदान दिया है। इन परंपराओं का इतना गहरा प्रभाव है कि अस्पृश्य जाति के सदस्य भी इन रूढ़ियों को तोड़ने से डरते हैं।

उदाहरण के तौर पर, मद्रास के तिन्नेवेली जिले में रहने वाली पुरादवन्नन जाति को न केवल अस्पृश्य माना जाता है, बल्कि उन्हें अदर्शनीय भी समझा जाता है। वे दिन के समय अपनी बस्ती से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उनके दर्शन से अन्य जातियों के दूषित होने की आशंका रहती है। वे रात में ही अपने कपड़े धोते हैं। जब ठक्कर बापा उनसे मिलने गए, तो वे सामाजिक रूढ़ियों से इतने दबे हुए थे कि बहुत प्रोत्साहन के बाद ही उनसे मिलने आए और उनका पूरा शरीर काँप रहा था। यह उदाहरण सामाजिक कारकों के अस्पृश्यता को बनाए रखने में योगदान को दर्शाता है।

इस प्रकार, अस्पृश्यता की प्रथा के उद्भव में जातीय, प्रजातीय, धार्मिक और सामाजिक कारक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इन सभी कारकों ने मिलकर अस्पृश्यता को जन्म दिया है और इसे बनाए रखने में योगदान दिया है। इन क्षेत्रों में फैली अज्ञानता को दूर किए बिना अस्पृश्यता को का पूर्ण रूप से समाप्त करना मुश्किल होगा।

बोध प्रश्न 01

1. जे. एच. हट्टन के अनुसार अस्पृश्यता के कारण हैं-

(क) प्रजातीय कारक (ख) धार्मिक कारक (ग) सामाजिक प्रथा (घ) सभी।

2. निम्नलिखित में जी. एस. घुर्ये की पुस्तक है-

(क) कॉस्ट इन इण्डिया

(ख) कॉस्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया

(ग) रेस एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया

(घ) सभी।

5. 5 अस्पृश्य समुदाय की निर्योग्यता (Disability of the Untouchable Community)

अस्पृश्यत समुदाय में अनेक प्रकार की निर्योग्यता थी। जाति व्यवस्था के कारण इस समुदाय को कई निर्योग्यताएं (Disabilities) झेलनी पड़ी हैं, जिन्होंने उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक विकास को बाधित किया है। यहां कुछ प्रमुख निर्योग्यताएं दी गई हैं:

1. अस्पृश्य समुदाय के लोगों को "अछूत" माना जाता था, और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उन्हें मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं से पानी लेने, और सामाजिक समारोहों में भाग लेने से रोका जाता था। उन्हें ऊंची जातियों के लोगों के साथ बैठने, खाने, या उठने-बैठने की अनुमति नहीं थी।
2. अस्पृश्य समुदाय के लोगों को केवल निम्नस्तरीय और अपमानजनक काम करने की अनुमति थी, जैसे मैला ढोना, मृत पशुओं को उठाना, और सफाई कर्मचारी का काम।
3. अस्पृश्य समुदाय के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, या उन्हें अलग बैठाया जाता था। शिक्षा के अभाव में इस समुदाय में साक्षरता की दर बहुत कम थी।
4. अस्पृश्य समुदाय को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ब्रिटिश काल तक उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था।

अस्पृश्य समुदाय की ये निर्योग्यताएं सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और सामाजिक अन्याय का परिणाम हैं। हालांकि, भारतीय संविधान ने अस्पृश्यता को गैर-कानूनी घोषित किया है और आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं, फिर भी आज भी इस समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में समानता और न्याय स्थापित करने के लिए इन निर्योग्यताओं को दूर करना आवश्यक है।

5.6 अस्पृश्यता एवं समाज सुधारक (Untouchability and Social Reformers)

कई समाज सुधारको ने अस्पृश्य समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए 'अछूतों के उद्धार' और सामाजिक समानता के लिए कई प्रयास किए। जिनमें प्रमुख डॉ. बी.आर. अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, पेरियार और डॉ. बिन्देश्वर पाठक आदि हैं।

डॉ. भीमराव अंबेडकर, अस्पृश्य जाति के थे। इनका जन्म महार जाति में हुआ था, जो उस समय अस्पृश्य मानी जाती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनकी शिक्षा और संघर्ष ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से सन् 1917 में अंबेडकर ने लंदन से पी.एच.डी. (दि प्राब्लम ऑफ रुपी) की उपाधी प्राप्त की और भारत लौटकर समाज सुधार के कार्यों में जुट गए। डॉ. भीमराव अंबेडकर को अस्पृश्यों (अछुतों) का मसीहा व अधीनस्थ लोगों का नेता कहा जाता है।डॉ. भीमराव अम्बेडकर भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और दलित समुदाय के अग्रणी नेता थे। उन्हें भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत में छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी और समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया।

उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। "महाराष्ट्र के महारों ने डा. अंबेडकर के नेतृत्व में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिये अपने आपको संगठित किया था। उत्तर प्रदेश के चमार' और तमिलनाडु के नडार भी इस आन्दोलन में कूद पड़े थे। राजस्थान में 1923 में, निम्न में भी निम्नतम भंगियों ने एक संस्था बनायी थी, जिसने आन्तरिक सुधार का काम किया था। निम्न अर्थात् अछूत जातियों का यह आन्दोलन दक्षिण और उत्तर भारत दोनों जगह फैल गया था। इस आन्दोलन के मुख्य नायक ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर और ई.वी. रामास्वामी 'पेरियर' थे। इन सब ने उस शोषण और भेदभाव की व्यवस्था पर प्रहार किया, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पर भेदभाव की मूल कारण थी।"[8]

1930 में डॉ. भीमराव अंबेडकर ने खुद को पूरी तरह से अछूतों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के साथ जोड़ लिया। इसी दौरान वे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। 1936 में उन्होंने एक नए राजनीतिक मोड़ की शुरुआत करते हुए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। बाद में इस पार्टी का नाम बदलकर आल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन रखा गया। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रयास किया। डॉ. अंबेडकर ने इस जाति व्यवस्था के उन्मूलन की मांग की।

महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक बड़ी बुराई माना। उन्होंने अस्पृश्यता को न केवल सामाजिक अन्याय माना। गांधीजी ने इसे समाप्त करने के लिए अहिंसक तरीकों से आंदोलन चलाया और लोगों को जागरूक किया। उनका मानना था कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म और मानवता दोनों के लिए एक कलंक है। गांधीजी ने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को "हरिजन" (भगवान के लोग) कहकर सम्मानित किया। उनका मानना था कि यह शब्द उनके प्रति समाज के नजरिए को बदलने में मदद करेगा। उन्होंने 1933 में "हरिजन" नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसमें अस्पृश्यता के खिलाफ लेख और विचार प्रकाशित किए थे।

महात्मा ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक, विचारक और लेखक थे। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन महिलाओं, वंचितों और शोषित किसानों के उत्थान में लगा दिया। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक "गुलामगिरी 1873" में बताया की कैसे अस्पृश्य समुदाय को शिक्षा, ज़मीन, और संपत्ति के साधनों से वंचित किया गया। इन्होनें अपनी पुस्तक में अस्पृश्यता की निंदा की। ज्योतिबा फूले अस्पृश्य जाति, महिलाओं और वंचितों को शिक्षा प्रदान करने के समर्थक थे। इन्होंने इन वंचित समूहों के लिए ''सत्यशोधक समाज'' का गठन किया।

बिन्देश्वर पाठक एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, जो एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) है। बिन्देश्वर पाठक ने भारत और अन्य देशों में अस्पृश्यता और स्वच्छता से जुड़े मुद्दों को हल करने

के लिए अथक प्रयास किए हैं। उनका कार्य मुख्य रूप से सामाजिक बदलाव, स्वच्छता, और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सुलभ इंटरनेशनल ने देश भर में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया है, जिससे मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए बिन्देश्वर पाठक ने अथक प्रयास किए। उन्होंने मैला ढोने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किए और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया। उन्हें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें पद्म भूषण और स्टॉकहोम वाटर प्राइज शामिल हैं।

उपरोक्त समाज सुधारकों ने अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ जागरूकता बढ़ायी। जिससे लोगों की सामाजिक मानसिकता में बदलाव आया।

5.7 अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयास (Efforts to Eradicate Untouchability)

अस्पृश्यता भारतीय समाज की एक कुप्रथा रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि जिसने समाज में भेदभाव और असमानता को बढ़ावा दिया। यह प्रथा जाति-आधारित भेदभाव का एक रूप है, जिसमें निम्न जातियों के लोगों को सामाजिक, धार्मिक, और आर्थिक रूप से शोषित किया गया। भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कई कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक प्रयास किए गए हैं। जैसे ''अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में शामिल जातियां और समुदाय तीन प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने के योग्य हैं- शैक्षिक सुविधाएं, सरकारी रोजगार राज्य विधानसभाओं और संसद में विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शिक्षण संस्थानों में निशुल्क शिक्षा मिलती है, पुस्तकों के लिये सहायता, छात्रावासों में प्रवेश और स्कूलों, कालेजों, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये सामान्य योग्यता की शर्तों में छूट दी जाती है और उच्चतर शिक्षा हासिल करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उनके लिये हर स्तर की सरकारी नौकरियों में एक निश्चित कोटा आरक्षित रहता है और प्रोन्नती की शर्तें भी उदार की गयी हैं। इसी तरह, गांव-पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, राज्य विधानसभाओं और संसद में उनके लिये स्थान आरक्षित हैं।''[9]

5.7.1 अस्पृश्यता उन्मूलन के संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान 1950 में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रवधान है। जिसमें से प्रमुख है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, जिसके तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। किन्तु इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 21 भी समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन का समर्थन करता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 एक मौलिक अधिकार है। यह अधिकार भारत के हर नागरिक को कानून के समक्ष

समानता और समान संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। समानता का अधिकार लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की नींव है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रमुख अनुच्छेदों का विवरण निम्नवत् है-

अनुच्छेद 14[10] **विधि के समक्ष समता (equality before law)** के अनुसार, राज्य का दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार न करे।

अनुच्छेद 15[11] **धर्म, मूलवंश, जाति , लिंग जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth)** के अनुसार राज्य, किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म–स्थान या इनमें से किसी के अधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 17[12] **अस्पृश्यता का उन्मूलन (Abolition of untouchability)** के अनुसार "अनुच्छेद 17. अस्पृश्यता का अंत-"अस्पृश्यता" का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। "अस्पृश्यता" से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।"

अनुच्छेद 21[13] **प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Protection of life and personal liberty)** के अनुसार यह हर व्यक्ति को जीवन के संरक्षण का अधिकार देता है।

अनुच्छेद 46[14] के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि - राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

अत: संविधान का अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, को सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य इन वर्गों के हितों की रक्षा करना और उन्हें शोषण के खिलाफ संरक्षण देना है।

बोध प्रश्न 01

1. अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए है –

(क) अनुच्छेद 14 (ख) अनुच्छेद 15 (ग) अनुच्छेद 17 (घ) अनुच्छेद 21

2. अनुच्छेद ...., अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, को सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा –

(क) अनुच्छेद 46 (ख) अनुच्छेद 15 (ग) अनुच्छेद 17 (घ) अनुच्छेद 21

5.7.2 अस्पृश्यता उन्मूलन के कानूनी प्रावधान

अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, 1955

1955 अधिनियम के तहत अस्पृश्यता से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस अस्पृश्यता की अपराध विधेयक 1955 के अनुसार, "अस्पृश्यता के अधार पर किसी व्यक्ति को (अ) समान धर्म मानने वाले अन्य व्यक्तियों के लिये खुले सार्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश से, किसी सार्वजनिक स्थान में पूजा करने से, (ब) प्रार्थना धार्मिक अथवा धार्मिक क्रियायें करने से जैसा कि समान धर्म के अनुयायियों को प्रयोग करने की अनुमति है और (स) दुकान, होटल, सार्वजनिक जलपान ग्रह, सार्वजनिक जलपान ग्रह, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल या सार्वजनिक आवागमन के साधन, अस्पताल, औषाधलय, शैक्षणिक संस्थान या दातव्य ट्रस्ट में पहुँचने या प्रयोग से रोकना अपराध है।"[15]

एससी/एसटी एक्ट (1989): अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को एससी/एसटी एक्ट 1989 के नाम से भी जाना जाता है, भारत में अनुसूचित जाति (अस्पृश्य जाति) और अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और भेदभाव को रोकने के लिए बनाया गया एक कानून है। यह अधिनियम 11 सितंबर 1989 को संसद से पारित हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम 30 जनवरी, 1990 से प्रभाव में आया

था। 2018 में, इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को परिभाषित किया गया है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अत: इस कानून के माध्यम से दलितों और पिछड़े वर्गों के खिलाफ किसी भी प्रकार के शोषण और भेदभाव पर सख्त दंड का प्रावधान किया गया।

मैनुअल स्कैवेंजर्स का रोज़गार और सूखे शौचालय निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993

भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा आज भी बनी हुई है, भले ही देश में कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान और सामाजिक पहलें मौजूद हैं। यह प्रथा मुख्य रूप से एक विशिष्ट जाति से जुड़ी हुई है, यह समस्या सदियों पुरानी जातिगत व्यवस्था और सामाजिक असमानता का परिणाम है, जिसमें समाज के कुछ वर्गों को निम्न और अछूत (अस्पृश्य) माना जाता है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग अधिनियम 1993 से मैनुअल स्कैवेंजिंग के रोजगार और सूखे शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया। मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। मैनुअल स्कैवेंजर्स को नियुक्त करने पर जुर्माना एवं और कारवास दोनों का ही प्रावधान है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स का नियोजन निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

इस अधिनियम ने मैनुअल स्कैवेंजिंग (मैला ढोने की प्रथा) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग में कार्यरत् लोगों का पुनर्वास करना है। इसके तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, और इस कार्य में शामिल लोगों के लिए कौशल विकास, वित्तीय सहायता, वैकल्पिक रोजगार के अवसर और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

5.8 सारांश (Glossary of Terms)

इस इकाई को पढने के पश्चात आप अब तक समझ चुके होंगे कि स्वच्छता केवल भौतिक शुद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ी है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के बिना "स्वच्छ भारत" अधूरा है। इसके लिए जातिगत पूर्वाग्रहों को तोड़ने, शिक्षा को बढ़ावा देने, और दलित समुदायों को सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हालाँकि कानूनी रूप से अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन इसके अवशेष अब भी समाज में देखने को मिलते हैं। कई क्षेत्रों में दलितों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अतः इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए समाज में शिक्षा, जागरूकता और कठोर कानूनों

का सख्ती से पालन आवश्यक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय समाज की प्रगति और समानता के लिए आवश्यक है। इसके लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता में भी परिवर्तन लाना आवश्यक है। जब तक हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक सामाजिक न्याय की संपूर्ण स्थापना नही हो सकेगी। 1993 और 2013 के कानून महत्वपूर्ण कदम हैं, लेकिन प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए सामाजिक जागरूकता, सख्त प्रवर्तन, और तकनीकी उन्नयन आवश्यक है। यह केवल कानूनी नही, बल्कि मानवाधिकार और सामाजिक न्याय का मुद्दा है।

5.9 पारिभाषिक शब्दावली (Glossary of Terms)

1. मैनुअल स्कैवेंजर्स- मैनुअल स्कैवेंजर (मेला ढोने वाले) वह व्यक्ति होता है जो मानव मल (मल-मूत्र) को हाथ से साफ करने का काम करता है। यह कार्य अक्सर सूखे शौचालयों, सीवर लाइनों, सेप्टिक टैंकों, या खुले नालों में किया जाता है। यह प्रथा भारत में सदियों से चली आ रही है और यह जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता से जुड़ी हुई है।

5.10 बोध प्रश्न के उत्तर (Answers to Comprehension Questions)

1. बोध प्रश्न 01 के उत्तर

1 - (घ) सभी। **2 -** (ख) कास्ट एंड क्लास इन इंडिया

2. बोध प्रश्न 02 के उत्तर -

1. (ग) अनुच्छेद 17 **2.** (क) अनुच्छेद 46

5.11 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

1. वाघेला अनिल, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र - 2015 कल्पाज पब्लिकेशन्स दिल्ली, पृ. सं.-169

2. D. N. Mazumdar, Races and Cultures of India, Bombay, 1958, p. 327.

3. नागला बी0के (सम्पादन), 2023 ''स्वच्छता का समाजशास्त्र''- 2023 ''रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ. सं.–280

4. वाघेला अनिल, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र''- 2015 कल्पाज पब्लिकेशन्स दिल्ली, पे.न.-

5. उपरोक्त - पे.न.-20

6. शर्मा रामनाथ, शर्मा राजेन्द्र कुमार, ''भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्यायें''-2007, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) नई दिल्ली पेज न. 294

7. उपरोक्त - पेज न. 59

8. एलीनट जीलियट 1970, जी. एस. भट्ट 1961, रोबर्ट एल. हार्ड ग्रेव 1970, श्यामलाल (अनुवादक कँवल भारती) - 2011, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली पृ. सं.

9. उपरोक्त - पृ. सं.14

10 उपाध्याय, जय जय राम, ''भारत का संविधान''-2022 सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी: प्रयागराज (इलाहाबाद), पृ. सं.- 5.

11. उपरोक्त पृ. सं.-6

12. गुप्ता, एच. पी. ''भारत का संविधान''-2012, मार्डन लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद 2012, पृ. सं.-231

13. उपाध्याय, जय जय राम, ''भारत का संविधान''-2022 सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी: प्रयागराज (इलाहाबाद), पृ. सं.-11

14. गुप्ता, एच. पी. ''भारत का संविधान''-2012, मार्डन लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद 2012, पृ. सं.-382

15. रामनाथ शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्यायें, पृ. सं.-291

5.12 सहायक/उपयोगी पाठ्य साम्रगी (Helpful/Useful Reading Materials)

1. अनिल वाघेला, ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' - 2015, कल्पाज पब्लिकेशन्स
2. बी. के. नागला, '' स्वच्छता का समाजशास्त्र '' – 2023, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
3. बी. के. नागला, ''भारतीय समाजशास्त्री चिन्तन'' – 2017, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

4. श्यामलाल, (अनुवाद कँवल भारती), ''भारत में अछूत आन्दोलन''- 2011, स्वराज प्रकाशन, नई दिल्ली।
5. रामनाथ शर्मा, राजेन्द्र कुमार शर्मा, ''भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक समस्यायें''- 2011, एटलांटिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली।
6. बी. एल. दनोसी, ''गढवाल के शिल्पकारों का इतिहास''-2006, विनसर पब्लिशिंग कं0 देहरादून।
7. जय जय राम उपाध्याय, ''भारत का संविधान''-2022, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, प्रयागराज (इलाहाबाद),

5.13 लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. अस्पृश्यता उन्मूलन के कानूनी प्रावधान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
2. जे. एच. हट्टन अपनी पुस्तक 'कॉस्ट इन इण्डिया' में अस्पृश्यता कितने कारण बतायें है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

5.13 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Questions)

1. अस्पृश्यता का अर्थ स्पष्ट करते हुए परिभाषा लिखिए।
2. अस्पृश्यता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए।
3. अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रयासों की विवेचना कीजिए।

इकाई-6 स्वच्छता से संबंधित चुनौतियां
Challenges related to Sanitation

इकाई की रूपरेखा

6.1 परिचय

6.2 उद्देश्य

6.3 स्वच्छता का समाजशास्त्र क्या है?

6.4 स्वच्छता का महत्व

6.5 स्वच्छता से संबंधित चुनौतियां

6.6 स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढॉचों की अपर्याप्ता

6.7 सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां

6.8 आर्थिक असमानता से संबंधित चुनौतियां

6.9 नगरीकरण और जनघनत्व से संबंधित चुनौतियां

6.10 कूड़े-कचरे के निष्पादन से संबंधित चुनौतियां

6.11 पर्याप्त पानी की अपाप्र्यता से संबंधित चुनौतियां

6.12 शिक्षा और जागरूकता की कमी से संबंधित चुनौतियां

6.13 सामूहिक भागेदारी की कमी से संबंधित चुनौतियां

6.14 प्राशसनिक और नीतिगत चुनौतियां

6.15 स्वच्छता को बनाये रखने के लिए उर्पयुक्त प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों की अपर्याप्ता

6.16 सारांश

6.17 शब्दावली

6.18 संदर्भ सूची

6.19 उपयोगी पुस्तकें

6.20 निबंधात्मक प्रश्न

6.1 परिचय (Introduction)

किसी भी समाज को विकसित एवं खुशहाल बनाने में वहां के नागरिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चूंकि हम सब भलि-भांति इस बात को जानते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्ति करते हैं। समाज के यदि सभी व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे तो समाज को विकसित बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तित्व के सभी पक्षों का विकास होना जरूरी होता है, उसी प्रकार किसी समाज के समाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, नैतिक एवं धार्मिक सभी पक्षों का विकास होना आवश्यक होता है। यह सब तभी संभव है जब समाज के सम्पूर्ण व्यक्ति स्वस्थ रहेगें, निरोगी रहेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता को अपने जीवन में प्रमुख स्थान देंगे, और साथ ही समाज में स्वच्छता को बनाये रखने के लिए, स्वच्छता से संबंधित मूल्यों, आर्दशों, व्यवहारों एवं कर्तव्यों का स्वयं पालन करते हुए समाज को इसके विषय में जागरूक करने का कार्य करेंगे। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा।

6.2 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप

1. स्वच्छता के समाजशास्त्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
2. स्वच्छता का समाजशास्त्रीय महत्व जान सकते हैं।
3. स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये रखने में जो चुनौतियां हैं, उनके विषय में जान सकते हैं।

6.3 स्वच्छता का समाजशास्त्र क्या है? (What is the sociology of sanitation)

स्वच्छता का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र विषय में एक व्यापक एवं महत्वपूर्ण विषय है। स्वच्छता एक व्यक्तिगत मुद्दे के साथ-साथ सामाजिक मुद्दा ज्यादा है। स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, उनके

जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज के विकास से, गहराई से जुड़ा हुआ एक विषय है। स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज में स्वच्छता से संबंधित उन कारकों का व्यवस्थित अध्ययन करता है जो किसी समाज एवं समाज की सामाजिक संरचना में स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये रखने में जरूरी होते हैं। इसके साथ ही यह शास्त्र समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं अन्य उन बाधक तत्वों का भी विश्लेषण एवं निराकरण करता है जो समाज में स्वच्छता एवं स्वच्छता से संबंधित समस्याओं को बढ़ाने में जिम्मेदार तत्व होते हैं। यदि देखा जाये तो स्वच्छता केवल व्यक्तिगत स्तर पर साफ-सफाई तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक सामुदायिक जिम्मेदारी है। जिसे सम्पूर्ण समाज के लोगों से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत विषय कहा जा सकता है। स्वच्छता का समाजशास्त्र हमें बताता है कि समाज में स्वच्छता से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं का निराकरण कैसे किया जाये? क्या स्वच्छता को बनाये रखने के लिए सामाजिक सहभागिता आवश्यक है? हमारी सरकार द्वारा स्वच्छता एवं स्वच्छता से संबंधित क्या-क्या योजनाऐं चलाई जा रही हैं? सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए चलाई जा रही योजनाओं को सफल बनाने में समाज के लोगों के क्या दायित्व हैं? भारत में स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों का कैसे निराकरण किया जाये? ये तमाम मुद्दें स्वच्छता के समाजशास्त्र के विषय हैं। इनत तमाम तथ्यों से यह तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि स्वच्छता का विषय समाज के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य हैं इसलिए विद्यार्थियों के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि वे स्वच्छता को अपने जीवन की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दें। स्वच्छता एवं स्वच्छता से संबंधित व्यवहारों, कर्तव्यों एवं मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात् करें। तब हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाने में सफल होंगें।

6.4 स्वच्छता का महत्व (The Importance of Sanitation)

जैसा कि विद्यार्थियों आप सब जानते हैं कि स्वच्छता प्रत्येक समाज का एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि समाज में स्वच्छता एवं साफ-सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी तब समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। यदि समाज के सभी व्यक्ति स्वस्थ रहेंगे तब वे खुद अपना एवं अपने समाज का विकास कर सकेगें। स्वच्छता एवं साफ-सफाई सीधे तौर पर समाज के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़ी एक अवधारणा है। यदि समाज में अस्वच्छता होगी तब उस समाज के व्यक्ति अस्वस्थ रहेंगे, अनेक संक्रामक बीमारियों को फैलने एवं अपने पांव पसारने का मौका मिलेगा यानि कहीं न कहीं इन संक्रामक बीमारियों से मनुष्यों का जीवन स्तर प्रभावित होगा जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति अधिकतर बीमार रहेगें। आप सब यह बात भलि-भांति जानते हैं कि यदि समाज में कोई संक्रामक बीमारी, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा आती है तब इसमें सबसे पहले समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीब ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज के सभी नागरिकों को ज्ञान कराता है कि स्वच्छता केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे बनाये रखने के लिए समाज के समस्त नागरिकों का सामूहिक उत्तरदायित्व है एवं नैतिक जिम्मेदारी है।

यदि समाज के समस्त नागरिक स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित क्रिया कलापों, आचार-व्यवहारों, कर्तव्यों एवं नैतिक जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे, तब हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाने में सफल हो पायेंगे।

6.5 स्वच्छता संबंधित चुनौतियां (Challenges Related to Sanitation)

विद्यार्थियों जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि स्वच्छता सबके लिए नितांत आवश्यक होती है। स्वच्छता अमीरों, गरीबों, महिलाओं, पुरूषों, नौवजवानों, बच्चों एवं वृद्धजनों सबके स्वस्थ जीवन के लिए एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अस्वच्छता न तो गरीबी देखती और न ही अमीरी, अस्वच्छता किसी को भी बीमार कर सकती है। स्वच्छता का समाजशास्त्र सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के संदर्भ में स्वच्छता से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उन समस्याओं का निराकरण करता है जिनसे समाज को नुकसान होता है। यह शास्त्र समावेशी और प्रभावी स्वच्छता रणनीति तैयार करके इसका क्रियान्वयन करता है। जिसके परिणामस्वरूप समाज में अस्वच्छता की समस्या दूर होती है तथा समाज का बहुमुखी विकास होता है। हमारी सरकार ने स्वच्छता एवं साफ-सफाई को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत, सम्पूर्ण भारत में समाज के उन लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण करवाया है जिनके पास शौचालय नहीं हैं। जिससे ये लोग खुले में शौंच करने को मजबूर न हों। विद्यार्थियों आपने आस-पास भी बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास पहले शौचालय नहीं थे आज उनके घरों में शौचालय हैं। इन शौचालयों का निर्माण हमारी सरकार के द्वारा कराया गया है। खुले में शौंच करने से इसका सीधा प्रभाव मनुष्यों के साथ-साथ हमारे पर्यावरण पर ही पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में संक्रामक बीमारियों जैसे हैजा, डायरिया, टाईफाइड आदि जल जनित संक्रमण तेजी से फैल जाते हैं। खुले में शौच करने से मल हमारे पर्यावरण एवं जल स्रोतों में मिल जाता है जिससे करोड़ों वायरस, वैक्टीरिया और परजीवी पनप जाते हैं। ये वायरस और वैक्टीरिया जल जनित रोगों से लोगों को बीमार कर देते हैं। वर्ष 2014 से भारत सरकार ने यूनीसेफ की साझेदारी में खुले में शौंच मुक्त लक्ष्य तक पहुंचने में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत ने पूरे देश में खुले में शौंच को समाप्त करने में तेजी से प्रगति की है। जिससे पानी, सफाई और स्वच्छता के सुधार में महत्वपूर्ण असर पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम ने लोगों की शौचालयों तक पहुँच और इनके इस्तेमाल के बारे में लाखों लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन ने वर्ष 2019 तक भारत को ‘‘खुले में शौंच मुक्त’’ बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। हमारी सरकार ने 2014 में ‘‘स्वच्छ भारत मिशन’’ कार्यक्रम की शुरूवात की थी। एक ओर इस कार्यक्रम की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करती है सभी घरों में शौचालय निर्मित हों और उनका बराबर उपयोग

किया जाये, वहीं दूसरी ओर यह कार्यक्रम समाज को स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और मल अपशिष्ट को खेतों में बहने और फसलों को दूषित करने से रोकने पर भी केन्द्रित है।[1]

चूंकि भारत एक विशाल देश है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, लोगों की स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी, खुले में शौंच करने की प्रवृत्ति एक आम बात थी। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम से अब लोगों की मानसिकता में बदलाव देखने को मिल रहा है। भारत में बढ़ते नगरीकरण, शहरीकरण, लोगों का गांवों से नगरों में प्रवास एवं अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाऐं स्वच्छता एवं स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करती हैं। हमारे सम्मुख स्वच्छता से संबंधित क्या-क्या चुनौतियां हैं। इस इकाई में हम स्वच्छता से संबंधित इन तमाम चुनौतियों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे।

6.6 स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों की अपर्याप्ता (Inadequate Sanitation Infrastructure)

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण, स्लम और अवैध बस्तियों ने हमारे सम्मुख स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये रखने में एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करने का काम किया है। रोजगार एवं काम धंधों की तलाश में व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह गांवों से छोटे बड़े नगरों, महानगरों में आ रहे हैं। नगरों, महानगरों में लोगों के लिए पर्याप्त रहने की व्यवस्था न होने के कारण इनमें से अधिकांश लोग वहां पर अवैध कॉलोनियों एवं बस्तियों का निर्माण कर वहां पर रह रहे हैं। चूंकि इन कॉलोनियों के अवैध होने के कारण वहां पर न तो समुचित जल-निकासी की व्यवस्था होती है और न ही पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था होती है। ये लोग वहां पर कच्चे शौचालयों, रेलवे की पटरी एवं खाली पड़े स्थानों के आस-पास खुले में शौंच करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जगह-जगह पर पब्लिक टॉयलेटों का निर्माण किया है जिससे प्रत्येक स्थान पर स्वच्छता को बनाये रखा जा सके। ये लोग सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करने से बचते हैं। हम सब इस बात को भलि-भांति जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, जिसकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। जिस गति से भारत की जनसंख्या, नगरीकरण, औद्योगीकरण, स्लम एवं अवैध बस्तियां बढ़ रही हैं उस गति से स्वच्छता और स्वच्छता को बनाये रखने के उपागमों एवं संसाधनों पर हमारी सरकार प्राथमिकता से काम भी कर रही है। यदि देखा जाये तो स्वच्छता केवल शौचालयों के निर्माण तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है। जिसमें स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, कूड़े-कचड़े के निष्पादन की उचित व्यवस्था, जल-निकासी की उचित व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये रखना तथा स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं के रखरखाव आदि शामिल होते हैं। इन सबके लिए प्रभावी एवं बुनियादी ढांचों के साथ-साथ लोगों की भी जिम्मेदारियां होती हैं कि वे स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये

रखने में अपना योगदान दें। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में शौचालयों की जनसंख्या के अनुरूप अपर्याप्ता, कूड़ा-कचड़ा संग्रहण और निष्पादन की समुचित व्यवस्थाओं की अर्पयाप्ता, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं साफ-सफाई के प्रति लोगों की उदासीनता तथा लोगों में जागरूकता की कमी आज भी एक गम्भीर समस्या के रूप में कहीं-कहीं पर देखने को मिलती है। कई बार बुनियादी संसाधनों का अभाव प्रशासनिक खामियां और तकनीकि ज्ञान की कमी के कारण भी स्वच्छता को बनाये रखने के बुनियादी ढांचे उचित तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। जिससे हमारी सरकार को स्वच्छता के लिए चलाये गये कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि जनसंख्या के अनुरूप बुनियादी ढांचों, जिन पर स्वच्छता निर्भर होती है की कमी को दूर किया जाये।

6.7 सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां (Socio-Cultural Challenges)

विद्यार्थियो आप सब इस तथ्य को भलि-भांति जानते हैं कि स्वच्छता समाज की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक मान्यताओं और समाज के व्यक्तियों की आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ एक विषय है। भारत में अलग-अलग जातिय, धार्मिक, प्रजातीय एवं अलग-अलग सांस्कृतिक समूहों के लोग निवास करते हैं। जिनके अपने-अपने सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्य होते हैं। भारत में स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़ी संबंधित चुनौतियों में सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। चूंकि यहां अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं, जो प्राचीन मान्यताओं, धारणाओं और विश्वासों को अपने जीवन में प्रमुखता देते हैं। हांलाकि यह बात सही है कि यहां पर स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़ी कई धारणाऐं प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से ही आती हैं, जिसमें गंदगी और अस्वच्छता को अशुद्धता से जोड़कर देखा जाता है, जो सही भी है। लेकिन यहां के कुछ ग्रामीण एवं देहात के अंचलों में कुछ ऐसी भी मान्यताऐं हैं जिसमें घरों के अंदर शौचालयों और इनके निर्माण का अशुद्ध माना जाता है, ऐसा मानने वाले लोगों का मत है कि इससे पूरा घर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत से ग्रामीण देहात के इलाकों के बहुत से घरों के अंदर शौचालयों का निर्माण नहीं किया जाता है। इसके साथ ही ग्रामीण देहात के कुछ क्षेत्रों में लोग अभी भी, पुराने शौच के पारम्परिक तौर तरीकों को अपनाना ही ठीक समझते हैं। ये पारम्परिक तौर तरीके स्वच्छता के आधुनिक तौर-तरीकों के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। हांलाकि इन लोगों की मानसिकता में अब धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है। शौंच के पारम्परिक तौर-तरीकों से कहीं न कहीं इन लोगों में स्वास्थ्य संबंधित समस्याऐं पैदा हो जाती हैं। स्वच्छ भारत अभियान ने आज बहुत हद तक इन पुरानी मान्यताओं में विश्वास करने वाले लोगों की, मानसिकता को बहुत हद तक बदलने का काम किया है।

6.8 आर्थिक असमानता से संबंधित चुनौतियां (Challenges Related to Economic Inequality)

आर्थिक असमानता समाज में विभिन्न समूहों के बीच आय और अवसर के असमान वितरण से संबंधित होती है। आर्थिक असमानता के कई प्रकार होते हैं, सबसे खास है आय असमानता जिसे आय के वितरण और उपयोग करके मापा जाता है। धन असमानता जिसे धन के वितरण का उपयोग करके मापा जाता है। आर्थिक असमानताऐं व्यक्तियों के सभी पक्षों को प्रभावित करती हैं।[2] आर्थिक असमानता से व्यक्ति शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, साफ-सफाई जैसी मूल भूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं। यह आर्थिक असमानता न केवल समाज के नागरिकों के जीवन स्तर को प्रभावित करती है बल्कि ये सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी अपना प्रभाव डालती है, जिससे समाज का विकास प्रभावित होता है। जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती है तब समाज में स्वच्छता को बनाये रखने में कठिनाई होती है। यहां तक की सरकार के द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए यह एक चुनौती पैदा करने का काम करती है।

जैसा कि विद्यार्थियों आप सब जानते हैं कि गरीब और वंचित वर्गों के पास स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये रखने से संबंधित सुविधाओं की कमी होती है। जिसके कारण ये लोग अस्वास्यकर परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। इनका संघर्ष दो टाइम की रोजी-रोटी को जुटाने के लिए ही हो पाता है। इस कारण ये लोग स्वच्छता पर न तो ध्यान देते हैं और न ही इनके पास इसके लिए समय होता है। स्वच्छता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य समाज में स्वच्छता के मानकों में सुधार करके, समाज को स्वस्थ बनाना है। लेकिन समाज में बढ़ती आर्थिक असमानताओं के कारण समाज के गरीब और वंचित वर्ग के लोग इन कार्यक्रमों एवं सरकारी नीतियों का फायदा नहीं ले पाते हैं। आर्थिक-असमानता एवं लोगों में जागरूकता की कमी के कारण स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के सफल संचालन और निष्पादन में एक चुनौती देखने को मिलती है।

6.9 नगरीकरण और जनघनत्व से संबंधित चुनौतियां (Challenges Related to Urbanization and Population Density)

भारत में तेजी से बढ़ते नगरीकरण के साथ-साथ नगरों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार 2001 तक भारत की आबादी का 27.81 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता था। 2011 तक यह 31.16 प्रतिशत और 2018 में 33.6 प्रतिशत हो गया। 2001 की जनगणना में शहर-कस्बों की कुल संख्या 5161 थी जो 2011 में बढ़कर 7936 हो गई है।[3] गांवों से लोग रोजगार के लिए नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिस कारण नगरीकरण और नगरों के जनघनत्व में आशातीत वृद्धि हो रही है। नगरों में जिस दर से जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, उस दर से वहां पर स्वच्छता

से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता में कमी है। इस रफ्तार से बढ़ती हुई नगरीय आबादी को देखते हुए लोगों को साफ पानी, पर्यावरण, स्वच्छता, और शौचालयों की समस्या और स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नगरों की बढ़ी जनसंख्या के कारण नगरों में कूड़े-कचड़े के ढेर लग रहे हैं। इसके साथ ही उचित जल निकासी, कूड़े कचड़े के निष्पादन एवं प्रबंधन की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों के द्वारा कूड़े-कचड़े को खुले में ही फेंक दिया जाता है, जिस कारण नगरों में संक्रामक रोगियों की संख्या में बढोत्तरी एवं जल जनित रोगों का संक्रमण तेजी से फैल जाता है। नगरों एवं महानगरों में बड़ी जनसंख्या झुग्गियों एवं अवैध कॉलोनियों को अपना निवास स्थान बनाती हैं। इन झुग्गियों एवं अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी, कूडे-कचड़े के निष्पादन तथा शौचालयों एवं साफ-सफाई की बुनियादी सुविधाऐं नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि ये अवैध होती हैं। स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों में ये एक प्रमुख चुनौती हैं।

6.10 कूड़े-कचड़े के निष्पादन से संबंधित चुनौतियां (Challenges related to garbage disposal)

नगरीकरण, औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप नगरों की जनसंख्या में तेजी से बढोत्तरी हो रही है। जैसे-जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, उसी अनुपात में वहां पर कूड़े-कचड़े की मात्रा भी बढ़ रही है। आज भारत के हर नगरों एवं महानगरों के आस-पास कूड़े-कचड़े के पहाड़ देखने को मिल जाते हैं। इन कूड़े-कचड़े के पहाड़ों में हवा के जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है। इस कूड़े-कचड़े से मीथेन गैस निकलती है, जो सूर्य के ताप को अवशोशित कर लेती है। जिससे हमारे वातावरण की गर्मी बढ़ती है। ये कूड़े-कचड़े के अम्बार ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी जिम्मेदार हैं। यह मीथेन गैस कार्बनडाई ऑक्साइड की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक ताप को अवशोषित करती है।[4] नगरों में अनियत्रित कचरा प्रबंधन से सड़कों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलती है। जिसके परिणामस्वरूप वातावरण प्रदूषित होता है। हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान की राष्ट्रीय विशेषज्ञ रागिनी जैसे ने कचरे के निष्पादन के लिए कूड़े-कचड़े के पहाड़ों को काटकर उन्हें सीढ़ीनुमा बनाने का सुझाव दिया है। जिससे इन कूड़े-कचड़े के ढेरों में पर्याप्त वायु प्रवेश करेगी। जिससे लीचेट नामक जो खतरनाक द्रव्य इन कूड़े-कचड़े के ढेरों से बनाता है वह भूमि के अंदर जाने से बच जायेगा। साथ ही इन कूड़े के ढेरों को सप्ताह में 4 बार पलटा जाता है। इन पर कम्पोस्ट माइक्रोब्स का छिड़काव किया जाता है। जिससे कूड़े के ढेरों को जैविक मिश्रण के रूप में बदला जा सके। इस चार बार के चक्र में कूड़े-कचड़े का ढेर 40 प्रतिशत कम हो जाता है।[5] स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम के तहत अब नगरों के कूड़े-कचड़े के ढेरों को जैविक खाद में परिवर्तित करने का कार्य त्वरित गति से हो रहा है। इससे हम अपने पर्यावरण और पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, कूड़े-कचड़े का उचित प्रबंधन न होने से यह नगरीय जीवन को चुनौतिपूर्ण बना देता है। समुचित कूड़े-कचड़े के निष्पादन के बिना स्वच्छता की कल्पना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

6.11 पर्याप्त पानी की अपर्याप्ता से संबंधित चुनौतियां (Challenges related to lack of adequate water)

स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खुले में शौंच की समस्या को समाप्त करना है। यानि सम्पूर्ण देश को खुले में शौंच **(ODF)** मुक्त करना है। हर घर में शौचालयों का निर्माण, जल की आपूर्ति और ठोस व तरल कचरे का उचित तरीके से प्रबंधन करना है।[6] आप इस बात को जानते हैं कि शौचालयों की साफ-सफाई के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। आज हर जगह पर पर्याप्त पानी की उतनी उपलब्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए। पर्याप्त पानी की कमी के कारण लोग शौचालयों का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह समस्या खासकर उन क्षेत्रों में अधिक है जहां पर जल संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। पानी की कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार हर घर जल कार्यक्रम के तहत प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। गांवों एवं नगरों के आस-पास बनी झुग्गी-झोपड़ियों में पानी की अनुपलब्धता के कारण लोग खुले में शौंच करने को मजबूर हो जाते हैं। जिसका नकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों पर दिखलाई देता है। इसके साथ ही नगरीय इलाकों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने एवं नालियों की समुचित सफाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था के अभाव के कारण नालियों में कचरा जमा हो जाता है, जिससे उस स्थान विशेष में वर्षा के दौरान जल-भराव हो जाता है। जो स्वच्छता को बनाये रखने में एक गम्भीर चुनौती बन जाती है। शौचालयों का उपयोग, साफ-सफाई, जल निकासी एवं नालियों की साफ-सफाई पानी पर निर्भर करता है। पर्याप्त पानी की कमी स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों में से एक है।

6.12 शिक्षा और जागरूकता की कमी (Lack of education and awareness)

स्वच्छता केवल एक व्यक्तिगत आवश्यकता नहीं है वरन् यह एक स्वस्थ समाज के विकास और उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी हुई अवधारणा है। समुचित शिक्षा और लोगों की स्वच्छता के विषय में जागरूकता, समाज में स्वच्छता को बनाये रखने में मददगार होती है। इसके विपरीत जब लोगों में शिक्षा और जागरूकता की कमी होती है, तब लोगों में स्वच्छता के प्रति समझ विकसित नहीं हो पाती है। जिसके परिणामस्वरूप लोग अस्वच्छ व्यवहारों को अपनाते हैं। जैसे खुले में शौंच, कूड़े-कचड़े को इधर-उधर फैंकना एवं सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को बनाये रखने की उपेक्षा करना आदि व्यवहारों को अपनाते हैं। इस प्रकार लोगों में शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण स्वच्छता एवं स्वच्छता को बनाये रखने के प्रयासों के सम्मुख चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

6.13 स्वच्छता को बनाये रखने के लिए उपयुक्त प्राद्योगिकी एवं नवाचारों की अपर्याप्ता (Leck of appropriate technology to maintain cleanliness)

हांलाकि स्वच्छ भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने, जो स्वच्छता के लिए संचालित किये जा रहे हैं ने बहुत हद तक स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन कहीं-कहीं पर पारम्परिक तौर-तरीकों से आज भी कूड़े-कचड़े का निस्तारण किया जा रहा है। हांलाकि केन्द्र और राज्यों की सरकारों ने स्वच्छता, को बनाये रखने के लिए एवं कूड़े-कचडे के निस्तारण के लिए नई-नई प्रौद्योगिकी एवं तकनीकें विकसित कर दी हैं। इन नई प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों का प्रयोग अभी देश के कुछ ही हिस्सों तक सीमित हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि कूड़े-कचड़े के सफल निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और नये-नये नवाचारों का प्रयोग देश के कोने-कोने में किया जाये। जिससे स्वच्छता के साथ-साथ हमारे पर्यावरण की भी रक्षा होगी। जिससे जनमानस स्वस्थ और खुशहाल रहेगा।

6.14 सामूहिक भागीदारी की कमी से संबंधित चुनौतियां (Challenges related to lack of collective Participation)

जैसा कि आप सब जानते हैं समाज में स्वच्छता को बनाये रखने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ-साथ सामूहिक जिम्मेदारी भी आवश्यक होती है। क्योंकि इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। स्वच्छ भारत मिशन योजना ने स्वच्छता के प्रति लोगों में जिम्मेदारियां तथा कर्तव्यों के निर्वहन के भाव को जागृत किया हैं। अब सम्पूर्ण नागरिक पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों में सक्रिय भागेदारी कर रहे हैं। अब धीरे-धीरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा देखा गया स्वच्छ भारत का सपना साकार होने लगा है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आगे आकर स्वच्छता के इस जन आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। सामुदायिक भागेदारी स्वच्छ भारत मिशन की मुख्य गतिविधियों में से एक है। ताकि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।7 लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी प्रायः कहीं-कहीं पर व्यक्तिगत स्वार्थ, असमान सामाजिक ढांचे, स्वच्छता के विषय में लोगों में आपसी संवाद की कमी और स्वच्छता के लिए सामूहिक भागेदारी की कमी के कारण लोग सामूहिक स्वच्छता कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर पाते हैं। जिससे स्वच्छता के कार्यक्रमों के सम्मुख चुनौती प्रकट हो जाती है।

6.15 प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियां (Administrative and Challenges)

देश के कोने-कोने में स्वच्छता एवं स्वच्छता से संबंधित अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। स्वच्छता से संबंधित ये कार्यक्रम केवल व्यक्तिगत या सामुदायिक प्रयासों तक सीमित नहीं हैं बल्कि ये सम्पूर्ण समाज की एक

समग्र प्रणाली का हिस्सा हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि स्वच्छता हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से प्रमुख प्राथमिकता है। जिसके लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का सही तरीके से क्रियान्वयन तभी संभव है जब सभी लोग स्वच्छता के लिए सामूहिक जिम्मेदारियां लें। प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों के सफल क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों के बीच समन्वय होना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रशासनिक संरचनाओं, अधिकारियों एवं नौकरशाहों में जवाबदेही और पारदर्शिता से अपने कत्तर्व्यों का निर्वहन करना आवश्यक हो जाता है। बहुत बार देखने को मिलता है प्रशासनिक संरचनाओं, नौकरशाहों में जवाबदेही एवं पारदर्शिता की कमी स्वच्छता कार्यक्रमों एवं नीतियों के लिए चुनौतियों का कार्य करते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुधारों, नौकरशाहों की जवाबदेही, सामूहिक जागरूकता एवं जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन जरूरी हैं। जिससे इन तमाम चुनौतियों को आसानी से हल करने में सहायता मिलेगी।

6.16 सारांश (Summary)

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप स्वच्छता के समाजशास्त्र के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप भारतीय समाज में स्वच्छता के महत्व के विषय में अपने ज्ञान का ज्ञानार्जन आसानी से कर पाने में समर्थ होगें। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता और स्वच्छता को समाज में बनाये रखने में सम्पूर्ण समाज की जिम्मेदारी होती है। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए समाज के व्यक्तियों का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। समाज के सम्पूर्ण व्यक्ति तब स्वस्थ होगें जब वे अपने जीवन में स्वच्छता को महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में रखेंगे। आज पूरे देश के कोने-कोने में स्वच्छता के लिए अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोग इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दे भी रहे हैं। अब लोग स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। लोग खुले में शौंच न करें इसके लिए हमारी सरकार समाज के वंचित, गरीब और अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के लिए शौचालयों एवं हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य कर रही है। इस देश व्यापी तमाम कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बाद भी स्वच्छता से संबंधित कुछ चुनौतियां हमारे सम्मुख आज भी हैं। प्रस्तुत इकाई में इन तमाम चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। इन चुनौतियों में स्वच्छता से संबंधित बुनियादि ढांचों की अपर्याप्ता, सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां, आर्थिक असमानताएं, नगरीकरण और जनघनत्व से संबंधित चुनौतियां, कूड़े-कचड़े के निष्पादन से संबंधित चुनौतियां, पर्याप्त पानी की अपर्याप्ता से संबंधित चुनौतियां, शिक्षा और जागरूकता की कमी, स्वच्छता को बनाये रखने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों की अपर्याप्त, सामूहिक भागीदारी से संबंधित चुनौतियां तथा प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियों पर चर्चा करने का प्रयास किया गया है। इस ईकाइ का अध्ययन करने के बाद आप स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों को भलि-भांति समझ सकते हैं।

6.17 शब्दावली (Glossary)

स्वच्छता का समाजशास्त्र- स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और स्वस्थ समाज के निर्माण तथा विकास से जुड़ा हुआ विषय है। स्वच्छता का समाजशास्त्र समाज में स्वच्छता और स्वच्छता को बनाये रखने में आवश्यक उन तमाम कारकों का अध्ययन करता है, जो किसी समाज में स्वच्छता को बनाये रखने के लिए आवश्यक होते हैं। साथ ही यह विषय स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों के निराकरण का भी मार्ग प्रशस्त करता है।

स्वच्छ भारत मिशन अभियान- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) कार्यक्रम की शुरूवात 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। यह अभियान गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान का लक्ष्य सम्पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से सम्पूर्ण भारत में लोगों की स्वच्छता को बनाये रखने के प्रति जागरूकता बढ़ी है और बढ़ रही है। इस कार्यक्रम का ही परिणाम है कि आज भारत के कोने-कोने में खुले में शौंच की परम्परा समाप्त हो रही है। साथ ही लोग स्वच्छता को अपने जीवन में प्रमुख प्राथमिकता दे रहे हैं। जिससे समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं।

6.18 संदर्भ सूची (Reference)

1. ''भारत को खुले में शौंच से मुक्त करना'' www.unief.org
2. "Economic inequality" www.apa.org>opies
3. ''भारत में शहरीकरण की बढ़ती चुनौतियां'' www.drishtiias.com, 28 फरवरी 2019।
4. ''कचरा निष्पादनः समस्या और समाधान'' www.afeias.com>current-content, 12 जुलाई 2017
5. ''कचरा निष्पादनः समस्या और समाधान'' www.afeias.com>current-content, 12 जुलाई 2017
6. ''स्वच्छ भारत अभियान और शहरी चुनौतियां'' www.drishtiias. com.> hindi, 14 नवम्बर 2019।

7. ''सामुदायिक भागेदारी। 'स्वच्छता'। असम सरकार, भारत, Assam State Portal, https phesanitation. Assam.gov.in

6.19 उपयोगी पुस्तकें (Useful Books)

1. नागला, बी0 के0 (सम्पादक), (2023) ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

2. बाघेला, अनिल एस. (2015) ''स्वच्छता के समाजशास्त्र का स्परूप'' कल्पज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

3. पाठक, डॉ. विन्देश्वर (2014) "Sulabh movement sanitation for all" प्रकाशक सुलभ इंटरनेशनल।

4. पाठक, डॉ. विन्देश्वर (2015) "sociology of sanitation" कल्पज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

5. शिवरामकृष्णन, आर0 (2017) "open defection in India: Issues and challenges" रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

6.20 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Questions)

1. स्वच्छता का समाजशास्त्र क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. स्वच्छता के महत्व पर एक समाजशास्त्रीय निबंध लिखिए।
3. क्या सामूहिक भागेदारी स्वच्छता के लिए आवश्यक है? इस कथन की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए।
4. स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
5. भारत में स्वच्छता को बनाये रखने में कौन-कौन सी चुनौतियां है? विस्तार से चर्चा कीजिए।

इकाई- 07 स्वच्छता: साफ सफाई और स्वास्थ्य

Sanitation: Hygiene and Health

इकाई की रुपरेखा

7.0 प्रस्तावना

7.1 उद्देश्य

7.2 सफाई का तात्पर्य

7.3 समुचित सफाई का महत्व

7.4 सफाई के समुचित साधन और विधियां

7.5 सफाई विकल्प

7.6 स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा

7.7 स्वास्थ्य की परिभाषा

7.8 स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा का विकास

7.9 स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में बदलता हुआ दर्शन

7.10 स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में बदलता हुआ दर्शन (भारतीय परिपेक्ष्य)

7.11 सतत विकास में स्वच्छता का महत्व

7.12 सारांश

7.13 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

7.14 निबंधात्मक प्रश्न

7.0 प्रस्तावना (Introduction)

स्वच्छता एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय है, जो बीमारी की रोकथाम, उत्पादकता बढ़ाने और इस प्रकार सतत विकास का समर्थन करने के लिए आवश्यक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन निवासियों ने इसे समझा था, लेकिन आज किसी तरहय हम इसे भूल जाते हैं। ढके हुए सीवरों के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि लोगों के पास फ्लश टॉयलेट और शौचालय तक पहुंच होरू जिसका उपयोग केवल एक ही घर द्वारा किया जाता है, हवादार हो और आस-पास के वातावरण से अपशिष्ट को अलग करने के लिए डिजाइन किया गया हो। हमें स्वच्छता व्यवहार को अपनाने और तत्काल और पड़ोस के वातावरण में सफाई बनाए रखने के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। कम आय वाले देशों में पर्यावरण स्वच्छता की मुख्य समस्या जल आपूर्ति का संदूषण है और कभी-कभी मानव अपशिष्ट के साथ भोजन और मिट्टी भी। अधिकांश शहरी निवासियों के पास पाइप से पीने का पानी उपलब्ध है। फिर भी सार्वजनिक जल आपूर्ति अक्सर दोषपूर्ण या गैर-मौजूद सीवेज सिस्टम और स्वच्छता सुविधाओं के परिणामस्वरूप वितरण प्रक्रिया में संदूषण के कारण असुरक्षित हो जाती है। दूसरी प्रकार की पर्यावरण स्वच्छता समस्या अपर्याप्त स्थानों, वेंटिलेशन और सूर्य के प्रकाश तक पहुंच में आवास से उत्पन्न होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में अधिक होने की संभावना है। खराब स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल की कमी और हवा, पानी और भूमि में बढ़ते प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। खराब स्वास्थ्य और रुग्णता सतत विकास में मनुष्यों की प्रभावी भागीदारी को बाधित करती है। इसलिए, सतत विकास की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों में बेहतर स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य के पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए।

7.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का पढ़ने के पश्चात् आपके द्वारा यह समझना संभव होगा-

- सफाई की महत्व का जान पाएगें।
- समुचित सफाई और स्वच्छता की विधियों पर प्रकाश डाल सकेंगे।
- स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा का विकास को जान पाएगें।
- स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में बदलता हुआ दर्शन का अध्ययन कर सकेंगे।
- सतत विकास में स्वच्छता का महत्व पर प्रकाश डाल सकेंगे।

7.2 सफाई का तात्पर्य (Meaning of Hygiene)

सफाई का तात्पर्य घरों से निकलने वाले कूड़े कचरे और जल निकास की समुचित व्यवस्था से है। आसपास के माहौल को गंदगी और संक्रमण से मुक्त रखना सफाई का मुख्य उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार सफाई, मल और गंदे जल के निपटारे की स्वच्छतापूर्वक व्यवस्था है ताकि इससे व्यक्ति और समाज का जीवन और स्वास्थ्य खतरे में न पड़े। एवं सफाई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन को बिना नुकसान पहुंचा मनुष्य के माल और सामुदायिक कूड़े कचरे का सही ढंग से निपटारा करना है। विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कोष की कमी, प्रशिक्षण कर्मियों की कमी और स्वीकार्य वैकल्पिक प्रौद्योगिकीयों संबंधी ज्ञान की कमी के कारण समुचित स्वच्छता और सफाई को लेकर कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। इन कारणों से ऐसे अधिकांश देशों में सफाई व्यवस्था बहुत ही निम्न स्तरीय है।

7.3 समुचित सफाई का महत्व (Importance of proper Hygiene)

किसी भी समुदाय के लिए सफाई की योजना बनाते समय मल निकास व्यवस्था का विशेष महत्व है। इससे संबंधित आबादी के स्वास्थ्य और कल्याण पर असर पड़ता है। लोगों को आधारभूत स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय सरकारों ने सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्थानीय स्तर पर सफाई सुविधाओं, पीने योग्य जल की आपूर्ति और स्वास्थ्य की देखभाल के बीच सीधा संबंध है। एवं देश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए बेहतर सफाई व्यवस्था और पीने योग्य जल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भोजन, घर और स्वस्थ आदि जैसी आधारभूत मानवीय जरूरत को पूरा करते समय इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सफाई को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। विकासशील देशों के शहरी क्षेत्रों का विकास तेजी से हो रहा है। यहां गांव से निर्धन लोग बड़ी तादात में रोजगार की तलाश में आते हैं। इनमें से अधिकांश लोगों के पास खाने पीने, रहने और पहनने के समुचित साधन नहीं होते इसलिए इनमें से अधिकांश लोग शहर के आसपास झुग्गियों और मेली कुचली बस्तियों को बनाकर रहते हैं। इन सभी बस्तियों में स्वास्थ्य संबंधी समस्या विकट होती है। घनी आबादी के कारण सांस संबंधी बीमारी पैदा हो जाती है। पोषण के कारण गंदे पानी से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती है चुंकि अधिकांश मामलों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती व लोगों के बीच अस्वस्थ पानी से होने वाली बीमारियां तेजी से फैलती है।

4.4 सफाई के समुचित साधन और विधियां (Proper Resource and methods of Hygiene)

सफाई करने के कई तरीके उपलब्ध है लागत, स्वीकार्यता, संचालन और रखरखाव तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों आदि जैसी कारकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद सर्वथा उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते समय कई कारकों का प्रभाव पड़ सकता है जिनका उल्लेख निम्नलिखित है-

1. जल आपूर्ति स्तर

सफाई का विकल्प चुनते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि प्रत्येक घर को कितना पानी मिलता है। जहां पानी की कमी है वहां बेहतर ढंग से हवादार गड्ढे खोदकर शौचालय बनाए जा सकते है। यदि पानी की आपूर्ति प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति 50 लीटर से उपर है तो आधुनिक 'फलश सिस्टम' की व्यवस्था की जा सकती है। इसी प्रकार यदि पानी की कोई दिक्कत नहीं है तो स्वचालित फलश युक्त शौचालयों और सेफिटक टैंक का विकल्प चुना जा सकता है।

2. मिट्टी की विशिष्टता

सफाई का विकल्प चुनते समय मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहां मल की रोज सफाई की जाती है वहां इसकी समस्या नहीं होती है। सफाई प्रौद्योगिकी के चुनाव में मिट्टी की विशेषताओं, इसकी स्थिरता का विशेष महत्व होता है। जिस मिट्टी में सोखने की क्षमता नहीं होती वहां अधिकांश विकल्प बहुत कारगर नहीं होते हैं। जहां की मिट्टी अस्थिर होती है वहां के शौचालय का फर्श और दीवारें मजबूत बना देती चाहिए। यदि भूतल जल का स्तर ऊपरी तल से 1 मीटर नीचे है तो ऐसी स्थिति में गड्डे खोदकर शौचालय बनाना संभव नहीं है। पहाड़ी मिट्टी में कोई भी सफाई विकल्प बहुत कारगर नहीं होता ।

3. घनी जनसंख्या

सफाई का विकल्प निर्धारित करते समय जनसंख्या की सघनता महत्वपूर्ण कारक होती है। घनी आबादी वाली बस्तियों में खुले और रोज सफाई करने वाले शौचालय का निर्माण संभव नहीं होता है और वहां फलश युक्त और सेप्टिक टैंक वाले शौचालय उपयुक्त परिस्थिति रहने पर ही बनाई जा सकते हैं। यहां परंपरागत रूप से मन निकास नदी से सीधे तौर पर जोड़े जाने वाले शौचालय भी बनाए जा सकते हैं।

4. अन्य कारक

किसी की बस्ती के लिए सफाई की व्यवस्था का विकल्प चुनने से पहले लागत, पुनः उपयोग की सुविधा, पर्यावरण कारक और संस्थागत बधाओं पर पूरी तरह से विचार कर लेना चाहिए।

7.5 सफाई विकल्प (Cleaning Options)

(1) खुले में शौच करना- हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच करना एक आम बात है। लोग आमतौर पर खेतों में, पेड़ों के नीचे, कूड़े कचरों पर शौच करते हैं। इससे मक्खियां सक्रिय होती है और कई प्रकार की बीमारियां फैलती है। इस प्रथा के कारण कई प्रकार के रोग फैलते हैं। इस प्रकार की प्रथा को तुरंत समाप्त करना चाहिए और मानव बस्तियों के आसपास कभी भी खुले में सोच नहीं करना चाहिए।

(2) छोटे कार्ड - इस विधि से छोटे गड्ढे करके शौच किया जाता है और उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है। एक बार खोदे गड़ढे का उपयोग लंबे समय तक के लिए किया जा सकता है। उपयोग करने के बाद गड्ढे के मुंह को पत्थर या किसी अन्य चीज से ढक देना चाहिए। शौच बहुत जल्द ही मिट्टी बन जाता है। इस विधि में कोई खर्च नहीं आता और यह किसानों के लिए खाद का काम करती है।

(3) साधारण गड्ढे का शौचालय- इस प्रकार के शौचालय में 2 मी या इससे बड़े गड्ढे खोदकर उसके ऊपर पटिया बिछा दी जाती है। शौच का गड्ढा गोल बनाया जाता है। उस पर पट्टियां ऐसी बिछाई जाती है जिससे शौच सीधे गड्ढे पर गिरे। पट्टियों को चारों ओर से मजबूती से चेक कर दिया जाता है और इसे जमीन से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है ताकि गड्ढे में पानी न जाए। इसमें कम लागत लगती है और पानी की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के शौचालय में बदबू आती है और मक्खियां और मच्छर पैदा होते है। इसलिए इस तरीके शौचालय का उपयोग के बाद ढक देना चाहिए। जब गड्ढा आधा भरा जाए तो उसे बंद करके उसके स्थान पर दूसरे गड्ढे का उपयोग करना चाहिए।

(4) बेहतर ढंग से हवादार गड्ढे का शौचालय- यह साधारण गड्ढे का ही परिष्कृत रूप है जिसमें शौचालय के ऊपर हवा निकलने के लिए एक पाइप लगा दिया जाता है। शौचालय के अंदर अंधेरा रखा जाता है। हवा या गैस निकलने वाली नली में जाली लगा दी जाती है। ताकि मक्ख्यिां और मच्छरों का प्रवेश रोका जा सके। इस प्रकार के शौचालय में स्वच्छता होती है और इसमें कम से कम पानी खर्च होता है। इसका उपयोग करने वाले यदि सावधानी रखें तो मच्छर और मक्खी कम पैदा होंगे इस प्रकार के शौचालय में बदबू भी कम होती है।

(5) कंपोस्टिंग शौचालय - इसमें शौच चारों ओर से बंद गड्ढ में गिरता है इसमें राख या सब्जी के अवशेषों जैसे अकार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। नमी में नियंत्रिण करके रासायनिक संतुलन बनाकर मल को उर्वरक में बदला जा सकता है। मल को खाद बनने की प्रक्रिया में रोगाणु मर जाते हैं। इस प्रकार में दो प्रकार के शौचालय होते हैं। एक प्रकार में लगातार खाद बनती रहती है और दूसरे में खाद बनाने के लिए दो अलग-अलग गड्ढे बनाए जाते हैं इसमें पानी का कम खर्च होता है और स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा रहती है इस प्रकार की तकनीक घनी बस्तियों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसके लिए अकार्बनिक जैविक पदार्थ बहुतायत होता है। इस विधि का उपयोग करने के लिए इसके उपयोगकर्ताओं को काफी सावधानी बरतनी पड़ती है।

(6) सेप्टिक टैंक - सेप्टिक टैंक चारों ओर से बंद एक आयतकार चैम्बर होता है जिसे जमीन के अंदर बनाया जाता है। सेप्टिक टैंक में शौच के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी और घर में उपयोग किया गया पानी इसके अंदर जाता है। एक से तीन दिन के भीतर ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं और ऊपरी सतह पर झागअ की मोटी परत जम जाती है। सेप्टिक टैंक के अनुसार के निस्सार को खेतों में डाला जा सकता है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है, पानी जमा नहीं होता है और जहां की मिट्टी में पानी सूखने की क्षमता होती है वहां यह व्यवस्था बहुत कारगर होती है।

(7) जल युक्त शौचालय - चारों ओर से बंद टैंक के ठीक ऊपर यह शौचालय बनाया जाता है। शौच एक पाइप के जरिए सीधे इस टैंक में गिरता है। पाइप का निचला हिस्सा पानी में डूबा होता है जिसके कारण दुर्गंध, मक्खी और मच्छर से निजात मिलती है। अतः यह टैंक सेप्टिक टैंक की तरह ही काम करता है। निस्सार आमतौर पर एक सोखने वाले गड्डे के जरिए बाहर निकल जाता है। हवा बाहर निकालने के लिए पाइप लगा होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर पानी का स्तर बनाए रखना चाहिए इस दौरान बने गाड़ी कीचड़ को नियमित रूप से हटाते रहना चाहिए। इस व्यवस्था में सेप्टिक टैंक की तुलना में कम लागत लगती है और पाइप के जरिए पानी डालने की कोई जरूरत नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था सोखने वाली मिट्टी कारगर होती है ताकि निस्सार को फेंकने में आसानी हो और इसके हटाने में नगर निगम के कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ती है। इसमें पानी की बहुत जरूरत होती है।

(8) ऊपर स्थित शौचालय - इस प्रकार के शौचालय का निर्माण नदी या समुद्र के किनारे होता है और शौच सीधे पानी में जाकर गिरता है। पानी का बहाव शौच को बहा कर ले जाता है परंतु इस प्रकार के शौचालय में सफाई की काफी समस्या होती है और स्थानीय लोगों को इसे रोकने की कोई पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। यह सफाई का एक सस्ता विकल्प है परंतु इसमें नदियां और समुद्र प्रदूषित होते हैं।

(9) सफाई शौचालय - इस प्रकार के शौचालय में शौच घर के नीचे एक बालटी या बर्तन रखा जाता है जो छिद्र के बिल्कुल नीचे रखा होती है। मेस्तर नियमित रूप से इस मल को साफ करते हैं। हालांकि इस प्रकार के शौचालय के निर्माण में काफी कम लागत लगती है परंतु यह एक अमानवीय कृत्य है। यह मनुष्यता के विरुद्ध है।

(10) माल-जल निकास (सिवरेज) व्यवस्था - मल-जल निकास व्यवस्था के अंतर्गत शौच और घर से निकला पानी पाइपों के जरिए केंद्रीय परिशोधन यंत्र पर जमा होता है। इसमें उपयोगकर्ताओं को काफी सुविधा होती है। स्वास्थ्य संबंधी कोई जोखिम नहीं होता और नगर निगम को भी रख रखाव में कम परेशानी होती है । परिशोधन जल सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था के निर्माण में शुरू में काफी खर्च लगता है, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है और बंद नालियों की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें मल और गंदे पानी को बाहर निकलने से पहले परिशोधित करना पड़ता है।

7.6 स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा (Concept of health and hygiene)

विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1946 ने स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि ''संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सकुशलता की स्थिति स्वास्थ्य है केवल रोग या अशक्तता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है।'' अतः यह एक मौलिक मानव अधिकार है। सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने तथा मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए सहायक दशाओं को पैदा करना राज्य और समाज का कर्तव्य है। वास्तव में मानवता की प्रबल इच्छा स्वस्थ रहना है। स्वस्थ जीवन अत्यंत आवश्यक है इसके बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बीमार और भूखा बच्चा कभी नहीं पढ़ सकता और न ही एक प्रौढ़, भूखा बीमार होने पर कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संतुलन की वह स्थित है जहां शारीरिक, मानसिक संतुलन तथा मानव के सामाजिक समायोजन के बीच समरूपता पाई जाती है।

(1) शारीरिक स्वास्थ्य (Physical Health)-

क्रेव (1965) ने शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में अपने आकलन में कहा है कि ''साफ त्वचा चमकीली आंखें, सुडौल शरीर के साथ चमकीले केश, अच्छे वस्त्र, शरीर का पतला न होना और न ही मोटा होना, सांसों में मिठास हो, अच्छी प्रवृत्ति, गहरी नींद, आंत्र और मूत्राशय की सहज गति और सरल व्यक्तित्व के साथ संयोजन का समिश्रण अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य माना जाएगा। शरीर के सभी अंग आकार और कार्यों में सामान्य हो, सभी विशेष इंद्रिय ठीक स्थिति

में हो, नाड़ी की गति, रक्तचाप और सहनशक्ति या धैर्य इत्यादि 'सामान्य स्थिति में उसकी आयु और लिंग के अनुसार समुचित सही हो।

मूल स्वास्थ्य आवश्यकताओं के उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर स्वच्छता तथा संतुलित भोजन, शुद्ध पेयजल, अच्छा आवास, मूल स्वच्छता के साथ पास-पड़ोस और समुदाय, उपयुक्त वस्त्र, अच्छी नियमित जीवन शैली, व्यायाम व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादि का समावेश एक अच्छे व्यक्तित्व के लक्षण है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित और समयानुसार स्वास्थ्य की जांच कराना अत्यंत ही आवश्यक होता है।

(2) मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)-

पुरानी कहावत है कि ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है।'' यह इस बात को सिद्ध करता है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच अंतःसंबंध है। खराब मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसी तरह से शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट (1964) के अनुसार मनोवैज्ञानिक कारक मानसिक विकार रोग में प्रमुख भूमिका निभाते हैं जैसे उच्च रक्त चाप, पाचक आहार और दमा जैसी बीमारी हो सकती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं वे आंतरिक रूप से संघर्ष ग्रस्त नहीं होते हैं। और न ही वे बाहर किसी भी रूप में कुसमायोजित होते हैं। वे किसी भी स्थिति में भावनाओं/संवेगों के आधार पर विचलित नहीं होते है तथा अपने आप पर संपूर्ण नियंत्रण रखते हैं।

इस तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए मूल रूप से शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। इसके साथ कुछ अन्य आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण है जैसे कि एक अच्छा घर, अच्छा पड़ोस, अच्छा समुदाय और रोजगार की प्रकृति संतोषजनक और प्रतिष्ठापूर्ण होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि सहज जीवन ही की असंतुष्टि और मूल जीवन की आवश्यकता पूरी न होने पर उन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है अथवा व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य विकार रोगों की चपेट में आ सकता है।

(3) सामाजिक स्वास्थ्य (Social Health)-

समुदाय में लोगों का सामाजिक स्वास्थ्य उनके वैयक्तिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर निर्धारित होता है तथा उसका आंकलन किया जाता है। एक व्यक्ति जो अपने स्तर के अनुसार परिवार और समुदाय तथा अपने कार्य में सद्भावनापूर्ण संबंधों की स्थापना और उनको निभाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है, ऐसे व्यक्ति को

सामाजिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। इसके विपरीत जब व्यक्ति अपनी इन भूमिकाओं को निभाने में असफल रहता है जैसे सामाजिक संबंधों की उपेक्षा, बुरी आदतों में पड़ जाना, मानव हत्या, आत्महत्या, अपराध, जुआखोरी, नशे की लत इत्यादि तो उस व्यक्ति को अस्वाभाविक या असंतुलित कहा जाता है अथवा उसे असामान्य व्यक्ति करार दे दिया जाता है। इसलिए परिवार और समाज-कल्याण सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है कि व्यक्तियों की समाज में मौजूदगी के साथ जुड़ी समस्याओं से सुलझाने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। परंतु वे आवश्यकताएं यदा-कदा स्वास्थ्य सेवाओं से संबद्ध होती है जिसके कारण अधिकतर समाजों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रदान करना कठिन होता है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। स्वास्थ्य के कुछ निर्धारणों में अनुवांशिकता, पर्यावरण, वातावरण, जीवन-शैली, सामाजिक-आर्थिक स्थितियां, स्वास्थ्य और परिवार सेवाएं तथा इसके साथ ही अन्य कारक जैसे भोजन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, सामाजिक विकास, समाज कल्याण इत्यादि इसमें शामिल होते हैं।

7.7 स्वास्थ्य की परिभाषा (Definition of Health)-

वेबस्तर शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार ''शारीरिक और मानसिक या अंतरात्मा के रूप से स्वस्थ व्यक्ति की स्थिति को कहते हैं या व्यक्तित्व जो शारीरिक रोगों और किसी प्रकार के दर्द से मुक्त है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड शब्दकोश कहता है कि स्वास्थ्य वह स्तर या स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार की बीमारी या चोट से मुक्त हो वही स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1946 के अनुसार ''स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है केवल रोगमात्र या अशक्तता के न होने पर ही उसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है।

अतः श्रेष्ठतम स्वास्थ्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए केवल रोग का इलाज भर करना ही नहीं अपितु रोग की रोकथाम स्वास्थ्य को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल भी अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य प्रोत्साहन और देखभाल तभी संभव होते हैं जब व्यक्ति, परिवार और समुदाय का स्वास्थ्य पूरी तरह से अच्छे वातावरण से संरक्षित हो। इसका क्षेत्र रोग की रोकथाम और उसका इलाज ही नहीं होता है, इसके लिए इससे बाहर की स्थितियों का स्वास्थ्य निर्माण करना होता है। इसके लिए स्वास्थ्यवर्धक आदतें, और जीवन-शैली और अन्य सामाजिक, आर्थिक वातावरण तथा व्यक्तिगत सहायक कारक स्वास्थ्य को उन्नत व श्रेष्ठ बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल या संरक्षण केवल व्यक्तिगत व्यवहार, परिवार और समुदाय के वातावरण और व्यवहार पर निर्भर नहीं करता है बल्कि व्यक्ति की अपनी रुचि, पसंद तथा उसकी गतिविधि अथवा कार्यकलापों की प्रमुख भूमिका इसमें शामिल होती है।

7.8 स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा का विकास (Development of Concept of Health And Hygiene)

सभी समुदायों में अपनी संस्कृति के एक हिस्से के रूप में स्वास्थ्य की अवधारणा मौजूद होती है। बदरहाल, पिछले कुछ दशकों के दौरान स्वास्थ्य के प्रति एक नया रुझान पैदा हुआ है जिसमें स्वास्थ्य को मानव के मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। वर्ष 1977 में तीसवें विश्व स्वास्थ्य सभा ने यह निर्णय लिया था कि आगे आने वाले दशकों में सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य सामाजिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि ''वर्ष 2000 तक विश्व के सभी नागरिकों को अच्छे स्वास्थ्य का स्तर प्राप्त हो जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवनयापन कर सके।'' स्वास्थ्य नई सामाजिक व्यवस्था के सृजन में संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बन गया है और यह अपने आपमें सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करने का एक अंतिम उपाय भी सिद्ध हुआ है ।स्वास्थ्य की बदलती हुई अवधारणाओं का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है-

(1) जीवन चिकित्सा अवधारणा

परंपरागत रूप से स्वास्थ्य का अर्थ 'रोग का न होना होता है' ऐसा विचार बहुत पहले से चला आ रहा है। इस अवधारणा को स्वास्थ्य की जीवन चिकित्सा के रूप में जाना जाता है जिसे 20वीं शताब्दी में चिकित्सा सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया था। चिकित्सा व्यवसाय का यह विचार है कि मानव शरीर एक मशीन है और इसमें किसी प्रकार का रोग होने पर मशीन खराब हो जाती है और चिकित्सा का यह कार्य है कि वह अपने निदान व दवाइयों से इस मशीन को ठीक-ठाक करें अर्थात् उसकी मरम्मत करके उसे निरोग बनाएं अतः इस सीमित सिद्धांत के परिणामस्वरुप स्वास्थ्य का अंतिम लक्ष्य दवाई के रूप में सामने आया।

इस अवधारणा की आलोचना ही यह कहकर की जाती है कि जीव चिकित्सा अन्य कारकों जैसे पर्यावरण, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका को न्यूनतम स्तर पर ला देता है। जीव चिकित्सा रोगों के निदान और उनको ठीक करने में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी मानव जाति की स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख समस्याओं जैसे कुपोषण, चिरकालीन रोग, दुर्घटनाएं, मादक द्रव्य दुरव्यसन, मानसिक बीमारी, पर्यावरणीय प्रदूषण, जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या में भारी वृद्धि इत्यादि को हल करने में उपयुक्त नहीं है।

(2) पर्यावरण के संदर्भ में अवधारणा-

जीव चिकित्सा की अवधारणा में कमी निकालने के बाद अन्य अवधारणाओं को जन्म मिला है। यह है पर्यावरणीय या परिस्थितिकीविद् एक बहुत आकर्षक परिकल्पना प्रस्तुत करते हैं जिसमें उनके विचार है कि स्वास्थ्य एक गतिशील संतुलन है जो व्यक्ति और उसके पर्यावरण तथा रोग के बीच से असंतुलन पैदा होता है तथा मानवीय अंगों और पर्यावरण के रूप में हमारे समक्ष पैदा होता है अर्थात् पर्यावरण तथा मानव की अव्यवस्था का परिणाम होता है। पर्यावरणविद् डुबोस ने कहा है कि ''स्वास्थ्य में दर्द और बेचौनी की सापेक्षता का न होना तथा अधिकतम कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए सतत् अनुकूलन एवं वातावरण का सामन्जस्य दिया रहता है। मानव पर्यावरण और सांस्कृतिक अनुकूलन केवल रोग का निर्धारण नहीं कराता है बल्कि भोजन की उपलब्धता और जनसंख्या संघटन की और भी इंगित करता है जिनसे स्वास्थ्य का निकटतम संबंध होता है। पर्यावरण की अवधारणा ने अपूर्ण मानव और अपूर्ण वातावरण को भी अपने आप में पकड़ लिया है। इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण को मानव अनुकूलन बनाने से आधुनिक सेवाएं प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि मानव अपने अनुकूलन वातावरण तैयार कर सकता है तो निश्चित रूप से मनुष्य की कार्य करने की शक्ति एवं उसकी कोटि में श्रेष्ठतम अंतर आएगा।

(3) मनो-सामाजिक अवधारणा

समाज विज्ञान में समकालीन विकास यह प्रकट करते हैं कि स्वास्थ्य केवल चिकित्सा की घटना/तत्व नहीं है बल्कि संबंधित लोगों पर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीति कारकों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जब स्वास्थ्य की परिभाषा उसके उपायों की चर्चा करते हैं तो उपयुक्त कारकों को भी ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। अतः स्वास्थ्य जीव विज्ञान और सामाजिक घटना/तत्व दोनों ही है।

(4) पवित्र (धार्मिक) अवधारणा

पवित्र (धार्मिक) अवधारणा उपर्युक्त सभी अवधारणाओं का समिश्रण है। यह स्वास्थ्य पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों की शक्ति को मान्यता प्रदान करती है। यह एक व्यक्ति का उसके पर्यावरण के संबंध में बहुत अच्छी तरह से बहुआयात्मक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न रूप से वर्णन किया गया है। यह विचार परंपरागत विचार के अनुकूल है जिसमें स्वास्थ्य को स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क, अच्छे पर्यावरण में अच्छा परिवार जैसे उदाहरणों से स्पष्ट किया है। यह पवित्र (धार्मिक) दृष्टिकोण उन सभी क्षेत्रों को अपने में समेट लेता है अर्थात् कृषि,

पशुपालन, खाद या भोजन, उद्योग, शिक्षा, आवास, सार्वजनिक कार्य, संचार इत्यादि है जो स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं।

7.9 स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवाओं के क्षेत्र में बदलता हुआ दर्शन बदलता हुआ दर्शन (The changing philosophy in health and health care services the changing philosophy)

1500 ई. के बाद की अवधि को राजनीतिक, औद्योगिक, धार्मिक तथा चिकित्सा क्षेत्र को क्रांति के रूप में चिन्हित किया गया है। फ्रांस और अमेरिका में हुई राजनैतिक क्रांति व्यक्तिगत अधिकारों की मांग को लेकर हुई। इसके बाद पश्चिमी देशों में हुई औद्योगिक क्रांति ने जीवन स्तर में सुधार को लेकर बड़े लाभ पहुंचाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा भी उभरकर सामने आई।

औषधि (दवाइयों) का पुनः उत्थान

अनेक इतिहासकारों ने यह तथ्य प्रकट किया है कि ईसा 1453 ई. से 1600 ई. तक की अवधि औषधि (दवाई) निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह युग व्यक्तिगत वैज्ञानिक प्रयास का समय था। 17 वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान नई-नई खोजों और अनुसंधानों की अवधि थी अर्थात् इसी समय हार्वे ने (1628) में रक्त संचार की खोज की थी।

सफाई संबंधी जागरूकता

औषधीय के विकास में एक अन्य मिल का पत्थर रखा गया, जिसे ''वृहत् सफाई संबंधी जागरूकता'' का नाम दिया गया जो सबसे पहले 19वीं शताब्दी के मध्य में इंग्लैंड में आरंभ हुआ इसके बाद अन्य देशों में फैल गया। 18वीं शताब्दी की और औद्योगिक क्रांति ने अनेक समस्याओं को तेजी से जन्म दिया जैसे स्लम का बनाना यानी झोपड़ी-पट्टी या गंदी बस्तियां बनने लगी, सभी बुरे प्रभावों के साथ भीड़भाड़ वाले इलाके नगर और कस्बे गंदगी के ढेर बन गए, शहरों में महामारी फैलने लगी, मृत्यु दर में वृद्धि के साथ विशेष कर महिलाओं और बच्चों की मौतें अधिक हो रही थी। औद्योगिक और सामाजिक समस्याओं के कारण लोगों को स्वास्थ्य लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने या गिरने लगा था। इसके प्रबल विरोध करने वालों के ''व्यापक स्वच्छता जागरूकता'' अभियान के कारण इंग्लैंड में 1848 का सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित हुआ। नए विचारों को बल मिला और उसका नया रूप सामने आने लगा अर्थात् लोगों के स्वास्थ्य के लिए सीधा राज्य को उत्तरदायी माना गया था।

सार्वजनिक स्वास्थ्य का उदय

इंग्लैंड में 1840 के आसपास उपयुक्त घटनाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की अवधारणा को ठोस रूप देना आरंभ कर दिया था जबकि पश्चिमी देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुआ फेल रहा था। भारत जैसे विकासशील देशों में इसकी गति बहुत धीमी थी, यहां पर गति का नाम नहीं था। यहां लोक पश्चिमी देशों में से सैकड़ो साल पहले स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ स्वास्थ्य चार्टर लोगों के सामने आया जिसमें सभी लोगों को स्वस्थ रहने का वादा करते हुए इन देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य का आंदोलन आरंभ किया गया। आधुनिक स्वास्थ्य की अवधारणा की तीन घटक निर्धारित किए गए जिसमें रोग मुक्तता, रोग की रोकथाम और सामाजिक औषधि संबंधी पक्षों को शामिल किया गया था।

7.10 स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की देखभाल सेवाओं के क्षेत्र में बदलता हुआ दर्शन (भारतीय परिपेक्ष) Changing Philosophy in The Field of Health and Health Care Services (Indian Context)

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का आरंभ 18वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी शासन लागू होने के साथ ही हुआ था। सम्राट अशोक के शासन के दौरान, हालांकि सार्वजनिक जल निकासी और सार्वजनिक स्थान प्राचीन शहरों में ही अस्तित्व में थे एवं एक अस्पताल प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी जिसका उद्देश्य शुरुआती दिनों में व्यक्तिगत इलाज पर था। 1915 में, मोंटेग-चेम्सफोर्ड संवैधानिक सुधार ने एक मंत्री के निर्वाचित नियंत्रण में जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं महत्वपूर्ण आंकड़ों को राज्यों की हस्तांतरित करने में योगदान दिया भारत में स्वास्थ्य प्रशासन के विकेंद्रीकरण की तरफ यह पहला कदम था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करना आरंभ हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित करने के लिए निम्नलिखित रिपोर्टों के आधार पर मार्गदर्शन तैयार किए गए थे-

1. **भोरे समिति रिपोर्ट- 1946**
2. **मुदालियर समिति रिपोर्ट- 1962**
3. **चढ्ढा समिति रिपोर्ट- 1963**
4. **मुखर्जी समिति रिपोर्ट- 1965**

5. मुखर्जी समिति रिपोर्ट- 1966

6. जुंगल वल्ला समिति रिपोर्ट- 1967

7. करतार सिंह समिति रिपोर्ट- 1973

8. श्रीवास्तव समिति रिपोर्ट- 1975

9. ग्रामीण स्वास्थ्य योजना- 1977

10. वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं कार्यकारी समूह की रिपोर्ट, 1981

7.11 सतत विकास में स्वच्छता का महत्व (Importance of Sanitation in Sustainable Development)

संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में न्यूयॉर्क में मिलेनियम शिखर सम्मेलन और 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन के दौरान सतत विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (डक्ळ) की एक श्रृंखला विकसित की। इसने स्पष्ट रूप से इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छता मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, आर्थिक लाभ उत्पन्न करती है, सम्मान और सामाजिक विकास में योगदान देती है और पर्यावरण की मदद करती है। जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के प्रावधान के लिए निर्धारित विशिष्ट लक्ष्य 2015 तक सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त स्वच्छता तक पहुंच के बिना लोगों के अनुपात को 50% तक कम करना है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना और परिणामस्वरूप सतत विकास को प्राप्त करने में मदद करना है।

स्वच्छता का पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव सतत विकास पर पड़ता है। देश में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं के बढ़ते कवरेज के बावजूद, सेवा वितरण की कवरेज, गुणवत्ता और समानता में महत्वपूर्ण सीमाएँ बनी हुई हैं। ये सीमाएँ मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे शहरी केंद्रों या गरीब और हाशिए के परिवारों के निवासियों को प्रभावित करती हैं, उन्हें बीमारियों का बोझ देकर और लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी क्षमता और अवसरों को कम करके। भारत जैसे विकासशील देशों में मृत्यु के महत्वपूर्ण कारण, मुख्य रूप से युवा वर्ग को प्रभावित करते हैं तथा सभी मौतों में से आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार संक्रामक

परजीवी रोग जैसे कि दस्त, निमोनिया, मलेरिया, काली खांसी आदि शामिल हैं, जिन्हें स्वच्छ वातावरण तथा स्वच्छ व्यवहार अपनाकर कम किया जा सकता है।

सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच पारस्परिक संबंध है। सामाजिक-आर्थिक विकास से स्वच्छता तथा उसके द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जबकि अच्छा स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। लेकिन अकेले आर्थिक विकास से मृत्यु दर तथा रुग्णता में कमी नहीं आ सकती। इसलिए, पोषण, स्वास्थ्य सेवा तथा पर्यावरण स्वच्छता में विशेष कार्यक्रमों की भी आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सामाजिक-आर्थिक तथा भौतिक वातावरण स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल रहता है, तो विशिष्ट स्वास्थ्य उपायों के लाभ तेजी से कम हो जाते हैं।

मानव अस्तित्व को सुनिश्चित करने तथा भविष्य की रक्षा करने के लिए सतत विकास वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसे कई अलग-अलग स्तरों पर तथा कई अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ शामिल किया जा रहा है। स्वच्छता के स्तर पर इसमें स्वच्छता समस्याओं के लिए सतत समाधान की तलाश करना तथा उसे लागू करना तथा बीमारी के चक्र को तोड़ना शामिल है। टिकाऊ होने के लिए, एक सफाई प्रणाली को न केवल आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और तकनीकी और संस्थागत रूप से उपयुक्त होना चाहिए, बल्कि इसे भविष्य की सुरक्षा के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी करनी चाहिए।

7.12 सारांश (Summary)

इस अध्याय में हमने सबसे पहले स्वच्छता, साफ-सफाई एवं स्वास्थ्य के अर्थ और अवधारणा की चर्चा की है। हमने देखा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन का सुख ही सम्पूर्ण स्वास्थ्य की पहचान है न कि रोग या दुर्बलता का न होना स्वास्थ्य है। यह मानव का मूल अधिकार है, स्वास्थ्य और स्वच्छता जीवन की नितांत आवश्यकता है, इनको प्राप्त किए बिना या इनके बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमने स्वास्थ्य की विभिन्न अवधारणाओं जैसे जैव या जीव चिकित्सा, पर्यावरण, मनो-सामाजिक तथा धार्मिक के विकास की भी समीक्षा की है।

7.13 सन्दर्भ ग्रन्थ (Reference)

1. के. पार्क (सत्तरहवां संस्करण), नवम्बर, (2002), प्रिवेंटीव मेडीसन, बनारसी दास भनोट पब्लिशर्स, जबलपुर।

2. केयर्नक्रॉस एस, हंट सी, बोइसन एस, बोस्टोन के, कर्टिस वी. 2010. डायरिया की रोकथाम के लिए पानी, स्वच्छता और स्वच्छता। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी। 39:193-205

3. कोली डीजी, बस्टिंडुय एएल, सेकोर डब्ल्यूई, किंग सीएच. मानव शिस्टोसोमियासिस। लैंसेट। 2014,383:2253-64।

7.14 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Questions)

1. सफाई से आप क्या समझते हैं इसका महत्व बताइए?
2. उपयुक्त सफाई विकल्पों का चयन करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है?
3. विभिन्न सफाई विकल्पों का वर्णन कीजिए
4. स्वच्छता की अवधारणा का स्पष्ट कीजिए एवं सतत विकास में स्वच्छता के महत्व को समझाइए?

इकाई-8 सफाई कार्य
Scavenging

इकाई की रूपरेखा

8.0 उद्देश्य

8.1 प्रस्तावना

8.2 सफाई कार्य (मैला ढोने) की प्रक्रिया: परिभाषा, इतिहास, और कार्यक्षेत्र

8.2.1 परिभाषाः सफाई कार्य

8.2.2 स्कैवेंजिंग (मैला ढोने) का इतिहास

8.2.3 मैला ढोने वाले एवं सफाई कर्मचारी के बीच अंतर

8.2.4 सफाई कर्मियों के विभिन्न कार्यक्षेत्र

8.3 सफाई कर्मियों की स्थिति और चुनौतियां: सामाजिक पहलू और समाधान

8.3.1 सफाई कर्मियों की स्थिति

8.3.2 सफाई कर्मियों की चुनौतियां

8.4 सफाई कर्मियों की स्थिति: सामाजिक सुधार और भविष्य की संभावनाएं

8.4.1 सामाजिक सुधार और नीतियां

8.4.2 भविष्य की संभावनाएं

8.5 निष्कर्ष

8.6 शब्दावली

8.0 उद्देश्य (Objectives)

• इस अध्याय के अंतर्गत, सफाई कार्य (Scavenging) की परिभाषा, इसका ऐतिहासिक विकास, और इसके विभिन्न कार्य क्षेत्र समझेंगे, जिससे इस कार्य की महत्ता और इसके सामाजिक संदर्भ को जान सकेंगे।

• इस अध्याय के अंतर्गत मैला ढोने वालों की सामाजिक स्थिति, उनकी भूमिका, उनकी समस्याओं की गहन जानकारी प्राप्त करेंगे।
• स्वास्थ्य समस्याओं, सामाजिक भेदभाव, और आर्थिक असुरक्षा जैसी चुनौतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जिनका सामना मैला ढोने वाले करते हैं।
• इस अध्याय के अंतर्गत सामाजिक सुधारों और नीतियों के माध्यम से सफाई कार्य (मैला ढोने) वालों की स्थिति में सुधार और भविष्य की संभावनाओं हेतु विभिन्न रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

8.1 प्रस्तावना: सफाई कार्य (Introduction)

"स्कैवेंजिंग" शब्द की उत्पत्ति मध्य अंग्रेज़ी शब्द "स्केवेंज" से हुई है। जो स्वयं प्राचीन फ्रेंच शब्द "एस्क्वावेंजर" से निकला है, जिसका अर्थ है "साफ़ करना" या "हटाना"। इस शब्द की नींव उस क्रिया से संबंधित है जिसमें कचरा या त्यागी गई वस्तुओं की खोज और संग्रहण किया जाता है, जिसे अक्सर सफाई या अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में समझा जाता है।

स्कैवेंजिंग की प्रक्रिया का एक विशेष रूप **"मैन्युअल स्कैवेंजिंग"** है, जिसमें व्यक्ति या समूह मैन्युअल रूप से मानव मल, अपशिष्ट, और अन्य गंदगी को साफ़ करते हैं। यह कार्य विशेष रूप से सार्वजनिक शौचालयों, सीवरों और खुली जगहों से कचरे को हटाने के लिए किया जाता है। मैन्युअल स्कैवेंजिंग में कार्यरत व्यक्तियों को आमतौर पर असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह बिना किसी उचित सुरक्षा उपकरण के कार्य करते हैं।

यह प्रक्रिया शारीरिक मेहनत के साथ-साथ सामाजिक कलंक और भेदभाव को भी जन्म देती है, जिससे मैन्युअल स्कैवेंजर्स का जीवन कठिन हो जाता है। वे अक्सर समाज के हाशिए पर होते हैं और उनकी मेहनत को पर्याप्त मान्यता नहीं मिलती। स्कैवेंजिंग की भूमिका और प्रभाव को समझना स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है।

इस अध्याय में मैन्युअल स्कावेंजर का तात्पर्य सफाईकर्मी से है, ऐसे व्यक्ति जो मैला ढ़ोने के कार्य से सम्बंधित हैं, उन्हें सफाई कर्मचारी या सफाईकर्मी के नाम से भी जाना जाता हैं।

8.2 सफाई कार्य (मैला ढोने) की प्रक्रिया : परिभाषा, इतिहास, अंतर, और कार्य क्षेत्र (Scavenging Process: Definition, History, Differences, and Scope)

8.2.1 परिभाषा (Definition)

मैनुअल स्कैवेंजिंग या मैला ढोने (Manual scavenging) का तात्पर्य कच्चे (ताजा और अनुपचारित) मानव मल को बाल्टियों या अन्य कंटेनरों से सुरक्षित और मैन्युअल रूप से हटाने से है, जिनका उपयोग शौचालय के

रूप में किया जाता है, या साधारण गड्ढे वाले शौचालयों के गड्ढों से मल हटाने से है। दूसरी ओर, गड्ढे वाले शौचालयों को सुरक्षित और नियंत्रित तरीके से खाली करना मल कीचड़ प्रबंधन का एक घटक है।

1993 के भारतीय कानून में **मैनुअल स्कैवेंजर या मेला ढोने वाले** की आधिकारिक परिभाषा इस प्रकार है:

"मैनुअल स्कैवेंजर या मैला ढोने वाले या सफाई कर्मी का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय या उसके बाद, किसी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण, एजेंसी या ठेकेदार द्वारा मैन्युअल रूप से अस्वच्छ शौचालय में या खुले नाले या गड्ढे में, जिसमें अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल डाला जाता है, या रेलवे ट्रैक पर या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, मानव मल को पूरी तरह से सड़ने से पहले साफ करने, ढोने, निपटान करने या अन्य किसी भी प्रकार से निपटने के लिए नियोजित या कार्यरत हो।"

हाथ से सफाई कार्य (मैला ढोना) एक जाति-आधारित पेशा है, जो भारत के कई हिस्सों में प्रचलित है। इसमें मानव और पशु मल को हाथ से साफ करना और उसे दूर फेंकना शामिल है (भट्टाचार्य, 2014)। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 794,390 सूखे शौचालय हैं, जहां मल को हाथ से साफ किया जाता है, और 1,314,652 शौचालय हैं, जिनमें दलित समुदाय के लोग मल को साफ करते हैं। इस प्रथा को नकारना उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

हाथ से सफाई करना (मैला ढोना) एक अवांछित और कम भुगतान वाला पेशा है, जिसमें जातिगत भेदभाव के कारण लोग कलंकित और अस्पृश्य हो जाते हैं। विशेषकर, महिला मैला ढोने वालों की व्यावसायिक गतिशीलता सीमित होती है; जो महिलाएँ इस पेशे को छोड़कर सम्मानजनक जीवन की तलाश करती हैं, उन्हें अपने समुदाय द्वारा अस्वीकार किया जाता है। मेहरपुर की चिंता देवी ने दुकान शुरू करने के बाद भी समाज के बहिष्कार के कारण फिर से हाथ से सफाई कार्य (मैला ढोना) का काम शुरू करना पड़ा।

8.2.2 स्कैवेंजिंग (मैला ढोने) का इतिहास (History of Scavenging)

भारत की प्राचीन जाति-व्यवस्था से अमानवीय प्रथा 'हाथ से सफाई करना (मैला ढोना) ' अटूट रूप से जुड़ी हुई है। पारंपरिक एवं ऐतिहासिक रूप से 'निचली जातियों' सफाई कार्य जैसे मानव मल की सफाई और पशुओं के शवों के निपटान से जोड़ा गया है और यह जातियाँ आज भी हाथ से सफाई कार्य (मैला ढोने) के काम में लगी हुई हैं। प्राचीन समय से, जब लोग अपनी घुमंतू जीवन शैली को समाप्त कर छोटे शहरों में बसने लगे और उन्हें शौच के लिए एक

प्रणाली की आवश्यकता पड़ी और एक विशेष जाति समूह को मानव मल साफ करने के लिए नियुक्त किया गया। **नारदीय संहिता** में गुलामों के 15 कर्तव्यों में से एक मानव मल की सफाई या निपटान था और **वाजसनेयी संहिता** में *चांडाल और पुल्कसों* को गुलाम के रूप में रात के मल का निपटान करने के लिए संदर्भित किया गया। हाथ से मैला ढोने का काम मौर्य काल में भी अस्तित्व में था। इस अवधि के दौरान, पाँच प्राचीन नगरों में से एक पाटलिपुत्र में सफाईकर्मी और मैला ढोने वाले मौजूद थे, जिन्हें शहर के रात के मल को साफ करने और निपटाने का काम सौंपा गया था। शहर के मेयर नागरक को शहर के नागरिक मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यह भी कहा जाता है कि हाथ से मैला ढोने का काम उत्तर भारत में धार्मिक आक्रमण के बाद शुरू हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि *भंगी (हाथ से मैला ढोने वाले)* योद्धा थे जिन्हें दुश्मन, विशेष रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। जब मुस्लिम भारत आए, तो वह अपने साथ कुछ महिलाओं को लाए जो अपने चेहरे को ढकने के लिए बुरक़ा (घूंघट) पहनती थीं। चूंकि ये महिलाएँ खुले स्थान में शौच नहीं करना चाहती थीं अतः उनके लिए विशेष इनडोर शौचालय (बाल्टी शौचालय) की व्यवस्था की गई और उन्हें उनकी शौच के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया। जो लोग बंदी बनाए गए थे, उन्हें इन इनडोर शौचालयों को साफ करने और रात के मल को दूर स्थानों पर ले जाकर निपटाने के लिए करने के लिए मजबूर किया जाता था । जब इन बंदियों को रिहा किया गया तब भी उन्हें समाज में रहने की अनुमति नहीं दी गई और इस प्रकार उन्होंने एक अलग जाति **"भंगी"** का निर्माण किया और सफाई का काम जारी रखा।

पिछले दो सौ वर्षों में शहरों के विस्तार के साथ ही हाथ से सफाई कार्य (मैला ढोने) का काम बढ़ा है। ब्रिटिश शासन के दौरान, सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण हुआ और लोगों को मल साफ करने के लिए नियुक्त किया गया, जिससे यह अमानवीय प्रथा संस्थागत हो गई। जबकि पश्चिमी देशों में फ्लश सिस्टम वाले शौचालयों के आविष्कार के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई, भारत और कई विकासशील देशों में यह आज भी जाति, वर्ग, और आय के विभाजन पर आधारित जारी है।

8.2.3 मैला ढोने वाले एवं सफाई कर्मचारी के बीच अंतर (Difference between manual scavengers and sanitation workers)

(i) सफाई कर्मचारियों के अंतर्गत आमतौर पर उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो नगरपालिका, सरकारी और निजी कार्यालयों में 'झाड़ू लगाने वाले' या 'सफाई/स्वच्छता कर्मचारी' के रूप में कार्यरत होते हैं। वह इन निकायों (नगरपालिका, सरकारी/निजी क्षेत्र संगठनों) के सीधे कर्मचारी हो सकते हैं या इन संगठनों के लिए काम करने वाले ठेका कर्मचारी हो सकते हैं। यद्यपि, सफाई कर्मचारी, स्वयं में मैनुअल स्कैवेंजर नहीं होते हैं।

(ii) मैनुअल स्कैवेंजर आमतौर पर स्वयं नियोजित या ठेका कर्मचारी होते हैं। "स्वयं नियोजित" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो किसी विशेष वार्ड में घरेलू सूखे शौचालयों या नालियों आदि की सफाई करता है और घर के मालिकों से नकद या वस्तु के रूप में भुगतान प्राप्त करता है। ठेका कर्मचारी आमतौर पर वे होते हैं जिन्हें ठेकेदारों के माध्यम से नगरपालिका निकाय किसी अन्य संगठन या घर मालिकों के समूह द्वारा व्यक्तिगत या सामुदायिक सूखे शौचालयों और खुले नालों की सफाई के लिए रखा जाता है और जहां मल-मूत्र का निपटान होता है।

8.2.3 सफाई कर्मचारियों के विभिन्न कार्यक्षेत्र (Work areas of manual scavengers)

सफाई कर्मचारी विभिन्न स्वच्छता संबंधी कार्यों में संलग्न होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **सूखे शौचालयों की सफाई**: कई मजदूर अब भी सूखे शौचालयों से मानव मल को हाथों से साफ करने का कार्य करते हैं। यह समस्या विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, जहां आधुनिक शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं होती।
2. **सीवेज सिस्टम की सफाई**: कई श्रमिक सीवेज टैंकों और नालियों की सफाई करते हैं, जिससे वे अत्यधिक विषैले और खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आते हैं।
3. **सेप्टिक टैंकों की सफाई**: इन श्रमिकों को सेप्टिक टैंकों की सफाई का कार्य भी करना पड़ता है, जो अत्यंत जोखिमभरा और कठिन होता है, क्योंकि इसमें जहरीली गैसों और संक्रामक कचरे का सामना करना पड़ता है।
4. **सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख**: शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव का कार्य भी इन्हीं श्रमिकों द्वारा किया जाता है। लेकिन, इन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ता है।
5. **कचरे का प्रबंधन**: कई सफाई कर्मचारी कचरे को इकट्ठा करने और उसके निपटान की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे वे गंदगी और बीमारियों के उच्च जोखिम में रहते हैं।
6. **हाथ से सफाई करने वाले उपकरणों का सीमित उपयोग**: इन्हें सफाई से जुड़े उपकरणों जैसे झाड़ू, बेलचा आदि के सही उपयोग का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, जिससे इनका काम और कठिन हो जाता है।
7. **विशेषीकृत सफाई सेवाएं**: कुछ श्रमिक विशेष सफाई परियोजनाओं या ठेकेदारी के अंतर्गत सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर सफाई कार्य करते हैं।

Figure 1 – सफाई कर्मचारियों के विभिन्न कार्यक्षेत्र

बोध प्रश्न 1

रिक्त स्थानों को पूर्ण करें:

1. सफाई कार्य (मैला ढोने) की प्रथा का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में ____________ व्यवस्था के संदर्भ में मिलता है।

2. सफाई कर्मचारी कई बार ____________ और ____________ जैसे खतरनाक कार्यक्षेत्रों में भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं।

3. सफाई कर्मचारी (मैला ढोने) के कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य जोखिमों की कमी के कारण सफाई कर्मियों को अक्सर ____________ और ____________ से पीड़ित होना पड़ता है।

8.3 सफाई कर्मचारियों की स्थिति और चुनौतियां: सामाजिक पहलू और समाधान (Condition and Challenges of Safai Karmacharis: Social Aspects and Solutions)

8.3.1 सफाई कर्मचारियों की स्थिति (Conditions of manual scavengers): सामाजिक पहलू

सफाई कार्य (मैला ढोना) न केवल सामाजिक असमानता का प्रतीक है, बल्कि यह मानवाधिकारों और गरिमा का गंभीर उल्लंघन भी है। इस कार्य में संलग्न लोगों को अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लगातार प्रभावित होता है। वे विषैले गैसों और हानिकारक रोगजनकों के संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस और हेलिकोबैक्टर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। इसके बावजूद, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असुरक्षा के कारण वे इस अमानवीय कार्य से बाहर निकलने में असमर्थ होते हैं।इस स्थिति को और अधिक जटिल बना देता है समाज में गहराई से जड़ जमाए पूर्वाग्रह और जातिगत भेदभाव, जो सफाई करने वाले समुदायों को मुख्यधारा से अलग-थलग कर देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक उनकी सीमित पहुँच उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा बनी रहती है। भारत में सफाई कर्मी वंचित वर्गों से आते हैं और कठिन सफाई कार्यों में संलग्न रहते हैं। सामाजिक भेदभाव के कारण वे मुख्यधारा से अलग-थलग रहते हैं। उनकी जीवन स्थितियों को निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है :

1. सामाजिक स्थिति

भारत में सफाई कर्मियों की सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय और अमानवीय बनी हुए है। यह प्रथा जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ो से जुड़ी हुए है, जिसके कारण दलित समुदाय के विशेष वर्गों को सदियों से इस अपमानजनक कार्यों में संलिप्त रहना पड़ा हैं। भारत में अभी भी हजारों लोग सफाई (मैला ढ़ोने) के कम में संलग्न हैं, जबकि इसे 1993 और फिर 2013 के कानूनों के तहत अवैध घोषित किया ज चुका हैं। भले ही भारतीय सविधान ने अस्पर्शयता को समाप्त करने और सभी नागरिको को सामान अधिअक्र देने के प्रावधान किया हो, लकिन समाज में अभी भी इन लोगों के प्रति गहरा भेदभाव व्याप्त हैं। भारत में 99% सफाईकर्मी दलित समुदाय से आते हैं, और इन्हें समाज के अन्य वर्गों से दूर रखा जाता है, जिससे वे मुख्यधारा से कट जाते हैं ।सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों और सामाजिक आयोजनों में उनकी उपस्थिति को सहज रूप से स्वीकार नही किया जाता। गावों में आज भी उन्हें अलग बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किया जाता हैं, जिससे उनके सामाजिक मेल मिलाप और मुख्यधारा में शामिल होने के अवसर सीमित हो जाते हैं। अंतरास्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट्स के अनुसार, सफाई कर्मीयो के परिवारों को सामाजिक बहिस्कार, भेदभाव, और हिंसा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी सामाजिक गतिशीलता बाधित होती हैं, और वे एक अवहेलहित

जीवन जीने को मजबूर होते हैं। भारत में 60% से अधिक सफाई कर्मचारी या सफाईकर्मी सामाजिक बहिष्कार और मानसिक तनाव के कारण अवसाद, आत्महत्या की प्रवर्ति और अन्य मानसिक स्वस्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। महिलायों की स्थिति और भी अधिक गंभीर है, क्योंकि उन्हें दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है– एक ओर जातिगत आधार पर और दूसरी ओर लैंगिक असमानता के कारण। वे इस कार्य में सबसे अधिक संलिप्त होती हैं और समाज में उन्हें और भी अधिक तिरस्कार झेलना पड़ता हैं, जिससे उनके आत्मसम्मान और भविष्य की संभावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। सामाजिक रूढ़ियों के कारण इन्हें सम्मानजनक कार्यों में संलग्न होने के अवसर नही दिए जाते, जिससे यह शोषण की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता हैं। किसी भी आपदा या दुर्घटना के समय भी इन्हें प्राथमिकता सहायता और रहत सुविधाएँ अन्य वर्गों की तुलना में कम और देर से प्राप्त होती हैं। यह विडम्बना ही है की स्वच्छता के सबसे कठिन और आवश्यकता कार्य को करने वाले ये लोग स्वयं बुनियादी स्वाछता के सबसे कठिन और अवश्यक कार्य को करने वाले ये लोग स्वयं बुनियादी स्वछता सुविधाओं से वंचित रहते हैं। सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा कानूनों और पुनर्वास योजनाओ के बावजूद, समाज की मानसिकता में बदलाव न होने के कारण उनकी स्थिति में कोई बड़ा सुधर नही हों पाया है। जब तक समाज इनकी ओर अपनी मानसिकता नहीं बदलेगा और इन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नही देगा, तब तक सफाई कर्मी समुदाय की सामाजिक स्थिति में सुधार की सम्भावना अत्यंत सीमित बनी रहेगी।

2. आर्थिक स्थिति

भारत में सफाई कर्मियों की आर्थिक स्थिति लंबे समय से अस्थिर और दयनीय बनी हुई है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक बहिष्करण को दर्शाती है। भारत में अधिकतर सफाई कर्मी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जहाँ न्यूनतम वेतन, स्थायी रोजगार, और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का गंभीर अभाव है। आज भी कई सफाई कर्मी अत्यंत जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। वे बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन दोनों पर खतरा बना रहता है। इसके बावजूद, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक लाभ इस समुदाय तक नहीं पहुँच पा रहा है। अर्थव्यवस्था के निम्नतम स्तर पर जीवनयापन करने के कारण, सफाई कर्मियों को वित्तीय अस्थिरता, कर्ज़, और न्यूनतम आय के संकट से जूझना पड़ता जिसके कारण उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और बेहतर जीवन की संभावनाओं को भी बाधित करता है। एक अध्ययन के अनुसार, 70% से अधिक सफाई कर्मियों के बच्चे उच्च शिक्षा तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि माता-पिता की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि वे स्कूल की फीस, किताबें और अन्य बुनियादी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसके चलते यह समुदाय गरीबी और वंचना के चक्र में फँसा रहता है।

हालांकि, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) ने सफाई कर्मियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए 2 अक्टूबर 2014 को "स्वच्छता उद्यमी योजना" शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं और कचरा एकत्र करने वाले स्वच्छता वाहनों के लिए रियायती ऋण प्रदान करना है, जिससे स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को मजबूती मिले और सफाई कर्मियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। योजना के तहत, सफाई कर्मचारियों और पहचाने गए मैनुअल स्कैवेंजरों को 4% वार्षिक रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि महिला लाभार्थियों के लिए यह दर और कम होकर 1% कर दी गई है। यह ऋण उन्हें स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं किया जाता, बल्कि धनराशि चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से प्रस्तावों के आधार पर वितरित की जाती है। यद्यपि स्वच्छता उद्यमी योजना सफाई कर्मियों के आर्थिक पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है। वर्तमान में, इस योजना का लाभ सभी जरूरतमंद सफाई कर्मियों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे वे अब भी वित्तीय अस्थिरता और कर्ज़ के बोझ से जूझ रहे हैं। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन, वित्तीय संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अधिक से अधिक सफाई कर्मी इस योजना का लाभ उठाकर स्वास्थ्यकर और सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मियों के लिए रोजगार के अन्य वैकल्पिक अवसर भी विकसित किए जाने चाहिए, जिससे वे केवल सफाई कार्य तक सीमित न रहें, बल्कि शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता के माध्यम से मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकें। जब तक इस समुदाय को सुरक्षित कार्यस्थल, स्थिर आय, और दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, तब तक उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान अधूरा ही रहेगा।

3. शैक्षिक स्थिति

सफाई कर्मियों का समुदाय लंबे समय से भेदभाव और उपेक्षा का शिकार रहा है, जिसके कारण शिक्षा तक उनकी पहुँच सीमित रही है। हालांकि संविधान ने सभी के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया है, फिर भी सफाई कर्मियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक अस्थिरता, विद्यालयों में भेदभाव, सरकारी सहायता की सीमित पहुँच, और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ उनके शैक्षिक विकास में प्रमुख बाधक हैं। बेहतर भविष्य के लिए उनके बच्चों को समावेशी और सुलभ शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सफाई कर्मियों का कार्य अधिकतर असंगठित क्षेत्र में आता है, जहाँ उन्हें न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव झेलना पड़ता है। उनका मासिक वेतन बेहद कम होता है, जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक खर्च करने में असमर्थ रहते हैं। कई मामलों में, माता-पिता को यह चुनाव करना पड़ता है कि वे अपने परिवार का पेट भरें या बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। गरीबी के कारण, बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही काम करने लगते हैं और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। लड़कियों की स्थिति और भी खराब है, क्योंकि कई परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को अनावश्यक मानते हुए उन्हें घरेलू कार्यों में लगा दिया जाता है या जल्दी शादी कर दी जाती है। सफाई कर्मियों के बच्चों को विद्यालयों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कई स्कूलों में इन बच्चों को अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता है, जिससे उनमें हीन भावना पैदा होती है और वे धीरे-धीरे स्कूल छोड़ने लगते हैं। शिक्षकों और सहपाठियों द्वारा किए जाने वाले इस भेदभाव के कारण उनके मन में शिक्षा के प्रति रुचि कम हो जाती है। इसके अलावा, कुछ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण भी सामने आए हैं जहाँ सफाई कर्मियों के बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन अलग से परोसा जाता है या उन्हें पीने के पानी तक पहुँचने में कठिनाई होती है। इस प्रकार की सामाजिक असमानताएँ उनके समग्र शैक्षिक विकास को बाधित करती हैं। सफाई कर्मियों के परिवारों में शिक्षा के प्रति जागरूकता की भी भारी कमी देखी जाती है। कई माता-पिता स्वयं निरक्षर होते हैं और इसलिए वे अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते। इस कारण वे शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देते और बच्चों को पढ़ाई से हटाकर श्रम कार्यों में लगा देते हैं। कुछ मामलों में, सरकारी योजनाओं के तहत दी जाने वाली छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी इन परिवारों तक नहीं पहुँच पाती, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते।

सरकार ने सफाई कर्मियों और अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, अशिक्षित वयस्कों के लिए साक्षरता अभियान, और स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हालाँकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव सीमित है, क्योंकि कई बार लाभार्थियों तक सहायता पहुँचने में प्रशासनिक बाधाएँ आती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या कम होने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी के कारण भी कई बच्चे स्कूल से दूर हो जाते हैं। ग्रामीण और शहरी गरीब क्षेत्रों में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए शिक्षा के बुनियादी ढाँचे की भी भारी कमी देखी जाती है। कई जगहों पर स्कूलों की संख्या कम होने के कारण बच्चों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे वे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाते। इसके अलावा, कई सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, पुस्तकालय, लैब, और डिजिटल शिक्षा की सुविधाएँ नहीं हैं, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती।

➢ **समाधान और सुधार के उपाय**

सफाई कर्मियों की शैक्षिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ संभावित उपाय निम्नलिखित हो सकते हैं:

- **निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा** – सरकारी स्कूलों में सफाई कर्मियों के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। साथ ही, इनके लिए शिक्षण सामग्री, गणवेश और परिवहन सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **भेदभाव विरोधी सख्त कानून** – स्कूलों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाने चाहिए और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी होनी चाहिए।
- **वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति** – सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाना चाहिए और सफाई कर्मियों के परिवारों को इन योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।
- **साक्षरता और शिक्षा के प्रति जागरूकता** – सफाई कर्मियों के माता-पिता को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- **कौशल विकास कार्यक्रम** – सफाई कर्मियों के बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ताकि वे पारंपरिक सफाई कार्यों तक सीमित न रहें।

सफाई कर्मियों की शैक्षिक स्थिति को सुधारना केवल एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसरों के आभाव में वे गरीबी और भेदभाव से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए, शिक्षा को उनके उत्थान और सशक्तिकरण का माध्यम बनाना जरुरी है, ताकि उनकी अगली पीढ़ी आत्मनिर्भर बन सके और समाज में समानता स्थापित हो सके।

5. रिहाइशी स्थिति

सफाई कर्मियों की रिहाइशी स्थिति अत्यंत खराब और असुरक्षित होती है, जो उनके जीवन की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह समुदाय अधिकतर शहरी इलाकों के बाहरी हिस्सों, उपेक्षित और गंदगी से भरे क्षेत्रों, या ग्रामीण इलाकों में स्थित कच्चे मकानों में रहता है। इन स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है,

जैसे कि पानी, बिजली, स्वच्छता और सड़कों की उचित व्यवस्था। इन क्षेत्रों में अधिकांश घर कच्चे होते हैं, जिनकी दीवारें और छतें कमजोर होती हैं, जिससे मौसम के बदलावों का सामना करना और भी कठिन हो जाता है। ऐसे घरों में रहने से न केवल मानसिक अस्वस्थता होती है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि यहाँ साफ-सफाई का उचित ध्यान नहीं रखा जाता और घरों में गंदगी का ढेर जमा रहता है। सफाई कर्मियों के रिहायशी इलाकों में स्वच्छ जल का अभाव भी एक गंभीर समस्या है, जिससे जलजनित बीमारियाँ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इन क्षेत्रों में सफाई कर्मियों को अक्सर पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, और अगर पानी उपलब्ध भी होता है तो वह अक्सर गंदा और प्रदूषित होता है, जिससे हैजा, दस्त, टायफाइड, और अन्य जलजनित बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है। इसके अलावा, इन इलाकों में स्वच्छता की कमी के कारण मलेरिया, डेंगू, और अन्य संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, सफाई कर्मी जिन गंदे और प्रदूषित इलाकों में काम करते हैं, वहां से विषाणु और बैक्टीरिया भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे त्वचा की बीमारियाँ, श्वसन संक्रमण (जैसे कि खांसी, सर्दी, अस्थमा), और फेफड़ों के संक्रमण जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। इन अस्वच्छ और असुरक्षित परिस्थितियों में सफाई कर्मियों के बच्चों का विकास भी प्रभावित होता है। जब बच्चे गंदगी और अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है । सफाई कर्मियों की रिहाइशी स्थिति में सुधार की सख्त आवश्यकता है ताकि वे एक सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जी सकें। यह समुदाय अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद बेहतर आवास और जीवन स्तर से वंचित है।

6. महिला मैला ढोने वालों की चुनौतियाँ

भारत में मैन्युअल स्कैवेंजिंग की प्रथा एक गहरे सामाजिक और मानवाधिकार संकट को जन्म देती है, जो खासकर दलित समुदायों और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को प्रभावित करती है। भारत में मैन्युअल स्कैवेंजिंग की प्रथा से लगभग **8.2** मिलियन लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं हैं। यह आंकड़ा **95%** से **98%** तक है। इन महिलाओं को शुष्क शौचालयों की सफाई, सीवेज की सफाई, मल ढोने, और अन्य खतरनाक कार्यों के लिए मजबूर किया जाता है। यह प्रथा विशेष रूप से भारतीय समाज के सबसे निम्न वर्गों के बीच प्रचलित है, जैसे वाल्मीकि जाति, हैला और हलालखोर जातियाँ, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्यों में पाई जाती हैं। इन महिलाओं को "भंगी" जैसे अपमानजनक नाम से संदर्भित किया जाता है, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर उनकी स्थिति को दर्शाता है। यह महिलाओं का जीवन एक निरंतर उत्पीड़न और अपमान का शिकार होता है, जहां सामाजिक बहिष्करण और शोषण आम बात है। शादी के बाद इन महिलाओं को अपने परिवारों और गांवों द्वारा इस व्यवसाय में शामिल होने के

लिए विवश किया जाता है। अगर कोई महिला इसका विरोध करती है, तो उसे न केवल परिवार से बल्कि समाज से भी बहिष्कृत कर दिया जाता है। विभिन्न अधध्यनों के अनुसार **85%** महिला स्कैवेंजर महिलाएं विवाहित होती हैं, और इनमें से कई महिलाएं त्योहारों के समय शुष्क शौचालय की सफाई के लिए महज **10-20** रुपये प्रति माह की दर से काम करती हैं, जबकि कई बार इन्हें बिना किसी भुगतान के ही काम करना पड़ता है।

इसके अलावा, इन महिलाओं का शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। मैन्युअल स्कैवेंजिंग के दौरान, यह महिलाएं विषाक्त गैसों के संपर्क में आती हैं, जिनसे उनका जठरांत्र, श्वसन, मस्कुलोस्केलेटल, हृदय और प्रजनन तंत्र प्रभावित होते हैं। कई महिलाओं को त्वचा रोग, सिरदर्द, मतली, सांस लेने में कठिनाई, और बार-बार संक्रमण का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में, यह विषाक्त पदार्थ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, जो इन महिलाओं की असमय मृत्यु का कारण बनते हैं। हालाँकि सरकार ने इस प्रथा के उन्मूलन के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इन महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, और सामाजिक सुरक्षा का बहुत कम लाभ मिलता है। आर्थिक परेशानियों, सामाजिक बहिष्करण और स्वास्थ्य संकटों के बावजूद, इन महिलाओं का जीवन कठिन और असमान है। यह प्रथा न केवल एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है, बल्कि यह समाज में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव को भी उजागर करती है, जिसका निवारण और सामाजिक समावेशन के प्रयासों की तत्काल आवश्यकता है।

8.3.2 सफाईकर्मियों (मैला ढोने) वालों की चुनौतिया (Challenges Of Manual Scavengers)

मैला ढोना का कार्य समाज के निचले तबके के लोगों द्वारा किया जाता है, और यह कार्य जोखिम भरा है। इन लोगो को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। उनकी प्रमुख चुनौतियाँ निम्न प्रकार है।

1. **स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ**

सफाई कर्मचारी (मैला ढोने वाले) मानव मल, गंदगी, और जहरीले पदार्थों के संपर्क में आते हैं तथा बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सीवेज और शौचालयों की सफाई करते हैं। इस कारण उन्हें गंभीर बीमारियों, जैसे श्वसन रोग, त्वचा संक्रमण, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कई सफाई कर्मचारियों की सेप्टिक टैंक या सीवर की सफाई करते समय मौत भी हो जाती है। इसके उपरान्त, उन्हें स्वास्थ्य बीमा या सुरक्षा लाभ नहीं मिलते,

और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं भी उनके पास उचित रूप सही तरीके से नहीं पहुंचतीं, जिससे वह उचित इलाज नहीं करा पाते हैं।

2. सामाजिक बहिष्कार और कलंक

सफाईकर्मी (मैला ढोने वाले) समाज के सबसे वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्ग से आते हैं। जाति-आधारित सामाजिक संरचना में उन्हें सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है, और उनके साथ गहरे भेदभाव का व्यवहार किया जाता है। समाज में उनके कार्य को निम्न दृष्टि से देखा जाता है और उन्हें सामान्य सामाजिक गतिविधियों से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इस सामाजिक कलंक के कारण उन्हें शिक्षा, रोजगार, और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित किया जाता है। यह सामाजिक अपमान उनके आत्म-सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को गहरा आघात पहुंचाता है।

3. आर्थिक असुरक्षा

सफाईकर्मी (मैला ढोने वाले) अत्यधिक गरीब होते हैं, और उनकी आय अस्थिर होती है। इस कठिन और जोखिमपूर्ण कार्य के लिए उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, जिससे वे अपने परिवार की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ रहते हैं। इस कार्य में कोई आर्थिक सुरक्षा या पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं होतीं, और स्थायी रोजगार का अभाव उनकी आर्थिक स्थिति को हमेशा अस्थिर रखता है। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण यह लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी कार्य में लगे रहते हैं।

4. शिक्षा की कमी

सफाईकर्मी (मैला ढोने वालों) के बच्चों को शिक्षा में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी और भेदभाव के कारण कई परिवार अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिससे जिससे प्रायः यह बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा की कमी के कारण उन्हें अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिलते, और वे भी अपने माता-पिता की तरह उसी काम में लगे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार , यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिससे यह वर्ग कभी मुख्यधारा में नहीं आ पाता हैं।

5. कानूनी जागरूकता का अभाव

भारत सरकार ने सफाईकर्मी (मैला ढोने की) प्रथा पर प्रतिबंध लगाने और पुनर्वास के लिए कई कानून और नीतियां बनाई हैं, लेकिन इन लोगों को अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं होती। "मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध कानून, 2013" के बाद , यह प्रथा कई स्थानों पर जारी है। मैला ढोने वालों के पास कानूनी सहायता और संसाधनों की कमी होती है, जिससे वह अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते और सरकारी योजनाओं और लाभों का सही क्रियान्वयन न होने के कारण वह इनसे वंचित रह जाते हैं।

6. पुनर्वास की चुनौतियाँ

भारत सरकार सफाई कर्मी (मैला ढोने वालों) के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं चलाती है, जैसे वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करना लेकिन इनका प्रभाव सीमित होता है। पुनर्वास के दौरान मिलने वाले रोजगार अधिकतर अस्थायी और असुरक्षित होते हैं। नई स्किल्स और प्रशिक्षण की कमी के कारण यह लोग स्थिर रोजगार पाने में असफल रहते हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था भी होती है, जिससे उन्हें उचित सहायता नहीं मिल पाती।

7. कार्य की अस्थिरता

सफाईकर्मी (मैला ढोने वालों) के काम में स्थिरता का अभाव होता है, क्योंकि यह असंगठित क्षेत्र में होता है। उन्हें न रोजगार सुरक्षा मिलती है, न स्थायी नौकरी की गारंटी। स्वच्छता प्रथाओं में सुधार से उनका रोजगार प्रायः समाप्त हो जाता है, लेकिन वैकल्पिक रोजगार का प्रशिक्षण नहीं मिलता। इस अस्थिरता के कारण वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाते और गरीबी के चक्र में फंसे रहते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता अभियानों का प्रभाव सीमित होता है, जिससे यह प्रथा जारी रहती है।

8. कार्य में सुरक्षा उपायों की कमी

सफाईकर्मी (मैला ढोने वालों) को अधिकतर बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करना पड़ता है। उन्हें शारीरिक सुरक्षा जैसे दस्ताने या मास्क नहीं दिए जाते, और इनके उपयोग की ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। विषैले पदार्थों के संपर्क में रहने से उनकी जान को खतरा होता है, और सीवेज सफाई के दौरान गैस विषाक्तता से मौतें होना आम भी हो जाती हैं।

सुरक्षा मानकों का पालन न होने के कारण, आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती जिससे छोटी स्वास्थ्य समस्याएं गंभीर बन जाती हैं।

9. पर्यावरणीय चुनौतियाँ

सफाईकर्मी (मैला ढोने) का कार्य पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालता है। यदि मल-मूत्र का निपटान सुरक्षित तरीके से नहीं किया जाता, तो यह जल स्रोतों और मिट्टी को प्रदूषित करता है जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा होते हैं। असुरक्षित कचरा और सीवेज प्रबंधन हवा और जमीन को भी प्रदूषित करता है, जिससे क्षेत्र के निवासियों के लिए दीर्घकालिक खतरे बढ़ जाते हैं। यह समस्याएं मैला ढोने वालों के लिए उनके कार्य के दौरान और जीवनभर हानिकारक साबित होती हैं।

10. सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव

भारत में जाति व्यवस्था का गहरा प्रभाव सफाई कर्मियों (मैला ढोने वालों) के जीवन पर पड़ता है। यह कार्य विशेष रूप से उन जातियों से जुड़ा है जिन्हें समाज में निम्न दर्जा दिया जाता है, जैसे कि दलित समुदाय। इन्हें न केवल इस कार्य के लिए मजबूर किया जाता है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर भी इन्हें समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता है। धर्म और जाति आधारित भेदभाव के कारण इन लोगों को कई बार किसी अन्य रोजगार में प्रवेश करना कठिन होता है।धार्मिक मान्यताओं का उपयोग कर उन्हें उनके "धर्म" के नाम पर इस कार्य में बांधकर रखा जाता है, जिससे उनके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं।

11. नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

भारत में "मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम 2013" के उपरान्त, इस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पाया है। कानून के कमजोर क्रियान्वयन, दोषी ठेकेदारों और अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की कमी, और जाति आधारित सामाजिक कलंक इसके मुख्य कारण हैं। स्थानीय निकायों द्वारा उचित रूप से लागू न करने और पुनर्वास योजनाओं की जटिल प्रक्रियाओं के कारण मैला ढोने वालों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता।

8.4 सफाई कर्मियों की स्थिति: सामाजिक सुधार और भविष्य की संभावनाएं (State of education: social reforms and future situation)

8.4.1 सामाजिक सुधार और नीतियां

भारत में सफाईकर्मी (मैला ढोने की प्रथा) दलित समुदाय के खिलाफ जातिगत भेदभाव का प्रतीक है, जो मानव गरिमा का उल्लंघन करती है। कई कानूनों और नीतियों के बावजूद, सुधार अधूरा है। इस समस्या के समाधान के लिए सामाजिक सुधारों और सरकारी नीतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1. सामाजिक सुधारों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में सफाई कर्मियों (मैला ढोने) की प्रथा जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसमें दलितों को सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। यह कार्य अस्वास्थ्यकर और अपमानजनक माना जाता है, और जातिगत भेदभाव के कारण नीच समझे जाने वाले वर्गों के लिए यह बाध्यकर है। सामाजिक असमानता के चलते यह प्रथा जारी रही। सामाजिक सुधारकों जैसे महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इसके विरुद्धआवाज उठाई। गांधीजी ने इसे "अमानवीय" करार दिया और सफाईकर्मियों को सम्मान देने का आंदोलन चलाया, जबकि अंबेडकर ने दलितों के लिए समान अधिकारों की मांग की और इस प्रथा को समाप्त करने पर जोर दिया।

2. सामाजिक सुधारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य

वर्तमान में, कई गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान और पुनर्वास प्रयास किए हैं। सुलभ इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने सफाईकर्मियों के जीवन को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान ने भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाकर इस प्रथा को समाप्त करने में मदद की है। सामाजिक सुधार के लिए सामुदायिक जागरूकता, शिक्षा, और जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के प्रयास जारी हैं। हालांकि, इन सुधारों का व्यापक प्रभाव तभी होगा जब समाज में गहराई से जड़ें जमाए जातिगत पूर्वाग्रहों को समाप्त किया जाएगा।

3. नीतिगत सुधार और कानूनी पहल

मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक नीतियां और कानून बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं:

i. मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013

इस अधिनियम का उद्देश्य सफाई कर्मियों (मैला ढोने) की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना और इस कार्य में सम्मिलित लोगों का पुनर्वास करना है। इसके तहत मैनुअल स्कैवेंजिंग को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है, और इस कार्य में शामिल लोगों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। यह कानून न केवल सफाई कर्मियों (मैला ढोने) को अवैध करार देता है बल्कि इसे कराने वाले स्थानीय निकायों और ठेकेदारों पर भी कड़ी सजा का प्रावधान करता है।

ii. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK)

सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को हल करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना था। यह आयोग सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के साथ-साथ उनके रोजगार के लिए वैकल्पिक साधनों की भी सिफारिश करता है।

iii. स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Mission)

2014 में शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था, बल्कि इसका एक प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना भी था। इस अभियान के तहत देशभर में शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे खुले में शौच की समस्या को कम किया जा सके। इस अभियान के कारण सफाई कमचारियों (मैला ढोने वालों) की संख्या में कमी आई है, क्योंकि शौचालयों के निर्माण से मानव मल के मैनुअल निपटान की जरूरत कम हो गई है।

iv. अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

यह कानून दलितों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए बनाया गया था। इसमें सफाई कर्मी (मैला ढोने की) प्रथा भी शामिल है, जो जातिगत भेदभाव का एक रूप है। इस अधिनियम के तहत मैला ढोने वालों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और भेदभाव के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।

बोध प्रश्न 2

1. सामाजिक कलंक के कारण सफाई कर्मी (मैला ढोने) वाले लोग___________ और ___________ के शिकार होते हैं।

2. सफाई कार्य (मैला ढोने की) प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने___________ अधिनियम लागू किया है।

3. ___________ और ___________ जैसी योजनाओं का उद्देश्य मैला ढोने वालों के पुनर्वास और सशक्तिकरण पर जोर देना है।

4. सफाईकर्मियों (मैला ढोने) वालों की स्थिति सुधारने के लिए___________ और ___________ जैसे सामाजिक सुधार आवश्यक हैं।

5. सफाई कर्मी (मैला ढोने) वालों के लिए बेहतर भविष्य की संभावना तभी है जब समाज ___________ और ___________ में बदलाव लाए।

8.4.2 भविष्य की संभावनाएं (future Prospects)

सफाई कर्मी (मैला ढोने) की प्रथा खत्म करने और इस समुदाय को सम्मानजनक जीवन देने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। यद्यपि, सफल क्रियान्वयन और समग्र विकास के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। भविष्य की संभावनाएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं-

1. **शिक्षा और कौशल विकास**

शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के अवसरों में वृद्धि इस समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेगी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कौशल विकास योजनाओं के जरिए सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है।

2. सरकारी योजनाएं और पुनर्वास

कई सरकारी योजनाओं जैसे कि मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत इस समुदाय को वित्तीय सहायता और पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। इन योजनाओं का उचित रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने से उनके जीवन स्तर में सुधार संभव है।

3. तकनीकी नवाचार और स्वच्छता समाधान

तकनीकी नवाचार, जैसे कि सीवर सफाई के लिए रोबोटिक्स और अन्य स्वचालित उपकरणों का उपयोग, सफाई कर्मी (मैला ढोने) की आवश्यकता को कम करने में मदद करेगा। इससे न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि उन्हें सम्मानजनक कार्यों में स्थानांतरित होने का अवसर भी प्राप्त होगा।

4. सामाजिक जागरूकता और समावेश

सामाजिक जागरूकता अभियानों के जरिए समाज में सफाई कर्मी (मैला ढोने) वालों के प्रति भेदभाव और पूर्वाग्रह को खत्म करना आवश्यक है। जब तक समाज में उनकी स्वीकृति और सम्मान के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आएगा तब तक सुधार अधूरे रहेंगे।

5. स्वास्थ्य और सुरक्षा

स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा उपायों की पहुंच सुनिश्चित कर सफाई कर्मी (मैला ढोने) वाले समुदाय को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस समुदाय को स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिले।

6. वैकल्पिक रोजगार के अवसर

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से वैकल्पिक रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं। स्वरोजगार योजनाओं, माइक्रोफाइनेंस और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने से इस समुदाय को नई संभावनाएं प्राप्त हो मिल सकती हैं।

8.5 निष्कर्ष (Conclusion)

यह अध्याय **मैनुअल स्कैवेंजिंग** की प्रथा की जड़ों और प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसे **"स्कैवेंजिंग"** के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः जातिगत भेदभाव से जुड़ी एक प्रथा है, जिसमें विशेष समुदायों के लोग मानव अपशिष्ट की सफाई के लिए बाध्य होते हैं। यह प्रथा मानव अधिकारों का उल्लंघन करती है और इसके चलते स्कैवेंजर्स को सामाजिक कलंक, आर्थिक असुरक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का सामना करना पड़ता है।

मैनुअल स्कैवेंजर्स की कठिनाइयों, विशेषकर महिलाओं के लिए, जो लिंग आधारित भेदभाव का सामना करती हैं, का गहन विवेचन किया गया है। अंततः यह अध्याय मैनुअल स्कैवेंजर्स के अधिकारों की मान्यता और उनके

सामाजिक कल्याण के लिए सुधारों की आवश्यकता पर जोर देता है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। यह अध्ययन इस प्रथा की वास्तविकता को उजागर करता है और इसके समाप्ति के लिए आवश्यक सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है।

8.6 शब्दावली (Glossary)

1. स्कैवेंजिंग– अपशिष्ट या बर्बाद चीज़ों से उपयोगी या मूल्यवान वस्तुओं की खोज करने और एकत्र करने की क्रिया।

2. मैनुअल स्कैवेंजर्स- वे व्यक्ति जो बिना मशीनरी या यांत्रिक सहायता के, मानव मल सहित कचरा एकत्र करने और निपटाने का कार्य करते हैं।

3. स्वयं नियोजित- वह व्यक्ति जो स्वयं के लिए काम करता है, न कि किसी नियोक्ता के लिए, अपने व्यवसाय या पेशे का संचालन करता है।

4. ठेका कर्मचारी- वे कर्मचारी जो निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर काम करते हैं, आमतौर पर विशेष कार्यों या परियोजनाओं के लिए, न कि स्थायी स्टाफ के रूप में।

5. विशेषीकृत सफाई सेवा- एक पेशेवर सेवा जो विशिष्ट प्रकार के सफाई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करती है, अक्सर विशेष सफाई आवश्यकताओं जैसे कि हानिकारक अपशिष्ट निकालने या गहरी सफाई के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को नियुक्त करती है।

6. सीवेज प्रबंधन- सीवेज और अपशिष्ट जल का संग्रह, उपचार और निपटान करने की प्रक्रिया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करती है।

8.7 बोध प्रश्नों के उत्तर (Answers to Comprehension Questions)

बोध प्रश्न- 1

1. वर्ण
2. सेप्टिक टैंक, सीवेज प्लांट
3. श्वसन संबंधी रोग, त्वचा संक्रमण

बोध प्रश्न- 2

1. सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक शोषण
2. 2013 का मैला ढोने पर प्रतिबंध और पुनर्वास अधिनियम
3. स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा
4. शिक्षा, कौशल विकास
5. जातिगत भेदभाव, मानसिकता

8.8 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste. Retrieved from https://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/index.html
2. Arya, Sudha. Dalit Women and Their Mental Health Issues. Sociological Bulletin, 2019.
3. Bhimrao, A. D. (2019). Caste, Class and Manual Scavenging: A Study of the Status of Manual Scavengers in India. Journal of Social Inclusion Studies, 5(1), 24-45.
4. भारत सरकार. (2013). मैनुअल स्कैवेंजिंग निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013
5. Gandhi, M. (1933). The removal of untouchability. Navajivan Publishing House.
6. Ambedkar, B. R. (1936). Annihilation of caste. Retrieved from https://ccnmtl.columbia.edu/projects/mmt/ambedkar/web/index.html
7. Government of India. (2014). Swachh Bharat Mission. Retrieved from https://swachhsurvekshan.in/
8. Government of India. (1989). Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989. Retrieved from https://indiacode.nic.in/handle/123456789/4210?locale=en
9. Government of India. (2013). The prohibition of employment as manual scavengers and their rehabilitation act, 2013. Retrieved from https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2100/1/2013THEMANUALSCAVENGING.pdf

10. Government of India. (2014). Swachh Bharat Mission. Retrieved from https://swachhsurvekshan.in/
11. Government of India. (2022). Microfinance programs for marginalized communities. Retrieved from https://msme.gov.in/
12. Kumar, Ajay. Mental Health Impact of Manual Scavenging: A Psychosocial Study. Indian Journal of Psychiatry, 2020.
13. Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. (2013). Manual Scavenging: A Study of Current Practices and Issues.
14. National Commission for Safai Karamcharis (NCSK). (2021). Annual report. Retrieved from http://ncsk.nic.in/
15. National Commission for Scheduled Castes. (2020). Report on the status of Manual Scavenging in India.
16. National Human Rights Commission (NHRC). "Study on Women in Manual Scavenging", 2020. Report of the National Commission for Safai Karamcharis (NCSK), 2019.
17. National Commission for Safai Karamcharis (NCSK). (2021). Annual report. Retrieved from http://ncsk.nic.in/
18. Srinivasan, K., & Nadarajah, R. (2016). Sanitation, Health and Social Exclusion in India: Manual Scavenging and Its Implications. Indian Journal of Public Health Research & Development, 7(3), 152-158.
19. Shah, Ghanshyam. Untouchability in Rural India. SAGE Publications, 2006.
20. Sulabh International. (2023). Annual report. Retrieved from https://www.sulabhinternational.org/
21. Sulabh International. (2023). Annual report. Retrieved from https://www.sulabhinternational.org/
22. Safai Karmachari Andolan. (2022). Campaigns and social inclusion programs. Retrieved from http://safaikarmachariandolan.org/

23. Sulabh International. (2023). Annual report. Retrieved from https://www.sulabhinternational.org/
24. Thorat, Sukhadeo, and Paul Attewell. The Legacy of Social Exclusion: A Correspondence Study of Caste Discrimination in India. Economic and Political Weekly, 2007.
25. Thorat, Sukhadeo, and Aryama. Caste, Race, and Discrimination: Discourses in International Context. Rawat Publications, 2007.
26. ILO (International Labour Organization). "Working Paper on Manual Scavenging in India", 2015.
27. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSSO). (2019). स्वास्थ्य और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट. NSSO Reports. https://www.mospi.gov.in/national-sample-survey-officensso
28. सुलभ इंटरनेशनल. सालाना रिपोर्ट. Sulabh International.
29. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC). (2020). मानव अधिकारों की स्थिति: दलित और स्वच्छता कार्यकर्ता. NHRC Official Website.
30. भारत सरकार. स्वच्छ भारत अभियान. Swachh Bharat Mission.
31. विश्व बैंक. (2020). भारत में सफाई कामकाजी और स्वास्थ्य. World Bank Report.
32. World Health Organization (WHO). (2020). Health and safety for sanitation workers. Retrieved from https://www.who.int/publications/i/item/9789240000201

इकाई- 9 गरीबी और जनसंख्या

Poverty and Population

इकाई की रूपरेखा

9.0 प्रस्तावना
9.1 उद्देश्य
9.2 जनसंख्या, गरीबी और स्वच्छता का संबंध
9.3 जनसंख्या वृद्धि का कारण
9.4 गरीबी का कारण
9.5 गरीबी से स्वच्छता को चुनौतियाँ
9.6 गरीबी से बढ़ती अवैध झुग्गियों की संख्या
9.7 लोगों को अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर करती गरीबी
9.8 कुपोषण को जन्म देती गरीबी
9.9 संक्रामक बीमारियों को बढ़ाती गरीबी
9.10 अस्वच्छ जल पीने को मजबूर करती गरीबी
9.11 गरीबी के कारण स्वच्छता संबंधित जागरूकता में कमी
9.12 गरीबी से परम्परागत मान्यताओं में विश्वास में बढ़ोत्तरी
9.13 जनसंख्या स्वच्छता में बाधक
9.14 जनसंख्या से स्वच्छता को चुनौतियां
9.15 स्वच्छता के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव
9.16 झुग्गियों की संख्या में बढोत्तरी
9.17 स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव
9.18 स्वच्छता के कार्यों को विशेष जाति तक सीमित रखने की मानसिकता
9.19 स्वच्छता को प्रभावित करती आर्थिक असमानता
9.20 नगरों में अत्यधिक जनसंख्या के प्रवास से स्वच्छता को चुनौतियां
9.21 पर्यावरण को चुनौती देती अधिक जनसंख्या
9.22 सारांश
9.23 पारिभाषिक शब्दावली
9.24 संदर्भ सूची
9.25 निबन्धात्मक प्रश्न

9.0 प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी देश के विकास में वहां की कार्यबल जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि जनसंख्या के अनुपात में, उस देश में संसाधन मौजूद हों और लोग अपने-अपने कार्यो के द्वारा उत्पादन, विनिमार्ण, कृषि तथा उद्योगों आदि में अपनी क्षमतानुसार कार्यो को करके, विकास को गति देते हों, तब हम कह सकते हैं कि कार्यबल जनसंख्या का किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके ठीक विपरीत यदि किसी देश की जनसंख्या, उस देश के पास मौजूद संसाधनों से अधिक हो, जनसंख्या को उसके कार्यानुरूप, कार्य नहीं मिल पाता हो, उस स्थिति में यह जनसंख्या उस देश के लिए एक समस्या बन जाती है।

शिक्षार्थियों भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या वृद्धि से समाज के सीमित संसाधनों पर जोड़ पड़ता है। साथ ही समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की इन संसाधनों तक पहुंच हो पाये यह भी संभव नहीं होता है। शिक्षार्थियों, अब आपके दिमाग में यह प्रश्न दौड़ रहा होगा कि आंखिर वे कौन से संसाधन हैं? जिनकी समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य तक पहुंच नहीं हो पाती है। अत्यधिक जनसंख्या से समाज में क्या प्रभाव पड़ते हैं? क्या अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी का आपस में संबंध है? इस इकाई की शुरूवात करने से पूर्व हमें इन तमाम प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। शिक्षार्थियों मनुष्य समाज में रहकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। जिसके लिए उसे रोटी, कपड़ा, मकान के साथ-साथ अनेक मूलभूत संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन मूलभूत संसाधनों पर ही मनुष्य का उत्तम स्वास्थ्य निर्भर करता है। इन मूलभूत संसाधनों में मनुष्य का बेहतर स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए समाज के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार हमारे देश की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। उस अनुपात में हर व्यक्ति की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं हो पाती है, इसलिए समाज के हर नागरिक को चाहिए कि वह अपने जीवन में कभी बीमार ही नहीं पड़े। इसके लिए समाज में रहने वाले व्यक्तियों को गंदगी और अस्वच्छ वातावरण से दूर रहना पडेगा। स्वच्छता को अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। जिस प्रकार अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी का आपस में संबंध है। उसी प्रकार से स्वच्छता और स्वास्थ्य का संबंध होता है। अत्यधिक जनसंख्या से किसी भी समाज के सीतिम संसाधनों पर दबाव पड़ता है। साथ ही अत्यधिक जनसंख्या से समाज में गरीबी की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या से समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरचना के सभी पक्षों पर दबाव पड़ता है। जिससे समाज में सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रभावित होती है। शिक्षार्थियों जैसा कि आप जानते हैं कि यह इकाई आपके पाठ्यक्रम स्वच्छता के समाजशास्त्र पर आधारित है। इस

इकाई में आप जानेगें कि किस प्रकार से गरीबी और अत्यधिक जनसंख्या समाज की स्वच्छता को बनाये रखने के सम्मुख एक चुनौती का कार्य करती हैं।

इस बात को तो आप अब भलि-भांति समझ गये होंगे कि गरीबी और जनसंख्या समाज की स्वच्छता के साथ-साथ, समाज की सामाजिक संरचना, सीमित संसाधनों की उपलब्धता, आर्थिक स्थितियों आदि सभी को प्रभावित करती हैं। भारत में हमारी सरकारों के द्वारा समय-समय पर स्वच्छता की स्थिति में सुधार के लिए व्यापक कदम उठाये हैं। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम स्वच्छता के लिए वर्तमान समय में एक सराहनीय कार्य कर रहा है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम ने स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को बदलने में इस कार्यक्रम ने बड़ी मदद की है। इन स्वच्छता के कार्यक्रमों के सफल संचालन के बाद स्वच्छता के मामलों में, हमारे देश की दिशा और दशा में सकारात्मक परिवर्तन आये हैं। शिक्षार्थियों इन सबके बाद भी हमारे देश में गरीबी और अत्यधिक जनसंख्या ने कहीं न कहीं स्वच्छता को बनाये रखने के सम्मुख एक चुनौती देने का कार्य किया है। अत्यधिक जनसंख्या एवं गरीबी के कारण अस्वच्छता, जल भराव और कूड़े-कचरे के समुचित निस्तारण संबंधी समस्या के साथ-साथ सीमित संसाधनों पर दबाव तथा पर्यावरणीय संकट हमारे सम्मुख आज एक चुनौती है। शिक्षार्थियों इस इकाई की शुरूवात करने से पूर्व हमें अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी कैसे स्वच्छता को प्रभावित करती हैं? के विषय में ज्ञानार्जन करना आवश्यक हो जाता है।

9.1 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप

- जनसंख्या, गरीबी तथा स्वच्छता के आपसी संबंधों के विषय में जान पायेंगे। गरीबी से स्वच्छता को कौन-कौन सी चुनौतियां मिलती हैं के विषय में जान पायेंगे।
- अधिक जनसंख्या से स्वच्छता कैसे प्रभावित होती है? तथा अधिक जनसंख्या से स्वच्छता के सम्मुख कौन-कौन सी समस्याए उत्पन्न होती हैं? के विषय में जान पायेंगे।

9.2 जनसंख्या, गरीबी और स्वच्छता का संबंध (Relationship between Population Poverty and Sanitation)

शिक्षार्थियों स्वच्छता किसी भी समाज और देश की प्रगति और खुशहाली के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक होती है। यदि किसी समाज या देश में स्वच्छता की स्थिति अच्छी होगी तब वहां के लोग भी स्वस्थ होगें। यदि लोग स्वच्छ होगें तो समाज और देश तरक्की करेगा। हम सब जानते है कि भारत एक विकासशील देश है। यहां जनसंख्या

के अधिक होने के साथ-साथ गरीबी की समस्या भी एक प्रमुख समस्या के रूप में देखी जाती है। अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी का सीधा प्रभाव स्वच्छता पर पड़ता है। क्योंकि गरीब आदमी अपने लिए सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए ही संघर्ष करता है। जिसके कारण मनुष्य अस्वच्छ वातावरण में रहते हैं और स्वच्छता पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अधिकांश शहरों में गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन निवार्ह करते हैं।

चूंकि ये झुग्गी झोपडियां अवैध होती हैं। इसलिए यहां पर स्वच्छता के इंतेजामों की कमी होती है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लागों के द्वारा की गई अस्वच्छता और गंदगी पूरे वातावरण को प्रभावित करती है। कुल मिलाकर अत्यधिक जनसंख्या और गरीबी सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत् विकास को भी प्रभावित करती है। अधिक जनसंख्या के परिणामस्वरूप झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार, संसाधनों पर दबाव, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी तथा स्वच्छता के लिए चलाये गये सरकारी कार्यक्रमों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अत्यधिक जनसंख्या से गरीबी उत्पन्न हुई, तथा गरीबी ने सामाजिक संरचना के, सामाजिक-आर्थिक पक्षों के सम्मुख चुनौतियाँ प्रस्तुत करने का कार्य किया है। वह कौन से कारण हैं जिनसे भारत में अत्यधिक जनसंख्या की समस्या उत्पन्न हुई है। इन कारणों को जानना, इस इकाई को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों पर निम्न बिन्दुओं के माध्यम से चर्चा की जा रही है।

9.3 जनसंख्या वृद्धि का कारण (Reason for Population Growth)

i. शिक्षार्थियों यदि भारत को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाये तो कभी भारत एक कृषि प्रधान देश होता था। यहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य करती थी। कृषि के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होती है जिसके कारण बड़े परिवारों को प्राथमिकता दी जाती थी। परिणामस्वरूप जनसंख्या में बढोत्तरी होने लगी।
ii. कुछ समाजों में अधिक बच्चों को सामाजिक और धार्मिक रूप से अच्छा माना जाता है। साथ ही पुत्र प्राप्ति की चाहत के कारण भी जन्म दर अधिक हो जाती है।
iii. स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। जिसका सीधा प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है।
iv. मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है।
v. अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण परिवार नियोजन के महत्व को न समझना जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण है।

इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि भारत में उपरोक्त कारण जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में जिम्मेदार रहे हैं। जिससे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रभावित होती है। चूंकि यह इकाई गरीबी और जनसंख्या के संबंध में है। इसलिए इस इकाई में गरीबी का कारण भी सर्वप्रथम जानना आवश्यक हो जाता है।

9.4 गरीबी का कारण (The Cause of Poverty)

(i) तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण यह संभव नहीं है कि सभी को शिक्षा, रोजगार एवं उत्तम स्वास्थ्य की सेवाओं की उपलब्धता मिल पाये। जिस कारण समाज के सीमित संसाधनों पर दबाव पड़ता है।

(ii) अत्यधिक जनसंख्या के कारण प्रत्येक मनुष्य व्यवसायिक कौशलला और शिक्षा प्राप्त कर पाये यह भी आवश्यक नहीं है। जिस कारण से आर्थिक चुनौतियां मनुष्य को गरीब बना देती हैं।

(iii) जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि यहां पर कृषि में निर्भरता अधिक है। साथ ही यहां की अधिकांश कृषि मौसम पर आधारित है। आज ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण समय पर वर्षा नहीं हो रही है। जिसका सीधा प्रभाव कृषि व्यवसाय पर पड़ता है। पैदावार के कम होने के कारण किसान कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। जिससे वे गरीब पड़ जाते हैं।

(iv) सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये हैं। अशिक्षा और इन कार्यक्रमों के विषय में अधिकांश लोगों की जागरूकता न होने के कारण, लोगों की पहुंच इन कार्यक्रमों तक नहीं हो पाती है।

शिक्षार्थियों यहां पर यह बताना आवश्यक हो जाता है कि हमारी सरकारों के द्वारा भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित एवं गरीबी उन्मूलन के लिए अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, मिशन परिवार विकास 2017, जनसंख्या स्थिरीकरण कोष 2000, किशोरी स्वास्थ्य योजना और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि अनेक कार्यक्रम भारत की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चलाये गये हैं। इनके साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना 2014 आदि अनेक कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए चलाये जा रहे हैं। चूंकि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सबका कल्याण करना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यहां की धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का ख्याल हमारी सरकारें रखती आ रही हैं, और वर्तमान समय में भी सबका ख्याल रख रही है।

9.5 गरीबी और जनसंख्या से स्वच्छता को चुनौतियां (Challenges to Sanitation from Poverty and Population)

सरकार के द्वारा आज स्वच्छता तथा स्वच्छता को दुरस्त रखने की संरचनाओं के लिए व्यापक कार्य किये जा रहे हैं। जिस क्रम में भारतीय समाज में स्वच्छता को बनाये रखने के लिए अनेकों कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा

रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान, गंगाा स्वच्छता अभियान, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान एवं तरल एवं ठोस कूड़े-कचरे के निस्तारण एवं प्रबंधन से संबंधित अनेक कार्यक्रम भारत की सरकार के द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों की सफलता का प्रमाण बताता है कि अब भारत स्वच्छता में अच्छा स्थान हासिल कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम ने भारत के ऐसे वंचित वर्गों, गरीबों जो स्वयं अपने संसाधनों से शौचालयों का निर्माण कर पाने में असमर्थ थे, उनके लिए शौचालयों का निर्माण कराया है। जो लोग खुले में शौच के आदि थे, उनके घरों में शौचालयों के निर्माण से उन्होंने आज खुले में शौच की परम्परा को त्याग दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम भारत में स्वच्छता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। साथ ही भारत में स्वच्छता के कार्यक्रमों ने, भारतीय समाज की संरचना और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निवर्हन किया है। भारतीय समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का एक समान न होने का कारण मुख्य रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या दिखाई देती है। जो आज सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं स्वच्छता के सामने एक चुनौती भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जब तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये जाये तब तक सम्पूर्ण भारत की स्वच्छता वं स्वास्थ्य के सम्मुख एक चुनौती बनी रहेगी। इस इकाई में हम गरीबी और अत्यधिक जनसंख्या से स्वच्छता को बनाये रखने में जो चुनौतियाँ मिल रही हैं, उनके विषय में पृथक-पृथक चर्चा करेगें।

9.6 गरीबी से अवैध झुग्गियों की संख्या बढ़ती (Poverty Leads to Rise in Illegal Slums)

जैसा कि शिक्षार्थियों आपको पूर्व में भी बताया गया है कि गरीबी और अस्वच्छता का गहरा संबंध है। गरीब लोग अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर होते हैं। आज हमारे देश के बड़े-बड़े शहरों एवं महानगरों में वे गरीब लोग जिनके पास न तो रहने के लिए अपने मकान हैं और न ही वे अपने लिए किराये के मकान ले सकते हैं। ये लोग शहरों में अवैध झुग्गियों का निर्माण कर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। इन अवैध झुग्गियों में न तो शौचालय होते हैं और न ही यहां पर साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था होती है। हमारी सरकार के द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना जैसे कार्यक्रम भी लागू किये है ताकि ये इन झुग्गियों से निकलकर अपने स्वयं के मकान में रह सके। चूंकि झुग्गियों में रहने वाले ये लोग गरीब होने के साथ-साथ अशिक्षित भी होते हैं। इसलिए इन कल्याणकारी योजनाओं तक ये पहुंच बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। ये लोग झुग्गियों में स्वयं तो रहते ही है, साथ ही ये इन झुग्गियों के आस-पास और लोगों को भी बसा देते हैं। जिससे इन झुग्गियों में गंदगी का अम्बार लग जाता है। गंदगी इस कदर बढ़ जाती है कि पूरा वातावरण अस्वच्छ होने लगता है। हॉलाकि हमारी सरकार झुग्गियों की साफ-सफाई एंव स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए भी कार्य करती है। जिससे झुग्गियों में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रह सके। लेकिन इन अवैध झुग्गियों में रहने वाले लोगों के स्वच्छता के प्रति उदासीन होने के कारण स्वच्छता के सम्मुख

एक बड़ी चुनौती उभरकर सामने आती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गरीबी लोगों को इन अस्वच्छ झुग्गियों में रहने को मजबूर करती है। जिससे आस-पास के रहने वाले लोग भी प्रभावित होने से नहीं बच पाते हैं।

9.7 लोगों को अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर करती गरीबी (Poverty Forces People to Live in Unhygienic Environment)

गरीब लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च करते हैं। चूंकि इन लोगों की आमदनी बहुत कम होती है, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। जिस कारण ये लोग साफ-सफाई एंव स्वच्छता पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप ये संक्रमित बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। ये लोग अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी संक्रमित कर देते हैं।

9.8 कुपोषण को जन्म देती गरीबी (Poverty Gives Rise to Malnutrition)

शिक्षार्थियों गरीबों को पर्याप्त भोजन न मिल पाने के कारण वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण से उनके शरीर में अनेकों बीमारियों का आवास बन जाता है। क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए प्रतिदिन 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो इनको नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही ये लोग अस्वच्छ और गंदगी में रहते हैं। जिस कारण इनको बीमारियां जल्दी अपनी चपेट में ले लेती हैं। यदि ये स्वच्छता, पोषण तथा साफ-सफाई का ध्यान रखें तो ये कुपोषित होने से बच सकते हैं। गरीबी और गंदगी इन्हें और अधिक बीमार कर देती है।

9.9 गरीबी संक्रामक बीमारियों को बढ़ाती गरीबी (Poverty Increases Infectious Diseases)

गरीब लोग भीड़-भाड़ और अस्वच्छ वातावरण में रहते है। जहां पर स्वच्छता तथा साफ-सफाई की न तो समुचित व्यवस्था होती है और न ही समुचित जल निकासी की व्यवस्था होती है। यहां पर गंदगी एवं जलभराव से संक्रामक बीमारियां तेजी से फैलती हैं। कोविड काल में शिक्षार्थियों आपने देखा होगा कि अस्वच्छ वातावरण में रहने वाले अधिकांश गरीब लोग ही संक्रामण के जल्दी शिकार हुए थे। इनके द्वारा संक्रमण अन्य लोगों में भी बड़ी तेजी से फैला था।

9.10 अस्वच्छ जल पीने को मजबूर करती गरीबी (Poverty Forces People to Drink Unclean Water)

झुग्गियों और गंदी बस्तियों में अधिकांश गरीब लोग रहते हैं। यहां पर कूड़े-कचरे के निपटान की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। साथ ही यहां पर रहने वाले अशुद्ध और दूषित पानी का प्रयोग करते हैं। जिस कारण इन्हें जल

जनित रोग भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। इनके द्वारा की गई गंदगी से ही पानी दूषित होता है। जिसको ये स्वयं पीते भी हैं, और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं।

9.11 गरीबी के कारण स्वच्छता संबंधित जागरूकता में कमी (Lack of Awareness Related to Cleanliness Due to Poverty)

स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को उत्तम बनाती है बल्कि यह समाज के सामाजिक-आर्थिक ताने को भी स्वस्थ बनाने का काम करती है। भारत जैसे विकाशशील देश में गरीबी एक प्रमुख समस्या के रूप में देखी जा सकती है। गरीब लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही बड़े मुश्किल से कर पाने में समर्थ हो पाते हैं। स्वच्छता तथा स्वच्छता को बनाये रखने से संबंधित जागरूकता को प्राथमिकता देना गरीब लोगों के लिए कठिन हो जाता है। गरीबी न केवल आर्थिक संसाधनों की कमी को दर्शाती है बल्कि यह स्वच्छता संबंधित जागरूकता तथा कार्यक्रमों को भी प्रभावित करने में मदद करती है। गरीब लोगों के पास साबुन, सैनेटरी पैड, शौचालयों की सफाई के उत्पाद तथा स्वच्छ पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था करने के लए आर्थिक संसाधनों की कमी होती है। साथ ही गरीब लोग स्वच्छता के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों के विषय में भी जागरूक नहीं होते हैं। जितने समाज के अन्य लोग जागरूक होते हैं। गरीब लोग सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं एवं परम्पराओं को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि गरीब लोगों में आर्थिक संसाधनों की कमी, शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव तथा सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं में विश्वास के कारण, स्वच्छता से संबंधित जागरूकता की कमी देखी जा सकती है।

9.12 गरीबी से परम्परागत मान्यताओं में विश्वास में बढ़ोत्तरी (Poverty Increases Belief in Traditional Beliefs)

गरीब लोग उन परम्पराओं मान्यताओं एवं विश्वासों में अधिक विश्वास करते हैं जो तर्कहीन होती हैं। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान के कारण ही हम आज चन्द्रमा में पहुंच गये हैं। विज्ञान का दबदबा हर क्षेत्र में दिखाई देता है। आज भी देखने को मिलता है कि गरीब लोग अपने परम्परागत मान्यताओं एवं विश्वासों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। इनकी परम्परागत मान्यताओं एवं सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों में अंधभक्ति के कारण समाज की स्वच्छता प्रभावित होती है। आज भी मासिक धर्म के दौरान गरीब महिलाऐं परम्परागत साधनों का ही प्रयोग करती है। इससे स्वच्छता तो प्रभावित होती ही है साथ ही इनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है।

9.13 स्वच्छता में बाधक जनसंख्या (Population Hindering Cleanliness)

शिक्षार्थियों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक सकारात्मक होता है और दूसरा नकारात्मक। इसी प्रकार जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष यह है कि अधिक जनसंख्या, स्वच्छता कार्यक्रमों को सामूहिक प्रयासों से और प्रभावी

बनाने में मदद कर सकती है। साथ ही स्वच्छता सेवाओं की मांग में वृद्धि, स्वच्छता से जुड़े रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा लोगों के द्वारा स्वच्छता को बनाये रखने के लिए नये-नये नवाचार किये जा सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों में बड़ी जनसंख्या ने अपने सामूहिक प्रयासों के द्वारा इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप बड़ी जनसंख्या में स्वच्छता को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है। इस प्रकार यदि जनसंख्या स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है तथा स्वच्छता से संबंधित संसाधनों के उचित रखरखाव व प्रबंधन में अपनी सक्रिय सहभागिता देती है, तब कहा जा सकता है कि बढ़ती जनसंख्या स्वच्छता को बढ़ावा देती है। इस प्रकार यह एक जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है।

दूसरी ओर जनसंख्या स्वच्छता के लिए बाधक भी बन सकती है। यदि जब बढ़ती जनसंख्या के कारण स्वच्छता के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता हो यानि बढ़ती जनसंख्या के कारण समाज की अस्वच्छता में बढोत्तरी हो जाये, स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच आम जन-मानस तक न पहुच सकें, जनसंख्या वृद्धि से झुग्गी-झोपड़ियों का अनियंत्रित विकास हो जाये, कचरा प्रबंधन के सम्मुख चुनौती बन जाये तथा जनसंख्या के अनुपात में शौचालयों की कमी पड़ जाये। इस स्थिति को जनसंख्या का नकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यदि जनसंख्या स्वच्छता के सम्मुख एक चुनौती बन जाये तब यह जनसंख्या का नकारात्मक पक्ष कहा जा सकता है। शिक्षार्थियों आप इस बात से तो भलि-भांति अवगत हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में अच्छा खासा स्थान रखता है। इस जनसंख्या में सभी वर्गों, सभी समुदायों के लोग सम्मिलित हैं। जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है, उससे हमारे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से संबंधित संसाधनों पर अत्यधिक दबाव तो पड़ता ही है साथ ही हमारी सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक-शैक्षणिक संरचना भी प्रभावित होने से नहीं बच पाती है।

9.14 जनसंख्या से स्वच्छता को चुनौतियां (Challenges to Sanitation from Population)

इस इकाई के पूर्व में आपको जनसंख्या के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के विषय में बताया गया है। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण समाज के सभी संसाधनों पर दबाव पड़ता है। जिससे स्वच्छता को बनाये रखने तथा स्वच्छता के संसाधनों के रखरखाव में भी बांधा पहुंचती है। जनसंख्या में वृद्धि से स्वच्छता बनाए रखना एक गंभीर चुनौती बन गई है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, वैसे-वैसे कचरे और अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा भी बढ़ती जाती है। शहरों और गांवों में जनसंख्या के दबाव के कारण सफाई व्यवस्था अक्सर प्रभावित होती है। सड़कों पर कचरे का ढेर, जल निकासी की समस्या और अपशिष्ट प्रबंधन की कमी जैसे मुद्दे आम हो जाते हैं। साथ ही, पर्याप्त संसाधनों की अनुपलब्धता और नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में बीमारियों का फैलना भी एक बड़ी समस्या बन जाती है।

स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमें जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा। सरकार को कड़े नियम लागू करने और सफाई के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। साथ ही, प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और स्वच्छ भारत का सपना साकार करने में योगदान देना होगा। इस इकाई में हम जनसंख्या से स्वच्छता को मिलने वाली चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। कि किस प्रकार से जनसंख्या स्वच्छता को बनाये रखने में चुनौती देने का कार्य करती है।

9.15 स्वच्छता के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव (Excessive Pressure on Sanitation Resources)

स्वच्छता के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण एक बड़ी समस्या बन गया है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे-वैसे कचरे और अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन करना कठिन होता जा रहा है। सीमित संसाधनों, जैसे सफाई कर्मचारी, कचरा संग्रहण वाहन और अपशिष्ट निपटान स्थल, पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। अत्यधिक दबाव के कारण स्वच्छता बनाए रखने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आती हैं। संसाधनों का उचित उपयोग और विस्तार न होने के कारण स्थिति और जटिल होती जाती है।

हांलाकि हमारी वर्तमान सरकार ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरूवात की थी। इस कार्यक्रम का व्यापक प्रभाव भारत के हर कोने-कोने में देखा गया है। इस कार्यक्रम की सफलता का प्रमाण है कि भारत आज खुले में शौच की परम्परा से मुक्त हो गया है। साथ ही हम इस बात को भी नकार नहीं सकते हैं कि अधिक जनसंख्या के कारण स्वच्छता को बनाये रखने के संसाधनों पर भी दबाव पड़ता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है उस अनुपात में स्वच्छता को बनाये रखने के संसाधनों में कमी होने से कूड़े-कचरे के निष्पादन प्रबंधन तथा शौचालयों की मांग भी बढ़ रही है। स्वच्छता के संसाधनों के सीमित होने के कारण इन पर अधिक जनसंख्या से दबाव पड़ रहा है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को स्वच्छता के महत्व और कचरे के सही प्रबंधन के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही, स्वच्छता के लिए आधुनिक तकनीकों और अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करना भी आवश्यक है। इससे दबाव कम होगा और स्वच्छता को बनाए रखना संभव होगा।

9.16 झुग्गियों की संख्या में बढ़ोत्तरी (Increase in the Number of Slums Due to Population)

गांवों से नगरों, महानगरों में बढ़ते पलायन के कारण नगरों एवं महानगरों में आवास की समस्या एक व्यापक समस्या बन गई है। चूंकि नगरों और महानगरों में बढ़ती महंगाई और सीमित संसाधनों के चलते हर मनुष्य के पास रहने

के लिए आवास हो पाये यह संभव नहीं होता है। इस कारण से गरीब लोगों के द्वारा शहरों में रहने के लिए अनियोजित झुग्गियों का निर्माण किया जाता है। इन झुग्गियों के आस-पास का वातावरण अस्वच्छ होता है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास स्वच्छता को बनाये रखने के लिए समुचित संसाधन भी नहीं होते हैं। खुले में कूड़ा-कचरे का ढेर लगने के कारण यहां का पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। इस प्रकार जब सम्पूर्ण जनसंख्या के पास रहने के लिए समुचित आवासों की व्यवस्था न हो तब इस स्थिति में यह जनसंख्या स्वच्छता के सम्मुख चुनौती पेश करने का कार्य करती है।

जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैसे-जैसे शहर बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए संघर्ष करते हैं, आवास की कमी कई व्यक्तियों और परिवारों को भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों में रहने के लिए मजबूर करती है। झुग्गियाँ किफ़ायती आवास की कमी, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त शहरी नियोजन के एक अनपेक्षित परिणाम के रूप में उभरती हैं।

इन अनौपचारिक बस्तियों में अक्सर स्वच्छ पानी, उचित स्वच्छता और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त, कानूनी मान्यता और बुनियादी ढाँचे के विकास की अनुपस्थिति झुग्गियों में रहने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को और बढ़ा देती है। सरकारों और संगठनों को टिकाऊ शहरी विकास, किफ़ायती आवास परियोजनाओं और सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रहने की स्थिति में सुधार और झुग्गियों के प्रसार को कम करने के उद्देश्य से किए गए सहयोगात्मक प्रयास स्वस्थ और अधिक समावेशी शहरों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

9.17 स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का अभाव (Lack of Collective Responsibility Towards Cleanliness)

जब तक भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी नहीं मानेगें, तब तक स्वच्छता को बनाये रखने के सम्मुख चुनौती आती रहेगी। भारत में रहने वाली सम्पूर्ण जनसंख्या यदि स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बजाय सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में देखे तब अस्वच्छता एवं गंदगी की कोई समस्या ही नहीं होगी। लेकिन यहां पर अलग-अलग सांस्कृतिक मूल्यों को मानने वाले लोग रहते हैं। जो अपने-अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ही महत्व देते हैं। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वच्छता को सिर्फ अपने घर तक ही सीमित मानते हैं। जिससे सम्पूर्ण समाज में स्वच्छता के प्रति निष्क्रियता बनी रहती है।

स्वच्छता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की कमी सार्वजनिक स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है। जबकि व्यक्तिगत प्रयास स्वच्छता में योगदान दे सकते हैं, एकजुट और सहयोगी दृष्टिकोण की अनुपस्थिति अक्सर अप्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन और खराब स्वच्छता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग

यह मानते हुए अपनी जिम्मेदारी को अनदेखा करते हैं कि स्वच्छता बनाए रखना केवल सरकार का कर्तव्य है, न कि साझा जिम्मेदारी।

इस मानसिकता के परिणामस्वरूप कूड़ा-कचरा फैलाना, कचरे का अंधाधुंध डंपिंग और पार्क, सड़कों और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्रों जैसे सामुदायिक स्थानों की उपेक्षा होती है। सामुदायिक भागीदारी के बिना, स्वच्छता पहल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है और अधिकारियों या संगठनों द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव सीमित रहता है। इसलिए जागरूकता पैदा करना और प्रत्येक व्यक्ति में स्वामित्व की भावना पैदा करना आवश्यक है। लोगों को अपने आस-पास के वातावरण के लिए जवाबदेही लेने के लिए प्रेरित करने के लिए शैक्षिक अभियान, सख्त नियम, जिम्मेदार व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर कर सकते हैं। सामूहिक रूप से काम करके, समाज भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ वातावरण बना सकते हैं।

9.18 स्वच्छता के कार्यों को विशेष जाति तक सीमित रखने की मानसिकता (Mentality of Limiting Sanitation Work to A Particular Caste)

आज विज्ञान के इस युग में भी लोग परम्परागत मूल्यों, विश्वासों एवं धारणाओं पर विश्वास करते हैं। इन लोगों की स्वच्छता को बनाये रखने तथा साफ-सफाई के कार्यो के प्रति भी एक संकुचित मानसिकता दृष्टिगोचर होती है। इनका मानना है कि साफ-सफाई का कार्य सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों का कार्य है। जिससे सम्पूर्ण समाज में स्वच्छता के लिए उदासीनता बनी रहती है। इस कारण ये लोग स्वच्छता एवं साफ-सफाई को अपने घरों तक ही सीमित रखते हैं। साफ-सफाई के कार्यों को करने वालों के संबंध में भी इनकी नकारात्मक मानसिकता साफ दिखलाई देती है। ऐसी जनसंख्या के कारण स्वच्छता के कार्यक्रमों में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जिससे सम्पूर्ण समाज की साफ-सफाई प्रभावित होती है।

सफाई के काम को किसी खास जाति तक सीमित रखने की मानसिकता एक गहरी सामाजिक समस्या है जो भेदभाव और असमानता को दर्शाती है। इस तरह की प्रथाएं न केवल रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती हैं बल्कि व्यक्तियों को सम्मान और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों से भी वंचित करती हैं। यह मानसिकता प्रगति में बाधा है, क्योंकि यह पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है और समुदायों के बीच की खाई को चौड़ा करती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए ऐसी पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने और बदलने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। शिक्षा, जागरूकता कार्यक्रम और समावेशी नीतियां इन रूढ़ियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। समानता को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि सफाई के काम को जाति-विशिष्ट कार्य के बजाय एक साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाए, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान और गरिमा को बढ़ावा दे सकता है। एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण

समाज तब पनपता है जब हर व्यक्ति के साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या व्यवसाय कुछ भी हो।

9.19 स्वच्छता को प्रभावित करती आर्थिक असमानता (Economic Inequality Affecting Cleanliness)

भारत में बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी लोगों की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं है। कोई गरीब है तो कोई अमीर। गरीब लोगों क संख्या अमीर लोगों की तुलना में ज्यादा है। हांलाकि हमारी सरकारों के द्वारा समाज की आर्थिक-असमानता को दूर करने तथा समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है। ये सरकारी कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक-असमानता की खाई को भरने का कार्य भी करते हैं। इन सब कार्यक्रमों के बावजूद भी भारत में आर्थिक-असमानता आज भी देखने को मिलती है। वंचित वर्गों, कमजोर वर्गों एवं निम्न वर्गों के पास पर्याप्त स्वच्छता की सुविधाओं की उपलब्धता न होने के कारण इनको अस्वच्छ वातावरण में रहने को मजबूर होना पड़ता है। जहां पर ये कमजोर एवं वंचित वर्गों के लोग रहते हैं, वहां पर जलजनित बीमारियों और अन्य स्वास्थ्य समस्याऐं तेजी से फैलती हैं। आर्थिक असमानता का समाज में स्वच्छता और सफाई पर गहरा असर पड़ता है। जिन क्षेत्रों में गरीबी व्याप्त है, वहां बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छ वातावरण तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। कम आय वाले समुदाय अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, उचित अपशिष्ट निपटान प्रणालियों की कमी और स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपर्याप्त संसाधनों से जूझते हैं। इससे स्वच्छता का असमान वितरण होता है, जहां समृद्ध क्षेत्रों में गरीब क्षेत्रों की तुलना में बेहतर स्वच्छता की स्थिति होती है। वही समाज की आर्थिक-असमानता स्वास्थ्य और जीवन स्तर की असमानता को तो प्रभावित करने का कार्य करती हैं, साथ ही यह सम्पूर्ण समाज की स्वच्छता को भी प्रभावित करने का कार्य करती हैं।

इसके साथ-साथ अंतिम पायदान में खड़े समुदायों में निवेश की कमी से असमानता और बढ़ जाती है, जिससे उपेक्षित पड़ोस बनते हैं और अस्वच्छ रहने की स्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की अधिक घटनाएं होती हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता खराब स्वच्छता के चक्र को बनाए रखती है, जिससे इन समुदायों की समग्र भलाई और विकास प्रभावित होता है।

राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों और संगठनों को आर्थिक असमानताओं को कम करने और वंचित क्षेत्रों के लिए स्वच्छता परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। समावेशी नीतियां, वित्तीय

सहायता और समुदाय द्वारा संचालित पहल स्वच्छता तक समान पहुंच बनाने और सभी के लिए स्वस्थ रहने के वातावरण को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं।

9.20 नगरों में अत्यधिक जनसंख्या के प्रवास से स्वच्छता को चुनौतियां (Challenges to Cleanliness Due to Excessive Population Migration in Cities)

आज गांवों से अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या नगरों में काम-धंधे की तलाश में आ रही है। अधिक जनसंख्या से नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इससे नगरीकरण भी बढ़ रहा है। जब गांवों से लोग नगरों में रोजगार के लिए आते हैं, तब उनके सम्मुख आवास की समस्या उत्पन्न होती है। जिस प्रकार से नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से वहां पर आवासों की संख्या में कमी देखी जा सकती है। जिसके परिणामस्वरूप झुग्गियों एवं बस्तियों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। ये झुग्गियां और बस्तियां अवैध होती हैं, जिनमें ये लोग रहते हैं। इन अवैध झुग्गियों एवं बस्तियों में रहना इनकी मजबूरी बन जाता है। यहां पर न तो स्वच्छता की पर्याप्त सुविधाऐं ही होती हैं और न ही स्वच्छता होती है। इस प्रकार यहां पर अस्वच्छ वातावरण देखा जा सकता है। जो पूरे नगर की स्वच्छता को दूषित करने का कार्य करता है। यदि गांवों में ही रोजगार के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो जाये तो ये लोग नगरों में प्रवास करने के लिए मजबूर नहीं होगें।

शहरों की ओर अत्यधिक जनसंख्या प्रवास से स्वच्छता और सफाई के लिए कई चुनौतियाँ पैदा होती हैं। तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण रहने की स्थिति अत्यधिक भीड़भाड़ वाली हो जाती है, खास तौर पर कम आय वाले क्षेत्रों में जहाँ बुनियादी ढाँचा अक्सर अपर्याप्त होता है। लोगों के अचानक आने से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, जल निकासी सुविधाओं और स्वच्छता संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे गंदी सड़कें, कचरा बहता हुआ और सीवेज सिस्टम अवरुद्ध हो जाता है।

अनौपचारिक बस्तियों या झुग्गियों में बसने वाले प्रवासियों को अक्सर शौचालय और साफ पानी जैसी उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच नहीं होती है। इससे न केवल स्वच्छता से समझौता होता है बल्कि बीमारियों का जोखिम भी बढ़ता है। कचरे का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने और स्वच्छता बनाए रखने के लिए नगर निकायों पर दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, खासकर जब संसाधन सीमित होते हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, शहरी नियोजन को बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों, उचित स्वच्छता सुविधाओं के साथ किफायती आवास का निर्माण और समुदाय द्वारा संचालित स्वच्छता पहल सहित सतत

विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। नागरिकों को स्वच्छता के लिए सामूहिक जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाना, साथ ही मज़बूत सरकारी प्रयासों से शहरी स्वच्छता पर जनसंख्या प्रवास के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

9.21 पर्यावरण को चुनौती देती अधिक जनसंख्या (Over Population Challenges the Environment)

अधिक जनसंख्या से न सिर्फ स्वच्छता प्रभावित होती है बल्कि इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ जाती है। जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से समाज के सभी वर्गों के लोग प्रभावित होते हैं। अधिक जनसंख्या के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। पर्यावरणीय विकास में अत्यधिक जनसंख्या बांधा उत्पन्न करती है। क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्रों पर अत्यधिक दबाव डालती है। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती है, भोजन, पानी, ऊर्जा और आवास जैसी आवश्यक वस्तुओं की माँग बढ़ती है, जिससे संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। कृषि और शहरीकरण के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आवास नष्ट हो जाते हैं और जैव विविधता का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त, अधिक जनसंख्या वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण सहित प्रदूषण के उच्च स्तर में योगदान करती है। अपशिष्ट का अत्यधिक उत्पादन, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ मिलकर इन समस्याओं को बढ़ाता है। परिवहन, औद्योगिक गतिविधि और ऊर्जा की खपत में वृद्धि के कारण कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन में और तेज़ी आती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, कुशल संसाधन उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और पुनर्वनीकरण पहल जैसी संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। शिक्षा और परिवार नियोजन तक पहुँच सहित जनसंख्या नियंत्रण उपाय, विकास दर को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। सामूहिक कार्रवाई करके, मानवता अधिक जनसंख्या के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और एक संधारणीय भविष्य की दिशा में काम करने का प्रयास कर सकती है। शिक्षार्थियों यदि हमारा पर्यावरण ही प्रदूषित होगा, तब हम स्वच्छता की कल्पना कैसे कर सकते हैं।

9.22 सारांश (Summary)

शिक्षार्थियों इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप गरीबी और स्वच्छता तथा जनसंख्या और स्वच्छता के आपसी संबंधों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर पाये होंगे। आपने इस इकाई में जनसंख्या, गरीबी और स्वच्छता के आपसी संबंधों में यह भी सीखा होगा कि किस प्रकार से अधिक जनसंख्या गरीबी को जन्म देती है तथा गरीबी किस प्रकार से स्वच्छता को प्रभावित करती है। आपने गरीबी का कारण और गरीबी से स्वच्छता को क्या-क्या चुनौतियां मिलती हैं,

इसके विषय में भी इसमें सीखा होगा। इसके साथ ही आपने इस इकाई में जनसंख्या वृद्धि का कारण तथा अधिक जनसंख्या से स्वच्छता के सम्मुख जो जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं उनके विषय में भी अपने ज्ञान में बढ़ात्तरी की होगी।

9.22 पारिभाषिक शब्दावली (Glossary of Terms)

1. **गरीबी Poverty-** गरीबी से आशय मनुष्यों की उस सामाजिक-आर्थिक स्थिति से है जिसमें मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो जाते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेरक्ष्य में गरीबी को केवल आय की कमी तक ही सीमित नहीं माना जाता है। बल्कि इसे संसाधनों की असमान उपलब्धता और अवसरों की कमी से भी जोड़ा जाता है।
2. **जनसंख्या वृद्धि Population growth-**जनसंख्या वृद्धि से आशय किसी क्षेत्र एवं स्थान विशेष में समय के साथ जनसंख्या की संख्या में परिवर्तन होता है। यह वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन की दर पर निर्भर करती है।

9.23 संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference)

1. बाघेला, अनिल, एस0 (2015) ‘‘स्वच्छता के समाजशास्त्र का स्वरूप’’ कल्पज प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. नागला, बी0के0 (सम्पादक) (2015) ‘‘स्वच्छता का समाजशास्त्र’’ रावत पब्लिकेशन जयपुर।
3. चन्द्रशेखर, जी0 (2018) ‘‘स्वच्छ भारत मिशन एण्ड वियॉन्ड’’, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

9.24 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Question)

1. क्या गरीबी स्वच्छता के सम्मुख एक चुनौती है? व्याख्या कीजिए।
2. गरीबी के कारणों पर प्रकाश डालिए?
3. गरीबी से स्वच्छता के सम्मुख कौन-कौन सी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं? चर्चा कीजिए।
4. क्या अधिक जनसंख्या से स्वच्छता प्रभावित होती है? इस कथन की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए।
5. अधिक जनसंख्या स्वच्छता के सम्मुख कौन-कौन सी चुनौतियों को उत्पन्न करती हैं? चर्चा कीजिए।

इकाई-10 **अपशिष्ट: सार्वजनिक और निजी स्थान**
Waste: Public and Private Space

इकाई की रूपरेखा

10.0 प्रस्तावना

10.1 उद्देश्य

10.2 अपशिष्ट का अर्थ

10.3 अपशिष्ट की परिभाषा

10.4 अपशिष्ट के प्रकार

10.5 सार्वजनिक अपशिष्ट

10.6 निजी अपशिष्ट

10.7 अपशिष्ट प्रबंधन

10.8 अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां

10.9 अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कानूनी प्रावधान

10.10 अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियां

10.11 सारांश

10.12 स्वप्रगति परीक्षण- प्रश्नों के उत्तर

10.13 अभ्यासार्थ प्रश्न

10.14 संदर्भ ग्रन्थ

10.15 निबंधात्मक प्रश्न

10.0 प्रस्तावना (Introduction)

जहां आज मानव इक्कीसवीं सदी में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति से अपने जीवन स्तर में हो रहे सकारात्मक बदलावों से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हैं। वहीं इस वैज्ञानिक एवं औद्योगिक प्रगति के कारण पर्यावरण अपकर्षण की समस्या का भी जन्म हुआ है। पर्यावरण अपकर्षण के अनेक आयामों में मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों की वृद्धि एवं उन अपशिष्ट पदार्थों का मानव स्वास्थ व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव मुख्य है।

प्राचीन काल से मानव समाज एवं सभ्यता अपनी प्रकृति की ओर निरंतर अग्रसर रही है। विश्व में विकसित देशों के साथ-साथ विकासशील देशों ने भी अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति में प्रगति की हैं। लेकिन जैसे-जैसे शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या विस्फोट के साथ-साथ मनुष्य की बदलती जीवनशैली में तेजी से वृद्धि होती चली गई वैसे-वैसे घरेलू तथा औद्योगिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंध करना गंभीर समस्या बन गई है। साल दर साल न केवल अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि हो रही है,बल्कि प्लास्टिक और पैकेजिंग सामग्री की तादात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। विकास की इस दिशा में अपशिष्ट पदार्थों का प्रबन्धन एवं निपटान भी इन देशों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है।

अपशिष्ट पदार्थ से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जिसका प्राथमिक स्तर पर उपयोग किया जा चुका है, जिसे हम कचरे के रूप में भी देखते हैं, आवश्यकतानुसार यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति द्वारा पदार्थ का प्राथमिक उपयोग किया गया है वह पदार्थ दूसरे व्यक्ति के लिए भी अपशिष्ट ही हो, दूसरे व्यक्ति के लिए वह अपशिष्ट प्राथमिक उपयोगी पदार्थ भी सिद्ध साबित हो सकता है। अब स्थिति यह आ गई है कि अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्या की चुनौतीपूर्ण स्थिति देश के सिर पर मंडराने लगी है। हालांकि सरकार द्वारा इस ओर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इस संदर्भ में कई तरह के सराहनीय प्रयास भी किया जा रहे हैं।

10.1 उद्देश्य (Objective)

इकाई के अध्ययन के पश्चात छात्र-छात्राओं की निम्न अवधारणाओं पर विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक समझ विकसित हो सकेगी।

- अपशिष्ट क्या है,
- अपशिष्ट का अर्थ,

- अपशिष्ट की परिभाषा,
- अपशिष्ट के प्रकार,
- सार्वजनिक अपशिष्ट, निजी अपशिष्ट,
- अपशिष्ट का वर्गीकरण,
- अपशिष्ट का प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां
- अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कानूनी प्रावधान, अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियां

10.2 अपशिष्ट का अर्थ (meaning of waste)

अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ अवांछित, अनुपयोगी कचरा है। किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग करने के या होने के बाद जो शेष बचता है, उसे अपशिष्ट या अवांछित पदार्थ कहते हैं। अपशिष्ट वह अनुपयोगी व अवांछित सामग्री है जिसका अब कोई उपयोग नहीं है, यह एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे आसपास कचरे के रूप में दिखाई देता है उसे सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कचरा भी कहा जाता है।

अपशिष्ट पदार्थ तरल, ठोस व गैस आदि रूपों में देखा जा सकता है। आमतौर पर अपशिष्ट ठोस पदार्थ के रूप में ही मिलते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं यह देखने वाले व्यक्ति की नजर व आवश्यकता पर निर्भर करता है एक व्यक्ति के लिए जो पदार्थ अपशिष्ट हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए संसाधन का कार्य भी करता हो सकता है। हालांकि अपशिष्ट को ऐसे भौतिक वस्तु के रूप में देख सकते हैं लेकिन इसका उत्पादन भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तहत होता है।

1.बोध प्रश्न

- सामान्य शब्दों में अपशिष्ट पदार्थों से आप क्या समझते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए।

……………………………………………………………………………………

10.3 अपशिष्ट की परिभाषा (Definition of Waste)

अपशिष्ट वह पदार्थ है जिसे प्राथमिक उपयोग के बाद त्याग दिया जाता है, या जो बेकार, दोषपूर्ण और किसी काम का नहीं होता हैं। अपशिष्ट की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं।

1. **जेमेल एवं अन्य (1984) -** अपशिष्ट को जीवन के अवांछित एवं अवांछनीय उत्पाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अलावा उसे मानव और पशु उत्सर्जन जैसे कार्बनिक पदार्थ से लेकर प्लास्टिक, धातु और विनिर्माण उद्योग के रासायनिक उप उत्पादन के रूप में पाया जाता है।
2. **विलिट्सकी एवं अन्य (1997)** - ने अपने लेख में अपशिष्ट को विषयपरक एवं वस्तुपरक, आत्मगत एवं कार्मिक तथा निष्पक्ष रूप में परिभाषित किया है। आत्मगत रूप से अपशिष्ट वहनीय वस्तु है इसे मालिक द्वारा छोड़ा जाता है। जबकि निष्पक्ष रूप से, अपशिष्ट को जन स्वास्थ्य और विशेष रूप से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपशिष्ट का व्यवस्थित निस्तारण के रूप में परिभाषित किया गया है।
3. **बेसल कन्वैक्शन का अनुच्छेद 2(1) के अनुसार -** अपशिष्ट वे पदार्थ या वस्तुएं है जिनका निपटान किया जाना है या जिन वस्तुओं के निपटान किए जाने का इरादा है, या जिनका निपटान राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के तहत किया जाना आवश्यक होता है।
4. **ओ.ई.सी. डी. के अनुसार** - अपशिष्ट वे वस्तुएं या पदार्थ हैं जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत आने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ के अतिरिक्त हैं। जिनका निपटान किया जा चुका है या जिनकी पुनर्प्राप्ति की जा रही है या जिनका निपटान या पुनर्प्राप्ति राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के तहत किया जाना अपेक्षित है।
5. **अपशिष्ट फ्रेमवर्क निर्देश 2008/98 ई सी अनुच्छेद 3 (1) के अनुसार** - अपशिष्ट पर यूरोपीय संसद और परिषद के 19 नवंबर 2008 निर्देशों में यूरोपीय संघ के अनुच्छेद 3 के अनुसार अपशिष्ट का अर्थ किसी भी पदार्थ या वस्तु से है जिसे धारक त्याग देता है या त्यागने का इरादा रखता है या त्यागने के लिए बाध्य होता है।
6. **पर्यावरण सांख्यिकी की यू.एन. एस.डी. शब्दावली के अनुसार-** अपशिष्ट को ऐसी सामग्री के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुख्य उत्पाद नहीं है और जिसका निपटान करना चाहते हैं तथा जिसका उत्पादन परिवर्तन या उपभोग के उद्देश्य में कोई और उपयोग नहीं है।

2. बोध प्रश्न

➢ अपशिष्ट पदार्थ की परिभाषा दीजिए।

....

....

10.4 अपशिष्ट के प्रकार (Types of Waste)

अपशिष्ट या कचरा मानव के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कचरा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न हो सकता है। कचरे के प्रमुख स्रोत उद्योग,व्यवसाय व घर हैं। हमारे दैनिक जीवन की गतिविधियां भी कचरे का एक बड़ा प्रमुख स्रोत है इसमें परिवारों कार्यस्थलों, दुकानों आदि से निकलने वाला कूड़ा-कचरा शामिल है। इसमें घरेलू कचरा, खाद्य कचरा, प्रयुक्त प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की पानी की बोतलें, शीतल पेय के जार, टूटा फर्नीचर, टूटा घरेलू उपकरण, उपयोग किए हुए वस्त्र, औद्योगिक कचरा, रासायनिक कचरा वाणिज्यक प्रतिष्ठान का कचरा, चिकित्सा कचरा इत्यादि शामिल है।

अपशिष्ट पदार्थों को मुख्य रूप से निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता हैं।

- **जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट (Biodegradable Waste)** - जैविक पदार्थ से बने कचरे को जैव निम्नीकरण अपशिष्ट या बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा जाता है। इसे नम कचरा भी कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट सामग्री समय के साथ खुद ही सड़–गल जाती है। भोजन और कागज इसके आदर्श उदाहरण हैं। खाने के अवशेष, केलों के छिलके, बगीचों का कचरा इत्यादि। बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रमुख स्रोत में घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे की रेस्टोरेंट, होटल खाद्य सामग्री इत्यादि शामिल है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ उद्योगों, पशु फार्मों और कृषि फार्मों से भी आ सकते हैं।
- **गैर- जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट (Non–Biodegradable Waste)** - गैर जैव निम्नीकरण या गैर बायोडिग्रेडे- बल कचरे को सूखा कचरा भी कहा जाता है। गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट सामग्री खुद से विघटित (खत्म) नहीं होती है। इस प्रकार के अपशिष्ट को री–साइकल कर उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। रसायन, धातु, प्लास्टिक, पेंट, रबर, कांच के टुकड़े इत्यादि गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों के उदाहरण हैं।
- **ठोस अपशिष्ट (Solid Waste)** - ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य किसी भी त्यागे गए या अवांछित पदार्थ से है। इसमें कागज, प्लास्टिक, कांच, जैवचिकित्सा, ग्रामीण अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट जैसी विभिन्न वस्तुएं शामिल है। ठोस अपशिष्ट में औद्योगिक संयंत्रों से निकलने वाला मलबा या औद्योगिक कचरा, वाणिज्य कचरा, खनन और कृषि कार्यों से निकलने वाली अन्य त्यागी सामग्री सम्मिलित हो सकती है।
- **तरल अपशिष्ट (Liquid Waste) -** तरल अपशिष्ट से तात्पर्य तरल रूप में खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ से है, जिन्हें आसानी से हटाया या उठाया नहीं जा सकता। इसमें जहरीले धातुओं वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल

जैसे अकार्बनिक अपशिष्ट और घरों से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जैसे जैविक अपशिष्ट शामिल हैं, जो जल प्रदूषण में योगदान करते हैं और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

- **तरल अपशिष्ट पदार्थ को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-**
- **कार्बनिक अपशिष्ट (Organic Waste) -** कार्बनिक अपशिष्ट कार्बन से बने पदार्थ होते हैं जो जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं जो उचित प्रबंधन न होने पर भी विषाक्त हो सकते हैं। रसोई का कचरा और सैनीटरी टैंक घरेलू तरल अपशिष्ट के प्राथमिक स्रोत हैं। मुख्य अपशिष्ट जनरेटर, एयर कंडीशनर, शौचालय और सैप्टिक टैंक हैं।
- **अकार्बनिक अपशिष्ट (Inorganic Waste)** - अकार्बनिक अपशिष्ट कार्बन पदार्थों से नहीं बने होते हैं। अकार्बनिक अपशिष्ट गैर -जैव निम्नीकरण होते हैं वह ऐसे प्रदूषकों के कई स्रोत हैं जिनका उपयोग जल निकाय को प्रदूषित करने के लिए किया जाता है। Pb, Cd, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अन्य जहरीले धातुओं से युक्त औद्योगिक अपशिष्ट जल नदियों में बहता है, जिससे pH कम होता है और जलीय जीवन खतरे में पड़ जाता है।
- **गैसीय अपशिष्ट (Gaseous waste) -** गैसीय अपशिष्ट से तात्पर्य गैसों के रूप में ऐसे अपशिष्ट पदार्थ से है जो औद्योगिक प्रक्रियाओं के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कारों, संयंत्रों या तेल जैसे गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निकलने वाली गैसों के रूप में निकलने वाले गैसीय अपशिष्ट हैं। ये अपशिष्ट विभिन्न गैसीय जलवायु में मिश्रित हो जाते हैं और कभी–कभी भूरे रंग के धुंध और संक्षारक बारिश जैसी घटनाओं का कारण बनते हैं।

3. बोध प्रश्न

- अपशिष्ट पदार्थों के जैव निम्नीकरण एवं गैर जैव निम्नीकरण प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

....

....

- अपशिष्ट पदार्थों को उनके उत्पादनों के तरीकों एवं स्रोतों के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण

- **कृषि कार्यों से संबंधित अपशिष्ट -** इन अपशिष्ट पदार्थों में कृषि एवं कृषि क्षेत्र की गतिविधियों से संबंधित प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पादित अपशिष्ट शामिल होते हैं यह पौधों एवं जानवरों से उत्पादित जैविक अपशिष्ट, खराब खाद्य एवं फसल कटाई के अवशेष, कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बाद दूषित जल और अन्य कृषि गतिविधियों से संबंधित अवशेष अपशिष्ट शामिल होते हैं।
- **घरेलू अपशिष्ट** - घरेलू अपशिष्ट से तात्पर्य घरेलू स्तर पर या अपार्टमेंट, आवासीय भवनों के उपभोग के उपरांत उत्पन्न अपशिष्ट से हैं इन अपशिष्ट पदार्थों में बचा हुआ भोजन, दूषित जल, राख, घरेलू कचरा अनुपयोगी फर्नीचर सामग्री, पुराने कपड़े, प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं।
- **औद्योगिक कारखाने का अपशिष्ट -** इस प्रकार के अपशिष्ट का स्रोत औद्योगिक कारखाने होते है। इन इकाइयों में मुख्य रूप से ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निकलते हैं। इन इकाइयों में रसायन पदार्थ, भवन निर्माण सामग्री, कोयला, लकड़ी का कोयला, राख, खतरनाक ठोस एवं गैसीय अपशिष्ट पदार्थ औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- **नगर पालिकाओं का अपशिष्ट** - नगर पालिकाओं के अपशिष्ट से तात्पर्य सड़कों, घरों, रेलवे लाइनों, सार्वजनिक स्थानों, किसी स्थान के भूनिर्माण के कार्यों के दौरान विभिन्न गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को नगर पालिका के अपशिष्ट के रूप में जाना जाता है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य घरेलू कचरा, वाणिज्यिक और बाजार का कचरा, संस्थागत स्थानों का कचरा, बागवानी का कचरा, सड़क सफाई में निकलने वाला कचरा, जल निकासी का कचरा, बूचड़खानों का कचरा एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट इत्यादि को शामिल किया जाता है।
- **चिकित्सा अपशिष्ट** – चिकित्सा अपशिष्ट से तात्पर्य है पैथोलॉजी लैब का अपशिष्ट,चिकित्सीय प्रयोगशालाओं की सामग्री का अपशिष्ट,अस्पतालों का कचरा, क्लिनिको का अपशिष्ट, रोग ग्रस्त अंगों का अपशिष्ट, चिकित्सीय उपचार के दौरान उपयोग की जाने वाली प्रयोग सामग्री का एवं चिकित्सीय उपकरणों के निर्माण में प्रयोग होने वाले वस्तुओं का अपशिष्ट इत्यादि को जैव चिकित्सा अपशिष्ट कहा जाता है। चिकित्सीय अपशिष्ट को संग्रहित करने और निपटाने के लिए विभिन्न प्रकार के डस्टबिनों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग अलग–अलग कचरे को रखने के लिए किया जाता है। जैसे– लाल, हरा, नीला, पीला और सफेद डस्टबिन। डस्टबिन का रंग उसमें मौजूद कचरे के प्रकार को दर्शाता है।

- **लाल डस्टबिन**- लाल डस्टबिन का उपयोग ऐसे कचरो के लिए किया जाता है जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसे अस्वीकार करने वाला कचरा भी माना जाता है। क्योंकि इस कचरे को रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसे आमतौर से अस्पतालों में रखा जाता है और इसका उपयोग बायोमेडिकल कचरे को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाता है,जो निपटान के लिए खतरनाक होते हैं। इसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट डाला जाता है, जैसे– सुइयां, सर्जिकल चाकू, शरीर के तरल पदार्थ, कॉटन ड्रेसिंग, पॉप कास्ट, टिश्यू पेपर, सेनेटरी नैपकिन इत्यादि इनका सावधानीपूर्वक निपटाया जाना चाहिए।
- **हरा डस्टबिन** -इसका उपयोग सड़े–गले और बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए किया जाता है। इसे ऑर्गेनिक बिन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें रसोई, पौधे से निकलने वाले कचरे शामिल होते हैं। इस डस्टबिन में प्रायः गीला कचरा रखा जाता है। इस कचरे में सड़े हुए अंडे, फल, सब्जियां और छिलके, नारियल के छिलके, चाय की थैली, इस्तेमाल किया हुआ चाय का पाउडर, बचा हुआ खाना, बगीचे का कचरा इत्यादि शामिल होता है। इस कचरे का उपयोग ऑर्गेनिक रूप में रसोई की सब्जियां उगाने के लिए खाद के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसान खाद के रूप में और कंपोस्ट के रूप में करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। इस कचरे को कंपोस्ट करके जीरो वेस्ट में बदल दिया जाता है।
- **नीला डस्टबिन**- इस डस्टबिन का प्रयोग सूखे और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए किया जाता है। नीले डस्टबिन में प्रायः सूखा कचरा डाला जाता है, जबकि गीला कचरा हरे डस्टबिन में डाला जाता है। इसके अंतर्गत तरल कचरे को हटा दिया जाता है। या फिर तरल कचरे को धोकर, प्लास्टिक के रैपर सूखने के बाद डस्टबिन में डाल दिए जाते हैं। चूंकि सूक्ष्म जीव इस कचरे को विघटित नहीं कर सकते, इसलिए इसे गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा भी कहा जाता है। इस कचरे का रीसाइकिल किया जा सकता है। अगर इसका सही तरीके से निपटान नहीं किया गया तो यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसमें प्लास्टिक, एल्युमिनियम के डिब्बे, अखबार, पॉलिस्टाइनिन, पेंट, एरोसोल के डिब्बे, लाइट, टूटे बल्ब, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, गिफ्ट रैपर, कार्ड, कार्डबोर्ड, थर्माकोल आदि जैसी सामग्री इस डस्टबिन में डाली जानी चाहिए। इस कचरे को रिसाइकल करके फिर से इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
- **पीला डस्टबिन -** जैव चिकित्सा अपशिष्ट जैसे गंदे अपशिष्ट रोगजन्य अपशिष्ट और औषधि अपशिष्ट के भंडारण और निपटान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संक्रमित कचरा डाला जाता है। जैसे– मवाद, मानव तरल, मानव अंग, पट्टी, ड्रेसिंग। इस तरह के कचरे को इंसीनरेट किया जाता है।

- **सफेद डस्टबिन**- इस डस्टबिन का उपयोग संक्रमित नुकीली वस्तुओं जैसे–सुई, ब्लेड और स्केलपेल को सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किया जाता है।

प्राकृतिक आपदाओं का अपशिष्ट - प्राकृतिक आपदाओं से तात्पर्य मानव या प्रकृति द्वारा जनित आपदाओं के घटित होने के उपरांत जो विभिन्न सामग्री अपशिष्ट के रूप में रह जाती है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट से लावा और राख, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि के कारण उत्पन्न हुए अपशिष्ट को इनमें सम्मिलित किया जाता है।

प्रकार के आधार पर वर्गीकरण

प्रकार के आधार पर अपशिष्ट पदार्थों को भौतिक रासायनिक और जैविक विशेषताओं के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

- **खतरनाक अपशिष्ट (Hazardous waste) -** खतरनाक अपशिष्ट वह पदार्थ है जिनकी पहचान पर्यावरणीय और मानव स्वास्थ्य को संभावित रूप से अधिक नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के रूप में की जाती है। ज्वलनशीलता, पारिस्थितकीय विषाक्तता और विस्फोटकता खतरनाक अवशिष्ट पदार्थों की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है। रासायनिक उपचार, उच्चतापमान उपचार, सुरक्षित भंडारण पुनर्चक्रण खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के उपचार के तरीके हैं। जैसे– ई कचरा, चिकित्सा अपशिष्ट रेडियोधर्मी कचरे इत्यादि।
- **गैर- खतरनाक ठोस अपशिष्ट (Non-Hazardous waste) -** गैर खतरनाक या ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो मानव स्वास्थ्य को संभावित रूप से कम नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, जैविक अपशिष्ट, पेय पदार्थों के डिब्बे इत्यादि। हालांकि इन पदार्थों के अपशिष्ट खतरनाक नहीं होते, परंतु अगर इन्हें बिना एकत्र किए एवं बिना अनुपचारित छोड़ दिया जाता है, तो यह पर्यावरणीय और मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।

10.5 सार्वजनिक अपशिष्ट (Public Waste)

सार्वजनिक अपशिष्ट यानी सार्वजनिक कचरा, सार्वजनिक जगहों पर रखे कचरा डिब्बों से इकट्ठा होने वाला कचरा है। इसे आमतौर पर 'स्ट्रीट बिन कचरा' या 'पेपर बास्केट कचरा' भी कहते हैं। सार्वजनिक अपशिष्ट से अभिप्राय आम जनमानस द्वारा सार्वजनिक इमारतों, सड़कों, पार्कों या सामुदायिक स्थानों पर उत्पन्न कचरे से है। जैसे– सार्वजनिक शौचालय में कूड़ा, सार्वजनिक पार्कों में कूड़ा, फुटपाथों पर कूड़ा इत्यादि। सार्वजनिक अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण या

प्रबंधन नगर पालिकाओं या स्थानीय सरकारी निगमों द्वारा ही किया जाता है। सार्वजनिक अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए, नियमों के मुताबिक, अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में रखा जाता है। इन डिब्बों में जैव निम्नीकरणीय, गैर जैवनिम्नीकरणीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट रखा जाता है। सार्वजनिक अपशिष्ट को प्रबंधित करने के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए–

- जन जागरूकता पैदा करना।
- कचरे का घर-घर संग्रहण करना।
- कचरे का सुरक्षित और अलग भंडारण करना।
- कचरे के संग्रह, परिवहन, उपचार और निपटान में दक्षता लाना।
- गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र को भी शामिल करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के संग्रहण और निपटान की व्यवस्था करना।
- बंद कूड़ेदानों और ढके हुए परिवहन वाहनों का इस्तेमाल करना।

10.6 निजी अपशिष्ट (Personal Waste)

निजी अपशिष्ट या कचरे से तात्पर्य व्यक्तिगत व्यवसाय या घरेलू पदार्थों के उपयोग के उपरांत उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों से है। जैसे– रसोई का अपशिष्ट, व्यक्ति व्यवसाय (कार्यालय) से निकला कागज या अन्य अपशिष्ट, पुराने कपड़ों का अपशिष्ट, घर से निकली पैकेजिंग इत्यादि। निजी अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण या प्रबंधन निजी व्यक्तियों द्वारा निजी कंपनियों के साथ करके किया जाता है।

4. बोध प्रश्न

- सार्वजनिक अपशिष्ट एवं निजी अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं।

  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………

10.7 अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management)

अपशिष्ट प्रबंधन से अभिप्राय- कचरे को शुरू से लेकर अंत तक प्रबंधित करना है। इसमें कचरे को इकट्ठा करना, उसका परिवहन करना, उसका निपटान करना और उस पर निगरानी रखना शामिल होता है। अपशिष्ट प्रबंधन का मकसद, कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकना और उसे एक मूल्यवान संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना है। अपशिष्ट आज भारत की ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर की समस्या बन गया है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति बढ़ती असावधानियों को आज तेजी से देखा जा सकता है, जिसके गंभीर परिणाम आज भारत को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को भुगतने पड़ रहे हैं। भारत में नगरों के सौंदर्य को बिगाड़ने में अपशिष्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। नगर सभ्यता की ओर आकर्षित होने वाले मध्यवर्ग ग्रामीणों से नगर जनसंख्या में तो तेजी से वृद्धि होती ही है साथ ही साथ वहां के अवशिष्ट में भी वृद्धि होती चली जाती है। यह लोग कूड़े के प्रबंधन के प्रति स्वाभाविक रूप से उदासीन भी होते हैं। छोटे नगरों में कोष की कमी या अनुपयुक्तता के कारण अपशिष्ट का निस्तारण कठिनाई से होता है।

अपशिष्ट का प्रबंध जितना अधिक व्यक्तिगत सावधानी से किया जा सकता है, किसी अन्य तरीके से उतना ही अधिक कठिन है। यह न केवल सामाजिक कर्तव्य है, बल्कि जीवन और प्रकृति (पर्यावरण) के अन्योन्यआश्रित संबंध का जैविक कर्तव्य भी है। स्थानीय लोगों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में निजी स्तर पर कूड़े से जैविक खाद, वर्मीकंपोस्ट बनाने का रास्ता और आवश्यक प्रबंध विकसित करना अधिक सरल है। अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका विकसित और विकासशील देशों में, गांव और शहरों में, औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग होता है।

अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं निपटान की समस्या एक गंभीर समस्या है। हम देखते हैं कि यह समस्या आज बड़े नगरों में है, धीरे-धीरे कल छोटे नगरों की ओर अग्रसर होगी। यही नहीं जैसे–जैसे नगरीय विकास होता जाएगा उसके साथ-साथ यह समस्या और भी अधिक विकट होती चली जाएगी। विकास एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जिसे रोका नहीं जा सकता। आवश्यकता है तो उसे एक उचित दिशा देने की। 'अपशिष्ट रहित विकास' की कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है, यह कार्य उचित प्रबंधन द्वारा ही संभव है। इसे सरकारी तंत्र, स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा, नागरिकों के सहयोग से, वैयक्तिक कर्मठता से ही किया जा सकता है। भारत सरकार ने सन 1975 में शिवरामन समिति का गठन इस कार्य हेतु ही किया था, जिसके सुझाव थे–

- बड़े-बड़े कूड़ेदानों की व्यवस्था करना।
- मानव द्वारा मल–मूत्र निष्कासन की उचित व्यवस्था करना।

- नगरों में कूड़ा–करकट उठाने की समुचित व्यवस्था करना।
- कूड़े के ढेरों को जलाकर भस्म करना इत्यादि।

10.8 अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां (Methods of Waste Management)

- **भूमिभराव (Landfill) -** यह विधि उपयोग में लाने वाली सबसे प्रचलित विधियों में से एक है। यह बहुत ही साफ-सुथरी और कम खर्चीली है। अधिकतर देशों में इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत शहरों के आसपास के खाली क्षेत्र में अपशिष्ट को इकट्ठा किया जाता है, किंतु अपशिष्ट इकट्ठा करते समय यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जहां अपशिष्ट एकत्र किया जा रहा है वह स्थान मिट्टी से ढका हो, जिससे संदूषण से बचाव किया जा सके। अन्यथा भूमिभराव करने से पर्यावरण पर इसके उल्टे प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जैसे– कचरा हवा में उड़ने से यह कीटों को आकर्षित कर सकता है, कार्बनिक अपशिष्ट के अपघटन से मिथेन गैस बनती है, जो बदबू पैदा कर सकती है और वनस्पति को नष्ट कर सकती है। इस विधि को बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए, जिससे पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस विधि को सही ढंग से किया जाएगा तो यह मितव्ययी साबित हो सकती है।
- **भस्मीकरण (Incineration) -** अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि में अपशिष्ट पदार्थ को उच्च तापमान पर तब तक दहन किया जाता है, जब तक कि वह गैस, भाप और राख में न बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि का प्रयोग छोटे और बड़े दोनों पैमानों पर किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से, नगरपालिका द्वारा, बड़े उद्योगों द्वारा इस विधि का प्रयोग अपनी आवश्यकतानुसार किया जाता है। इसका उपयोग तरल, ठोस और गैस अपशिष्ट पदार्थ के निपटान हेतु किया जाता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की मात्रा को 20–30% तक कम कर देती है। हालांकि यह विधि काफी अधिक महंगी मानी जाती है। इस विधि में गैसीय प्रदूषण के अधिक उत्सर्जन के कारण इस विधि को कम प्रयुक्त समझा जाता है। यह विधि जापान जैसे देशों में ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसमें कम भूमि की जरूरत पड़ती है।
- **पुनर्चक्रण (Recycling) -** अवशिष्ट पदार्थों में से किसी नई चीज को निकालना पुनर्चक्रण कहलाता है। जिसका अर्थ होता है– पुनः मिलना। जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ का पुनर्नवीकरण भी कह सकते हैं। इससे कच्चा माल निकाला जा सकता है। पुनर्नवीकरण के लिए अजैविक अपशिष्ट पदार्थों में एल्युमिनियम पेय के डिब्बे, इस्पात, भोजन और एयरोसोल के डिब्बे, प्लास्टिक और कांच की बोतले, गत्ते के डिब्बे, पत्रिकाएं, प्लास्टिक का समान इत्यादि शामिल है। प्राकृतिक जैव अपशिष्ट पदार्थों में पौधे की सामग्री, बचा हुआ भोजन, कागज,

फलों के छिलके, सब्जी की छिलन, ऊन आदि का प्रयोग कंपोस्ट खाद, वर्मीकंपोस्ट, जैविक खाद बनाने में किया जा सकता है।

- **रासायनिक क्रिया (Chemical Reaction) -** रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी अनेक अपशिष्ट पदार्थों को समाप्त किया जा सकता है या फिर उन्हें पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के अन्य तरीके निम्न प्रकार हैं–
- गहरे महासागरों में अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण किया जा सकता है।
- अपशिष्ट को अत्यधिक दाब से ठोस ईंटों में परिवर्तित किया जा सकता है।
- अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु तथा उनके पुनः उपयोगों के संबंध में निरंतर शोध किए जाने चाहिए।
- अपशिष्ट प्रबंधन में सबसे ज्यादा आवश्यक है–सामान्य जन नागरिकों को जागरूक करना।
- यदि हम स्वयं अपने घर के अपशिष्ट पदार्थों को, दूसरों के घरों अथवा नालियों में फेंकना बंद कर देंगे, उसको उचित स्थान पर ही डालेंगे, तो यह समस्या स्वतः ही कम होती चली जाएगी।

10.9 अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कानूनी प्रावधान (Legal provisions related to waste management)

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) -** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्रदूषणकर्ता अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय, गैर जैवनिम्नीकरणीय एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग-अलग डिब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को देगा। प्रदूषणकर्ता द्वारा अपशिष्ट के निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान किया जाएगा। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा– भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है।
- **कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Construction and Demolition (C&D) Waste Management Rules) -** यह नियम भवन निर्माण व उससे संबंधित सभी गतिविधियों से संबंधित है, जहां से अपशिष्ट का निर्माण होता है।इस नियम के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो अपशिष्ट उत्पादनकर्ता 20 टन प्रतिदिन तथा 300 टन प्रतिमाह या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा, उसे प्रत्येक निर्माण व

तोड़फोड़ के लिए स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तथा उसे अपने संपूर्ण अपशिष्ट को कंक्रीट, मिट्टी, लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट आदि में बदलकर संग्रहकर्ता को देना होगा।

- **ई–कचरा प्रबंधन नियम (E–Waste Management Rules) -** ई-कचरा प्रबंधन नियम, अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आया है।यह नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचार संग्रहकर्ताओं आदि सभी पर लागू होता है। इस नियम का प्रमुख उद्देश्य अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप दिया जाना और श्रमिकों को ई–कचरे के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है।

5. बोध प्रश्न

- अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अपशिष्ट प्रबंधन की प्रमुख विधियों की व्याख्या कीजिए।

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

10.10 अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियां (Waste Management Challenges)

- औद्योगिकरण, शहरीकरण, आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिसने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफी हद तक प्रभावित किया है।हालांकि 2016 में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, किंतु बड़े पैमाने पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता।अधिकांश नगर पालिकाएं बिना किसी व्यवस्था के ठोस अपशिष्ट को खुले स्थानों पर एकत्र करती रहती हैं, जिस कारण बहुत बड़ी मात्रा में रोगों के जीवाणु पैदा होते रहते हैं, जो उस स्थान को प्रभावित करने के साथ-साथ आसपास रोग फैलाने में सहायक होते हैं।
- अपशिष्ट कुप्रबंधन के कारण वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है।
- अपशिष्ट कुप्रबंधन से स्थान तथा व्यक्ति समुदाय दोनों ही प्रभावित होते हैं।
- अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सरकार या किसी संस्था से जो वित्त प्राप्त होता है, इसका अधिकांश हिस्सा संग्रहण और परिवहन में ही चला जाता है जिससे अंत में प्रसंस्करण और निपटान हेतु बहुत कम अंश ही बच पाता है।

- भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिसमें अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं। अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है।

अपशिष्ट पदार्थों का पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव

- अपशिष्ट पदार्थ समुद्र तटों जैसे पारिस्थितिकी तंत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इससे समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र के सौंदर्य के साथ–साथ समुद्री प्रजातियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- अपशिष्ट पदार्थ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूपों से मानव जीवन के स्वास्थ्य और जन जीवन को प्रभावित करते हैं।
- अपशिष्ट पदार्थ से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह समाज पर आर्थिक बोझ को भी बढ़ाता है।
- देश की राजधानी दिल्ली का प्रदूषण इतना अधिक बढ़ गया है कि एक समय ऐसा आया कि वहां दिन में रात हो गई। लोग निरंतर मास्क पहनने को मजबूर हुए, जिसका सीधा असर उनके श्वसन तंत्र पर पड़ा, लोग श्वास के रोगी बनने लगे।
- अपशिष्ट पदार्थों के कुप्रबंधन के कारण तमाम तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health organization –WHO) के अनुसार, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को रोका जा सकता है।

10.11 सारांश (Summary)

इस इकाई में आपने अब तक पढ़ा है।

- ठोस, तरल एवं गैसीय अपशिष्ट, जैव निम्नीकरणीय, गैर जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट से अभिप्राय।
- सार्वजनिक अपशिष्ट, सार्वजनिक जगहों पर रखे कचरा डिब्बों से इकट्ठा होने वाला कचरा है। इसे आमतौर पर 'स्ट्रीट बिन कचरा' या 'पेपर बास्केट कचरा' भी कहा जाता है।
- एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में संकटदायी अपशिष्ट का प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए कि उसका समाज के कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो।

- अपशिष्ट प्रबंधन का तरीका भिन्न–भिन्न अवशिष्टों के लिए अलग-अलग होता है।
- अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण व प्रबंधन हेतु भूमिभराव, भस्मीकरण व पुनर्चक्रण जैसे तरीके प्रयोग में ले जा सकते हैं। पुनः उपयोग, कम उपयोग व पुनर्चक्रण द्वारा अपशिष्ट की मात्रा में कमी लाई जा सकती है।
- यह पाया गया है कि अपशिष्ट के कुप्रबंधन से पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यकता है कि नागरिकों की भागीदारी और सहभागिता भी शामिल हो।
- देश में लोगों को अपशिष्ट निस्तारण के प्रति शिक्षित, जागरूक करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि समाज में परिवर्तन तभी संभव हो सकेगा, जब लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आएगा।
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान और विकास को और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- नीति निर्माण के समय हमारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान पुनर्चक्रण और पुनःप्राप्ति की ओर होना चाहिए।

10.12 स्वप्रगति प्रश्नों के उत्तर (Answers to Self Progress Questions)

1. अपशिष्ट का अर्थ है अवांछित या बेकार सामग्री। वे ठोस, तरल और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं।
2. ठोस और तरल अपशिष्ट मनुष्यों में बुखार, पेचिस, प्लेग, दुर्गंध आदि जैसी बीमारियों को फैलाने का कारण बन रहा है। रिसाव और उत्सर्जन के कारण बिगड़ती भूजल गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के रूप में पर्यावरण को भी प्रभावित करता है।
3. अपशिष्ट प्रबंधन में कचरे को शुरू से लेकर अंत तक प्रबंधित करना शामिल होता है। इसमें कचरे को इकट्ठा करना, उसका परिवहन करना, उसका निपटान करना और उस पर निगरानी रखना शामिल है।
4. अपशिष्ट प्रबंधन घरों, समुदायों आदि के बीच संगठन और सहयोग पर निर्भर करता है। इसलिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन अपशिष्ट के उत्पादन से लेकर उसके संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण, पुनःप्राप्ति और पुनर्चक्रण तक विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है।

क्या आप जानते हैं।

1. जैविक खाद बनाई जा सकती है?

1. घरेलू कचरे से 3. कृषि अपशिष्ट से
2. दोनों से 4. कोई नहीं

उत्तर- दोनों से

2. भारत के बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति औसत कूड़ा निकलता है?

1. 1 से 2 किलो 2. 2 से 3 किलो
3. 2 से 4 किलो 4. 4 से 6 किलो

उत्तर 4 से 6

3. निम्न में से प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है?

1. हाइड्रोजन 2. कार्बन मोनोऑक्साइड
3. कार्बन डाइऑक्साइड 4. सल्फर डाई ऑक्साइड

उत्तर- कार्बन डाइऑक्साइड

4. जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है?

1. भूमि भराव 2. भस्मीकरण
3. पुनर्चक्रण 4. जल में निस्तारण

उत्तर- भस्मीकरण

5. पुनर्चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है?

1.धात्विक अपशिष्ट 2. चिकित्सीय अपशिष्ट
3. कृषि अपशिष्ट 4. घरेलू अपशिष्ट

उत्तर- धात्विक अपशिष्ट

10.13 अभ्यासार्थ प्रश्न (Study Questions)

1. अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट को परिभाषित करें।
2. जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

3. अपशिष्ट प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख तरीकों के विषय में विस्तार से बताइए।
4. ठोस एवं तरल अपशिष्ट के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
5. सार्वजनिक एवं निजी अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं?
6. अपशिष्ट प्रबंधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए देश में इससे संबंधी चुनौतियों और सरकार द्वारा इस संदर्भ में किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए।
7. अपशिष्ट प्रबंधन की विधियां कौन-कौन सी है? विस्तार से बताइए।

10.14 संदर्भ ग्रन्थ (Reference)

1. Gemmell, A (1984) "Solid and liquid wastes and the impacts of their disposal in B.D. Clark, A. Gilad, R. Bisset and P. Tomlinson (eds) perspectives on Environmental impact assessment, Dordrecht: reidel publishing company, 311-340
2. Bilitewski, B, Hadtle, G. And Marek, K, (1997) Waste Management, Berlin, Heidelberg: springier
3. Doron, assa. (2018) Waste of a Nation: Garbage and growth in India, Harvard University press
4. चौरसिया दीपक, कूड़ा धन, प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, न्यू दिल्ली 2018.
5. बेसल कन्वैक्शन 1879, बेसल कन्वैक्शन होम
6. यूरोपीय संसद और परिषद के 19 नवंबर 2018 के निर्देशन
7. पर्यावरण सांख्यिकी शब्दावली 2013

10.15 निबंधात्मक प्रश्न (Essay Questions)

1. अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं? जैव निम्नीकरणीय और गैर-जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

इकाई-11 मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति एवं पुनर्वास
Liberation and Rehabilitation of Manual Scavengers

इकाई की रूपरेखा

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.1.1 मैला ढ़ोने की प्रथा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

11.1.2 अमानवीयता और सामाजिक भेदभाव का परिचय

11.1.3 मुक्ति एवं पुर्नवास: परिभाषा एवं आवश्यकता

11.2 पुनर्वास की चुनौतियाँ

11.2.1 कानूनी, प्रशासनिक, और स्वास्थ्य चुनौतियाँ

11.2.2. रोजगार, सामाजिक, और वित्तीय चुनौतियाँ

11.2.3 मैला ढ़ोने वालों की पहचान

11.3 मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन और कानूनी प्रावधान

11.3.1 उन्मूलन के प्रयास और नीतियाँ

11.3.2 मुक्ति के प्रयास और मानवाधिकार सुरक्षा

11.4 सफल पुनर्वास के उदाहरण

11.4.1 सफल पुनर्वास के उदाहरण और उनके प्रभाव

11.5 भविष्य की संभावनाएँ

11.5.1 दीर्घकालिक सुधार और सामाजिक समावेश

11.6 निष्कर्ष

11.7 शब्दावली

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.9 संदर्भ ग्रंथ

11.0 उद्देश्य (Objectives)

- इस अध्याय में मैला ढ़ोने की प्रथा, इसका इतिहास और इसके उन्मूलन के कानूनी प्रयासों को समझेंगे, जिससे विद्यार्थी इसके सामाजिक और कानूनी संदर्भ जान सकेंगे।
- इस अध्याय में छात्र मैला ढ़ोने वालों की सामाजिक स्थिति, अधिकार, मुक्ति के प्रयास और पुनर्वास की चुनौतियों को समझेंगे।
- छात्रों को रोजगार प्रशिक्षण, आर्थिक असुरक्षा, और पुनर्वास की वित्तीय सहायता जैसे मुद्दों के बारे में जानकारी मिलेगी प्राप्त करेंगे, जिनका सामना मैला ढ़ोने वालों को उनके पुनर्वास के दौरान करना पड़ता है।
- इस अध्याय में छात्र जानेंगे कि कैसे सरकारी और गैर-सरकारी संगठन मैला ढ़ोने की प्रथा खत्म करने और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रयासों के भविष्य की संभावनाओं पर विचार करेंगे।

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

"हो सकता है कि मैं फिर जन्म न लूँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ, तो मैं मैला ढ़ोने वालों के परिवार में जन्म लेना चाहूंगा ताकि मैं उन्हें इस अमानवीय, अस्वास्थ्यकर और घृणित प्रथा से मुक्त कर सकूं।"

- महात्मा गांधी

[मैला ढ़ोने की प्रथा] अस्पृश्यता का सबसे घृणित और जीवित प्रतीक है।

—राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का प्रस्ताव, 23 अक्टूबर 2010

मैला ढ़ोने का पेशा मानव सभ्यता के साथ ही अस्तित्व में है और भारत में इसे वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया गया है। इसे अत्यंत अपवित्र और निन्दनीय कार्य माना जाता है, और यह काम विशेष रूप से दलितों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि दलितों के भीतर भी एक उप-जाति, जिसे अन्य दलित उप-जातियों द्वारा भी हेय और 'अस्पृश्य' समझा जाता है, इस कार्य को करने के लिए मजबूर है। यह अमानवीय प्रथा, जिसमें शुष्क शौचालयों से मानव मल को हाथ से, झाड़ू या धातु के स्क्रैपर का उपयोग करके हटाना, मल को टोकरी में इकट्ठा करना और उसे डंपिंग

स्थलों तक ले जाकर फेंकना शामिल है, न केवल जोखिम भरा है, परन्तु मानवाधिकारों के उल्लंघन की सबसे घृणित और उच्चतम श्रेणी है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग का अर्थ है "ड्राई टॉयलेट्स" से मल (रात का मल) को हाथ से साफ करना, अर्थात् ऐसे शौचालय जिनमें आधुनिक फ्लश प्रणाली नहीं होती। मैनुअल स्कैवेंजिंग में झाड़ू और टिन की प्लेटों का उपयोग करके मानव मल को हटाया जाता है। यह मल बाद में टोकरी में इकट्ठा किया जाता है जिसे सफाईकर्मी अपने सिर पर उठाकर शौचालय से कई किलोमीटर दूर तक ले जाते हैं।

11.1.1 मैला ढ़ोने की प्रथा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

मैला ढ़ोने की प्रथा भारत की जाति और वर्ण व्यवस्था से जुड़ी है, जो प्राचीन काल से दलित समुदायों पर थोपी गई है। इसका उद्देश्य उच्च जातियों को 'शुद्ध' बनाए रखने के लिए निम्न जातियों से मल साफ जैसे अपवित्र कार्य करवाना था।

1. प्राचीन काल

प्राचीन भारतीय समाज में स्वच्छता और सफाई के कार्यों को अपवित्र और घृणित माना जाता था। 'मनुस्मृति' जैसे धर्मशास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का सख्त पालन किया जाता था, जिसमें प्रत्येक जाति का एक निश्चित कार्य निर्धारित किया गया था। शूद्रों और उनके नीचे की जातियों को ऐसे कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया जो 'अस्पृश्यता' से जुड़े थे, जिनमें मैला ढ़ोने का काम प्रमुख था। यह काम सदियों से निम्न जातियों के लोगों पर थोप दिया गया, जिन्हें समाज में "अछूत" के रूप में देखा जाता था।

2. मध्यकालीन भारत

मध्यकालीन भारत में भी यह प्रथा जारी रही, खासकर शहरों और कस्बों में, जहाँ गंदगी और मलमूत्र को साफ करने की आवश्यकता थी। सफाईकर्मियों की मांग बढ़ने के बावजूद, यह काम अब भी सामाजिक रूप से बहिष्कृत वर्गों द्वारा ही किया जाता था। इस दौरान कोई भी शासक इस प्रथा को समाप्त करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा सका, और यह जातिगत ढांचे के साथ जुड़ा रहा।

3. औपनिवेशिक काल

ब्रिटिश शासन के दौरान नगरपालिकाओं और रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ, जिससे शहरी क्षेत्रों में सफाई और मल निपटान की आवश्यकता बढ़ी। मैला ढ़ोने वाले सफाईकर्मियों की मांग इस समय भी बनी रही, विशेषकर रेलवे स्टेशन और शहरी इलाकों में। हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारों और स्वच्छता उपायों की शुरुआत की, फिर भी मैला ढ़ोने की प्रथा को चुनौती देने के लिए कोई ठोस कानूनी प्रयास नहीं किया गया।

4. स्वतंत्रता के बाद का भारत

भारत की स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए संविधान में प्रावधान किए, जिसमें अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। हालांकि, मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन नहीं हो सका।

1993 में, भारत सरकार ने "मैला ढ़ोने वालों के रोजगार का निषेध और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम" पारित किया, जिसने मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों के निर्माण को अवैध घोषित किया। यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसके कमजोर क्रियान्वयन के कारण यह प्रथा कई स्थानों पर जारी रही।

2013 में, "मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम" लागू किया गया, जो मैला ढ़ोने वालों को इस अमानवीय कार्य से मुक्त करने और उन्हें पुनर्वास तथा वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। इस अधिनियम के तहत, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह मैला ढ़ोने वाले परिवारों को पुनर्वासित करे और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, असुरक्षित कार्यो से सफाईकर्मियों में त्वचा रोग, श्वसन समस्याएँ और गंभीर संक्रमण हो सकते हैं। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े सफाईकर्मियों की औसत जीवन प्रत्याशा कम होती है, और वे 50 वर्ष से पहले गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, साथ ही उनके जीवन में अवसरों की कमी भी होती है।

11.1.2 मुक्ति एवं पुर्नवास: परिभाषा एवं आवश्यकता

- **मुक्ति की परिभाषा**

मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति का अर्थ है उन व्यक्तियों को इस अपमानजनक और अमानवीय प्रथा से पूरी तरह से स्वतंत्र करना, जो हाथ से मानव मल उठाने का काम करते हैं। यह मुक्ति केवल शारीरिक श्रम से नहीं, बल्कि जातिगत भेदभाव, सामाजिक अपमान और मानसिक बंधनों से भी है। इसका उद्देश्य मैला ढ़ोने वालों को वैकल्पिक आजीविका के साधन, शिक्षा, कानूनी सुरक्षा, और सामाजिक सम्मान प्रदान करना है, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त कर सकें।

- **मुक्ति की आवश्यकता**

मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह प्रथा उनके जीवन और गरिमा को प्रभावित करती है। है। इस कार्य में सम्मिलित लोग गंभीर स्वास्थ्य खतरों के साथ-साथ सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करते हैं। उन्हें बिना किसी विकल्प के यह कार्य करने पर मजबूर किया जाता है, जो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन

है। मुक्ति के जरिए वे न केवल इस अमानवीय प्रथा से बाहर आ सकेंगे, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान के नए अवसर भी मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन जी जी सकेंगे।

➢ **पुनर्वास की परिभाषा**

मैला ढ़ोने वालों का पुनर्वास उन लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया है, जो इस प्रथा में संलग्न रहे हैं। इसमें वैकल्पिक रोजगार, शिक्षा, कौशल विकास, और सामाजिक स्वीकार्यता के साथ-साथ कानूनी सुरक्षा और आर्थिक सहायता शामिल होती है, ताकि वे स्वाभिमान से एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें और मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

➢ **पुनर्वास की आवश्यकता**

मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास की आवश्यकता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रथा उनके जीवन पर गहरे सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव छोड़ती है। पुनर्वास के बिना, ये लोग शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनका सामाजिक उत्थान संभव नहीं हो पाता। पुनर्वास कार्यक्रम उन्हें नए कौशल सीखने, स्वाभिमान के साथ रोजगार प्राप्त करने और मुख्यधारा में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से वे न केवल अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी खत्म करने में योगदान दे सकते हैं।

11.2 मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास की चुनौतियाँ (Challenges in rehabilitation of manual scavengers)

मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास में मुख्य चुनौतियाँ हैं सामाजिक भेदभाव, अपर्याप्त सरकारी सहायता, और स्थायी रोजगार की कमी। कानूनी प्रावधानों के बावजूद, पुनर्वास योजनाएँ प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाई हैं, और सफाईकर्मियों को समाज में सम्मानित स्थान दिलाना भी मुश्किल है।

11.2.1 कानूनी, प्रशासनिक, और स्वास्थ्य चुनौतियाँ

1. कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ

कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद मैला ढोना जारी:

भारत में 1993 में मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के लिए पहला कानून 'मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट' लाया गया। इसके बाद 2013 में इसे और मजबूत किया गया

और 'मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार पर प्रतिबंध और पुनर्वास अधिनियम, 2013' लागू किया गया। इस कानून का उद्देश्य मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में कार्यरत लोगों का पुनर्वास और उनके रोजगार के नए अवसर प्रदान करना था।

हालांकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और विभिन्न NGOs के अनुसार, इन कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद मैला ढ़ोने का काम आज भी कई हिस्सों में जारी है। कानून का ठीक से पालन न होने के कारण मैला ढ़ोने वाले अपने पारंपरिक पेशे से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2019 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2014 से 2019 तक लगभग 53,000 लोगों को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में पहचाना गया था, जबकि NGOs का कहना है कि यह संख्या इससे कहीं अधिक है।

2. स्वास्थ्य और सुरक्षा चुनौतियाँ

स्वास्थ्य जोखिम और बीमा योजनाओं का अभाव:

मैला ढ़ोने का काम अत्यंत अस्वास्थ्यकर होता है, और इससे जुड़े लोग गंभीर बीमारियों जैसे त्वचा संक्रमण, श्वसन रोग, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करते हैं। यद्यपि सरकारी और निजी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, लेकिन ये अक्सर मैला ढ़ोने वालों तक नहीं पहुंच पातीं।

2018 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NSKC) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मैनुअल स्कैवेंजर में 60% लोग स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से वंचित थे। इसके अलावा, उन्हें सफाई कार्य के दौरान उचित सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिलते, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

11.2.2 रोजगार, सामाजिक, और वित्तीय चुनौतियाँ

1. रोजगार प्रशिक्षण और स्थायी आजीविका की चुनौतियाँ

मैला ढ़ोने वाले अधिकतर लोग अशिक्षित होते हैं, जिससे उनके लिए अन्य व्यवसायों में स्थानांतरित होना कठिन हो जाता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के बावजूद, बहुत से मैनुअल स्कैवेंजर इनसे लाभान्वित नहीं हो पाते। इसका कारण जानकारी की कमी, सामाजिक बहिष्कार, और कभी-कभी प्रशासनिक उदासीनता है।

कई बार रोजगार प्रशिक्षण के बावजूद, मैला ढ़ोने वाले अन्य नौकरियों में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनके पास व्यापारिक कौशल की कमी होती है। उदाहरण के लिए, सुलभ इंटरनेशनल और अन्य NGOs ने महिलाओं को सिलाई, ब्यूटीशियन, और अन्य व्यवसायों में प्रशिक्षित किया है, लेकिन सामाजिक भेदभाव और वित्तीय सहायता की कमी के कारण उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

2. सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियाँ

मैला ढ़ोने वालों का पुनर्वास इसलिए भी कठिन है क्योंकि उन्हें जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। पारंपरिक रूप से, यह कार्य एक विशेष जाति (मुख्य रूप से दलित समुदाय) द्वारा किया जाता रहा है, और अन्य जातियों के लोग उन्हें आज भी नीची नजर से देखते हैं। इस कारण से, मैला ढ़ोने वाले लोग अपनी जाति और पेशे के कारण समाज में किसी अन्य पेशे में स्थानांतरित होने के बाद भी पूर्ण स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते।

2018 में ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के विभिन्न हिस्सों में मैनुअल स्कैवेंजर को अन्य रोजगार मिलने के बाद भी जातिगत आधार पर भेदभाव झेलना पड़ता है। इस भेदभाव के कारण उन्हें अपने समुदाय से बाहर निकलना और समाज में बराबरी से जीवन जीना मुश्किल होता है।

3. वित्तीय सहायता और ऋण योजनाओं की चुनौतियाँ

मैनुअल स्कैवेंजर के पुनर्वास के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक वित्तीय सहायता की कमी है। यद्यपि सरकार और बैंक स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन यह ऋण सभी मैनुअल स्कैवेंजर तक नहीं पहुंच पाते। इसका एक कारण जानकारी की कमी है, जबकि दूसरा कारण बैंकों में प्रक्रिया की जटिलता और भेदभाव हो सकता है।

NSKFDC के तहत मैला ढ़ोने वालों को 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता और 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। हालांकि, एक कैग रिपोर्ट के अनुसार, 2019 तक केवल 20% मैनुअल स्कैवेंजर ने इन ऋण योजनाओं का लाभ उठाया था। इसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी और बैंकों की कड़ी ऋण नीतियाँ हैं।

11.2.3 मैला ढ़ोने वालों की पहचान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2013 और 2018 में दो राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के जरिए 58,098 मैला ढ़ोने वालों की पहचान की गई है। इनमें से 43,797 के जाति से संबंधित डेटा उपलब्ध है। मैला ढ़ोने वालों की संख्या का श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है:

Category	No. of manual Scavenger
Scheduled Castes	42,594
Schedules Tribes	421
Other Backwards Classes	431
Others	351

Source: https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1776848

State-wise numbers of manual scavengers identified across 17 states/UTs are as follows:

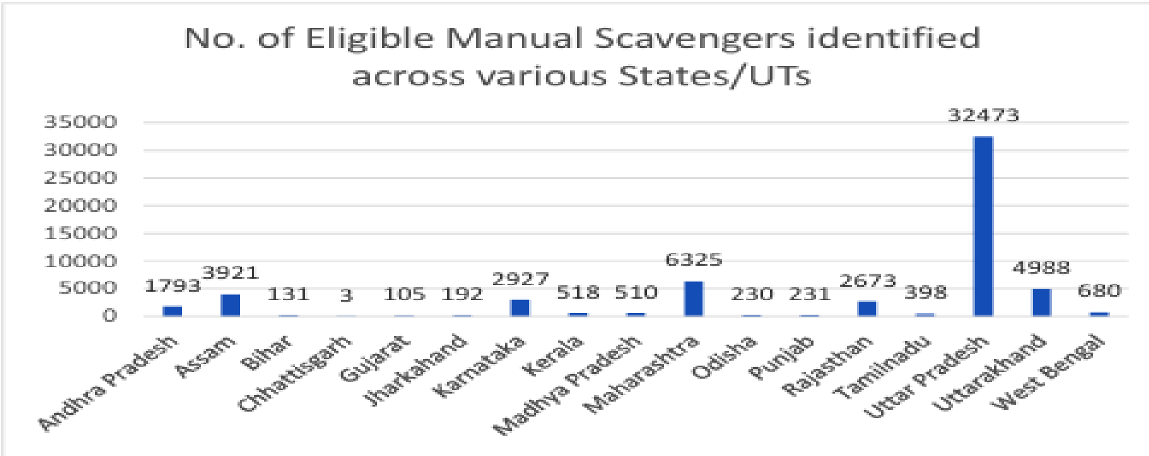

Sources:https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1811403

बोध प्रश्न 1

प्रश्न 1: : मैला ढ़ोने की प्रथा में अंतर्निहित अमानवीयता और सामाजिक भेदभाव किस प्रकार जातिगत और सांस्कृतिक संरचनाओं को उजागर करते हैं?

प्रश्न 2. मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की आवश्यकता क्यों है, और यह प्रक्रिया किन व्यापक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों की मांग करती है?

11.3 मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन और कानूनी प्रावधान (Abolition of manual scavenging and legal provisions)

दशकों से सामाजिक सुधारक, सरकारें और NGOs मैला ढ़ोने की प्रथा समाप्त करने और इसमें शामिल दलित समुदाय को मुख्यधारा में लाने के प्रयास कर रहे हैं। यह अमानवीय कार्य भारतीय जातिगत व्यवस्था से जुड़ा है। मैला

ढ़ोने वालों की मुक्ति (liberation) का अर्थ केवल इस कार्य से मुक्ति नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास, सम्मानजनक जीवन, और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना है।

11.3.1 उन्मूलन के प्रयास और नीतियाँ

मैला ढोना एक अपमानजनक पेशा है, जिसे अनुसूचित जातियों के कुछ विशेष समुदायों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कई समितियाँ और आयोग नियुक्त किए हैं, जिन्होंने उचित सिफारिशें और नीतिगत उपाय सुझाए हैं, ताकि मैला ढ़ोने वालों का सामाजिक समावेश सुनिश्चित किया जा सके।

Year	Name of the Committee	Chair	Government Body
1949-1952	The Scavengers' Living Conditions Enquiry Committee	B.N. Barve	Government of Bombay
1953-1955	Backward Classes Commission	Kaka Kalkar	Government of India
1956	Central Advisory Board for Harijan welfare	Gobind Ballabh Pant	Government of India, Ministry of Home Affairs
1958-1960	Scavenging Conditions Enquiry Committee	N. R. Malkani	Government of India, Ministry of Home Affairs
1965-1966	Committee on Customary Rights to Scavengers	N. R. Malkani	Government of India, Department of Social Welfare
1966-1969	National Commission on Labour	P. B. Gajendar Gadkar	Government of India
1968-1969	Committee on Conditions of Sweepers and Scavengers	B. P. Pandya	National Commission on Labour, Government of India
1991	Task Force for Tackling the problem of scavengers and suggesting measures to abolish scavenging with particular emphasis on their rehabilitation	S. K. Basu	Government of India, Planning Commission
Source: Srivastava, 1997; Parameshara, 2013, Noronha, Singh and Malik, 2018, p. 7			

भारत में मैला ढ़ोने से संबंधित संवैधानिक और विधायी प्रावधान

I. संविधान संबंधी प्रावधान

भारत का संविधान, जो 1950 में लागू हुआ, ने मानव अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मैला ढ़ोने की प्रथा को संबोधित किया। इसके अनुच्छेद 14, 15, 16, और 17 ने समानता सुनिश्चित की और छुआछूत को समाप्त किया। हालांकि, निचली जातियों के लोग, जिन्हें 'अशुद्ध' पेशों से जोड़ा गया, मैला ढ़ोने में लगे रहे। अनुच्छेद 21 ने गरिमा के साथ जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया, स्पष्ट करते हुए कि मैला ढोना मानवीय गरिमा का उल्लंघन है। इसे समाप्त करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, और मैला ढ़ोने वालों के रोजगार का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 जैसे कानून बनाए गए। फिर भी, न्यायालयों और सरकारी पहलों के बावजूद, इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना चुनौती बना हुआ है।

II. अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955

पहला अधिनियम जिसने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, वह 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम था, जिसमें धारा 4 के अंतर्गत इस पर रोक लगाई गई थी। हालांकि, इस अधिनियम के तहत सज़ा बेहद हल्की थी और यह मैला ढ़ोने की प्रथा को सफलतापूर्वक रोक नहीं सका।

III. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1977

इसके बाद संसद ने 1977 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया (जिसमें पहले के अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में संशोधन किया गया), जिसने धारा 7A के अंतर्गत 'अस्पृश्यता' के आधार पर मैला ढ़ोने की प्रथा की पहचान की और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। हालांकि, इस अधिनियम के तहत भी सख्त सज़ा का प्रावधान नहीं था, जिससे इस प्रथा का उन्मूलन नहीं हो सका।

IV. मैला ढ़ोने वाले कर्मचारियों और सूखी शौचालयों के निर्माण (प्रतिबंध) अधिनियम, 1993

यह अधिनियम मैनुअल स्केवेंजर्स की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाता है और इसे संज्ञानात्मक अपराध बनाता है। यह किसी को मानव मल ले जाने या सूखी शौचालय बनाने की अनुमति नहीं देता। इसमें मैनुअल स्केवेंजर्स की नियुक्ति और सूखी शौचालयों के निर्माण पर प्रतिबंध का प्रावधान है। राज्य सरकारों को जल-सील शौचालयों के निर्माण और रखरखाव के लिए योजनाएं बनाने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, यह अधिनियम मुख्य रूप से स्वच्छता पर केंद्रित था, पुनर्वास और मानव गरिमा के मुद्दों को नजरअंदाज किया। इसे देखते हुए, 2013 में एक नया अधिनियम बनाया गया।

V. मैला ढ़ोने वाले के रोजगार पर प्रतिबंध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

यह मैनुअल स्कैवेंजर्स को रोजगार पर रोक लगाता है और राज्यों को उन्हें पुनर्वासित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रशिक्षण, ऋण और आवास प्रदान करना शामिल है। यह अधिनियम सूखी शौचालयों पर रोक लगाता है, और स्थानीय अधिकारियों को उन्हें स्वच्छ शौचालयों में बदलने की जिम्मेदारी देता है। मुख्य प्रावधानों में अस्वच्छ शौचालयों को बनाए रखने के लिए दंड (धारा 5), अधिनियम के पहले की संविदाओं को अमान्य करना (धारा 6), और उल्लंघनों के लिए कारावास और जुर्माना लगाना (धारा 8) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सीवर की खतरनाक सफाई पर रोक है (धारा 7), और अनुपालन में विफलता के लिए कड़े दंड (धारा 9) निर्धारित किए गए हैं।

VI. मैनुअल स्केवेंजर्स के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020

यह विधेयक भारतीय संसद में केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य देशभर में मैनुअल स्केवेंजिंग को समाप्त करना और इस प्रथा में शामिल लोगों का पुनर्वास करना है। इसका लक्ष्य सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाना, यांत्रिक सफाई के लिए फीकल स्लज प्रबंधन स्थापित करना और नगरपालिका को स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों से लैस करना है। विधेयक सजा को सख्त बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसमें जुर्माना और कारावास की अवधि बढ़ाई जाएगी। यह MS अधिनियम, 2013 की कमियों को सुधारने का प्रयास करता है और मैनुअल स्केवेंजर्स और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का आश्वासन देता है।

11.3.1 मुक्ति के प्रयास और मानवाधिकार सुरक्षा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सलाह, 2021

24 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मैनुअल स्केवेंजिंग और खतरनाक सफाई में शामिल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सलाह जारी की। इस सलाह में स्वच्छता कर्मियों की मौत के मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया और ग्यारह मुख्य बिंदुओं का उल्लेख किया गया। इनमें उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान करना, श्रमिक-मित्र तकनीक का उपयोग करना, कल्याणकारी योजनाएं लागू करना, और भर्ती एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों से जिम्मेदारी सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा, पुनर्वास, न्याय तक पहुंच, स्वच्छता सेवा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, जागरूकता बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना और PEMSRA अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी का महत्व भी बताया गया।

सरकारी योजनाएँ

स्वतंत्रता के बाद, कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और सामाजिक सुधारकों के प्रयासों के अलावा, भारत सरकार ने सफाईकर्मियों को मैनुअल शौच से मुक्त करने और उन्हें वैकल्पिक गरिमापूर्ण रोजगार में पुनर्वासित

करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सफाईकर्मियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएँ निम्नलिखित हैं:

- वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बसी आवास योजना, 2001
- अस्वच्छ कार्यों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्री-मेट्रिक छात्रवृत्तियाँ
- कुल स्वच्छता अभियान, 1999
- सफाईकर्मियों के मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना, 1992
- एकीकृत कम लागत वाली स्वच्छता योजना, 1980-81
- मैनुअल स्केवेंजिंग के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना, 2007
- निर्मल भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान, 2012 और 2014
- सफाईकर्मियों और उनके आश्रितों के लिए मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना
- भुगतान और उपयोग शौचालय योजना
- राष्ट्रीय सफाई कर्मियों वित्त और विकास निगम
- राज्य अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता
- मिशन गरिमा

मैनुअल स्केवेंजिंग समाप्त करने में NGO की भूमिका

विभिन्न नागरिक समाज पहलों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) ने मैला ढ़ोने की प्रथा की निंदा की है और दलित समुदायों की गरिमा बहाल करने के लिए कार्य किया है। सुलभ इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1970 में डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने की थी, ने भारत के स्वच्छता तंत्र को बदल दिया और ट्विन-पिट पोर फ्लश शौचालयों के माध्यम से 2,00,000 से अधिक महिलाओं को मैला ढ़ोने से मुक्त किया। नवसर्जन, जिसे मार्टिन मैकमवान ने 1989 में स्थापित किया था, दलितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उनके शोषण को समाप्त करने में मदद मिली है।

1994 में बेजवाड़ा विल्सन ने सफाई कर्मचारी आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त कर श्रमिकों को सम्मानजनक कार्यों में पुनर्वासित करना था। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि सरकार ने इस दिशा में कम प्रगति की है। आशिफ शेख द्वारा 2000 में स्थापित जन साहस ने राष्ट्रीय गरिमा अभियान शुरू किया, जिससे 2013 में 'दिल्ली घोषणा पत्र' जारी हुआ, जिसमें सरकार से मैला ढ़ोने को समाप्त करने के लिए नया कानून पारित करने का आग्रह किया गया।

11.4 सफल पुनर्वास के उदाहरण (Examples of successful rehabilitation)

मैला ढ़ोने वालों का पुनर्वास एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्रदान करना शामिल है। यहाँ कुछ सफल पुनर्वास के उदाहरण दिये गये हैं।

11.4.1 सफल पुनर्वास के उदाहरण और उनके प्रभाव

योजनाएँ	कार्यक्रम	प्रभाव
सुलभ इंटरनेशनल (NGO) का पुनर्वास मॉडल	स्वच्छता शिक्षा: सुलभ ने मैला ढ़ोने वालों को स्वच्छता सेवाओं में प्रशिक्षित किया। आर्थिक सशक्तिकरण: परिवारों को शौचालय निर्माण और कचरा प्रबंधन में शामिल कर सशक्त बनाया	1990 से 2020 के बीच, सुलभ इंटरनेशनल ने 4,000 से अधिक परिवारों का पुनर्वास किया, जिनमें से 1,500 परिवारों को स्थायी आजीविका मिली है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं	कौशल विकास: बुनाई, सिलाई, और कृषि में प्रशिक्षण दिया गया। वित्तीय सहायता: व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया।	2018-2021 के बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,000 से अधिक मैला ढ़ोने वालों को कौशल प्रशिक्षण दिया, जिनमें से 800 ने स्वरोजगार शुरू किया।
महाराष्ट्र में समता आंदोलन	आंदोलन ने मैला ढ़ोने वालों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर संगठित किया और स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित किया।	आंदोलन ने हजारों मैला ढ़ोने वालों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ और पूर्व मैला ढ़ोने वाले अब स्थानीय स्वच्छता सेवाएं संचालित कर रहे हैं।
अग्नि फाउंडेशन, तमिलनाडु	मैला ढ़ोने वालों के लिए कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाए, जिसमें उन्हें कृषि, बागवानी,	2018 से 2021 तक, इस कार्यक्रम ने 500 से अधिक पूर्व मैला ढ़ोने वालों को पुनर्वासित किया, जिन्होंने

	और खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित किया गया।	नए व्यवसाय शुरू कर अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन लाए हैं।

11.5 भविष्य की संभावनाएँ (Future Prospects)

11.5.1 दीर्घकालिक सुधार और सामाजिक समावेश

1. कानूनी और संवैधानिक सुधार

हाथ से मैला ढ़ोने वालों के रोजगार पर निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013 (The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, और इसके उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही, मैला **ढ़ोने** वालों के पुनर्वास और रोजगार के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें तुरंत पुनर्वास, आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, और स्थायी रोजगार मिले।

2. आर्थिक सुधार

मैला **ढ़ोने** वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वैकल्पिक रोजगार और स्वरोजगार योजनाएँ लागू की जानी चाहिए। स्व-रोजगार योजना (SRMS) के तहत 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण देकर उन्हें अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा, स्वरोजगार या अन्य क्षेत्रों में रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सरकार और NGOs को कौशल विकास केंद्र स्थापित करने चाहिए, जहां विभिन्न उद्योगों के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके, जैसे कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC) की योजनाएँ।

3. सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता अभियान

मैला ढ़ोने वाले समुदाय को बराबरी का दर्जा दिलाने और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई के लिए जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए शिक्षा, मीडिया, और सामाजिक संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उनकी सामाजिक भागीदारी बढ़ाने के लिए संवाद स्थापित कर, स्थानीय प्रशासन और संगठनों को उनकी समस्याओं के समाधान में भागीदार बनना चाहिए, जिससे समानता और समावेश को प्रोत्साहन मिले।

4. शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार

मैला **ढ़ोने** वालों और उनके बच्चों के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियाँ इस अपमानजनक कार्य से मुक्त हो सकें। इस समुदाय की शिक्षा पर ध्यान देने के लिए सरकार और NGOs को सक्रिय होना चाहिए। इसके साथ ही, मैला **ढ़ोने** वालों के स्वास्थ्य पर इस कार्य का गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसलिए उनके लिए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा बीमा, और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। काम के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरणों का प्रबंध भी होना चाहिए, ताकि वे सुरक्षित रूप से कार्य कर सकें।

5. तकनीकी और स्वच्छता में सुधार

स्वच्छता के आधुनिक उपकरणों का उपयोग: मैनुअल स्कैवेंजिंग की जगह आधुनिक स्वच्छता तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, **सेप्टिक टैंकों की सफाई के स्वचालित उपकरण** और रोबोटिक्स तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने से मैला ढ़ोने की आवश्यकता कम हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक समाधान हो सकता है

6. न्यायिक सुधार

न्यायिक प्रणाली में ऐसे मामलों पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, जहां मैला ढ़ोने का उल्लंघन पाया जाता है। इसके लिए विशेष अदालतों और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है, जो इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटाए।

7. मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान

मैला ढ़ोने वालों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान को ध्यान में रखते हुए उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिलना जरूरी है। उनके प्रति होने वाले भेदभाव और अपमान को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता फैलानी होगी। उनके साथ संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान निकालने की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न- 2

प्रश्न 1: सुलभ इंटरनेशनल के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 2: मुक्ति के प्रयासों में मानवाधिकार सुरक्षा का क्या महत्व है?

11.6 निष्कर्ष (Conclusion)

मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है। सरकार ने 'हाथ से मैला ढ़ोने का निषेध और पुनर्वास अधिनियम, 2013' जैसे कानूनों के माध्यम से इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन इसे पूरी तरह खत्म करना चुनौतीपूर्ण है। आर्थिक सहायता और कौशल विकास कार्यक्रम नए रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव, वित्तीय असुरक्षा, और स्थायी रोजगार की कमी जैसे मुद्दे पुनर्वास में बाधा डालते हैं। इसीलिए, जागरूकता और स्थायी विकास की नीतियों को लागू करना आवश्यक है ताकि मैला ढ़ोने वालों को सम्मानजनक जीवन मिल सके।

11.7 शब्दावली (Glosarry)

1. सामाजिक बहिष्कार - यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों या संपूर्ण समुदायों को संगठित रूप से उनके अधिकारों, अवसरों और संसाधनों से वंचित किया जाता है, जो सामान्य रूप से समाज के अन्य सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं और जो सामाजिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

2. मानव अधिकार सुरक्षा- वहअधिकार जो हर व्यक्ति को न्यायसंगत रूप से प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी जाति, लिंग, आयु, राष्ट्रीयता, या अन्य विशेषताएँ कुछ भी हों। विशेष रूप से वह अधिकार जो स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करते हैं।

3. सामाजिक समावेश- यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस कराया जाता है, और उन्हें उनके पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान की जाती है।

4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NSKM)- यह भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है, जिसे सफाई कर्मचारियों और मैला ढ़ोने वालों के मुद्दों की निगरानी और समाधान के लिए स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य उनके सामाजिक उत्थान और मैला ढ़ोने की प्रथा को समाप्त करना है।

5. सफाईकर्मी- मैला ढ़ोनेवाला।

11.8 बोध प्रश्नों के उत्तर (Answers to Comprehension Questions)

बोध प्रश्न- 1

1. मैला ढ़ोने की प्रथा में अमानवीयता और भेदभाव जातिगत संरचनाओं को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। इसका उद्देश्य दलितों जैसी निम्न जातियों को गंदे और अमानवीय कार्यों में लगाना है, ताकि ऊपरी जातियाँ इससे मुक्त रह सकें। यह प्रथा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से हानिकारक है, जिससे इन जातियों को समाज में दूसरे दर्जे के नागरिक बना दिया गया और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा गया।

2. मैला ढ़ोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें अमानवीय कार्यों से मुक्त करता है और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रक्रिया में उन्हें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है। इसके लिए जातिगत भेदभाव का उन्मूलन और समतामूलक नीतियों का निर्माण आवश्यक है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में सफलतापूर्वक शामिल हो सकें।

बोध प्रश्न-2

1. मुक्ति के प्रयासों में मानवाधिकार सुरक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि मैला ढ़ोने वाले व्यक्तियों को उनके अधिकारों का संरक्षण मिले। यह उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक होता है, जिससे वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें।

2. सुलभ इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य मैला ढ़ोने वालों को कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। यह संगठन प्रशिक्षण देकर उन्हें सिलाई, ब्यूटीशियन आदि में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होता है।

11.9 संदर्भ ग्रंथ (Reference)

1. "अग्नि फाउंडेशन के सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम," अग्नि फाउंडेशन की वेबसाइट: Agni Foundation
2. Chauhan, K., & Dadwal, L. (2021). Manual Scavenging in India: Issues and Challenges. In International Journal of Novel Research and Development, International Journal of Novel Research and Development (Vol. 6, Issue 12, pp. 1–4) [Journal-article]. https://www.ijnrd.org/papers/IJNRD2112001.pdf

3. Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 (Act no. 64 of 1993)
4. ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट (2018) स्रोत: ह्यूमन राइट्स वॉच, https://www.hrw.org/publications
5. Manual scavenging in india: literature review https://barti.in/upload/pdf/Manual_Scavenging_report.pdf
6. "महाराष्ट्र में समता आंदोलन और उसके प्रभाव," सामाजिक न्याय मंत्रालय, भारत सरकार: Ministry of Social Justice and Empowerment
7. मैनुअल स्कैवेंजर के रोजगार पर प्रतिबंध और पुनर्वास अधिनियम, 2013
8. https://nhrc.nic.in/sites/default/files/Advisory%20on%20Manual%20Scavenging_24%20Sept%202021.pdf (accessed on 25/10/2021)
9. https://humanity-consultancy.com/wp-content/uploads/2021/05/Report-on-Manual-Scavenging-in-India.pdf (Accessed on 12/9/2021)
10. Navsarjan, Dalit Shakti Kendra, Available at http://navsarjan.org/dalitshaktikendra(Accessed on 20/10/2021).
11. Prohibition of Discrimination on Grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of birth
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), मैनुअल स्कैवेंजर की स्थिति पर रिपोर्ट
13. Safai Karmachari Andolan & Ors. v. Union of India & Ors., Supreme Court of India, Writ Petition (Civil) No 583 of 2003, Judgment, March 27, 2014, para. 10
14. "सुलभ इंटरनेशनल: स्वच्छता और मानवता का संगम," सुलभ इंटरनेशनल की आधिकारिक वेबसाइट: Sulabh International
15. "सुलभ इंटरनेशनल के प्रभाव पर एक अध्ययन," सामाजिक कार्य पत्रिका: Social Work Journal
16. "उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग के उन्मूलन के लिए योजनाएँ," उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट: Uttar Pradesh Government
17. "उत्तर प्रदेश में मैनुअल स्कैवेंजिंग और पुनर्वास कार्यक्रम," मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट: National Human Rights Commission

18. "समता आंदोलन: मैला ढ़ोने वालों के अधिकारों के लिए संघर्ष," अनुसंधान पत्रिका: Research Journal
19. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
20. सफाई कर्मचारी आंदोलन संगठन की रिपोर्टें और आंकड़े https://nskfdc.nic.in/
21. कैग (CAG) रिपोर्ट (2018) स्रोत: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर रिपोर्ट https://ncsk.nic.in/
22. सुलभ इंटरनेशनल स्रोत: सुलभ इंटरनेशनल, मैला ढ़ोने वालों के पुनर्वास के प्रयासों से संबंधित जानकारी

Refernce Book

- Swchchhta ka samajshastra [Hindi} Kalpaz Publication 2015

इकाई-12 स्वच्छता की नीतियां और कार्यक्रम
Sanitation Policies and Programmes

इकाई की रूपरेखा

12.0 परिचय

12.1 उद्देश्य

12.2 सरकारी नीतियां और कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय महत्व

12.3 भारत में स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता और महत्व

12.4 स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

12.5 स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

12.6 गांधी जी और स्वच्छता अभियान

12.7 स्वतंत्रा के बाद स्वच्छता की नीतियां तथा कार्यक्रम

12.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और स्वच्छता

12.9 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1954

12.10 राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम 1957

12.11 स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

12.12 पांचवी पंचवर्षीय योजना और स्वच्छता कार्यक्रमों की स्थिति

12.13 केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986

12.14 पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999

12.15 निर्मल भारत अभियान 2012

12.16 स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम 2014

12.17 स्वच्छ भारत अभियान (नमामिगंगे) 2014

12.18 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण द्वितीय

12.19 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) चरण द्वितीय

12.20 स्वच्छता ही सेवा अभियान

12.21 सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान

12.22 स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता (4S) अभियान

12.23 सारांश

12.24 संदर्भ सूची

12.25 निबंधात्मक प्रश्न

12.0 परिचय (Introduction)

स्वच्छता एवं स्वच्छता से जुड़ी धारणाऐं, मान्यताऐं और व्यवहारों का भारतीय समाज में आदिकाल से ही महत्व रहा है। भारतीय समाज ने स्वच्छता को हमेशा अपने जीवन की प्रमुख प्राथमिकताओं में स्थान दिया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता (2500-1900 ईसा पूर्व) विश्व की प्राचीनतम् सभ्यताओं में से एक है। यह अपने अद्धितीय नगर नियोजन और स्वच्छता को बनाये रखने की उपर्युक्त प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध थी। हडप्पा एवं मोहन जोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों में उस समय भी स्वच्छता और स्वच्छता को बनाये रखने के लिए लोगों में अत्यधिक जागरूकता थी। हडप्पा और मोहन जोदड़ों की सभ्यता एवं संस्कृति इस बात का प्रमाण देती हैं कि तब हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ों की नगर योजनाओं में भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था के साथ-साथ सड़कों से जुड़ी नालियों के निर्माण में न सिर्फ ईटों का प्रयोग किया गया था बल्कि उस समय इन नालियों को ऊपर से भी ढका गया था। पानी को नालियों के द्वारा शहर से बाहर निकाला जाता था, जिससे शहर में जल भराव की समस्या न हो सके। उस दौर में भी अधिकांश घरों में नीजी शौचालय और स्नानघर थे। सार्वजनिक स्नानागार की व्यवस्था भी उस दौर में की गई थी। ये

सब ऐतिहासिक प्रमाण हमें अवगत कराते हैं, कि भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में प्राचीनकाल से ही, स्वच्छता एवं स्वच्छता से जुड़ी व्यवस्थाऐं एवं सुविधाऐं, उस दौर के समाज में भी महत्वपूर्ण होती थी। यह दर्शाता है कि उस समय का समाज स्वच्छता को अपने जीवन में कितना अधिक महत्व देता था। वर्तमान समय में यदि हम देखे तो स्वच्छता केवल समाज के उत्तम स्वास्थ्य को बनाये रखने का न सिर्फ एक विषय है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज के समग्र विकास का आधार भी है। इस पर समाज का समग्र विकास टिका हुआ है। इसलिए हमारी सरकारों के द्वारा स्वच्छता एवं अस्वच्छता को समाज से दूर करने के लिए अनेक नीतियो, कार्यक्रमों एंव योजनाओं को डिजाइन किया जाता है। इन नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। इन स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को समाज में कायम कर, समाज को उन्नत एवं खुशहाल बनाया जा सके। जिससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। इस बात से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि स्वच्छता समाज के विकास एवं उन्नति के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रत्येक समाज में, स्वच्छता को समाज के विकास का एक मुख्य घटक माना जाता है।

12.1 उद्देश्य

- शिक्षार्थियों इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप
- स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में जान सकते हैं।
- स्वच्छता की नीतियों की आवश्यकता और महत्व के विषय में जान सकते हैं।
- स्वच्छता की नीतियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत आप स्वतंत्रा से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद और वर्तमान समय की स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

12.2 सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का समाजशास्त्रीय महत्व (Sociological Significance of Government Policies and Programmes)

हमारी सरकारों के द्वारा जो सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन आम जनमानस के लिए किया जाता है, उससे आम जन मानस को मजबूती मिलती है। इनसे समाज के सभी वर्गों को आगे बढ़ने के समुचित अवसर मिलते हैं। शिक्षार्थियों आप सब जानते हैं कि समाज में सभी लोगों की सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-शैक्षणिक स्थिति तो एक समान नहीं होती है। न ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति के पास समुचित संसाधन होते हैं। समाज में इस तरह की असमानता को दूर करने के लिए तथा समाज के कमजोर वर्गों, वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करती है। समाज के कमजोर वर्गों के लोग चाहे वे किसी भी जाति, मजहब एवं धर्म के हों इन योजनाओं से समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में सक्षम होते हैं। इन नीतियों एवं कार्यक्रमों से समाज में

सामुदायिक भावना की प्रगाढता, सामाजिक समानता का समावेशन, स्वच्छता के प्रति जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण एवं सतत् विकास को गति मिलती है। इन सबके परिणामस्वरूप समाज की सामाजिक संरचना मजबूत होती है। समाज का समग्र विकास होता है।

12.3 भारत में स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और महत्व (Need and importance of Sanitation Policies and Programmes in India)

जैसा कि शिक्षार्थियों आप सब जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। जिसकी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ की है। यह 140 करोड़ की जनसंख्या गांवों, नगरों, कस्बो, शहरों, महानगरों में रहती है। भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण यह आवश्यक नहीं है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास मूल-भूत संसाधनों की समुचित व्यवस्था हो। ऐसे व्यक्तियों, वंचित समूहों, कमजोर वर्गों के लिए इन तमाम मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था हमारी सरकारें करती आ रही है और लगातार कर रही हैं। हमारी सरकारें सिर्फ खास समूहों व खास वर्गों के कल्याण तक ही सीमित नहीं होती हैं बल्कि हमारी सरकारें भारत में रहने वाले समस्त व्यक्तियों की, चाहे वे गांवों में रहते हां़े या शहरों में सबके कल्याण एवं तरक्की के लिए प्रतिबंद्ध रहती हैं। जनमानस के कल्याण एवं विकास के लिए सरकार अलग-अलग क्षेत्रों की नीतियाँ तथा कार्यक्रमों को बनाती है। जिसमें शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण आदि सभी क्षेत्रों की नीतियों तथा कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है।

शिक्षार्थियों आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के अतिरिक्त भी कोई अन्य मूलभूत आवश्यकता होती है? क्या साफ-सफाई मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है? क्या स्वच्छता एवं साफ-सफाई प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है? क्या स्वच्छता एवं साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करना हमारी सरकारों की प्राथमिकता हैं? क्या स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों का संचालन किया जाना अति आवश्यक है? इन तमाम प्रश्नों को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पायेंगे कि वास्तव में व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं में स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छता तथा उत्तम स्वास्थ्य भी शामिल हैं। ये सब कारक समाज में रहने वाले समस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तत्व हो जाते हैं। इन जीवन के निर्धारक तत्वों पर समाज के समस्त व्यक्तियों का उत्तम स्वास्थ्य निर्भर करता है। विद्यार्थियों समाज में रहने वाले सम्पूर्ण व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को उत्तम बनाने तथा सम्पूर्ण समाज को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, रोजगार तथा समाज की स्वच्छता को बनाये रखने तथा अस्वच्छता को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन करती है। प्रत्येक समाज में स्वच्छता को बनाये

रखने तथा समाज में अस्वच्छता को दूर करने के लिए हमारी सरकारें काम करती हैं। समाज में स्वच्छता को बनाये रखने, समाज से गंदगी को दूर करने, लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने, खुले में शौच करने की परम्परा को समाप्त करने तथा उन लोगों के लिए, जो शौचालयों का निर्माण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए शौचालयों का निर्माण करने के लिए, सरकार के द्वारा इस तरह की नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। शिक्षार्थियों इन सबके पीछे हमारी सरकारों का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे नागरिक स्वस्थ्य रहें। जिससे वे एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण कर पायेंगे। इसलिए चाहे कोई भी सरकार हो वे अपनी नीतियों में, स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल करती हैं। इस प्रकार शिक्षार्थियों आप स्वच्छता की नीतियां तथा कार्यक्रमों की आवश्यकता के विषय में जान पाये होंगे, कि स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की समाज को कितनी अधिक आवश्यकता होती है।

12.4 स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Back ground of Sanitation Policies and Programmes)

शिक्षार्थियों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास हमें अपने अतीत के दर्शन कराता है। जिससे हम अपने अतीत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस इकाई में हम स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करेंगें। जिसमें हम भारत की स्वतंत्रता से पूर्व एवं भारत की स्वतंत्रता के पश्चात्, स्वच्छता से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम इसमें यह भी जान पायेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शासन ने तथा स्वतंत्रता के बाद भारतीय शासन ने कौन-कौन सी स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन किया था। वर्तमान समय में हमारी सरकार के द्वारा स्वच्छता के लिए कौन-कौन सी नीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इन सब स्वच्छता से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों के विषय में यहां पर चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है।

12.5 स्वतंत्रता से पहले स्वच्छता की नीतियों तथा कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि (Background of Sanitation Policies and Programmes Before Independence)

अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक शासन किया था। अंग्रेजी शासन काल में स्वच्छता तथा स्वच्छता को बनाये रखने के लिए कोई खास इंतेजामों और कार्यक्रमों की व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान स्वच्छता तथा स्वच्छता को बनाये रखने के लिए जागरूकता मुख्य रूप से बड़े शहरों और सैन्य छावनियों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजों ने स्वच्छता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। अंग्रेज प्रशासक जिन शहरी क्षेत्रों

में रहते थे वहीं की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता था। अंग्रेजी शासन ने नगर निगम अधिनियम लागू किया जिससे नगर पालिकाओं को स्वच्छता, जल आपूर्ति और सीवेज प्रबंधन के मामलों में कार्य करने का अधिकार मिला। नगर निगम अधिनियम 1882 के द्वारा स्वच्छता तथा स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों की ओर कार्य करना शुरू किया गया था। 20वीं शताब्दी की शुरूआत में प्लेग और अन्य महामारियां अपना विकराल रूप ले रही थी। जिसने उस समय की तत्कालीन स्वच्छता की नीतियों को प्रभावित किया था। ब्रिटिश शासन ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लागू किया, जिसके परिणामस्वरूप लोगों ने स्वच्छता के प्रति ध्यान देना शुरू किया।

12.6 गांधी जी और स्वच्छता अभियान (Gandhi ji and Cleanliness Campaign)

उस समय एक ओर हमारे देश के रणबाकुरे देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। वहीं दूसरी ओर प्लेग और अन्य महामारियां लोगों को काल का ग्रास बना रही थी। उस समय हमारे पास न तो पर्याप्त संसाधन थे और न ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाए ही थी। अस्वच्छता के कारण समाज में महामारियां विकराल रूप ले रही थी। अस्वच्छता को समाज से दूर करने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा लोगों को आहवाहन किया गया। गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिंस्सा माना। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ स्वच्छता आंदोलन की ओर भी जोर दिया था। गांधी जी व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता को सामाजिक सुधार के रूप में देखते थे। इसी का परिणाम था कि उस समय स्वच्छता के प्रति जागरूकता ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराईयों को चुनौति दी थी। इस प्रकार हम समझ सकते है कि गांधी जी के द्वारा चलाये गये स्वच्छता के आंदोलनों ने भारत में सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

12.7 स्वतंत्रता के बाद स्वच्छता की नीतियां तथा कार्यक्रम (Sanitation Policies and Programmes after Independence)

शिक्षार्थियों आप सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमारे रणबाकुरों ने अपनी शहादत दी थी। जिसके परिणामस्वरूप भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से आजाद हुआ था। उस समय हमारे सम्मुख अनेकों चुनौतियां थी। सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन, कृषि, स्वच्छता, बिजली, उद्योग और दानव के रूप में फैलती महामारियों से लोगों को निजात दिलाना, उस समय की चुनौतियों में प्रमुख चुनौती थी। चूंकि अभी देश को आजाद हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए उस समय की तत्कालीन सरकार के द्वारा पहल की गयी थी। जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाना था। जिसके लिए समाज में स्वच्छता जरूरी थी। स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वच्छ

पेयजल की समस्याओं को स्वतंत्रता के बाद हमारी सरकारों ने अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में भी शामिल किया था। इन पंचवर्षीय योजनाओं ने समुदायिक स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। 1950 और 1970 के बीच भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए कई योजनाऐं एवं कार्यक्रम शुरू किये थे। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य को उत्तम बनाना, महामारियों की रोकथाम करना तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। क्योंकि शिक्षार्थियों, जब समाज में स्वच्छता होगी तब समाज से महामारियां भी दूर हो पायेंगी, और लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जायेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण उस समय लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता था, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती थी। स्वास्थ्य खराब होने के पीछे मुख्य कारण अस्वच्छता थी, जिससे महामारियां फैल रही थी। लोगों का गंदगी, अस्वच्छ वातावरण तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक न होने के कारण लोग महामारियों की चपेट में आ रहे थे। शिक्षार्थियों इस इकाई में हम भारत की स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान समय तक हमारी सरकारों के द्वारा स्वच्छता तथा स्वच्छता के लिए बनायी गयी नीतियों तथा कार्यक्रमों पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं।

12.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और स्वच्छता (Community Development Programme 1952 and Sanitation)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री स्व0 श्री जवाहार लाल नेहरू थे। यह कार्यक्रम ग्रामीण भारत की विकास और स्वच्छता में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में देखा गया था। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास के लिए स्वच्छता को आवश्यक माना गया था। वैसे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत का समग्र विकास करना था। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को एक घटक के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगी और अस्वच्छता के कारण अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्याप्त थी। जिसमें हैजा, डायरिया, मलेरिया एवं जल-जनित रोग ग्रामीण भारत में एक भयंकर समस्या का रूप ले रहे थे। स्वास्थ्य सुविधाओं के आभाव और अस्वच्छता के कारण ग्रामीण जनजीवन की स्थिति प्रभावित हो रही थी। इस कार्यक्रम में स्वच्छता के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरणीय स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की दिशा में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत स्वच्छता को प्राथमिकता दी गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों के विकास की ओर भी धीरे-धीरे ध्यान दिया जाने लगा था।

12.9 ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1954 (Rural Sanitation Programme1954)

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1954 तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू की सरकार के मंत्री मण्डल द्वारा जारी किया गया एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर को बढ़ाना था। स्वच्छता से संबंधित बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ और सुलभ करना था, इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-

(i) व्यक्तिगत और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना।
(ii) सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों और स्नानघरों की सुविधाएं प्रदान करवाना।
(iii) कूड़े-कचड़े के प्रबंधन और निष्पादन की समुचित व्यवस्था करना।
(iv) हैण्डपम्प, नलकूपों और स्वच्छ जल स्रोतों की स्थापना करना।
(v) ग्रामीण भारत में स्वच्छता के महत्व और बीमारियों की रोकथाम के विषय में लोगों को जागरूक करना।
(vi) जनसमाज में स्वच्छता की आदतों को विकसित करना।
(vii) स्वच्छता कार्यक्रमों के माध्यम से मलेरिया, हैजा और अन्य जल जनित बिमारियों की रोकथाम करना।
(viii)जल स्रोतों की स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा।

इस प्रकार ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1954 ने सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार करके समाज के लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में काम किया था। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से संक्रमक रोगों की दरों में कमी आई थी। इससे ग्रामीण समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला था।

12.10 राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम 1957 (National Water Supply and Sanitation Programme 1957)

भारत सरकार द्वारा, भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाने के लिए सन् 1957 में श्री जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व वाली मंत्रीमण्डल ने इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया था। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे-

(i) जनमानस के लिए साफ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना।
(ii) स्वच्छता के लिए शौचालयों के निर्माण पर जोर देना।
(iii) सुचारू जल निकासी की व्यवस्था को सुनिश्चित करवाना।

(iv) जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए उचित व्यवस्था करवाना।

(v) ग्रामीण व नगरीय भारत के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित और जागरूक करना।

(vi) स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों का निर्माण कराना।

(vii) हैण्ड पम्प, नलकूपों और सीवरेज सिस्टम की समुचित व्यवस्था कराना।

इस कार्यक्रम से स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता की दिशा में सुधार देखने को मिला था। महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आया था। क्योंकि अस्वच्छता के कारण महिलाएं एवं बच्चे प्रभावित होते थे। धीरे-धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के कारण लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा था। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण और नगरीय भारत में स्वच्छता के प्रति लोगों की समुदायिक भागीदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में भी योगदान दिया था। स्वच्छत जल आपूर्ति और स्वच्छता की सुविधाओं के विकास से ग्रामीण और नगरीय भारत में विकास को गति मिलने लगी। शिक्षार्थियों इस कार्यक्रम से ग्रामीण और नगरीय भारत की सामाजिक संरचना मजबूत हुई थी।

12.11 स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन 1961-1966 (Implementation of Health and Sanitation Improvement Programmes from 1961-1966)

शिक्षार्थियों भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक चला था। इस तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरूवात भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के मंत्रीमण्डल के द्वारा की गई थी। श्री जवाहर लाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात् यह योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा पूरी की गयी थी। इस पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुधार कार्यक्रमों के लिए निम्नलिखित व्यवस्था थी-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केन्द्रों और उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

(ii) मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसे जल जनित एवं संचारी रोगों के खिलाफ अभियान चलाना।

(iii) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण पर जोर दिया जाये।

(iv) साफ पानी की व्यवस्था के साथ-साथ कूड़े-कचड़े के प्रबंधन एवं निष्पादन को शामिल किया गया।

(v) स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया।

स्वच्छता सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से भारत के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन देखने को मिले। इस कार्यक्रम ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाया बल्कि इस कार्यक्रम ने समाज में स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना और सुधार की लहर पैदा की थी। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, पोषण सुधार कार्यक्रम, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़े थे। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण और शहरी भारत में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई अभियान संचालित किये गये थे। इस कार्यक्रम ने लोगों को यह ज्ञान कराया कि स्वच्छता केवल एक बेहतर स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है बल्कि यह समाज की सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना में बदलाव लाने का भी एक माध्यम है। इसने समाज को सामूहिकता की भावना से जोड़ने का भी कार्य किया था।

12.12 पाचंवी पंचवर्षीय योजना और स्वच्छता कार्यक्रमों की स्थिति 1974-1979 (Fifth Five Year Plan and Status of Sanitation Programmes)

पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974-1979 था। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रीमण्डल ने शुरू की थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। इस पंचवर्षीय योजना में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया था। स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए इस पंचवर्षीय योजना में जो व्यवस्था की गई थी, उसको निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है-

(i) सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना।
(ii) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल की आपूर्ति करना।
(iii) मातृ मृत्यु एंव शिक्षा मृत्यु दर को कम करना।
(iv) शिक्षा और स्वास्थ्य की पहुँच को बढ़ाना।
(v) शौचालयों का निर्माण तथा कूड़े-कचड़े के प्रबंधन और निष्पादन का कार्य करना।

इस पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए किये गये प्रावधानों से स्वास्थ्य और स्वच्छता की, सुविधाओं की पहुंच आम जन मानस तक पहुंची। स्वच्छता कार्यक्रमों ने ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया था। मातृ-मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आयी। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ने लगी थी। इस पंचवर्षीय योजना में स्वच्छता के लिए जन मानस की सहभागिता बढ़ने लगी। इस प्रकार शिक्षार्थियों आप समझ सकते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमों से, सामाजिक-असमानता के स्थान पर

सामाजिक-समानता, समाज का सशक्तिकरण तथा महिलाओं और शिशुओं की स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले थे।

12.13 केन्द्रीय-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 (Central Rural Sanitation Programme 1986)

शिक्षार्थियों इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात् श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। केन्द्रीय-ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मंत्रीमण्डल के द्वारा लागू किया गया कार्यक्रम था। जो भारत की सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990) में शामिल एक योजना थी। इस कार्यक्रम को सी0आर0पी0एस0 (Central-Rural Sanitation Programme) के नाम से भी जाना जाता है। स्वच्छता के लिए इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बिन्दुओं को शामिल किया गया था-

(i) हर घर में शौचालय हो तथा खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया जाय।
(ii) जहां पर व्यक्तिगत शौचालय बनाना संभव नहीं हैं वहां पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाय।
(iii) लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के आपसी संबंध का ज्ञान कराना।
(iv) महिलाओं को स्वच्छता अभियान में सक्रिय जिम्मेदारी देना।
(v) जल को प्रदूषित होने से बचाना।

इस कार्यक्रम ने पारम्परिक शौच के तरीकों और प्रथाओं को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे नगरीय और ग्रामीण भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति नयी सोच विकसित हुई। इस कार्यक्रम ने भारत में स्वच्छता सुधार की दिशा में नये आयाम स्थापित करने का कार्य किये थे। क्योंकि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना था।

12.14 पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 (Total Sanitation Campaign 1999)

शिक्षार्थियों भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में स्वच्छता तथा स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। क्योंकि जब स्वच्छता होगी तब लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य विकास था इसलिए इन कार्यक्रमों में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बिना विकास की कल्पना करना संभव नहीं था। भारत में पूर्ण स्वच्छता अभियान (Total Sanitation Campaign) की शुरूवात वर्ष 1999 में श्री अटल बिहारी बाजपेयी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के द्वारा शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम भारत की नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का हिस्सा था। शिक्षार्थियों इस कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए निम्न व्यवस्था की गयी थी-

(i) ग्रामीण समाज के उन परिवारों को शौचालयों के निर्माण हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता करना जो शौचालयों के निर्माण करने में असमर्थ हैं।

(ii) आँगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों का निर्माण करना।

(iii) स्वच्छता से संबंधित शिक्षा का प्रचार-प्रसार करके समाज को जागरूक करना।

(iv) कूड़े-कचड़े का उचित प्रबंधन और निष्पादन करना।

(v) स्थानीय समुदायों को स्वच्छता सुधार कार्यक्रमों में शामिल करना।

(vi) खुले में शौच की परम्परा को समाप्त करना।

(vii) महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करवाना, जिससे उनकी सुरक्षा और गरिमा को बढ़ाया जा सके।

(viii) आम जन समुदायों और महिलाओं को स्वच्छता कार्यक्रमों में शामिल करवाना।

पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 कार्यक्रम ने ग्रामीण भारत के क्षेत्रों में स्वच्छता तथा स्वच्छता को बनाये रखने की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया था। इस कार्यक्रम ने स्वच्छता को समुदायिक आंदोलन के रूप में विकसित करने का कार्य किया था। इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में लोगों के द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाया गया। आँगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण हुआ। खुले में शौच की प्रथा को बंद करने की दिशा में आम जनमानस ने सोचा कि खुले में शौच की परम्परा से समाज में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। कुल मिलाकर देखा जाय तो इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली तथा स्वच्छता कार्यक्रमों में लोगों की, भागीदारी में बढ़ोत्तरी देखने को मिली थी। इस अभियान की सफलता ने भविष्य में स्वच्छ भारत अभियान जैसे स्वच्छता से संबंधित बड़े कार्यक्रमों की नींव रखने का कार्य किया था।

12.15 निर्मल भारत अभियान 2012 (Clean India Campaign 2012)

निर्मल भारत अभियान 2012 कार्यक्रम प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के मंत्रीमण्डल के द्वारा जारी किया गया, एक कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम पूर्ण स्वच्छता अभियान 1999 का एक उन्नत संस्करण था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की पहुंच को आम जनमानस तक पहुंचाना और खुले में शौच की परम्परा को समाप्त करना था। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों पर निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से इस इकाई में चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करना।
(ii) व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्थानों पर सरकार के द्वारा शौचालयों के निर्माण में सहायता करना।
(iii) स्वच्छता की सुविधाओं के रख-रखाव के लिए स्थानीय निकायों और समुदायों की भागेदारी को सुनिश्चित करवाना।
(iv) स्वच्छता कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
(v) ठोस और तरल कचरे के प्रबंधंन की समुचित व्यवस्था करना।

निर्मल भारत अभियान ने लोगों को स्वच्छता और स्वच्छता से जुड़ी आदतों को अपने व्यवहारों में लाने के लिए प्रेरित करने का काम किया। जिससे लोगों का समाज में स्वच्छता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। स्वच्छता की सुविधाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भरता और खर्च में कमी देखने को मिली। स्वच्छता की सुविधाओं की प्रर्याप्ता के कारण ग्रामीणों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले। इस अभियान ने स्वच्छता से संबंधित आगे के कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्य किया।

12.16 स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम 2014 (Clean India Mission Programme 2014)

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरूवात 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) यानि (Open Defection Free) बनाने और स्वच्छता के स्तर में व्यापक सुधार लाना था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब एवं वंचित वर्गों को स्वच्छता की सुविधाओं से जोडना था। यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं शहरी यानी सम्पूर्ण भारत में लागू किया गया था, शिक्षार्थियों इसके उद्देश्यों पर यहां पर चर्चा करने की कोशिश की जा रही है-

(i) देश के सभी गांवों, कस्बो और शहरों को वर्ष 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ODF) बनाना।
(ii) ग्रामीण और शहरी भारत के क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना।
(iii) स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के आपसी संबंध के विषय में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना।
(iv) ठोस एवं तरल कूड़े-कचड़े के निस्तारण के लिए बुनियादी ढांचों का विकास करना।
(v) स्थानीय समुदायों को स्वच्छता के कार्यक्रमों से जोड़ना।
(vi) स्वच्छता को बनाये रखने से संबंधित सेवाओं के रख-रखाव पर ध्यान देना।

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से ग्रामीण और शहरी समुदायों की स्वच्छता के प्रति सकारात्मक मानसिकता में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। खुले में शौच की परम्परा के स्थान पर शौचालयों में शौच करने की परम्परा विकसित हुई। खुले में शौंच की परम्परा के बंद होने से लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आये। यह कार्यक्रम भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण समाजिक सुधार कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम ने समाज में न केवल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार किया बल्कि इसने लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक परिवर्तन छोड़े हैं। इस कार्यक्रम के व्यापक प्रचार एवं प्रसार ने समाज में सामाजिक समानता, सामुदायिकता की भावना की प्रगाढ़ता, महिला सशक्तिकरण तथा लोगों की साफ-सफाई एवं स्वच्छता के प्रति मानसिकता को बदलने में अपना व्यापक प्रभाव छोड़ा है।

12.17 गंगा स्वच्छता अभियान (नमामिगंगे) 2014 (Ganga Cleanliness Campaign (Namami Gange) 2014)

गंगा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के तहत गंगा और उसकी सहायक नदियों की साफ-सफाई को प्रमुख प्राथमिकता देना इस कार्यक्रम के उद्देश्य हैं-

(i) गंगा और उसकी सहायक नदियों की साफ-सफाई की व्यवस्था करना।
(ii) गंगा के किनारे स्थित घाटों और शवदाह स्थलों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए कार्य करना।
(iii) गंगा के किनारे वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देना।
(iv) गंगा में गिरने वाले औद्योगिक अपशिष्ट को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करना।

इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से गंगा नदी के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के स्तर पर सुधार देखा गया। जल जनित बीमारियों में कमी देखने को मिली। गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता से धार्मिक और पर्यटन स्थलों की स्थिति में सुधार हुआ, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला। इससे रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। गंगा नदी हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नमामी गंगे योजना के सफल क्रियान्वयन से गंगा नदी के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर व्यापक प्रभाव पड़े हैं।

12.18 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- द्वितीय (Swachh Bharat Misson (Gramin) Phase-II)

स्वच्छ भारत मिशन 2014 के पहले चरण की सफलता के बाद, मोदी सरकार ने इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में, गांवों में ठोस और तरल कूड़े-कचड़े के प्रबंधंन और प्लास्टिक कचड़े के निपटान की व्यवस्था को इस कार्यक्रम में शामिल किया है।

12.19 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी चरण द्वितीय) (Swachh Bharat Mission (Urban Phase-II)

यह कार्यक्रम एक अक्टूबर 2021 को लागू किया गया। इस चरण में शहरों में ठोस एवं तरल कचड़ा प्रबंधंन और स्वच्छता से संबंधित अन्य पहलूओं पर ध्यान केन्द्रित करना है। इस चरण में शहरों को कचड़ा मुक्त करने पर जोर दिया गया है।

12.20 स्चच्छता ही सेवा अभियान (Cleanliness is Service Campaign)

इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की दशवी वर्षगांठ के अवसर पर किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाना है।

12.21 सिंगल यूज प्लास्टिक प्रबंधन अभियान (Singal Use Plastic Ban Campaign)

2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रमों और नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है।

12.22 स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता (4S) (Nature Cleanliness Culture Cleanliness Campaign)

यह कार्यक्रम 17 सितम्बर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक (4S) अभियान के नाम से चलाया गया था। इस अभियान में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

12.23 सारांश (Summary)

शिक्षार्थियों इस इकाई के अध्ययन के बाद आप स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों के समाजशास्त्रीय महत्व के विषय में जान पाये होगें। भारत में स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता और महत्व के विषय में भी आपका ज्ञार्नाजन बढ़ा होगा। इस इकाई में आपने स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के तहत, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात् हमारी सरकारों के द्वारा स्वच्छता के लिए चलाये गये कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में भी ज्ञान प्राप्त किया होगा। साथ ही इस इकाई में आपने हमारी वर्तमान सरकार के द्वारा स्वच्छता से संबंधित चलाये गये कार्यक्रमों एवं नीतियों तथा इन नीतियों और कार्यक्रमों के समाज में महत्व के विषय में भी ज्ञान प्राप्त किया होगा।

12.24 संदर्भ सूची (Reference list)

1. ज्योति, अशोक कुमार (2015) ''महात्मा गांधी तथा स्वच्छता का समाजशास्त्र'' प्रकाशन महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा।
2. नागला, बी0के0 (सम्पादक) (2023) ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन जयपुर
3. ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम का परिचय''http://ebook&inflibnet.ac.in
4. “swachh Bhart Misson-SBM Urban 2.0, https://sbmurban.org
5. ''स्वच्छ भारत अभियान'', **] https://mohua.gov.in

12.25 निबंधात्मक प्रश्न (Essay questions)

1. भारत में स्वच्छता की नीतियों और कार्यक्रमों के समाजशास्त्रीय महत्व पर चर्चा कीजिए।
2. स्वच्छता से संबंधित चलाये गये कार्यक्रमों के विषय में प्रकाश डालिए।
3. स्ववंत्रता के बाद भारत में चलाये गये स्वच्छता कार्यक्रमों के नाम और उनके उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए।

4. ''स्वच्छ भारत अभियान मिशन कार्यक्रम ने खुले में शौंच की परम्परा को समाप्त करने का कार्य किया है।'' इस कथन की विवेचना कीजिए।

5. समाज में स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रभाव के विषय में एक समाजशास्त्रीय निबंध लिखिए।

6. स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता में सामुदायिक भावना के महत्व पर प्रकाश डालिए।

इकाई- 13 स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन और उपयोग
Implementation and use of Sanitation Programmes

इकाई की रूपरेखा

13.0 उद्देश्य

13.1 परिचय

13.2 सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के उद्देश्य

13.3 स्वच्छता कार्यक्रम क्या हैं?

13.4 स्वच्छता कार्यक्रम की भूमिका

13.5 स्वच्छता कार्यक्रमों के उद्देश्य

13.6 भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकता और कारण

13.7 स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया

13.8 स्वच्छता कार्यक्रमों के लाभ और प्रभावशीलता

13.9 स्वच्छता कार्यक्रमों का मूल्यांकन

13.10 स्वच्छता कार्यक्रमों के सम्मुख चुनौतियां

13.11 स्वच्छता कार्यक्रमों में सुधार एवं भविष्य की दिशा

13.12 सारांश

13.13 शब्दावली

13.14 संदर्भ सूची

13.15 निबंधात्मक प्रश्न

13.0 उद्देश्य (Objective)

शिक्षार्थियों इस इकाई में आप

- सरकारी योजनाओं एवं उनके उद्देश्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
- स्वच्छता कार्यक्रम क्या हैं? स्वच्छता कार्यक्रमों की समाज में भूमिका एवं महत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
- आप भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकता एवं उसके कारणों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
- स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, प्रभावशीलता, मूल्यांकन तथा इनमें आने वाली चुनौतियों के विषय में ज्ञानार्जन कर सकते हैं।
- स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं इनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

13.1 परिचय (Introduction)

शिक्षार्थियों आप सब इस कथन से भलिभांति अवगत होंगे कि ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ्य मस्तिष्क का वास'' होता है, स्वस्थ शरीर के लिए हमारे वातावरण का स्वस्थ होना आवश्यक होता है। हमारा शरीर या स्वास्थ्य तब ही स्वस्थ रह सकता है जब हमारे चारों ओर का वातावरण स्वच्छ हो। इस प्रकार समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वच्छता अनिवार्य हो जाती है। इसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यदि किसी भी समाज के लोगों के द्वारा स्वच्छता को नजरअंदाज किया जाता है तब इसका खामियाजा सम्पूर्ण समाज के लोगों को उठाना पड़ता है। शिक्षार्थियों आप सब जानते हैं कि व्यक्तियों से मिलकर ही परिवार, पड़ोस, समाज और राष्ट्र का निमार्ण होता है। व्यक्ति ही मिलकर इन सबका निमार्ण करते हैं। यदि समाज में रहने वाले व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं होंगे तब हम एक स्वस्थ परिवार, स्वस्थ पड़ोस, स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कैसे कर पायेंगे? इस बात से तो अब आप सब सहमत हो गये होंगे कि स्वच्छता और स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? यदि स्वच्छता की अनदेखी की गई तो इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है।

शिक्षार्थियों आप सभी को स्वच्छता को बनाये रखने तथा इसका पालन करने के लिए, आपके परिवारों एवं स्कूलों में भी बताया गया होगा। लेकिन आपको स्वच्छता का पालन केवल अपने घरों एवं स्कूलों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखकर अपने देश के हित में भी स्वच्छता से संबंधित अपने कतर्व्यों का समुचित निर्वहन करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकारें भी, चाहे वे स्वतंत्रता के बाद की सरकारें हो या वर्तमान समय की सरकार हो, सभी स्वच्छता को अपनी प्रमुख प्राथमिकताओं में स्थान देती हैं।

हमारी सरकारों का भी मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे नागरिक स्वस्थ रहें। इसलिए सरकारें स्वच्छता को बनाये रखने एवं इसके रखरखाव के लिए सरकारी कार्यक्रमों, सरकारी योजनाओं एवं सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करती हैं। स्वच्छता से संबंधित इन कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समय में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरूवात की है। जिसका मुख्य उद्दे्श्य देश में स्वच्छता को स्थापित कर देश को विकास की गति देना है। यदि हमारा देश स्वच्छ रहेगा तब लोग कम बीमार पड़ेगें, महामारियां नहीं फैलेगी तथा बीमारियों में लोगों का पैसा कम खर्च होगा। जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस पैसे को देश के विकास में लगाया जायेगा। इस प्रकार शिक्षार्थियों आपने देखा कि स्वच्छता कैसे देश के समग्र विकास में अपना योगदान देती है। इस इकाई को शुरू करने से पहले हम स्वच्छता कार्यक्रमों के विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्वच्छता कार्यक्रम हैं क्या? इन कार्यक्रमों का समाज में क्या योगदान है? क्या इन कार्यक्रमों से समाज में स्वच्छता की स्थिति में सुधार होता है? क्या ये स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम प्रत्येक समाज के लिए आवश्यक हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तरों को जानने से पहले हम सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के उद्देश्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।

13.2 सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के उद्देश्य (Objectives of Government Programmes and Schemes)

शिक्षार्थियों कोई भी सरकारी योजनाऐें एवं कार्यक्रम हांे उनका उद्देश्य समाज और देश के विभिन्न क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण आदि अनेकों अनगिनत क्षेत्रों में सुधार, विकास और लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना होता है। जिससे देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तथा लोगों में आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, स्वच्छता सेवाओं में सुधार, लैगिक समानता, महिला सशक्तिकरण एवं रेल, सड़क एवं परिवहन के बुनियादी ढांचों के विकास को गति मिलती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सरकारी योजनाऐं एवं कार्यक्रमों से समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास और कल्याण होता है।

13.3 स्वच्छता कार्यक्रम क्या है? (What is the Cleanliness Programmes)

स्वच्छता समाज की सामाजिक संरचना की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छता समाज के नागरिकों के स्वास्थ्य, उत्पादकता तथा जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार लाने का कार्य करती हैं। स्वच्छता कार्यक्रमों से आशय ऐसे कार्यक्रमों या योजनाओं से है जो मुख्य रूप से समाज में स्वच्छता तथा स्वच्छता को बनाये रखने, स्वच्छता को बढ़ावा देने, वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने की दिशा से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करते हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य अस्वच्छता को दूर करके स्वच्छता को कायम करना होता है। साथ ही इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य बीमारियों, महामारियों की रोकथाम करके स्वस्थ वातावरण का निमार्ण करना होता है। ये स्वच्छता के कार्यक्रम समाज के सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने का तो कार्य करते ही हैं

साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, आर्थिक संवृद्धि, सामुदायिकता, जागरूकता तथा लैगिक समानता की स्थिति को भी समाज में मजबूत करने का कार्य करते हैं।

हमारे देश में हमारी सरकारों ने स्वतंत्रता के बाद से वर्तमान तक अनेकों स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया है। क्योंकि सरकारें चाहे कोई भी हों वे अपने नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती हैं। यह सब तभी संभव हो पाता है जब देश के नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर हो। इसलिए चाहे आजादी के बाद की सरकारें हों या वर्तमान समय की सरकार हो, सबने स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रमुख प्राथमिकता दी है। इस प्रकार शिक्षार्थियों स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम न केवल समाज के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि ये समाज के सदस्यों को स्वच्छता के प्रति जागरूक, संगठित और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने का भी कार्य करते हैं। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, टोटल सेनिटेशन कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज II, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) फेज II ओ0डी0एफ0 प्लस अभियान, गार्वेज फ्री सिटी, गोबर योजना, स्वच्छ विद्यालय अभियान, नमामिगंगे योजना तथा प्लास्टिक मुक्त भारत जैसे अनेकों कार्यक्रम स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम हैं। शिक्षार्थियों इकाई 12 में ''स्वच्छता की नीतियां और कार्यक्रमों में स्वच्छता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।

13.4 स्वच्छता कार्यक्रमों की भूमिका (Role of Sanitation Programmes)

शिक्षार्थियों जैसा कि आपने पूर्व की इकाईयों में भी पढ़ा होगा कि स्वच्छता न सिर्फ व्यक्तियों की व्यक्तिगत आवश्यकता है बल्कि यह सम्पूर्ण समाज की आवश्यकता है। हमारी सरकारों के द्वारा चलाये गये स्वच्छता कार्यक्रम समाज को स्वस्थ एवं खुशहाल रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वच्छता कार्यक्रमों से सम्पूर्ण समाज की सामाजिक संरचना के सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, सामाजिक-शैक्षणिक पक्ष भी मजबूत होते हैं। स्वच्छता से बीमारियों एवं महामारियों की रोकथाम कर लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले व्ययों को भी कम किया जाता है। इस प्रकार स्वच्छता कार्यक्रमों से मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा व्यय में कमी, महिलाओं, बुर्जुर्गों एवं बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतर स्थिति, सतत् एवं पर्यावरण विकास में वृद्धि के साथ स्थानीय एवं पयर्टन व्यवसायों में भी वृद्धि होती है। ये सब समाज की उन्नति एवं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।

13.5 स्वच्छता कार्यक्रमों के उद्देश्य (Objectives of Sanitation Programmes)

स्वच्छता समाज का एक ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण विषय है। स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध होता है। स्वच्छता समाज के लोगों के स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति और पर्यावरणीय विकास को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षार्थियों यहां पर हम स्वच्छता कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर चर्चा कर रहे हैं। आशा है कि इससे आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि होगी।

(i) सम्पूर्ण भारत को खुले में शौंच मुक्त बनाना।
(ii) लोगों के लिए शौचालयों का निर्माण करवाना।
(iii) सार्वजनिक शौचालयों एवं स्नानघरों का निर्माण करवाना।
(iv) सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करवाना।
(v) ठोस एवं तरल कूड़े-कचड़े का प्रबंध एवं निष्पादन की समुचित व्यवस्था करना।
(vi) स्वच्छता के प्रति जनसमुदाय को जागरूक करना तथा जनसमुदाय की स्वच्छता कार्यक्रमों में भागेदारी सुनिश्चित करना।
(vii) नदियों की साफ-सफाई एवं सीवरेज सिस्टम को चुस्त-दुरस्त करना।
(viii) स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव के लिए कार्य करना।
(ix) पर्यावरण की स्वच्छता और सतत् विकास के लिए कार्य करना। जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके।
(x) स्वच्छता की सुविधाओं की आम जन मानस तक पहंुच को बनाना जिससे समाज में सामाजिक-असमानता को दूर किया जा सके।

शिक्षार्थियों इस प्रकार आप सभी समझ सकते हैं कि भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों का उद्देश्य सिर्फ साफ-सफाई तक सीमित नही है। बल्कि स्वच्छता कार्यक्रमों के उद्देश्य, देश के समग्र विकास को निर्धारित करना है। जिससे यहां रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का जीवन स्तर तथा रहन-सहन बेहतर हो सके।

13.6 भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकता और कारण (Need and reasons for Sanitation Programmes in India)

जैसा कि शिक्षार्थियों पूर्व की इकाई में भी बताया गया है कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से एक बड़ा देश है। जहां गांवों एवं नगरों में लोग रहते हैं। भारत की अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण यहां पर सभी तरह के लोगा निवास करते हैं। चाहे वे गरीब हों या अमीर। इतनी बढ़ी जनसंख्या में सभी व्यक्ति तो सामाजिक-आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं कि वे स्वच्छता से संबंधित आधारभूतत संरचनाओं का निर्माण स्वयं कर सकें। यहां पर रहने वाले अधिकांश लोगों का संघर्ष दो जून की रोटी के लिए होता है। जिस कारण से ये लोग स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों जैसे शौचालयों का निर्माण स्वयं कर पाने में असमर्थ होते हैं। ये लोग खुले में शौंच करने को मजबूर होते हैं। इनके खुले में शौंच करने के कारण आस-पास का वातावरण एवं पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। जिस कारण से इनका और इनके आस-पास रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य की समस्याऐं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसा कि शिक्षार्थियों आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया है कि हमारी सरकारों के लिए देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। चाहे वह व्यक्ति गंाव में रहता हों या नगरों में उसका कल्याण एवं विकास हमारी सरकारों की प्रमुख प्राथमिकता होती है। इसलिए प्रत्येक सरकारों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उन नागरिकों के लिए जो स्वच्छता तथा स्वच्छता को बनाये रखने की सुविधाओं से

वंचित हैं उन्हें इनकी सुविधाएं प्रदान करना। चूंकि ये खुद इन स्वच्छता की सुविधाओं का निर्माण कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हमारी सरकारों के द्वारा स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया जाता है। शिक्षार्थियों यहां पर हम स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारणों के विषय में भी निम्नलिखित बिंदुओं में चर्चा कर रहे हैं-

(i) समाज के उन वंचित वर्गों के लिए शौचालयों का निर्माण करवाना या उनको वित्तीय सहायता देना जो लोग इनका निर्माण कर पाने में असमर्थ हैं।

(ii) वंचित वर्गों की स्वच्छता की सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना जिससे समाज की सामाजिक-असमानता को दूर किया जा सके।

(iii) अस्वच्छता के कारण फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम करना। जिससे आम जन मानस के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके।

(iv) खुले में शौंच की परम्परा से निजात दिलाने के लिए स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू किया जाता है।

(v) जल स्रातों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू किया जाता है।

(vi) अस्वच्छता के कारण लोग बीमार न पड़े जिसका असर उत्पादन की प्रक्रिया पर पड़ता है। इसलिए स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है।

(vii) लोगों की स्वच्छता के प्रति सकारात्मक मानसिकता के लिए इन कार्यक्रमों की आवश्यकत होती है।

(viii) स्वच्छता से देश की राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय छवि में सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं।

(ix) स्वच्छता कार्यक्रमों से पर्यावरण की रक्षा होती है जिससे देश का सतत् विकास होता है।

(x) स्वच्छता कार्यक्रमों से महिलाऐं सशक्त होती है।

भारत में स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारणों के पीछे मुख्य रूप से व्यक्ति, समाज, पर्यावरण, स्वास्थ्य और आर्थिक संवृद्धि जुड़ी हुई है। यह तभी संभव है जब देश में निवास करने वाले सम्पूर्ण व्यक्ति स्वच्छ रहेगें।

13.8 स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया (Procedure for implementation of Sanitation Programmes)

(i) सबसे पहले स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले समाज में अस्वच्छता से संबंधित समस्याओं का निर्धारण किया जाता है। यानी समस्या को चिन्हित किया जाता है।

(ii) स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पहले सरकार इससे संबंधित नीतियों का निर्माण करने का कार्य करती है। इसमें स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकताओं का आंकलन एवं उद्देश्यों को निर्धारित करने का कार्य किया जाता है। तत्पश्चात् इसका ड्राफ्ट (Draft) तैयार किया जाता है।

(iii) योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त, मानव संसाधन, तकनीकी सहायता के साथ-साथ अन्य उन संसाधनों की व्यवस्था की जाती है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अति आवश्यक होते हैं।

(iv) योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार नियमों, कार्य प्रणालियों का निर्माण करती हैं। इसके साथ ही कौन-कौन से विभाग इस योजना के लिए कार्य करेंगे उन विभागों के दायित्वों का निर्धारण करने का कार्य करती हैं।

(v) योजना को स्थानीय एवं जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। स्थानीय प्रशासन के क्या-क्या दायित्व एवं कत्तव्र्य होगें, इन सबका निर्धारण कार्यान्वयन से पूर्व किया जाता है।

(vi) स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता के लिए उन आधारभूत सुविधाओं के निर्माण के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है, जो इन कार्यक्रमों की सफलता के लिए आवश्यक हैं।

(vii) कार्यक्रम का कार्यान्वयन से पूर्व सरकार सरकारी, गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का भी निर्धारण करती है।

(viii) योजना के लाभार्थी कौन-कौन होगें इसके लिए सरकार पहले ही नियम बनाती है।

(ix) स्वच्छता के कार्यक्रमों को लागू करने से पहले इसको छोटे स्तर यानि कुछ क्षेत्रों में ही लागू करने की प्रक्रिया पर जो दिया जाता है। ताकि इसके प्रभाव को देखा जा सके।

(x) स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावशीलता के लिए जन-जागरूकता कार्यक्रमों में खर्च होने वाले बजट की व्यवस्था का कार्य सरकार करती है।

(xi) कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए कौन-कौन से नवाचार किये जा सकते हैं। इसके विषय में उन नवाचारों पर जोर दिया जाता है।

(xii) स्वच्छता योजना के क्रियान्वयन के बाद कार्यक्रम की निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation) की व्यवस्था की जाती है।

(xiii) स्वच्छता कार्यक्रमों ने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त किया है या नहीं इसका मूल्यांकन किया जाता है।

(xiv) योजना में कोई यदि कोई कमी या समस्या हो तब उस स्थिति में फीडबैक के आधार पर उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाता है।

13.9 स्वच्छता कार्यक्रमों के लाभ और प्रभावशीलता (Benefits and Effectiveness of Sanitation Programmes)

शिक्षार्थियों जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि स्वच्छता कार्यक्रमों में क्रियान्वयन से पूर्व कई प्रक्रियाओं और चरणों का पालन किया जाता है। ये प्रक्रियाऐं इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि स्वच्छता कार्यक्रम प्रभावी, स्थायी और लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्षम हैं। आप सब इस बात से अवगत होंगे कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम को सफल

बनाने के लिए व्यापक योजना और आवश्यक नीति-निर्माण और जनमानस की सकारात्मक भागीदारी आवश्यक होती है। तभी वह कार्यक्रम धरातल पर सही होता है। यहां पर हम स्वच्छता कार्यक्रमों के लाभ और प्रभावशीलता के विषय में चर्चा कर रहे हैं।

स्वच्छता से व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति में **(Cleanliness benefits individual and public health)** भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों के उपयोग से भारतीय समाज को जो लाभ हुए हैं इनको निम्न बिन्दुओं के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है-

(i) समाज में अस्वच्छता के कारण फैलने वाली बीमारियों जैसे डायरिया, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जैसी बीमारियों के मामले में कमी देखने को मिल रही है।
(ii) स्वच्छता कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जल एवं नदियों को प्रदूषित होने के स्तर में कमी आई है। क्योंकि साफ पानी सभी की आवश्यकता होता है। अस्वच्छ पानी पीने के कारण लोग बीमार पड़ जाते हैं।
(iii) ठोस एवं तरल कूड़े-कचड़े के उचित प्रबंधन एवं निष्पादन से संक्रमित बीमारियों की रोकथाम हुई है।
(iv) शौचालयों की पर्याप्त उपलब्धता से व्यक्तियों और समुदायों की स्वास्थ्य की स्थिति पहले से बेहतर हुई है।
(v) शौचालयों एवं साफ-सफाई की उचित व्यवस्था के परिणामस्वरूप बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की स्थिति में सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

स्वच्छता के सामाजिक लाभ (Social benefits of Cleanliness)

(i) समाज के सभी वर्गों के पास शौचालयों की उपलब्धता होने से समाज में सामाजिक-असमानता में कमी आई है।
(ii) स्वच्छता कार्यक्रमों ने जाति और वर्ग आधारित भेद-भावों को समाज से दूर करने में मदद की है।
(iii) स्वच्छता कार्यक्रमों से समाज में सामाजिक-समानता में बढ़ोत्तरी हुई है।
(iv) स्कूलों, कॉलेजलेजो और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त शौचालयों की उपलब्धता होने से बालिकाओं के प्रवेश की दर में बढ़ोत्तरी तथा स्कूल, कॉलेजलेज छोड़ने की दर में कमी आई है।
(v) हर घर में शौचालयों की उपलब्धता से महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा में बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है।
(vi) स्वच्छता कार्यक्रमों ने समाज में सामुदायिकता की भावना को विकसित करने में योगदान दिया है।

स्वच्छता के पर्यावरणीय लाभ (Environmental benefits for Cleanliness)

(i) खुले में शौंच की परम्परा के रोकथाम से जल स्रोत कम प्रदूषित हो रहे हैं।

(ii) ठोस एवं तरल कूड़े-कचड़े के प्रबंधन और निष्पादन से वातावरण साफ हो रहा है। प्लास्टिक के कूड़े-कचड़े को सड़क के निर्माण में प्रयोग करने से, प्लास्टिक के ढेरों में कमी देखने को मिल रही है।

(iii) कूड़े-कचरे को जलाने की परम्परा में रोकथाम देखने को मिल रही है। जिससे वातावरण में जहरीली गैसों के प्रभाव में कमी देखने को मिल रही है।

(iv) स्वच्छता प्रणालियों में सुधार के कारण पर्यावरणीय एवं सतत् विकास की प्रक्रिया में प्रभावशीलता देखने को मिल रही है।

स्वच्छता के आर्थिक लाभ (Economic benefits of Cleanliness)

(i) अस्वच्छता के कारण जो महामारियाँ फैलती थीं उनमें कमी हो रही है। इससे देश के नागरिकों का स्वास्थ्य में होने वाले खर्च में कमी आ रही है।

(ii) ग्रामीण एवं शहरी भारत में स्वच्छता के कारण पर्यटन उद्योग को गति मिल रही है।

(iii) स्वच्छता से संबंधित रोजगारों के सजृन होने से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।

(iv) शौचालयों के निर्माण एवं रखरखाव में लोगों को रोजगार मिल रहा है।

इस प्रकार शिक्षार्थियों आप समझ सकते हैं कि स्वच्छता कार्यक्रमों से न सिर्फ हमारा पर्यावरण बेहतर हुआ है, बल्कि इन कार्यक्रमों ने समाज के सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक तथा सामाजिक-शैक्षणिक पहलुओं के सभी पक्षों में सुधार करने का प्रयास किया है। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम ने तो खुले में शौंच की परम्परा को समाप्त कर दिया है। आज सभी घरों में शौचालय उपलब्ध हैं चाहे वे ग्रामीण हो या नगरीय। ग्रामीण भारत और शहरी भारत के सभी घरों में शौचालयों की उपलब्धता से आज अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों की दरों में कमी देखी गयी है। लोगों के जीवन स्तर तथा रहन-सहन में सुधार देखा गया है। स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का ही परिणाम है कि इसने व्यापक स्तर पर समाज को जोड़ने का काम किया है, तथा स्वच्छता के विषय में लोगों का नजरियां बदलने का काम भी स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम ने किया है। समाज के अधिकतर लोग अब स्वच्छता को व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ-साथ सामुदायिक जिम्मेदारी के रूप में देखने लगे हैं।

13.10 स्वच्छता कार्यक्रमों का मूल्यांकन (Evaluation of Sanitation Programmes)

शिक्षार्थियों किसी भी सरकारी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने से कार्यक्रम की सार्थकता के विषय में जरूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही मूल्यांकन से यह भी ज्ञात किया जा सकता है कि कार्यक्रम जिनके लिए

चलाया गया है वे वास्तव में कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं या नहीं। क्या कार्यक्रम ने अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की है? ये सब तत्व किसी कार्यक्रम की प्रभावशीलता के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। स्वच्छता कार्यक्रमों का मूल्यांकन कैसे किया जाये या कौन से तरीके को अपनाया जाये इसके विषय में यहां पर चर्चा करने की कोशिश की जा रही है।

स्वच्छता कार्यक्रमों का मात्रात्मक मूल्यांकन किया जाये (Sanitation Programmes Should be Evaluated Quantitatively)

(i) मात्रात्मक मूल्यांकन में हम स्वच्छता कार्यक्रमों से संबंधित बुनियादी ढांचों जिसमें शौचालयों के निर्माण की संख्या आदि को जानने के लिए आंकड़े ले सकते हैं।
(ii) स्वच्छता कार्यक्रमों के संचालन के बाद, अस्वच्छता से संबंधित बीमारियों की दरों में कमी को देखने के लिए आंकड़े ले सकते हैं।
(iii) खुले में शौंच की स्थिति को जानने के लिए पुनः सर्वेक्षण कर सकते हैं।

स्वच्छता कार्यक्रमों का गुणात्मक मूल्यांकन किये जाये (A Qualitative evaluation of Sanitation Programmes Should be done)

(i) इसमें हम समाज के लोगों की स्वच्छता कार्यक्रमों के विषय में राय या उनकी मनोवृत्ति को जान सकते हैं।
(ii) लोगों के जीवन में स्वच्छता कार्यक्रमों के क्या प्रभाव पड़े हैं? से संबंधित आंकड़ों को ले सकते हैं।
(iii) लाभार्थी समूहों का साक्षात्कार किया जा सकता है।
(iv) लोगों की स्वच्छता के प्रति पुरानी मान्यताओं में बदलाव आया है या नहीं इसके विषय में जान सकते हैं।

सामुदायिक भागेदारी का मूल्यांकन कर सकते हैं (Can evaluate Community Participation)

(i) स्वच्छता कार्यक्रमों में महिलाओं और युवाओं की सक्रियता से संबंधित आकड़े प्राप्त कर सकते हैं।
(ii) स्थानीय निकायों के द्वारा किये गये स्वच्छता के कार्यो के विषय में जान सकते हैं।
(iii) स्वच्छता में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से संबंधित आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं।

स्वच्छता का आर्थिक मूल्यांकन कर सकते हैं (Can do economic evaluation of Sanitation)

(i) इसमें हम स्वच्छता कार्यक्रमों की योजनाओं में लगे व्यय और लागत का मूल्यांकन कर सकते हैं।

(ii) स्वच्छता से स्वास्थ खर्च में आई कमी की दर को जान सकते है।

(iii) शौचालयों के निमार्ण में सरकारी सब्सिडी और कुल बजट का मूल्यांकन कर सकते हैं।

(iv) स्वच्छता से स्थानीय कारोबार, स्थानीय पर्यटन पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

शौचालयों का तकनीकी मूल्यांकन कर सकते हैं (Can do technical evaluation of the toilets)

(i) शौचालयों के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकते हैं।

(ii) स्वच्छता के लिए किये गये नवाचारों की सार्थकता का मूल्यांकन कर सकते हैं।

शिक्षार्थियों ये सब स्वच्छता कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने के तरीके हैं। इन तरीकों से हम स्वच्छता कार्यक्रमों की वास्तविक स्थिति को जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता कार्यक्रमों की निगरानी, फीडबैक, राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय संस्थानों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रमों का आंकलन, स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता का विश्लेषण तथा स्वच्छता कार्यक्रमों का पर्यावरणीय प्रभाव आदि के द्वारा भी स्वच्छता कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर सकते हैं।

3.11 स्वच्छता कार्यक्रमों के सम्मुख चुनौतियाँ (Challenges facing Sanitation Programmes)

शिक्षार्थियों किसी भी सरकारी कार्यक्रम के सफल संचालन एवं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी होनी आवश्यक होती है। जिससे कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में आसानी होती है। हमारी सरकारें सम्पूर्ण समाज के उत्थान एवं विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती है, जिससे समाज का उत्थान हो सके। जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया गया है कि कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए लोगों के सहयोग का होना नितांत आवश्यक होता है। जिससे कार्यक्रम सफल होते हैं। शिक्षार्थियों भारत एक विशाल देश है जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ की है। इतनी बड़ी जनसंख्या में यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मुनष्य शिक्षित, समझदार एवं सकारात्मक दृष्टिकोण वाला ही हो। लोगों की शिक्षा, रहन-सहन एवं सोचने की स्थिति में भिन्नता होने के कारण लोगों का किसी विषय के प्रति नजरिया भी अलग-अलग हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम एवं योजनाओं के प्रति सम्पूर्ण समाज की एक ही मनोवृत्ति हो। इसलिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के सम्मुख कुछ न कुछ चुनौतियां आ ही जाती हैं। चाहे वह कार्यक्रम या योजना कितनी ही अच्छी क्यों न हो। इसी प्रकार से हमारे देश के विकास के लिए और अस्वच्छता को दूर करने के लिए हमारी सरकारों के द्वारा स्वच्छता से संबंधित जो नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है, उनके सम्मुख भी कई चुनौतियां दृष्टिगोचर होती दिखलाई देती हैं। शिक्षार्थियों स्वच्छता कार्यक्रमों के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उसे इस पुस्तक के इकाई 6 ‘‘स्वच्छता से संबंधित चुनौतियाँ’’ नामक अध्याय में विस्तार से समझाया गया है। शिक्षार्थियों यहां पर हम स्वच्छता कार्यक्रमों के सम्मुख चुनौतियों पर बिंदुवार चर्चा करेंगे, आप स्वच्छता से संबंधित चुनौतियों को जानने के लिए इकाई 6 का गहनता से अध्ययन करेंगे।

(i) स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों की अपाप्र्यता से संबंधित चुनौतियां।
(ii) सामाजिक-सांस्कृतिक चुनौतियां।
(iii) आर्थिक-असमानता से संबंधित चुनौतियां।
(iv) नगरीकरण और जनघनत्व से संबंधित चुनौतियां।
(v) स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचों की अर्पाप्यता से संबंधित चुनौतियां।
(vi) कूड़े-कचरे के निष्पादन से संबंधित चुनौतियां।
(vii) पर्याप्त पानी की अपाप्र्यता से संबंधित चुनौतियां।
(viii)शिक्षा और जागरूकता की कमी से संबंधित चुनौतियां।
(ix) सामूहिक भागीदारी की कमी से संबंधित चुनौतियां।
(x) स्वच्छता को बनाये रखने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों की अपाप्र्यता से संबंधित चुनौतियां।
(xi) प्रशासनिक और नीतिगत चुनौतियां।

शिक्षार्थियों उपरोक्त चुनौतियां स्वच्छता कार्यक्रमों को आगे बढ़ने के बजाय पीछे को धकेलती हैं। जिससे कहीं न कहीं व्यक्तियों, समुदायो और आम जनमानस का ही नुकसान होता दिखलाई देता है। जिससे देश के समग्र विकास की गति प्रभावित होती है। इसलिए स्वच्छता के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि सम्पूर्ण समाज के लोग इन कार्यक्रमों के प्रति अपनी सजग जागरूकता को दिखायें।

3.12 स्वच्छता कार्यक्रमों में सुधार और भविष्य की दिशा (Improvements in Sanitation Programmes and future directions)

स्वच्छता कार्यक्रमों में मूल्यांकन और फीडबैक इन कार्यक्रमों को भविष्य की दिशा देने में सहायक होता है। जिससे इन स्वच्छता के कार्यक्रमों में सुधार होता है तथा समाज में इनकी प्रभावशीलता बढ़ती है। यह बात सही है कि स्वच्छता कार्यक्रमों ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की हैं। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इन सुधारां े से स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रमों की भविष्य की दिशा को बदलने में आसानी होगी। स्वच्छता कार्यक्रमों में सुधार एवं मूल्यांकन से स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में आसानी होगी। शिक्षार्थियों यहां पर स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता के लिए कुछ सुधारों पर भी चर्चा की जा रही है।

(i) हमारे पर्यावरणमित्रों के लिए सम्मानजनक कार्य की परिस्थितियाँ और बेहतर वेतन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
(ii) सामुदायिक नेतृत्व का उपयोग स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए किया जाये। यानि स्वच्छता संबंधी नीतियों में जनता की भागेदारी को आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।

(iii) डिजिटल और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को स्वच्छता के प्रति और जागरूक किया जाये।
(iv) हर क्षेत्र में कूड़े-कचरे के प्रभावी प्रबंधन की व्यवस्था को तत्पर किया जाये।
(v) स्थानीय निकायों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाय।
(vi) तकनीकी नवाचारों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाये जो अस्वच्छता से संबंधित समस्याओं को हल कर सकें।
(vii) स्वच्छता कार्यक्रमों में निजी क्षेत्रों की भागेदारी (Corporate social responsiability) को बढ़ाया जाये।
(viii)स्वच्छता से संबंधित रोजगारों के सजृन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहयोग लोगो को प्रदान किया जाये। युवाओं को अधिक से अधिक इनमें शामिल करवाया जाये।
(ix) स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाये।
(x) स्वच्छता कार्यक्रमों के दुरूप्रयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाये जाये।
(xi) स्वच्छता के कार्यक्रमों की लगातार निगरानी और समीक्षा की जाये।

12.13 सारांश (Summary)

शिक्षार्थियों आशा करते हैं कि इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के विषय में जान पाये होगें। कि सरकारी योजनाऐं एवं कार्यक्रम क्या हैं और इनके क्रियान्वयन के पीछे क्या कारण होते हैं। इसके साथ ही आपने इस इकाई में यह भी जाना होगा कि स्वच्छता कार्यक्रम क्या हैं तथा समाज में स्वच्छता कार्यक्रमों की भूमिका क्या होती है। भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकता और कारणों पर भी हमने इस ईकाई में चर्चा की है। सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के पीछे क्या कारण होते हैं तथा भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में किन-किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। इस इकाई में इन सब विषयों पर चर्चा की गई है। स्वच्छता के कार्यक्रमों से समाज को होने वाले लाभों, स्वच्छता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता, स्वच्छता कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के विषय में भी आपने ज्ञानार्जन किया होगा। भारत में चलाये जा रहे स्वच्छता कार्यक्रमों के सम्मुख चुनौतियां तथा चुनौतियों से निपटने के लिए इन कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सकता है, जिससे इनकी प्रभावशीलता बढ़े और समाज का विकास हो। इन सब बिंदुओं पर इस ईकाई में चर्चा की गई है।

13.14 शब्दावली (Glossory of terms)

सरकारी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन (Implementation of government Programmes) किसी सरकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से आशय है कि उस सरकारी कार्यक्रम, योजना या नीति को वास्तविक रूप से धरातल पर लागू करना। सरकारी कार्यक्रम, योजना या नीति को लोगों के व्यहवहार में लाना, जिससे सरकारी कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। जिसके लिए उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही जनमानस जिनके लिए

ये कार्यक्रम बनाये गये हैं, वे इनसे लाभान्वित हो सकें। किसी भी सरकारी कार्यक्रम के क्रियान्वयन से पूर्व इसमें लगने वाले खर्चे, रिसौंसेस, कार्यक्रम के संचालन तथा निगरानी में अमुख विभाग की जिम्मेदारी से संबंधित दायित्व एवं लाभार्थी समूहों से संबंधित मसौदा तैयार किया जाता है।

13.15 सन्दर्भ सूची (References List)

1. सिंह, डॉ. मोहन, (2017) ''सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता'' प्रकाशक नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
2. गुप्ता, सुमन (2019) ''ग्रामीण स्वच्छताः नीतियां और प्रथाऐं'', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. अय्यर, परमेश्वरन, (2020) ''स्वच्छ भारत क्रान्ति'', पब्लिशर डायमंड बुक्स, नई दिल्ली।
4. पटेल, डॉ. विवके कुमार एवं अंशुल गुप्ता,(2022) ''स्वच्छ भारत मिशन में जनजागरूकता अभियान का प्रभावः एक अध्ययन", International journal of reviews and research in social sciences, vol-10 issue-1

13.16 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्वच्छता कार्यक्रम क्या है? इन कार्यक्रमों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
2. स्वच्छता कार्यक्रमों के उद्देश्यों पर चर्चा कीजिए।
3. भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों की आवश्यकता के कारणों पर एक निबन्ध लिखिए।
4. स्वच्छता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से पूर्व की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए।
5. ''क्या स्वच्छता कार्यक्रमों से समाज को लाभ होता है।'' इस पर एक समाजशास्त्रीय निबन्ध लिखिए।
6. स्वच्छता कार्यक्रमों के सम्मुख कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? इस पर चर्चा कीजिए।
7. स्वच्छता कार्यक्रमों में सुधार के लिए अपने सुझाव दीजिए।

इकाई- 14 भारत में स्वच्छता आंदोलन : सुलभ इंटरनेशनल आंदोलन
Sanitation Movement in India: Sulabh International Movement

इकाई की रूपरेखाः

14.0 प्रस्तावना

14.1 उद्देश्य

14.2 स्वच्छता हेतु सुलभ आंदोलन-ऐतिहासिक उद्भव

14.3 सुलभ इंटरनेशनल आंदोलन

14.3.1 सुलभ इंटरनेशनल का उद्भव

14.3.2 सुलभ इंटरनेशनल का विकास

14.3.3 सुलभ इंटरनेशल के उद्देश्य

14.3.4 सुलभ इंटरनेशनल के कार्य

14.4 सुलभ आंदोलन के प्रमुख चरण

14.5 सारांश

14.6 पारिभाषिक शब्दावली

14.7 अभ्यास/बोध प्रश्नों के उत्तर

14.8 सन्दर्भ सूची

14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

14.10 निबंधात्मक प्रश्न

14.0 प्रस्तावना (Introduction)

भारत का इतिहास कई स्वच्छता आंदोलनों से चिह्नित है, जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी, डॉ. बी.आर. अंबेडकर, संत गाडगे बाबा और सूर्यकांत पारिख जैसे समाज सुधारकों ने किया था। इन नेताओं ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाई और शौचालयों तथा स्नानगृहों की स्वच्छता को बढ़ावा दिया। गांधी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा, जबकि डॉ. अंबेडकर ने स्वच्छ वस्त्र और घरेलू स्वच्छता पर जोर दिया। संत गाडगे बाबा ने ग्रामीण सार्वजनिक स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया, और सूर्यकांत पारिख ने सार्वजनिक सड़कों और पे-एंड-यूज़ सुविधाओं की सफाई पर काम किया। डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने मानव मल उठाने के अमानवीय कार्य का विरोध किया और शौचालय के नवीनीकरण, सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण, और मानव अधिकारों की वकालत की। स्वतंत्रता के बाद, निर्मल भारत और टोटल सेनिटेशन अभियान (TSC) जैसे सरकारी अभियानों ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता को सुधारने और शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। इन आंदोलनों ने स्वच्छता और स्वास्थ्य पहल में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

14.1 उद्देश्य (Objective)

1. इस अध्ययन के बाद आप सुलभ इंटरनेशनल आंदोलन उद्भव एवं विकास के बारे के विषय में समझ सकेंगे।
2. इस अध्ययन के बाद आप सुलभ इंटरनेशल के उद्देश्यों एवं कार्यों के बारे में समझ सकेंगे।
3. इस अध्ययन के बाद आप सुलभ आंदोलन के प्रमुख चरणों के विषय में समझ सकेंगे।

14.2 स्वच्छता हेतु सुलभ आंदोलन-ऐतिहासिक उद्भव (Sulabh Movement for Cleanliness-Historical Origins)

अस्वच्छता और अस्वस्थ परिस्थितियों में जी रहे लोगों के सम्माननीय जीवन के लिए प्रयास और मानवाधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है। प्राचीन समय से ही नरसिंह मेहता, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, न्यायाधीश रानडे, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे समाज सुधारकों ने दलितोद्धार, स्वास्थ्य सुधार और अस्पृश्यता निवारण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये सभी समाज सुधारक भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं, और उन्होंने सामाजिक और स्वास्थ्य सुधार के लिए अनेक पहलें की। ब्रिटिश सरकार ने भी स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के समाधान के प्रयास किए

हैं। इन सभी सुधारकों के प्रयासों ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं और स्वच्छता व स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

1951 के बाद, आजादी के पश्चात, सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएँ लागू कीं, जिनमें स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए बजट आवंटित किया गया। छुआछूत, जातिभेद, गरीबी, बेकारी आदि समस्याओं के समाधान के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन, संकलित बाल विकास योजना, टोटल सेनिटेशन कंपेइन (TSC), निर्मल भारत अभियान और सुलभ शौचालय कार्यक्रम लागू किए गए। इसके अतिरिक्त, भारत में स्वैच्छिक संस्थान जैसे सफाई विद्यालय, सिटीजन फाउंडेशन, सेव द चिल्ड्रन, केयर इंडिया, हुडको, स्पार्क सेवा, नासा फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल ने भी आरोग्य सुधार और स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन संस्थाओं ने सार्वजनिक शौचालय, व्यक्तिगत शौचालय और सार्वजनिक स्थानों की सफाई जैसे क्षेत्रों में योगदान दिया है और सुलभ आंदोलन के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

14.3.1 सुलभ इंटरनेशनल का उद्भव (Emergence of Sulabh International)

डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने बताया कि उनके घर में एक 'अस्पृश्य' महिला बर्तन साफ करने आती थी, और उनके जाने के बाद दादी माँ पूरे घर को धोती थीं। यह बात डॉ. पाठक के मन में सवाल उठाती थी कि ऐसा सिर्फ उस महिला के साथ ही क्यों होता है। एक दिन जब दादी माँ ने उन्हें उस महिला को छूते हुए देखा, तो दादी माँ ने उन्हें गोबर और गौमूत्र से पवित्र करने का प्रयास किया। यह घटना डॉ. पाठक के लिए एक गहरा सदमा था और इसी वजह से वे सफाईकर्मियों के अधिकारों और सम्मान के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुए।

डॉ. बिन्देश्वर पाठक को दूसरा अनुभव दलित पुत्रवधू की पीड़ा से हुआ, जो सास-ससुर के दबाव में मजबूर होकर 'गंदा' उठाने के लिए विवश हो गई थी। वह पुत्रवधू इस प्रथा से बच नहीं सकी, जिससे डॉ. पाठक को दलित समुदाय की कष्टपूर्ण स्थिति का गहरा एहसास हुआ।

डॉ. बिन्देश्वर पाठक को तीसरा अनुभव एक दलित लड़के के माध्यम से हुआ, जिसे बैल ने टक्कर मार दी और जख्मी हो गया। दलित होने के कारण किसी ने उसकी मदद नहीं की। डॉ. पाठक और उनके मित्र ने उसकी सहायता की, लेकिन दुर्भाग्यवश लड़के की मृत्यु हो गई। इस घटना ने डॉ. पाठक को दलित समुदाय की दयनीय स्थिति का और गहरा एहसास कराया।

गांधीजी के प्रिय कार्य में समर्पित होकर, डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने अस्पृश्य समुदाय के बीच रहने और उनके जीवन का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। उन्होंने सफाईकर्मियों के मानवाधिकारों को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। बिहार सरकार द्वारा गाँधी शताब्दी उत्सव समिति को रोक देने के बावजूद, मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया और डॉ. पाठक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। 5 मार्च, 1970 को डॉ. पाठक ने सुलभ स्वच्छता संस्थान की स्थापना की, जो बाद में 'सुलभ इंटरनेशनल' (सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन) बना। इस संस्थान ने सफाईकर्मियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, और स्वच्छता कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

14.3.2 सुलभ इंटरनेशनल का विकास (सुलभ इंटरनेशनल का विकास)

1970 से प्रारंभ होने वाला यह संस्थान विकास की राह पर गत्वर है। स्वास्थ्य एव स्वच्छता के क्षेत्र में 'सुलभ इंटरनेशनल' की अहम भूमिका रही है। पिछले पाँच हजार वर्ष पुरानी सामाजिक कुप्रथा-कुरिवाजों को तोड़कर सफाईकर्मियों के गौरव स्थापन का भागीरथ कार्य किया है। सरल तकनीक के प्रणेता डॉ. पाठक ने 'सुलभ इंटरनेशनल' के द्वारा जल व्यय, खाद-उत्पादन, शौचालयों का सरल निर्माण, सफाईकर्मी विहीन शौचालय सफाई प्रक्रिया आदि का प्रारंभ किया है। 'सुलभ' अर्थात् 'V' आकार की चैनलयुक्त, फलशयुक्त, ढलान वाले शौचालय। गड्डे के भर जाने से दूसरे गड्डे भर जाने तक की समयाविधि में मल का खाद में रूपांतरण हो जाता है। यद्यपि एक गड्डा तकरीबन एक-दो सालों में भर जाता है।

सुलभ इंटरनेशनल की संपूर्ण भारत व विश्व के विविध देशों में महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। सार्वजनिक शौचालय की विचारधारा को यह नया स्वरूप है। बंगाल म्युनिसिपल एक्ट 1876 को 1878 में लागू किया गया था, इसमें 'सार्वजनिक शौचालय' को स्थान दिया था। इस शौचालय उपयोग के आधार पर संचालन किया गया था। उन दिनों इसे संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। वह केवल एक विचार ही रह गया था। डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने सर्वप्रथम 1974 में इस विचार के आधार पर बिहार में सार्वजनिक शौचालय प्रारंभ किया। जो एक उदाहरणीय कार्य माना गया। पटना में शौचालय के साथ ही पेशाबखाना व स्नानागार का भी निर्माण किया गया। जिसका वैशिट्य यह था कि इसके खर्च का बोझ सरकार पर नहीं था। इसी से प्रेरित होकर पूरे देश में यह प्रयोग किया गया। कुछ स्थानों पर शौचालय के साथ पेशाबखाना, स्नानागार के उपरांत टेलीफोन सुविधा, पेयजल सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा को भी प्रारंभ किया गया।

सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा 8000 से भी अधिक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हुआ है। तकरीबन डेढ़ करोड़ लोग दैनिक रूप से इसका उपयोग कर रहे हैं। 200 शौचालयों को बायोगैस के साथ जोड़ा गया है। बिहार के छोटे जिले से प्रारंभ होने वाला यह संस्थान देश के 25 राज्यों, 4 केंद्र शासित प्रदेशों, 506 जिलों में तथा 1629 शहरों में कार्यरत हैं। अफगानिस्तान, भूटान जैसे देशों में भी इनकी भूमिका रही है। काबुल में पाँच सुलभ शौचालयों का निर्माण हुआ है। सभी शौचालय वहाँ बायोगैस से संलग्न हैं। युगांडा और अन्य 50 देशों में इसको विकसित करने का आयोजन है।

डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने महात्मा गांधी के स्वप्न को पूर्ण किया है। समाज में सम्मान युक्त जीवन जीने की सफाईकर्मियों को नई राह दिखाई है। अस्पृश्यता निवारण के ठोस कदम उठाए गए हैं। गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के जीवन कार्यों को मूर्तिमंत करने का सफल प्रयास किया है। पिछले 43 वर्षों से सफाईकर्मियों को अमानवीय कार्यों से मुक्ति, व्यावसायिक पुनर्गठन, सामाजिक सुधार, मानवीय गौरव, मानवाधिकार की प्रवृत्तियाँ इनके साथ साकार हो उठी हैं। 'मुक्ति कार्यक्रम', 'व्यावसायिक पुनर्वसन' और 'प्रशिक्षण केन्द्र', 'सुलभ पब्लिक स्कूल', 'सामाजिक सांस्कृतिक जागृति अभियान, 'सुलभ गाँव की ओर, 'अभियान', 'महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम', 'मिशन सेनिटेशन', 'सामूहिक भोजन' आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से सुलभ स्वच्छता आंदोलन बुलंदी पर पहुँचा है।

सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा 1973 में 'मुक्ति कार्यक्रम' अराह नगरपालिका में 'सार्वजनिक शौचालय' सफाईकर्मी 'मुक्ति अभियान' के द्वारा प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप देशभर से 53 लाख परंपरागत शौचालयों को सुलभशौचालयों में परिवर्तित कर 10 लाख से अधिक सफाईकर्मियों की मुक्ति का कार्य किया। 640 शहरों से इन लोगों को अस्वच्छ कार्य से मुक्ति प्राप्त हुई है। सफाईकर्मी महिलाओं के पुनर्वसन व प्रशिक्षण के तहत डॉ. पाठक ने 2003 में 'नई दिशा' नामक संगठन की रचना की है। इसके द्वारा खाद्य-पदार्थ जैसे कि पापड़, मसालों, नूडल्स, आदि निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त होने लगा है। ब्यूटी पार्लर व सिलाई कार्य की तालीम दी जा रही है। सफाईकर्मियों के बच्चों के हेतु 1992 में 'सुलभ पब्लिक स्कूल' की स्थापना की गयी। अंग्रेजी माध्यम की इस पाठशाला से बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। कम्प्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ड्राइविंग, मकान निर्माण कार्य, मेकैनिक्स आदि व्यवसायलक्षी शिक्षा दी जा रही हैं। इन बच्चों के रोजगार के नए आयाम खोले जा रहे हैं। महिला सशक्तीकरण, बच्चों के स्वरोजगार की नई दिशा उद्घाटित करने का श्रेय डॉ. बिन्देश्वर पाठक पा रहे हैं।

सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा 1988 में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व 1992 में जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। उदयपुर के नाथद्वारा मंदिर में अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश तथा मैथिल ब्राह्मणों से प्रजा विधि का अभियान चलाकर भेदभाव हटाने का सफल प्रयास हुआ है। अस्पृश्यों के द्वारा गंगा स्नान कर 200 ब्राह्मणों के साथ भोजनादि कार्य की प्रेरणा दी गई है। इन लोगों को अजमेर शरीफ दरगाह, दिल्ली के जीसर व मेरी कोन्वेट चर्च व गुरुद्वारे का भी अनुभव दिलाया गया है। 2007 में विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कार्यक्रम में सुलभ इंटरनेशनल ने प्रतिभागी बनकर प्रभाव पैदा किया है। सफाईकर्मी महिलाओं के द्वारा विश्व प्रसिद्ध मॉडलों के साथ रैंप केट वॉक भी करवाया गया है। फ्रांस के सम्मेलन में भी हिस्सा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम की सफाई कर्मियों से मुलाकात करते हुए बापू को भावांजलि देते हुए कहा था कि "बापू, आपके ही कारण हम 5000 वर्ष पुरानी दास प्रथा से मुक्त हुए हैं।" सुलभ इन्टरनेशनल के द्वारा ऐसे विविध कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। 'मिशन सेनिटेशन' और 'सुलभ गाँव की ओर कार्यक्रम ग्राम्य एवं नगरीय इलाकों में सुलभ इन्टरनेशनल के द्वारा होने वाले विख्यात कार्यक्रम है। संयुक्त राष्ट्र और इसी संस्थान के संयुक्त् उपक्रम से 'मिशन सेनिटेशन कार्यक्रम चलाया जाता है। सुलभ इंटरनेशनल ने सन् 2002 में सुलभ गाँवों की ओर कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की जागरूकता का कार्य किया है। 'सुलभ मॉडल' के आधार पर सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा देश में 200 बायोगैस प्लांट को विविध शौचालयों के साथ जोड़ा गया है। सुलभ टेक्नोलॉजी के द्वारा मानव मल-मूत्र का ऊर्जा में रूपांतरण, बायोगैस उत्पादन, बिजली उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी इस क्षेत्र में संशोधन की आवश्यकता है। इस तकनीक का पूर्णतः सामाजिक स्वीकार न होने के कारण इस पर गंभीरता से विचारणा नहीं हो सकी है। बायोगैस फायदेमंद अवश्य है, क्योंकि यह गंधहीन है, बैक्टेरिया रहित है।

सन् 1984 में सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा 'सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग' (सुलभ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और संशोधन व प्रशिक्षण संस्थान) की स्थापना की गई, बाद में इस नाम को 'सुलभ इंटरनेशनल एकेडेमी ऑफ एनवायरन्मेंटल सेनिटेशन एण्ड पब्लिक हेल्थ (सुलभ इन्टरनेशनल पर्यावरणीय स्वच्छता एकेडेमी और जनस्वास्थ्य) के रूप में पहचान प्राप्त हुई। यह संस्थान पर्यावरणीय स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण, प्रशिक्षण योजनाओं का निरीक्षण, अमलवादी, सशक्ति करण व परामर्शन का कार्य करती है। तत्पश्चात् सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा एक और संस्थान की संस्थापना की जाती है।

सुलभ इंटरनेशनल इंस्टीट्युट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन (सुलभ इंटरनेशनल स्वास्थ्य और स्वच्छता संस्थान), डॉ. बिन्देश्वर पाठक के द्वारा इसकी सन् 1994 में स्थापना की गई। स्वच्छता व स्वास्थ्य संबंधित सोफ्टवेयर, हार्डवेयर तकनीकों का विकास करना इनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह परियोजना महिलाएँ, बच्चे, नगरीय व ग्रामीण व गरीब

युवा आदि पर आधारित है। विविध फंडिंग एजेंसियों से मिलकर इस योजना का परिचालन होता है। महिला स्व सहाय योजना, स्कूल छात्र योजना, शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रम, शुद्ध पेयजल योजना, स्वास्थ्य निदान कैंप, ग्रामीण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

सन् 1994 में डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने विश्व में अनूठे म्यूजियम 'सुलभ इंटरनेशनल म्युजियम ऑफ टॉयलेट' (सुलभ इन्टरनेशनल शौचालय संग्रहालय) की दिल्ली में स्थापना की गयी। सुलभ शौचालय संग्रहालय में विविध-चित्र, पोस्टर, ऐतिहासिक नमूने संगृहित हैं। विश्व के प्रथम शौचालय संग्रहालय को ऐसे बहु मान प्राप्त हुआ है। सुलभ इंटरनेशनल संस्थान आज 5000 से अधिक लोग स्वैच्छिक रूप से सेवारत हैं। इस संस्थान ने करोड़ों लोगों के जीवन में आमूल परिवर्तन किया है। सामाजिक भेदभाव, अस्पृश्यता, सफाई कर्मियों के मानवाधिकार आदि को लेकर यह मिशन कार्यरत है।

14.3.3 सुलभ इंटरनेशनल के उद्देश्य (Objectives of Sulabh International)

डॉ. बिन्देश्वर पाठक के द्वारा सन् 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्थान प्रारंभ किया गया। सफाईकर्मियों के मानवाधिकार, सम्मान, पुनर्वसन हेतु इस संस्थान को उद्घाटित किया गया था। सफाई कर्मी के द्वारा गंदा उठाने की प्रथा को समाप्त करने का प्रयास है। गरीबी भगाओ व सामाजिक प्रतिष्ठापन, इसका अहम उद्देश्य है। प्रदूषण, पर्यावरणीय स्वच्छता, स्वास्थ्य सुधार भी इस संस्थान का लक्ष्य रहा है।

- सफाई कर्म के व्यवसाय से संलग्न, औरत, पुरुष व बच्चों का सामाजिक उत्थान करना।
- मानवीय मल (अपशिष्ट) से ऊर्जा स्रोत का विकास करना और वन्य सुरक्षा करना तथा जल प्रदूषण को समाप्त करना।
- सुलभ शौचालयों के द्वारा उत्तम खाद से अधिक अन्न प्राप्ति करते हुए कृषि समृद्धि में बढ़ोतरी करना।
- परंपरागत शौचालयों को सुलभ शौचालयों में परिवर्तित करना तथा अपने घरों में शौचालय निर्माण हेतु लोगों को जागरूक करना।
- खुले में शौचक्रिया करने वालों को जागरूक करना।
- सुलभ समेत स्नानागार, पेशाबखाना, शौचालय के उपयोग का प्रचार-प्रसार करना।
- टेक्नोलॉजी व सामाजिक क्षेत्र में परामर्शन केंद्र, संशोधन आदि को विकसित करना।

14.3.4 सुलभ इंटरनेशनल के कार्य (Functions of Sulabh International)

(1) **वैयक्तिक और सामूहिक स्वच्छता संबंधित जागरूकता प्रदान करना:** सामाजिक स्वच्छता हेतु सुलभ एक सशक्त माध्यम बन गया है सामाजिक स्वच्छता इसका प्रमुख कार्य है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्वच्छता का बहुत बुरा हाल है जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां जैसे मलेरिया, टाईडफाइड, बुखार इत्यादि फैल जाती है। इसलिए व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए सुलभ द्वारा अस्वच्छता वाले व्यवसाय में सम्मिलित लोगों के सुधार का कार्य आदि सुलभ आंदोलन के अन्तर्गत चल रहा है।

(2) सफाईकर्मियों की मुक्ति का कार्यक्रम: महात्मा गांधीजी व बाबासाहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बुनियादी रूप से सफाईकर्मियों की मुक्ति का कार्य आरंभ हुआ था। जिसको सुलभ इन्टरनेशनल संस्थान के संस्थापक डॉ. बिन्देश्वर पाठक द्वारा आगे बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाई गयी। सन् 1970 में प्रारम्भ हुए 'मुक्ति आंदोलन कार्यक्रम' आज 10 लाख से भी अधिक सफाईकर्मियों की मुक्ति का कारक बना है।

(3) सफाईकर्मियों हेतु व्यावसायिक पुनर्वसन व प्रशिक्षण: अपने परम्परागत कार्य से मुक्ति के उपरांत उनके पुनर्वसन तथा प्रशिक्षण हेतु इस आन्दोलन के संस्थापक डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने 2003, अप्रैल में राजस्थान के 'अलवर' 'नयी दिशा' नामक संगठन की भी स्थापना की जिसका मुख्या उद्देश्य खाद्य पदार्थ, सिलाई कार्य, सौंदर्य प्रसाधन, पापड़, नूडल्स, आदि के निर्माण का व्यावसायिक प्रशिक्षण देना था।

(4) सफाईकर्मियों के बच्चों हेतु शिक्षा व प्रशिक्षण: सुलभ आंदोलन के तहत सफाईकर्मियों के बच्चों की पाठशाला शिक्षा की उत्तम व उच्च शिक्षा हेतु सुलभ के द्वारा '1992' में दिल्ली में सुलभ पब्लिक स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) की संस्थापना की गई है। इस पाठशाला में 60 प्रतिशत बच्चे सफाई कर्मियों के तथा 40 प्रतिशत बच्चे आम जनता के रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब, पिछड़े व दलित बच्चों के उद्धार के साथ सामाजिक छुआछूत हटाना है।

(5) सफाईकर्मियों का सामाजिक उत्थान: डॉ. बिन्देश्वर पाठक के द्वारा सुलभ आंदोलन तहत सफाईकर्मियों के सामाजिक उत्थान हेतु 'सामाजिक उत्थान कार्यक्रम' का प्रारंभ किया। जिसके तहत समाज के उच्च परिवार के द्वारा एक सफाईकर्मियों के परिवारों को सामाजिक रूप में स्वीकारने का अनुरोध किया गया। जिसके परिणामस्वरूप अब तक 5000 सफाईकर्मियों के परिवारों को उच्चवर्गीय परिवारों के द्वारा अपनाया गया है। इस प्रयास को इनके सामाजिक उत्थान के साथ अस्पृश्यता के भेदभावों को हटाने का विशेष उद्देश्य से माना जाता है।

(6) पर्यावरणीय स्वच्छता का कार्य: डॉ. पाठक ने पर्यावरणीय स्थायित्व हेतु सुलभ टेक्नोलॉजी की विचारधारा महत्त्वपूर्ण रही है। जिसमें इनके द्वारा शौचालय के साथ बायोगैस प्लांट को जोड़ने का सफल प्रयोग पटना के अदालतगंज में किया। घरेलू उपयोग हेतु भी बायोगैस योजना सफल रही है। पर्यावरणीय सक्षमता प्राप्त हुई है।

14.3 सुलभ इंटरनेशनल आंदोलन (Sulabh International Movement)

सुलभ इंटरनेशनल, जो 1970 में डॉ. बिन्देश्वर पाठक द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका पूरा नाम सुलभ इंटरनेशनल का पूरा नाम 'सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ओर्गेनाइजेशन' (सुलभ इंटरनेशनल सामाजिक सेवा संस्थान) है जो स्वच्छता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह संस्थान सफाईकर्मियों के मानवाधिकार और उनके गौरव की पुनः स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. पाठक ने कम लागत पर उत्तम तकनीक का विकास किया, जो भारत और विकासशील देशों में सफल रही है। सुलभ इंटरनेशनल ने कई अंतरराष्ट्रीय कार्यशालाओं जैसे- आर्जेंटीना, चीन, घाना, युगांडा, केन्या, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि देशों में प्रायोजित सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। संस्थान ने विश्व बैंक, यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, भारत सरकार और राज्य सरकारों के सहयोग से विभिन्न योजनाओं को साकार किया है। सुलभ टेक्नोलॉजी को भारत व राज्य सरकारों से 'राष्ट्रीय स्वच्छता' के केंद्र के रूप में मान्यता मिली है। सुलभ के स्वच्छता कार्यक्रमों को ग्रामीण, पर्यावरणीय, सामूहिक, और स्वास्थ्य प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है और कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

14.4 सुलभ आंदोलन के प्रमुख चरण (Key steps in the Sulabh movement)

(1) सुलभ टेक्नोलॉजी: सन् 1968 में डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने शौचालय सफाई कर्मी की प्रथा के निवारण हेतु बिहार गांधी जन्म शताब्दी उत्सव में हिस्सा लिया और 'टू पिट पौर फलश शौचालय' की खोज की, जिसे 'सुलभ शौचालय' कहा गया। जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी स्वीकार किया गया है। यह शौचालय प्रणाली गंदगी उठाने की प्रथा, खुले में शौच, और असुरक्षित मानव मल निकास व्यवस्थाओं के मुकाबले एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प साबित हुआ है।

(2) सुलभ संगठन संस्थान की स्थापना (रजिस्ट्रेशन) 1970: सरकार द्वारा बिहार गांधी जन्म शताब्दी उत्सव पर पाबंदी लगाने के बाद, डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने 1968 में 'सुलभ शौचालय संस्थान' की स्थापना की, जिसे वर्तमान में 'सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन' के नाम से जाना जाता है। इस संस्थान ने भारत में हाथों से मानव मल की सफाई की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने और सफाईकर्मियों के उद्धार के प्रयास शुरू किए। 1970 में

'सुलभ आंदोलन' की नींव रखी गई, जिससे स्वच्छता और सफाईकर्मियों की स्थिति में सुधार लाने का महत्वपूर्ण कार्य हुआ।

(3) 'पे एन्ड यूज़' 1974: सन् 1974 में, डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने 'पे एन्ड यूज़' पद्धति के तहत सामूहिक शौचालय और स्नानागारों के रखरखाव के लिए सुलभ आंदोलन को गति दी। पहले, सार्वजनिक शौचालयों को भारत में 'नर्क द्वार' माना जाता था, लेकिन इस पद्धति ने समस्या का समाधान प्रदान किया। आज 25 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों में 7500 अधिक सार्वजनिक शौचालय भवन उपयोग में हैं, और 1247 से अधिक नगरों सहित प्रमुख महानगरों में भी यह प्रणाली लागू है। सुलभ आंदोलन का अंदाजन 1 करोड़ से भी अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं।

(4) ऐतिहासिक सेमिनार-1978: बिहार में सफाईकर्मी मुक्ति और स्वच्छता हेतु सुलभ आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर, भारत सरकार के कार्य और आवास मंत्रालय ने 1978 में पटना में डबल्यु.एच.ओ. और यूनिसेफ के सहयोग से एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया। यह सेमीनार 'परंपरागत शौचालय व सफाईकर्मियों की मुक्ति' पर केंद्रित था। इसमें आरोग्य मंत्रालय, कार्य आवास मंत्रालय, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियाँ, डबल्यु.एच.ओ., यूनिसेफ और विश्वबैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यस्तरीय सचिव और इंजीनियरों को सुलभ टेक्नोलॉजी और पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। इस सेमीनार के परिणामस्वरूप सुलभ तकनीक और पद्धतियों का प्रभाव धीरे-धीरे पूरे भारत में फैल गया, जिससे सफाई और स्वच्छता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।

(5) कानूनी सुरक्षा-1980-81: डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने सुझाव दिया था कि सफाईकर्मियों की मुक्ति और पुनर्वसन का कार्यक्रम 'संपूर्ण नगर अभिगम' (हॉल टाउन एप्रोच) के तहत चलाया जाना चाहिए। इस योजना की शुरुआत 1980-81 में बिहार के बिहार शरीफ और पूर्णिया जिलों से हुई। इसके बाद लालटेनगंज, चाईबासा (वर्तमान में झारखंड में) और मधुबनी में भी इस योजना को लागू किया गया। तत्पश्चात, अन्य राज्यों में भी इसे शुरू किया गया। मुक्ति प्राप्त सफाईकर्मियों के वैकल्पिक रोजगार की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली और बाद में इसे भारत के कल्याण मंत्रालय द्वारा निभाया गया।

(6) सार्वजनिक शौचालयों से बायोगैस 1984: सबसे पहले पटना के अदालतगंज के सुलभ सार्वजनिक शौचालय के साथ बायोगैस प्लांट को जोड़ा गया। बायोगैस से बिजली उत्पादन का लघु प्रयोग किया गया और सफलता के बाद उसे तीन कि.मी. दूर तक पहुँचाने का निर्णय लिया गया।

(7) टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन: सुलभ टेक्नोलॉजी के पोरफ्लेश शौचालय और सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव की पद्धति व स्नानागार के 'पे एंड यूज़' के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। तत्पश्चात् यू.एन.डी.पी. और विश्व बैंक के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमरीका में इसको अपनाया गया।

(8) सफाईकर्मियों का मंदिर निषेध 1988: सन् 1988 में, डॉ. बिन्देश्वर पाठक ने राजस्थान के नाथद्वारा मंदिर में दलितों के मंदिर प्रवेश की समस्या का समाधान किया। इस गंभीर प्रश्न के समाधान के लिए कई प्रयासों के बाद, भारत के राष्ट्रपति आर. वेंकटरामन ने दलितों के मंदिर प्रवेश का कार्य संभाला। डॉ. पाठक ने 100 सफाईकर्मियों के साथ वैदिक मैथिल ब्राह्मणों के हाथों पूजा विधि करवाई और पुलिस सुरक्षा के बिना यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात, डॉ. पाठक ने डॉ. शंकरदयाल शर्मा और राजीव गांधी से मुलाकात की।

(9) कौमवाद विहीन पूजा विधि 1989: मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु, स्वच्छता हेतु सुलभ आंदोलन की अहम भूमिका रही है। डॉ. पाठक ने नाथद्वारा के कार्यक्रम के बाद दलित मंदिरों में पूजा विधि के अधिकारी बने, ब्राह्मणों से पूजा विधि कराने में सफल रहे और सामूहिक भोजन-पूजा विधि के कार्यक्रम आरंभ हुए। वैदिक ब्राह्मणों के साथ बैठकर भोजन प्रसाद आदि का वातावरण पैदा हुआ। इस आंदोलन को आज भी सफल माना जाता है।

(10) जागृति अभियान 1992: फरवरी, 1992 में नई दिल्ली में सुलभ के द्वारा 'सफाईकर्मी' की मुक्ति व पुर्नवास 'संबंधित राष्ट्रीय सेमिनार' का आयोजन जिसका उद्धाटन राष्ट्रपति स्व. ज्ञानी जैलसिंह ने किया, जिसमें विविध विश्वविद्यालयों के कुलपति, अध्यापक, प्रशासक आदि ने सुलभ आंदोलन को जन आन्दोलन बनाने का निर्धारण किया। सेमिनार में डॉ. पाठक ने सुलभ आंदोलन के बारे में बताया था कि सुलभ ने गलत मान्यताएँ, पूर्वग्रहों के सामने जागृति का अभियान छेड़ा है इस जागृति अभियान से इन लोगों को उच्च वर्ग में स्थान प्राप्त हो सकता है।

(11) सुलभ इंटरनेशनल शौचालय-संग्रहालय 1994: दिल्ली में 1994 में विश्व का अनूठा शौचालय संग्रहालय सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा निर्मित हुआ है। जिस में कला, चित्र, पोस्टर व विविध सामग्रियों के साथ-साथ विविध मॉडलों के शौचालयों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यह शौचालय की विकास यात्रा है। इसमें पालम, महावीर एन्क्लेव ध्यानाकर्षित करता है।

(12) एस.टी.ए.टी. (स्टैक) 1997: बायोडिग्रेडेबल कचरों को खाद में परिवर्तित करने के लिए सुलभ के द्वारा एक नई 'सुलभ थर्मोफिलिक एरोबिक कंपोस्टिंग' तकनीक का विकास किया गया है। जिसके द्वारा बायोडिग्रेडेबल सामग्री को 8 या 10 दिनों में बना देती है।

(13) एस.ई.टी. (सेट) टेक्नोलॉजी 2002: सुलभ के द्वारा सेट (सुलभ एफ्लुसेट ट्रीटमेंट) नई व सुविधायुक्त टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। इस तकनीक से बाहर निकलने वाला कचरे, B.D.O. (बायोलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड) को 1 मिलीग्राम व 1 लीटर से कम कर देना है। खेत, बागान, नदी, जलाशय आदि की सुरक्षा व शौचालय सफाई हेतु अनुकूल है।

(14) सुलभ युनिवर्सिटी 2003: स्वच्छता हेतु सुलभ आंदोलन के द्वारा 'स्वच्छता सुलभ युनिवर्सिटी' की स्थापना की गई। स्वच्छता संबंधी एन्साइक्लोपीडिया का संकलन किया गया। वॉटर सप्लाई एंड सेनिटेशन कोलैबाटेटिव काउंसिल, स्विट्ज़रलेन्ड के सहयोग से वॉश-कैंपेन प्रारंभ हुआ। सफाईकर्मियों के लिए अलवर में सुलभ व्यावसायिक केंद्र (नई दिशा) की संस्थापना की गई। जिसे यु.एन.डी.पी. ने अपने मानव-विकास अहवाल में 2003 में सुलभ तकनीक को मान्यता प्रदान की है।

(15) विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन 2007: सुलभ और विश्व शौचालय संगठन (WTO) के संयुक्त प्रयासों से विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन का सन् 2007 में देश-विदेश के प्रतिभागियों ने मिलकर 'स्वच्छ दुनिया' का संकल्प किया। दिल्ली के लिए 'घोषणापत्र' जारी किया गया। भारत के प्रख्यात मॉडल्स ने स्थानीय महिलाओं के साथ अलवर की प्रशिक्षार्थी महिलाओं के साथ दिल्ली स्थित बुल्गारिया के दूतावास में 'मिशन सेनिटेशन' हेतु 'फेशन शो' का प्रदर्शन किया।

(16) मुक्त सफाई कर्मियों को राष्ट्रपति के आशीष 2008: 25 जुलाई, 2008 को श्रीमती उषा चौनड व अन्य सफाईकर्मी औरतों को न्यूयॉर्क के आने के बाद राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया था। इन लोगों के सुखी जीवन के लिए पाटिल ने शुभकामना व्यक्त की और उन्होंने महात्मा गांधी के स्वप्न को पूर्ण होने की उन्होंने बात कही थी।

(17) अस्पृश्यों का मन्दिर प्रवेश तथा ब्राह्मणों के साथ भोजन-2008: 21 दिसम्बर, 2008 को हजूरी गेट कॉलोनी में रहने वाले अस्पृश्य परिवार के लिए एक महत्त्वपूर्ण घटना घटित हुई। वहाँ लोगों की परछाई मात्र से दूर रहने वाले लोगों ने यह भोजन साथ-साथ किया। जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉ. अंबेडकर एवं महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा हुआ।

(18) स्टाक होम जल एवार्ड 2009: डॉ. बिन्देश्वर पाठक को विज्ञान का प्रतिष्ठित स्वीडिश एकेडेमी के द्वारा 2009 में 'स्टाक जल होम अवोर्ड' प्रदान किया गया। जल विषयक कार्य के साथ संलग्न उत्तम कार्य हेतु दुनिया का यह श्रेष्ठ अवोर्ड इनायत किया जाता है। इस एवोर्ड में 1,50,000 डॉ.लर और एक क्रिस्टल मूर्ति दी जाती है।

बोध प्रश्न (Comprehension Question)

1. 'टू पिट पौर फलश शौचालय' की खोज किसके द्वारा की गई?

   ………………………………………………………………………………
2. 2008 में अस्पृश्यों का मन्दिर प्रवेश तथा ब्राह्मणों के साथ भोजन कार्यक्रम किस जगह पर सम्पन्न हुआ?

   ………………………………………………………………………………..
3. स्टाक होम जल एवार्ड 2009 का अवार्ड किसको प्रदान किया गया?

   ………………………………………………………………………………
4. 'स्वच्छता सुलभ युनिवर्सिटी' की स्थापना किस वर्ष की गई?

   ………………………………………………………………………………
5. एस.टी.ए.टी. (स्टैक) का विस्तारित नाम क्या है?

………………………………………………………………………………..

14.5 सारांश (Summary)

'मिशन सेनिटेशन' सामूहिक स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। 'स्वस्थ बचपन स्वस्थ राष्ट्र' के सूत्र के साथ भारत में स्वच्छता आंदोलन सक्रिय है, जिसका श्रेय महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, संत गाडगे बाबा, डॉ. बिन्देश्वर पाठक और सूर्यकांत परीख जैसे समाज सुधारकों तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों को जाता है। अहमदाबाद में अस्पताल, बस अड्डे और उद्यानों सहित 26 स्थानों पर आधुनिक शौचालय बनाए गए हैं। सत्ताधार, बहुचराजी, सोमनाथ, डकोर, अंबाजी जैसे तीर्थस्थानों पर और नंदी ग्राम के पास आदिवासी गाँवों में शौचालयों का निर्माण किया गया है।

वर्तमान समय में शौचालय के अभाव से बुजुर्गों और महिलाओं को जो समस्याएं उठानी पड़ रही थीं, उनमें सुधार हुआ है। सूर्यकांत परीख ने इस कार्य में आशीर्वाद रूप योगदान दिया। नासा के कार्यकर्ता भी अपना संपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। नासा की बहनें गुजरात की अदालतों की सफाई का काम करती हैं। संस्थान का लक्ष्य नए सुलभ की स्थापना

करना है। सूर्यकांत परीख और नासा के कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता आंदोलनों के माध्यम से गुजरात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

14.6 पारिभाषिक शब्दावली (Glossary of Terms)

सफाईकर्मी- सफाईकर्मी शब्द का हिंदी में अर्थ "क्लीनर" या "स्वच्छता कार्यकर्ता" होता है। इसका उपयोग विभिन्न स्थानों, जैसे कि सड़कों, कार्यालयों या सार्वजनिक सुविधाओं में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के लिए किया जाता है। ये कर्मचारी पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

'पे एन्ड यूज़'- 'पे एंड यूज़' (पे एंड यूज़) वाक्यांश एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जहाँ व्यक्ति किसी विशिष्ट सेवा या सुविधा का उपयोग करने के लिए एक छोटा सा शुल्क चुकाते हैं। यह आमतौर पर शौचालय, पार्किंग स्थल या चार्जिंग स्टेशन जैसी सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ा होता है। यह विचार उपयोगकर्ता के योगदान के माध्यम से रखरखाव और उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

WTO- विश्व शौचालय संगठन

B.D.O.- बायोलोजिकल ऑक्सीजन डिमांड

मुक्ति- अक्सर बाधाओं, संघर्षों या पीड़ा से स्वतंत्र होना ही मुक्ति कहलाती है।

पुनर्वास- पुनर्वास का अर्थ किसी व्यक्ति को समाज में फिर से शामिल होने या कठिनाइयों के बाद अपनी जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में सहायता करना।

14.7 अभ्यास/बोध प्रश्नों के उत्तर (Answers to Exercise/Comprehension Questions)

1. डॉ. बिन्देश्वर पाठक
2. हजूरी गेट कॉलोनी
3. डॉ. बिन्देश्वर पाठक को
4. 2003
5. सुलभ थर्मोफिलिक एरोबिक कंपोस्टिंग

14.8 संदर्भ सूची (Reference list)

1. बाघेला, अनिल, एस0 (2015) ''स्वच्छता के समाजशास्त्र का स्वरूप'' कल्पज प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. नागला, बी.के., (2023) स्वच्छता का समाजशास्त्र

3. नागला, बी0के0 (सम्पादक) (2015) ''स्वच्छता का समाजशास्त्र'' रावत पब्लिकेशन जयपुर।

4. सुलभ स्वच्छता आंदोलन, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली।

5. डॉ. बिन्देश्वर पाठक (2013), स्वच्छता का समाजशास्त्र (पर्यावरणीय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और सामाजिक उपेक्षा), सुलभ इंटरनेशनल, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली

14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री (Helpful/Useful Reading Material)

1. Pathak, Bindeshwar, Sulabh Sanitation Movement, Sulabh International Social Service Organisation.

2. सुलभ इंटरनेशनल सेंटर और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन, स्वच्छता का समाजशास्त्र।

3. वाघेला, अनिल, (2023) स्वच्छता का समाजशास्त्र

4. नागला, बी.के., (2023) स्वच्छता का समाजशास्त्र

पत्रिका

1. Sulabh India, November 2012, Issue 11 Volume 24.

14.10 निबंधात्मक प्रश्न (essay question)

प्रश्न 1: सुलभ इंटरनेशनल के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है?

प्रश्न 2: सुलभ इंटरनेशनल के विकास के चरणों पर विस्तार से प्रकाश डालिये।

प्रश्न 3: स्वच्छता हेतु सुलभ आंदोलन के ऐतिहासिक उद्भव को विस्तार से समझाइये?

प्रश्न 4: सुलभ इंटरनेशनल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए?